नवम माला, खंड 6, अंक 47

बुधवार, 23 मई, 1990
2 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 47, बुधवार, 23 मई, 1990/2 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 944 से 947	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 943, 948 से 952 और 964 से 962	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9980 से 10129, 10131, 10132, 10134 से 10210 और 10210	
श्री रमेश चेन्नीथाला, संसद सदस्य के साथ दिल्ली पुलिस की कथित हाथापाई के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	192—215
श्री हरीश रावत	193
श्री पी० चिदम्बरम	193
श्री वसन्त साठे	193
प्रो० पी० जे० कुरियन	193—196
श्री बसुदेव आचार्य	196
श्री लोकनाथ चौधरी	196
श्री सत्यपाल मलिक	196—197
श्री मदन लाल खुराना	197
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	197—199
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	199—215
सभा पटल पर रखे गए पत्र	216—220
राज्य सभा से सन्देश	200
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	221
छठा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक	222—226
पुर:स्थापित	
श्री राम विलास पासवान	222
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	223—226
नियम 377 के अधीन मामले	226—230
(एक) मुम्बई दूरदर्शन के प्राधिकारियों को सिन्धी नाटक "झूले लाल" शीघ्र प्रसारित करने के निदेश दिए जाने की मांग	
श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले	226
(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण किए जाने की मांग	227
श्री रामलाल राही	
(तीन) बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग	
श्री दसई चौधरी	227
(चार) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग	
श्री सरजू प्रसाद सरोज	227—228
(पांच) महाराष्ट्र से पार्ली-बीड़-अहमदनगर बड़ी रेल लाइन को स्वीकृति दिए जाने तथा इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे बड़ी मण्डियों से जोड़े जाने की मांग	
डा० वेंकटेश काबड़े	228
(छ:) बिहार में मरकच्चों में आयुध कारखाना लगाए जाने की मांग	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	228
(सात) तमिलनाडु में नामीबियार, पोंगियार और कोदुमुदियार जलाशय योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग	
श्री धनुषकोडी आर० अतीतन	229
(आठ) "बंगाल की खाड़ी में लघु मछुआरा समुदाय" परियोजनाओं के अंतर्गत सुन्दरवन क्षेत्र को भी शामिल किए जाने की मांग	
श्री सनत कुमार मंडल	229
नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के संबंध में वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव	230—243
डा० विप्लव दासगुप्त	230—237
श्री दिनेश गोस्वामी	237—243

विषय	पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — 243—261

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्य

श्री नीतीश कुमार	243—246
श्री के० ए० राव	246—252
प्रो० एन० जी० रंगा	252—253
श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी	253
श्री मनोरंजन भक्त	254
श्रीमती के० जमुना	254
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी	254—255
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	255—256
श्री पी० नरसा रेड्डी	256
श्री बासव पुन्नप्पा सिंगम	256—261

नियम 193 के अधीन चर्चा — 261—275

तमिलनाडु में लिट्टे की कथित गतिविधियों के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री पी० आर० कुमारमंगलम	261—267
श्री जसवन्त सिंह	267—271
श्रीमती सुभाषिनी अली	271—274
श्री भवानी शंकर होटा	274—275

कार्य-मंत्रणा समिति — 274

बारहवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत

लोक सभा

बुधवार, 23 मई, 1990/2 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक संबंध नियम युक्तिसंगत बनाना

[अनुवाद]

*944. श्री माधवराव सिंधिया : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान औद्योगिक संबंध कानूनों को युक्तिसंगत बनाने में कौन-सी मुख्य बाधाएं सामने आई हैं;

(ख) क्या इस कार्य को पूरा करने और संसद में विधान लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा विभिन्न समितियों द्वारा औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों में पता लगाई गई मुख्य कमियों में सामूहिक सौदेकारी के उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों की मान्यता से संबंधित उपबन्धों की कमी, यूनियनों की बहुलता, ट्रेड यूनियनों के कार्यकरण मे गैर-कर्मकारों की भूमिका, न्याय निर्णयन पद्धति का कारगर न होना आदि शामिल हैं।

2. इस विषय पर 21 और 22 अप्रैल, 1990 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 29वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसरण में, इन्टक के प्रेजीडेंट श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन तथा नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति नए औद्योगिक संबंध कानून के लिए विशेष प्रस्ताव तैयार करेगी। उक्त समिति से अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 जुलाई, 1990 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, कुछ समय पहले यूनियनों को अनिवार्य मान्यता प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया था। मेरे विचार में वर्तमान समय में यह केवल एक अनुशासन संहिता के अन्तर्गत ही है जो कि इसे सरकार, कर्मचारी संघों और यूनियनों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार चलाता है। परन्तु यह कानून के द्वारा अनिवार्य नहीं है और न ही किसी नियोक्ता के लिए इसका पालन करना आवश्यक है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनियनों को कानूनी तौर पर अनिवार्य मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्धों संबंधी विधेयक में इसका प्रावधान किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यदि इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो हमने उसमें स्पष्ट कहा है कि अभी 21 और 22 तारीख को जो आई० एल० सी० यानी इंडियन लेबर कांफरेंस हुई थी, उसमें एक त्रिपक्षीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि आई० एल० सी० में ही कोई कमेटी गठित की गयी है। दोनों पक्षों ने श्री रामानुजम जी की अध्यक्षता में विचार करना मान लिया है और वे सारे मामले को देख रहे हैं। हमने इसके लिये समय भी बांध दिया है और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक हमें दे देगी। इस बीच में जितने पुराने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स विधेयक हैं, जो कन्ट्रोवर्शियल हैं, हम उनको वापस लेने की कार्यवाही के बारे में विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे पास जो भी सुझाव आयेंगे, उनके आधार पर हम अपना मंतव्य बनायेंगे। अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री माधवराव सिंधिया : इसका मतलब हुआ कि माननीय मन्त्री जी, आपने अपनी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से स्थगित कर रखा हुआ था। यदि आपका कोई विचार है, मत है तो उसे आप बताने की कृपा कीजिये ताकि हमें पता चल सके। आपका क्या विचार है, उसकी कम से कम जानकारी तो हमें दीजिये, विदाउट कमिटिंग योरसैल्फ, थोड़ा आपके विचार हमारी समझ में भी आयें कि आपका इस सम्बन्ध में क्या विचार है। हमारी समझ में नहीं आया कि आप का क्या विचार है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सिन्धिया जी ने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या-क्या बाधाएं हैं, क्या-क्या खामियां हैं, जो नजर आ रही हैं, तो उस सम्बन्ध में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार का नहीं, बल्कि आप उसमें देखेंगे कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट्स हैं वे 1926 और इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं कम्पलसरी रिकग्नीशन की बात कर रहा हूं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं उस पर भी आ रहा हूं।

वे सारे के सारे एक्ट 1926 और 1947 के हैं और उसके बाद इस सम्बन्ध में 1978 और 88 में सुझाव आया और दो बार पार्लियामेंट में विधेयक पेश भी हुए और दोनों बार कन्ट्रोवर्शियल माना गया। रिकग्नीशन का मामला था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन इस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडजुडिकेशन और डायरेक्ट रेफरेंस का मामला था, वे सारे मामले नजर में आए थे और ऐसी

परिस्थिति में, मैं समझता हूं जबकि द्विपक्षीय कमेटी बैठी हुई है, उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोई राय देना, मैं उस कमेटी के कार्य में बाधा पहुंचाना समझता हूं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी के सम्बन्ध में इस सत्र के अन्त तक विधेयक लाने के प्रति सरकार वचनबद्ध है। ऐसा सुना गया है कि श्रमिकों की प्रबन्ध में भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आप गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं। परन्तु आज भी यूनियनों को मान्यता प्रदान के लिए जांच प्रक्रिया लागू है। यह द्विभाजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियनों की बहुसंख्या ट्रेड यूनियनों के हित में नहीं है। यह मूल कमजोरी है। इसका एकमात्र समाधान गुप्त मतदान है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस द्विभाजन अर्थात् यह जो आप एक ओर तो प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाने का विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह जांच प्रक्रिया भी जारी है, इसे समाप्त करने तथा गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता देने के लिए आज क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, सरकार सीक्रेट बैलट के माध्यम से वर्कर्स के प्रतिनिधि का चुनाव हो, इसके लिए कमिटिड है और लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हमने उस व्यवस्था को रखा है। अभी हमारी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसमें और भी सुझाव आए हैं। एक मुख्य सुझाव यह आया है कि इस रिकग्नीशन के सम्बन्ध में अलग से एक विधेयक लाया जाए जिसमें यह हो कि ट्रेड यूनियन की रिकग्नीशन भी सीक्रेट बैलट द्वारा हो। उस दिन, जब मंत्रालय की डिबेट हो रही थी, तो मैंने ही इस मामले को श्री कुमारमंगलम जी से छेड़ दिया था, तो उस दिन भी काफी चर्चा इस पर हो गयी। इस प्रकार से यह सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : हमारी सदन में इस चर्चा को श्री रामानुजम की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए अपने सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि हम उस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि दो बातों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। एक यह कि प्रतिनिधि यूनियनों को मान्यता देना ताकि मामलों को तय किया जा सके और दूसरा है श्रमिकों की प्रबन्ध में भागेदारी। दोनों ही का उद्देश्य सामाजिक न्याय और उत्पादकता बढ़ाना है। यह दोनों का सामान्य उद्देश्य है। मुझे यह बताया गया है कि रामानुजम समिति 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

इसी सत्र में ही माननीय श्रम मंत्री जी श्रमिकों की प्रबन्ध में भागेदारी के लिए विधेयक लाना चाहते हैं। मैं यही नहीं जानता कि इन दोनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों ही चीजें सामान्य हैं। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक उद्योग के लिए एक ही यूनियन होनी चाहिए। जैसे कि हमारी संसद है। इस संसद में जैसे कई दल हैं। हम सब अपनी संख्या के अनुसार यहां पर उपस्थित होते हैं। बहुसंख्यक दल सरकार का गठन करता है और अल्पसंख्यक दल विपक्ष में

बैठता है। जब तक हम एक उद्योग के लिए एक यूनियन का सिद्धान्त नहीं अपनाते, ऐसा करना संभव नहीं। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी यूनियनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। लोग मतदान करेंगे और उनके मतों के अनुपात में ही उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। इस तरह से वे यूनियनें जिनकी इस अनुपात के अनुसार बहुसंख्या होगी, वे प्रबन्ध में भागीदार होंगी। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है अथवा क्या किसी ऐसी योजना पर श्रम सम्मेलन में विचार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह बात सही है जो ए० के० राय जी ने कही है। अभी दो चीजें हैं, एक तो जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन में इतनी ट्रेड यूनियन्स हैं, जिनके साथ समझौता होता है उसी पर लागू होता है। नतीजा यह होता है कि ट्रेड यूनियन के सामने भी यह समस्या है और मैनेजमेंट के सामने भी समस्या रहती है। रीकोगनीशन के सम्बन्ध में जैसा कि सिंधिया जी ने कहा कि अभी कोई केन्द्रीय कानून नहीं है, उसे बनाने की आवश्यकता है। अभी तक के कानून में कोई भी आदमी सात कर्मचारियों के ऊपर एक ट्रेड यूनियन बना सकता है। लेकिन 1988 का जो विधेयक था, उसमें 10 प्रतिशत रखा गया था। एक बारगेनिंग काऊंसिल का भी सुझाव है। उस बारगेनिंग काऊंसिल के सम्बन्ध में जितने भी ट्रेड यूनियन्स हैं, प्रपोरशन के आधार पर उनके प्रतिनिधि बारगेनिंग काऊंसिल में जायेंगे, उसके साथ जो समझौता हो और समझौते के बाद जो निष्कर्ष निकले, वह सब पर लागू हो, इस तरह के विचार आए थे। इसलिए मैंने कहा कि सरकार के लिए कुछ कहना मुश्किल है लेकिन सारे सुझाव कमेटी के सामने हैं।

श्रीमती सुभाषिनी अली : मंत्री जी से हमारा यह सवाल है कि अभी श्रम की भागीदारी को लेकर एक विधेयक आने वाला है जिसमें सीक्रेट बैलेट द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। अगर आप प्रबन्ध में भागीदारी श्रमिकों के सही प्रतिनिधियों को देंगे लेकिन जहां पर इनकी मांगों का फैसला होने वाला है वहां पर सही प्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं होगा, उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, उनसे कोई समझौता नहीं करेगा, तो श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में भागीदारी देने का जो आपका उद्देश्य है, उसका कोई मतलब नहीं होगा, वह अर्थहीन हो जाएगा। मेरा मंत्री जी से कहना है कि किसी कमेटी की बात नहीं है, सरकार की नेकनीयती की बात है। क्या यह सरकार श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव, ट्रेड यूनियन की मान्यता का सवाल, सीक्रेट बैलेट तय करने के लिए तैयार है या नहीं ? इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, जिन ट्रेड यूनियन्स को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भेजने की बात सरकार तय करती है, उसका चुनाव किस आधार पर होता है ? अभी जो आई० एल० ओ० कांफ्रेंस होने जा रही है उसमें हिन्दुस्तान के ट्रेड यूनियन आन्दोलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल तीन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों का चुनाव करके उनको वहां भेजा जा रहा है। इस चुनाव के लिए बाकी ट्रेड यूनियन्स जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उनसे कोई वार्ता नहीं की गयी, कोई राय नहीं ली गयी और इस देश के बहुत बड़े प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन संगठन हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया क्योंकि वैरीफिकेशन के आधार पर मामला तय किया गया है। मेरा सवाल यह है कि जहां भी श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, चाहे प्रबन्ध में, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और चाहे बारगेनिंग ऐजेन्ट्स को तय करने में, क्या यह सरकार सीक्रेट बैलेट के जरिए उनके चुनाव के सिद्धान्त को मानती है और यदि मानती है तो उसके लिए विधेयक कब लायेगी, कितनी जल्दी लायेगी ?

श्री राम विलास पासवान : कोई आदमी वैसे भी नये फ्लैट और घर में जाता है तो झाड़ू बुहाक करने में भी दो चार दिन का समय तो लगता है लेकिन अब सुभाषिनी अली जी कहती हैं कि पहले दिन आये तो पहले ही दिन में झाड़ू बुहाक भी क्यों नहीं दिया, वहां टेबिल भी क्यों न सजा दिया, खाना भी क्यों न सजा दिया। अब आप जान रहे हैं, सरकार की नीयत को भी जानते हैं और हमारी नीयत को भी जानते हैं। मैंने कहा कि सीक्रेट बैलट पेपर के सवाल पर सरकार कमिटेड है, गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव कराने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और उसके लिए जो भी कठिनाई हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, आप सब साथियों से हम बात भी करते हैं। सीक्रेट बैलेट पेपर का जहां तक मामला है, जहां उद्योग है वहां तो हम लागू कर देंगे, सीक्रेट बैलट पेपर के द्वारा, क्योंकि वहां मालूम है कि यह यूनियन है, इतने कर्मचारी हैं लेकिन जहां सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, उस परिस्थिति में सीक्रेट बैलेट पेपर्स से जो हम मेम्बरी बनायेंगे तो सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा तो सदस्य नहीं बनायेंगे, सदस्यता तो ओपन ही रहेगी फिर सारे के सारे को मिलाकर सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा किस तरह से आप प्रूव करेंगे। हमारे हाथ में और ताकत होनी चाहिए, चूंकि एक जनरल इलेक्शन के समान होगा। हम अनआर्गेनाइज्ड लेबरर की बात करते हैं कि अनआर्गेनाइज्ड लेबरर को भी, कृषि मजदूरों को भी हम वही अधिकार देंगे जो ट्रेड यूनियन को देंगे तो कुल मिलाकर वेरीफिकेशन से लेकर उसकी मेम्बरी बने और रीकग्नीशन मिलाकर एक जनरल इलेक्शन के समान होगा। यह कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी गम्भीर चीज है लेकिन मैंने कहा कि हम कमिटेड हैं, हम इसको करेंगे और आप सब लोगों से बातचीत करेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने कही कि आई० एल० ओ० का मामला है, मैंने कहा कि इसमें सरकार कहीं नहीं आती है, हमारा लेबर मंत्रालय कहीं नहीं है। आई० एल० ओ० में कौन लोग जायेंगे, कौन नहीं जायेंगे, वह सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सारे के सारे नेता बैठते हैं, वह क्या कहते हैं... (व्यवधान) ... मेरी बात सुनिये। ऐसी बात नहीं है। दिक्कत हमारे सामने यह होती है कि जब आपके पक्ष में मामला जाता है तो आप हम लोगों को शाबाशी भी नहीं देते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते हैं और जब आपके विपक्ष में जाता है तो आप शिकायत करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात उसमें यह है कि जो भी नेता उसमें जा रहे हैं, जो क्राइटीरिया शुरू से, पहले से चला आ रहा था, उस क्राइटीरिया के आधार पर ही मैंने यह जरूर कहा था कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए लेकिन जब सारे के सारे ट्रेड यूनियन्स के लीडर बैठते हैं और उसमें एक लिस्ट बनाकर के देते हैं। 5 एडवाइजर्स को जाना है, एक डेलीगेट को जाना है, 6 आदमियों को जाना है, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, 10 में से 6 जायेंगे। अब आई०एन०टी०यू०सी० कहती है कि हमारी इतनी पहले की मेम्बरी है, 1989 की मेम्बरी के वेरीफिकेशन के लिए भी कमेटी बना दी गयी है। ट्रेड यूनियन कहते हैं कि हमारे इतने सदस्य हैं, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, बी०एम०एस० कहती है कि हमारा इतना है, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, एच०एम०एस० कहती है कि हमारा इतना है, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए, सीटू कहती है कि इतना मिलना चाहिए तो उस परिस्थिति में हम अपनी तरफ से कम से कम ट्रेड यूनियन के मामले में इण्टरफियर करते हैं और चाहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन का मामला है, उनका जो अधिकार है, वह स्वयं अपने अधिकार का निर्णय कर लिया करें।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, 8 मई को रामानुजम जी की अध्यक्षता में द्विपक्षीय समिति बनायी गयी है, इस कानून के बारे में सुझाव देने के लिए तो इस द्विपक्षीय समिति के बारे में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की जो रिपोर्ट आयी है उसमें भारतीय मजदूर संगठन, जो क्रमांक दो की लेबर यूनियन है, उसको स्थान नहीं दिया गया है और साथ ही साथ हिन्द मजदूर पंचायत, जिसके अध्यक्ष कभी जार्ज फर्नाण्डीज रहे, उसको भी स्थान नहीं दिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट सही है

और यदि रिपोर्ट सही है तो भारतीय मजदूर संगठन को इसमें सम्मिलित न करने का क्या कारण है ?

श्री राम विलास पासवान : जहां तक हमको जानकारी है, बी०एम०एस० को उसमें सम्मिलित किया गया है और जो सवाल अभी सुभाषिनी अली जी ने उठाया था, उस दिन भी यही सवाल उत्पन्न हो रहा था। मैनेजमेंट की तरफ से कहना था कि सिर्फ 3 रखिये, फिर बाद मे हुआ कि 6 रखिये, हमने कहा 6 रखिये तो फिर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, इनमें से कौन से 4 छटेंगे। हमने कहा कि हम निर्णय लेने वाले नहीं हैं। हमको भी आप लोगों पर अपने प्रभाव डालने का जो अधिकार होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि आई०एल०सी० जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसमे सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि गोपेश्वर जी इण्टक की तरफ से है, रामानुजम जी उसके अध्यक्ष हैं, होमी दाजी, सेक्रेटरी, एटक के हैं, श्री उमरावमल पुरोहित, जनरल सेक्रेटरी, एच०एम०एस० हैं, प्रतीश चन्द्र, प्रेसीडेंट, यू०टी०यू०सी० के है, उसके बाद जी० प्रभाकर, जनरल सेक्रेटरी, बी०एम०एस० के हैं, एम० के० पांडे, सेक्रेटरी सीटू हैं, पी० डी० पालीवाल, प्रेसीडेंट, टी०यू०सी०सी० हैं, एन० एम० बरौत, प्रेसीडेंट, एन०एल०ओ० के हैं और जतीन चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी, यू०टी०यू०सी० हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गुप्त मतदान के सम्बन्ध में जो बहुत सी समस्याएं उनकी जानकारी में अधिकारियों तथा दूसरी पार्टियों द्वारा लायी गयी हैं, उनके कारण वे किसी उलझन में फंसे और वह भी…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जिन्दगी का बोझ बढ़ गया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं नहीं समझता कि उन्हें उनकी सुन्दर तकनीक से प्रभावित होने तथा उलझन में फसने की कोई आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपको उस तकनीक की जानकारी है।

अब, क्योंकि वह एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वास्तव में कामगार वर्ग में उनकी रुचि है, तो उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि स्वार्थी अफसरशाही की इसमें वास्तविक रुचि नहीं है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी आई० एल० ओ० के मुद्दे को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है अगर वह पुरानी तकनीक को अपनाने की बजाय गुप्त मतदान द्वारा जांच का मामला सुलझा लें। परन्तु, मै मूल रूप से इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अलग मुद्दा उठाना चाहता हूं। आज अगर किसी श्रमिक को बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह किसी दीवानी अदालत से स्थगन आदेश तथा तुरन्त राहत प्राप्त करने के लिए याचिका नहीं दे सकता। अन्त में उसे औद्योगिक विवाद सम्बन्धी कानून के अनुसार ही श्रम न्यायालय अथवा श्रम न्यायाधिकरण के सामने जाना पड़ता है जहां कि उसे मामला लम्बित होने की स्थिति में तुरन्त राहत नहीं मिलती। अन्ततः, जब तक सारा मामला सुलझ नहीं जाता, वह मजबूरी की हालत में रहता है। अगर वह श्रम न्यायालय में जीत भी जाता है तो प्रबन्धक उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर कर देते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं इसलिए, आज कानून के अनुसार प्रबन्धक राहत देने के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं और श्रमिकों को तब तक इन्तजार करना पड़ता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय सारे

मामले को निपटा नहीं लेता और अन्ततः उन्हें भुगत करना पड़ता है। इसलिए, वर्तमान कानून कोई राहत प्रदान नहीं करता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नए आई० आर० विधेयक में, जो कि वे समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रस्तुत करना चाहते है, श्रमिकों के लिए तुरन्त राहत प्रदान करने हेतु क्या वे अन्तरिम आदेश का प्रावधान करेंगे जबकि वे किसी श्रम न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय अथवा किसी न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण के पास जाते हैं, जो कि कामगार वर्ग के लिए गठित की गयी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज्ड नहीं हैं, कुमारमंगलम जी कंफ्यूज्ड हैं। मैंने तो कहा है कि सरकार सीक्रेट बैलट के माध्यम से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उसके बारे में कुछ तय करने का नहीं है। तय यही करना है कि जब कोई कानून बनता है तो उसमें रूल्स क्या होंगे वह तय करना होता है। जहां तक सरकार का मामला है वह इसके लिए कटिबद्ध है। सरकार इसके लिए पार्लियामेंट में विधेयक लायेगी।

आपने जो दूसरा मामला कहा कि प्रक्रिया में डिले होती है। यह आपका कहना सही है कि कोई भी जब ऐसा मामला आता है तो पहले रिकंसीलियेशन में जाना पड़ता है। समझौते के बाद सरकार के पास आना पड़ता है। फिर सरकार के पास से एडजूडिकेशन में भेजा जाता है। जो मजदूर डिसमिस कर दिया जाता है, उसे भी इस सारी प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। एक सुझाव यह भी आया कि मजदूर को सीधे लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार हो। ये सारे के सारे सुझाव हैं जिनको कि कमेटी के सामने रखा जाएगा और कमेटी को हर हालत में 31 जुलाई तक रिपोर्ट देनी होगी, अब कोई ज्यादा दिनों का मामला नहीं है। आपने जो कहा कि प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता है, उसमें जल्दी होनी चाहिए, इसमें निश्चित रूप से दो मत नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं यह प्रश्न किसी दल के हित में नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह प्रश्न देश तथा श्रमिकों के हित में उठा रहा हूं।

महोदय, आज बहुत सी ऐसी यूनियनें हैं जिन्हें राजनैतिक दलों का आश्रय प्राप्त है। उनकी रुचि केवल अपने दल के हितों तथा विशेषाधिकारों तक ही सीमित होती है न कि श्रमिकों तथा उत्पादकता के बढ़ाने के हित में। मद्रास तेलशोधक कारखाने में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी है, जो कि एक उदाहरण है। वहां केवल एक ही यूनियन है जो कि श्रमिकों के हित के लिए कार्य कर रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रस्तावित विधेयक में प्रबन्धन में श्रमिकों की भागेदारी के सिद्धांत को शामिल करने पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डिसीप्लेन की बात कही है, उस डिसीप्लेन के हिसाब से जो सबसे लार्जेस्ट यूनियन होती है, उसी को रिकगनीशन दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि उनका प्रश्न क्या है। यदि एक ही यूनियन है तो वह तो आदर्श बात है, इसीलिए मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है। यदि एक ही यूनियन है तो रिकगनीशन भी उसी को मिलेगा, जो भी फेसिलिटीज होंगी, उसी को मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
(व्यवधान)

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को पुन: चालू करने हेतु उपाय

[अनुवाद]

*945. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 14 रुग्ण मिलों को पुन: चालू करने हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की एक समिति ने कतिपय उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1990 में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध-निदेशक से बनी समिति ने पश्चिमी बंगाल में एन० टी० सी० को 14 वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए अपनायी जाने वाली अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक नीतियों की सिफारिश की है। अल्पावधिक नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं : --

(1) मिश्रित मिलों के सभी कताई विभागों को तीन पारियों और सात दिनों के लिए कार्य करना चाहिए।

(2) बुनाई क्षमताओं में 20 से 25 प्रतिशत तक की कटौती चरणों में की जाए और कामगारों को प्रशिक्षित किया जाए तथा उन्हें कताई अनुभाग में लगाया जाए ।

(3) 14 एककों को मिलाकर 10 एककों में परिवर्तित कर दिया जाए ।

(4) फालतू घोषित कामगारों को तब तक पूरे वेतन अदा किए जाते रहें जब तक कि उनकी पुन: तैनाती के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं कर लिए जाते ।

(5) मजदूर संघों/कामगारों को मानक कार्यभार संबंधी मानदण्डों के अनुरूप कार्यभार के मानदण्ड स्वीकार करने चाहिएं।

(6) उपरोक्त पुनरुद्धार पैकेज को शामिल करते हुए राज्य सरकार, एन० टी० सी० और मजदूर संघों के साथ एक त्रिपक्षीय करार किया जाए ।

समिति द्वारा जिन दीर्घावधिक नीतियों की सिफारिश की गयी है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 100 करोड़ रु० का निवेश जो कि इस शर्त पर आधारित होगा कि एन० टी० सी०

द्वारा प्रस्तावित कुल पुनरुद्धार पैकेज मजदूर संघों तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।

(2) एन० टी० सी० को तकुओं की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि अधिक संख्या में फालतू कामगारों को काम पर लगाया जा सके।

(3) उपलब्ध फालतू भूमि को आधुनिकीकरण के लिए निधियां जुटाने के प्रयोजनार्थ बेचा जाए। 14 एककों को मिलाकर 10 एककों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप फालतू घोषित भूमि की बिक्री से वसूल की गयी प्रस्तावित धनराशि का इस्तेमाल आधुनिकीकरण में निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थानों से संसाधन जुटाने के लिए किया जाए।

(4) राज्य सरकार की एजेंसियों को एन० टी० सी० मिलों से यार्न और कपड़े की खरीदारी को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।

(5) एन० टी० सी० मिलों को रुग्ण मिलें मानने के लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए तथा उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में रुग्ण मिलों को उपलब्ध रियायतों तथा सहायता की पेशकश करनी चाहिए।

(6) 14 एककों को मिला कर 10 एककों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप 10 एककों के पुनरुद्धार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। कताई मिलों की न्यूनतम क्षमता बढ़ा कर 25,000 तकुओं तक की जानी चाहिए।

(ग) उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए अगली कार्रवाई करने के उद्देश्य हैं : आर्थिक कार्य निष्पादन में सुधार करना, क्षमता का बेहतर उपयोग करना, यार्न उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना। ऐसा अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक उपायों के साथ-साथ दीर्घावधिक योजनाओं के जरिए किया जाएगा जिसके लिए पश्चिम बंगाल में एन० टी० सी० मिलों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन० टी० सी०) के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के सहयोग से बनी समिति ने पश्चिम बंगाल में एन० टी० सी० मिलों के मामलों का निरीक्षण किया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार शेष सभी राज्यों में ऐसी समितियां गठित करने के बारे में विचार करेगी जिससे कि उन राज्यों में रुग्ण कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार किया जा सके?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1990 में वेस्ट बंगाल की एन० टी० सी० की मिलों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उसमें वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और एन० टी० सी० के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट की है। उस रिपोर्ट के बारे में इस उत्तर में डीटेल में बताया गया है। उन्होंने बहुत मेहनत करके यह रिपोर्ट तैयार की है। वेस्ट बंगाल में एन० टी० सी० की जो मिलें हैं, देश में सबसे ज्यादा घाटा उसी इलाके, उसी सबसिडरी में होता है। उस लिहाज से वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के साथ कलकत्ता दौरे के समय मैंने बैठक को और तय किया कि एन० टी० सी० मिलों की बीमारी और घाटे के कारण वे मिलें

तकलीफदेह बनी हुई है, इनमें सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने 7 सुझाव दिये, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि मजदूरों के साथ बैठ कर कुछ बातें तय की गयीं । जैसे वर्क्स नॉर्म्स हैं, वर्क्स कल्चर के बारे में है । जो हमारे पास जमीन सरप्लस है, पूरे देश में, जिसके बारे में विवाद है, उसको बेच नहीं पा रहे हैं, बंगाल में इस कमेटी के चलते बंगाल सरकार और हमारे मंत्रालय के बीच में जो समझौता हुआ उसके चलते जो सरप्लस जमीन है उसका बीमार मिलों के आधुनिकीकरण करने में, सुधारने में लगाने का काम हुआ । कई तरह के अच्छे सुझाव इन्होंने दिए हैं । 14 मिलों के बारे में इन्होंने कहा है कि हम 10 मिलें बना देंगे । माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि यह सारे देश में किया जाये । खास तौर से जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें रुचि ली । इसी तरह से सब जगह के चीफ मिनिस्टर अगर रुचि लेंगे, जहां एन० टी० सी० की मिलें बीमार हैं, बुरी हालत में हैं और लगातार घाटे में चल रही हैं, उनको सुधारने के लिए दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कहेंगे और बात करेंगे तो इस पर हम विचार कर सकते हैं और वहां की मिलों को कैसे सुधारा जाये, इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य जहां से आते हैं, वहां के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं । वहां की मिलों की इतनी बुरी हालत नहीं है । जिस इलाके के ये सदस्य हैं उस इलाके की एन० टी० सी० ने 10 करोड़ का मुनाफा कमाया है । देश की जो 9 सबसीडरीज हैं उसमें अकेली सबसीडरी है जिसके बारे में माननीय सदस्य बता रहे हैं । उस इलाके की एन० टी० सी० की मिलों ने करीब 10 करोड़ का मुनाफा कमाया है । वहां यदि कोई गड़बड़ है तो हम उसे देखने के लिए तैयार हैं । वहां क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम सोच सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मुझे इस बात पर अत्यधिक प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित दो कपड़ा मिलों, कन्नानौर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स और माहे को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, के कार्य की प्रशंसा की है । ये दोनों कताई मिलें मुनाफा कमा रही हैं । मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद देता हूं । परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि एन० टी० सी० अब वास्तव में व्यर्थ सिद्ध हो गयी है । एन० टी० सी० के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार, अक्षमता और निष्ठुरता आदि की अनेक शिकायतें की गयी हैं । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इन आरोपों की जांच करेंगे और एक ऐसी योजना बनायेंगे जिससे एन० टी० सी० के पूरे ढांचे को सरल एवं कारगर बनाया जा सके ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि जो एन० टी० सी० मिलें हैं, वे बहुत दिनों से घाटे का सौदा बनी हुई हैं । उसके पीछे कारण है । सरकार कोई भी हो, उसे सोशल ओब्लीगेशन पर चलना पड़ता है । जितनी भी एन० टी० सी० की मिलें हैं, हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल हाउसिस हैं, बिजनेस मैन हैं वे पहले इस इण्डस्टरी में ज्यादा थे । उन्होंने सारा एक्सप्लाइटेशन किया । सरकार को इन्हें लेना पड़ा । लगातार पांच-दस वर्ष से ये घाटे में चल रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से आयी है तब से इस घाटे का सिलसिला बड़ी तेजी से कम होना शुरू हुआ है । बीस-तीस पिछले सालों में करीब 311 करोड़ रुपये का था, 1989-90 में 178-27 करोड़ का घाटा रह गया । यानी आधा घाटा एन० टी० सी० का इस बार कम हुआ । मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर

इण्डस्ट्री के लिए पूरी दुनिया और देश में फेवरएबल ऐटमोसफियर है। माननीय सदस्य ने कहा कि एन० टी० सी० में बहुत तरह का कदाचार और भ्रष्टाचार है। मैं मानता हूं कि यह बीमारी अकेले एन० टी० सी० में नहीं है, पूरे देश में इस बात के पीछे हम बड़े पैमाने पर लगे हैं कि भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, कमियों और बीमारियों से कैसे निपटारा किया जाये। लगातार हम इस कोशिश में है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इनके इलाके की जो मिलें है वे बहुत ही शानदार हैं, देश की किसी भी कर्मशियल यूनिट से उनका मुकाबला किया जा सकता है। जो इन्होंने इन मिलों के सुधार के लिए कहा, हमारा मंत्रालय बड़े पैमाने पर इनके सुधार के लिए लगा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने 523 करोड़ रुपये मांगे हैं, यदि वे मिल जायें तो सारी बाधाओं के बावजूद हम एन० टी० सी० को मुनाफे का सौदा बना सकते है।

[अनुवाद]

डा० देबी प्रसाद पाल : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल मे ऐसी कोई कपड़ा मिल है जो बीमार नहीं है और यदि ऐसा है तो क्या केन्द्रीय सरकार अथवा पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक पश्चिम बंगाल में ऐसी किसी मिल को पुनः चालू किया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एन० टी० सी० के द्वारा चलाई हुई जितनी भी यूनिट्स हैं या मिल्स हैं वे सभी घाटे में है। जब मैं चार्ट उठाकर देखता हूं तो माइनस के सिवा कहीं प्लस नहीं देखता हूं। कहीं घाटा ज्यादा है और कहीं पर कम है। इसलिए हमने जो कमेटी बनायी है उसकी सिफारिशें आयी हैं। उन सिफारिशों को लेकर हम लोग वित्तीय संस्थानों के पास जायेंगे और एक पैकेज डील बनाकर उन मिलों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जो बेहतर हैं उनको और बेहतर बनाने का भी प्रयास किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कपड़ा उद्योग केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अत्यधिक अजीब उद्योग है। एक तरफ तो हमारी जनता के गरीब तबके को शरीर ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं मिलता, दूसरी तरफ कपड़ा मिलें बन्द होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एन० टी० सी० मिलें और दूसरी मिलें भी हैं। एक आश्चर्य मामला यह है कि अत्यधिक प्रसिद्ध मोहिनी मिल्स, जिसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, को अब अनधिसूचित किया गया था। पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिल का अन्य कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे अनधिसूचित किया गया हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, ऐसा ही एक अन्य मामला भी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब एक दूसरा मामला भी प्रकाश में आया है। महोदय, दूसरी ओर एन० टी० सी० मिलों, विशेषकर ज्योति मिलक बीविंग मिल्स, के साथ समस्या यह है कि वे कर्मचारियों को केवल मजदूरी अदायगी का साधन बन गयी है। मशीनों की मरम्मत किये बिना, पर्याप्त कच्चा माल मुहैय्या कराये बिना ये एन० टी० सी० मिलें बन्द होने की ओर अग्रसर हो रही है जिसके कारण यह तर्क सामने आता है कि ऐसी मिलों को अधिक समय तक न चलाया जाए परन्तु बन्द कर दिया जाए। अतः क्या मंत्री महोदय नवीनीकरण करके इन एन० टी० सी० मिलों को पुनः चालू करने

के तरीके का पता लगायेंगे ? पश्चिम बंगाल की समस्याओं में से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या भी है, यह है कि इस राज्य में सूती वस्त्र मिलें एक-एक करके बन्द होती जा रही हैं। हम चाहते थे···। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि एन० टी० सी० मिलों को पुनः चालू करने के लिए पर्याप्त राशि अथवा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करायी जायेगी अथवा नहीं। दूसरे क्या इस्पात और कोयले के माल भाड़े के समान करने से कपास की सप्लाई का भाड़ा भी समान आधार पर ही होना चाहिए जिससे कि कपास प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य जो बंगाल से आते हैं वे काफी जानकारी वाले आदमी हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें भी इसकी उतनी ही चिन्ता है जितनी कि उन्हें है। इसका प्रमाण यह है कि हम खुद बंगाल गये थे और वहां के मुख्य मन्त्री जो बंगाल की जनता के जन नेता भी हैं उनसे मैं स्वयं जाकर मिला था। उनके कमरे में बैठकर हमने कमेटी फोरमेशन की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जो चटर्जी बाबू ने बताया है कमेटी की रिपोर्ट में भी उन सारी चीजों के बारे में सुझाव हैं कि इन बीमार मिलों को कैसे उबरा जाये। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान की गुलामी से छुटकारा मिलने में हिन्दुस्तान के वीवर्स का कमाल भी एक कारण रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि हिन्दुस्तान में कपड़ा बनाने वाले ये हाथ का कमाल दिखाने वाले आदमी न होते तो यह देश गुलाम ही रहता। लेकिन यह दुनिया में कपड़ा बनाने में एक्सपर्ट है, आज भी है और इस उद्योग में बहुत संभावना है। मेरा विश्वास है कि $\frac{1}{4}$ फारेन एक्सचेंज जो प्राप्त होती है वह इस कपड़ा उद्योग से प्राप्त होती है और उसमें भी हैंडलूम्ज और वीवर्स की चलती है। मेरे ख्याल में तो बंगाल इस मामले में दुनिया में सबसे आगे थे। ढाका की मलमल जो दुनिया में प्रसिद्ध थी, बंगाल में ही बनती थी। तो चटर्जी साहब ने जो मोहिनी मिल के लिए बी० एफ० आई० आर० की बात की है, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उस मामले को देख रहे हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जितनी एन० टी० सी० की मिलें हैं, वे घाटे में हैं। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री की तरफ से आपके पास इस विषय में कोई सुझाव आये हैं और उस पर आप क्या अमल करना चाहते हैं ? मेरा सवाल यह है कि क्या 1985 की राजीव सरकार की जो टैक्सटाईल पोलिसी थी, उसके कारण जो घाटा-बढ़ी हुई, उस पॉलिसी को बदलने पर विचार करेंगे ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, बंगाल से बुरी हालत महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र में अकेली एन० टी० सी० ही नहीं, बल्कि सारे कारखाने, यहां तक कि गुजरात, तमिलनाडु और केरल में भी मैंने देखा है कि जितनी तरह के कारखाने हैं, वहां मजदूरों की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से लगातार मेरे पास पत्र आते रहते हैं। केवल चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के जितने संसद सदस्य हैं, वे भी एक-एक चीज को दांत से पकड़-पकड़ कर काम करते हैं।

प्रो० राम गणेश कापसे : महाराष्ट्र में कब आओगे ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, घाटे में तो एन० टी० सी० ऐसा अस्पताल है, जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश में अस्पताल होते हैं यानि अस्पताल का मतलब है कि जो बीमार मिलें हैं, वे हमारे पास आ जाती हैं तो यह बीमारी का एक बहुत बड़ा अस्पताल है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में मिलों को और एन० टी० सी० को सबसिडी मिलने पर भी घाटे में हैं लेकिन बंगाल के बराबर घाटे में नहीं हैं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में अहमदाबाद में एन० टी० सी० की सात मिलें हैं और ये लगातार घाटा करती हैं। मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने कोई सिफारिशें भेजी हैं कि ये जो सात मिलें घाटा करती हैं, वह घाटा कैसे कम किया जाये ? दूसरे, गुजरात में 30 कपड़ा मिलें बंद हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद सहित जो अन्य कपड़ा मिलें हैं और जो बंद है उनको एन० टी० सी० के अन्तर्गत लेने का सुझाव वहां के मन्त्री ने दिया है या नहीं ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, वहां की सरकार से सुझाव आये हैं और इन सवालों पर माननीय सदस्य भी लगातार मुझसे बात करते रहते हैं लेकिन इस सवाल का इतना बड़ा विस्तार नहीं है और गुजरात के बारे में इन्होंने जो खबर मांगी है, वे देर से देनी पड़ेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुजरात से जो बहुत सारे सुझाव आये हैं और इनसे लगातार बात होती है, उसके आधार पर जल्दी ही निपटारा किया जायेगा।

श्री हरिन पाठक : मैंने पूछा है कि घाटा कैसे कम होगा ?

श्री शरद यादव : मैंने कहा कि जो चाहेगा, अर्थात जहां चाह होगी, उसकी राह हम जरूर निकालेंगे।

औषधि की सीलबन्द बोतल में मक्खी

*946. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय औषध कम्पनी द्वारा निर्मित औषधि की सीलबन्द बोतल में मक्खी पाई गई थी;

(ख) क्या समाचार-पत्रों में भी इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की सच्चाई क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रांची (बिहार) के डा० एस० के० घोष की भारत के प्रधानमन्त्री को सम्बोधित एक शिकायत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि बाईमाक्स (अमाक्सीसिलीन मिक्सचर बी० पी०) की एक मुहरबन्द बोतल, बैच संख्या 961557, जिसका निर्माण मैसर्स ग्लैक्सो (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई द्वारा किया गया था और जो मैसर्स सिन्हा फार्मेसी, रांची से खरीदी गई थी, में एक कीड़ा था।

(ख) इस मन्त्रालय को यह जानकारी नहीं है कि इस आशय की रिपोर्ट अखबारों में भी छपी है।

(ग) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के औषध निरीक्षक ने रांची, बिहार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में औषध के आक्षेपाधीन नमूने के विनिर्माता के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की है। इस मामले पर विचार किया गया और शीशी को जब्त कर लिया गया। रांची के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस फर्म के अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारन्ट जारी किए हैं।

मामला न्यायाधीन है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मान्यवर यह ऐसा प्रकरण है कि अगर आप अखबारों से या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करें, हर स्तर पर इस देश में दवाओं में मिलावट की जानकारी हमें मिलती है। इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली का ही एक मामला मेरे पास है जो पिछले एक साल से लटकता आ रहा है। वह 30 हजार ग्लूकोज की बोतलों का मामला है। दिक्कत यह है कि कानूनी पेचीदगियों के कारण अभी तक उस प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही हो नहीं पायी है। हमारे सामने आज यह मसला नहीं है कि कहां पर कितने प्रकरण मिलावट के सरकार के सामने आवें और वर्तमान सरकार से पूरे देश को अनेक अपेक्षायें हैं कि दवाओं के माध्यम से जिस तरह लोगों को जहर पीने को दिया जा रहा है, हमारी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे प्रभावी तरीके से रोका जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास दवाओं में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी योजना है ताकि इस तरह के मामलों में शीघ्र और तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके और अपराधियों को ऐसी सख्त सजा मिले जैसे किसी दफा 302 के अपराधी को मिलती है।

श्री रशीद मसूद : माननीय सदस्य का ओरिजिनल प्रश्न एक स्पेसिफिक मामले को लेकर है और वे यहां उस प्रश्न से हटकर सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं। इसका यद्यपि मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य की इत्तला के लिए बता देना चाहता हूं कि जिस केस का उन्होंने अभी जिक्र किया है, उसे हम दिखवा रहे हैं। उनके साथ-साथ मैं यहां सदन के सभी माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम किसी भी ऐसे आदमी को बख्शेंगे नहीं जो दवाओं में मिलावट करने का जिम्मेदार पाया जायेगा।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न औषधि की सीलबन्द बोतल में मक्खी पाये जाने से सम्बन्धित था। उसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि इस मामले में मुकदमा कायम कर दिया गया है और अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिये गये हैं लेकिन अभी तक वह फरार है। मेरा मतलब यही था कि जब दवाओं की सीलबंद बोतलों में मक्खियां पायी जाती हैं और ऐसे प्रकरण सरकार की नोटिस में लाने के बावजूद, मन्त्री महोदय यहां ऐसे ही जवाब देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहां सवाल मक्खी का नहीं है। आज भी मेरे पास एक दवा की बोतल है, जिसे मैं सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं सरकार से सिर्फ यह जानकारी चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में क्या वह शीघ्र प्रभावी कदम उठायेगी ताकि देश में दवाओं में की जा रही मिलावट को रोका जा सके।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बड़े काबिल आदमी हैं अगर वे अपने सवाल को थोड़ा-सा मोडिफाई करके पूछ लेते तो इसके अन्दर बहुत-सी चीजें पूछी जा सकती थीं। अब चूंकि

उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है फिर भी मैंने माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए पहले ही कह दिया है कि हमारे इल्म में अगर कोई भी ऐसा मामला लाया जायेगा तो हम अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, कदम उठायेंगे ।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, हमारे यहां कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स मानी गयी हैं । ये दवाइयां सीधे खून में जाकर मिलती हैं और प्रभाव दिखाती हैं । यदि हमारे देश में इसी तरह से दवाओं में मिलावट की जाती रही तो कैसे काम चलेगा । मेरी जानकारी के अनुसार, यह एक बहुत पुराना मामला है, जिसे भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री की जानकारी में लाया गया था, सबूत पेश किये गये थे । जो लोग दवाओं में मिलावट करते हैं, वे गरीब आदमियों की जान से खेलते हैं, जब यह मिलावटी दवा इन्जेक्शन के जरिये मनुष्य के शरीर में जाती है तो उसे लाभ पहुंचने के स्थान पर हानि होती है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ऐसे आदमियों की जान से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभी तक प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं हुई, जिससे उनका उत्साह बढ़ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले स्वास्थ्य मन्त्री ने ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया था ? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एस० के० फार्मेस्यूटिकल्स के जिस अधिकारी ने मिलावट से सम्बन्धित शिकायत की थी, उसे सरकार इतना परेशान कर रही है कि वे बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं । वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री से भी मिलकर उन्होंने शिकायत की है और उनकी शिकायत बहुत पुरानी है परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है । यदि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, वे इस देश के गरीबों की जान लेते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा । आखिर यह सरकार दवाओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ।

श्री रशीद मसूद : मैंने पहले ही कहा है कि मूल प्रश्न से आपका सवाल जुड़ा हुआ नहीं है, मूल प्रश्न से सम्बन्धित यहां सप्लीमेंटरीज नहीं की जा रही है लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से मैंने पहले भी कहा है कि यह मामला मेरे इल्म में लाया गया है, मैं इसे दिखवा रहा हूं । यह बात बिल्कुल गलत है कि पहले स्वास्थ्य मन्त्री ने किसी को कोई संरक्षण दिया । हमने दोषी लोगों के खिलाफ ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया है । इस तरह के मामलों में, दवा बेचने वाले, दवा स्टोर करने वाले और दवा मैन्यूफैक्चर करने वाले तीनों मुलजिम होते हैं, एकॉर्डिंग टू द प्रोवीजन्स आफ ला, उसी के मुताबिक हमने मुकदमा कायम किया है लेकिन किसी को संरक्षण देने की बात बिल्कुल गलत है । मैंने तो कहा है कि किसी अपराधी को भी बिल्कुल नहीं बख्शा जायेगा और उसे हम सख्त से सख्त सजा देने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने कहा है कि भूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर उनसे मिले हुए थे ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री के उनसे मिले हुए होने का कोई मतलब ही नहीं है ।

डा० गंगाली सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि यह ग्लूकोज जीवन रक्षक दवा है और पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं— कहीं कीड़ा, कहीं मक्खी और कहीं फंगस मिलता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था को सही करने के लिए कि यह जीवन रक्षक दवा है इसलिए इसमें किसी प्रकार की मिलावट या कमी न हो, इसके लिए एक कमेटी बनाकर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो ऐसा काम करते हैं ?

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी तरफ से जो भी काम करने का होगा, हम उसमें एक मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे और हम किसी दोषी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। माननीय सदस्य को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारी सरकार किसी को बख्श ने वाली नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री महोदय के जवाब ने मुझे भ्रम में डाल दिया है। यह प्रश्न इस सरकार में आपसे पहले मन्त्री का नहीं है, यह प्रश्न भूतपूर्व मन्त्री का है। इसलिए बात यह नहीं है। बात यह है कि इस मामले में जिस व्यक्ति ने कमी को उजागर किया था, उसके खिलाफ आपके अधिकारियों ने कार्यवाही की है। यही स्थिति है। अत: हम जानना चाहते हैं कि वे इस मामले को अत्यधिक गम्भीरता से लेंगे अथवा नहीं।

श्री रशीद मसूद : महोदय, मैंने पहले ही सदन को सूचित कर दिया है कि औषधि (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से इसको बेचने वाला, भण्डारण करने वाला, और इसको बनाने वाले सभी जिम्मेदार हैं और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की गयी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री को और अधिक सचेत होना चाहिए। मैंने इस मामले को पहले शून्य काल में उठाया था और मैंने आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव भी पेश किया था। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा श्री रशीद मसूद के कारण है। वे एक सक्रिय व्यक्ति हैं। परन्तु स्वास्थ्य विभाग में यह एक खतरनाक स्थिति है। हम इस पुराने मसले पर यहां विचार नहीं कर रहे हैं। गत वर्ष दूरदर्शन पर ग्लूकोज की बोतलों में मिलावट की एक अत्यधिक आश्चर्यजनक कहानी बतायी गयी थी। यहां एक ऐसा व्यक्ति है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, जिसने अपना भविष्य खतरे में डाल लिया था। उसने बोतल दिखायी और मिलावट के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया था। इसके बाद दूरदर्शन दल सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गया। डाक्टरों ने कहा कि उन्हें मिलावट वाला पदार्थ दिया गया था और जब कोई रोगी मरने लगता है तो वे उसी पदार्थ का टीका लगा देते हैं। अत: यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच आरम्भ की। दूरदर्शन ने हमें औषधि नियन्त्रक को एक घमण्डी अधिकारी के रूप में दिखाया था। मेरी अन्तरात्मा ने मुझे बताया कि वह सबसे अधिक भ्रष्ट व्यक्ति होगा। इससे पहले मैंने कहा था कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप अपना प्रश्न पूछिये। आप व्याख्या क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन को यह आश्वासन दें कि वे मैसर्स बास्लर फार्मास्यूटिकल्स के मामले की जांच करायेंगे क्योंकि दूरदर्शन ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा दिये हैं। मैं उनकी कुशाग्रता के बारे में जानता हूं, मैं उनकी योग्यता के बारे में जानता हूं। परन्तु वे अभी भी जागरूक नहीं हैं। अत: मैं चाहता हूं कि वे सदन के सामने यह वायदा करें कि वे भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे, विशेषकर मैसर्स बास्लर फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, जिसने विभाग और पूरे देश को भारी नुकसान पहुंचाया है।

श्री रशीद मसूद : महोदय, मैं पहले ही सदन को यह आश्वासन दे चुका हूं कि मैं न केवल इस विशेष मामले की ही जांच कराऊंगा बल्कि अत्यधिक गम्भीरता से उन सभी शिकायतों की जांच कराऊंगा जो मुझे प्राप्त होंगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : मन्त्री महोदय को आश्वासन देने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० चार्ल्स।

केरल में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*947. श्री ए० चार्ल्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और इसी वर्ष के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए निम्नलिखित आबंटन/लक्ष्य रखे गए :

(लाख रुपये)

(i) वित्तीय

नकद	सामग्री
70.00	2.87

(ii) वास्तविक लक्ष्य

नये रोगियों का पता लगाना	6000
नये रोगियों का उपचार	6000
ठीक हो जाने के पश्चात छुट्टी दिए गए रोगी	7000

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० चार्ल्स : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह पता लगता है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुष्ठ एक गम्भीर रोग है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि यद्यपि

इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकारा गया है फिर भी राज्य में समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

प्रखंड में प्रत्येक जगह कुष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक हैं लेकिन उनमें समन्वय नहीं है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आवंटित धनराशि भी बहुत कम है। एक रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि कुछ जिलों में विशेषकर त्रिवेन्द्रम और क्विलोन में यह रोग इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि प्रत्येक 1000 लोगों में 12 व्यक्ति कुष्ठ रोगी हैं या उनका इलाज चल रहा है। यह बहुत ही गम्भीर बात है।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम आठवीं योजना के दौरान समुचित सर्वेक्षण किया जायेगा और कुष्ठ रोगियों की पहचान हेतु एक प्रभावभारी साधन अपनाया जायेगा? आठवीं योजना में अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि केरल राज्य में कुष्ठ रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सके।

श्री रशीद मसूद : इन राज्यों में परिणाम विशेष रूप से बहुत ही उत्साहवर्द्धक प्राप्त हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह सच नहीं है कि वहां सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्रत्येक 25,000 आबादी के लिए एक उपकेन्द्र स्थापित किया है। इस उप केन्द्र का अर्थ क्षेत्र विशेष में शिक्षा, सर्वेक्षण और उपचार की व्यवस्था करना है। सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट बहुत ही उत्साहवर्द्धक हैं यदि उन्हें ऐसी कोई जानकारी है कि किसी जिले विशेष में सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो वे शिकायत भेज सकते हैं। मैं उस पर ध्यान दूंगा।

श्री ए० चार्ल्स : निश्चित रूप से मैं आपको और जानकारी दूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी रिपोर्ट है।

दूसरी अनुपूरक प्रश्न यह है कि केरल में इसी प्रकार काम करने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, उनमें कोई समन्वय नहीं है स्वयंसेवी संगठनों को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता है। केरल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन स्वयंसेवी संगठनों का बहुत ही अधिक योगदान रहा है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन स्वयंसेवी संगठनों को उचित सहायता प्रदान की जायेगी और सरकारी साधनों तथा इन संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि कुष्ठ रोग पर अधिक प्रभावकारी ढंग से नियन्त्रण पाया जा सके।

श्री रशीद मसूद : कुष्ठ रोग को पहले ही बहुत ही प्रभावकारी ढंग से नियन्त्रित किया जा चुका है। हम स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हो कि कुछ स्वयंसेवी संगठनों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो वे कृपया मुझे अपनी शिकायत भेजें। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री अजीत पांजा : देश के 5082 प्रखंडों में से लगभग 1000 प्रखंड ऐसे हैं जहां कुष्ठ रोग फैलने की संभावना है। सर्वेक्षण तथा शिक्षा-व-प्रशिक्षण केन्द्रों में लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है वहां पद खाली पड़े हैं। माननीय मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या इन्हें जल्द ही भर दिया जायेगा क्योंकि यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लग जाये तो कुष्ठ रोग का इलाज किया जा सकता है।

श्री रशीद मसूद : 450 जिलों में से अधिकांश जिलों में जिला कुष्ठ निवारण एकक, 45 कुष्ठ

नियन्त्रण एकक, 10 शिक्षा-व-प्रशिक्षण केन्द्र शहरी कुष्ठ निवारण केन्द्र, नमूना सर्वेक्षण एकक रचनात्मक सर्वेक्षण एकक और पुनर्वास एकक हैं। चूंकि प्रश्न केरल से सम्बन्धित है इसलिए मैं विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। (व्यवधान) आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं जबकि प्रश्न केरल के बारे में है।

श्री अजीत पांजा : यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

श्री रशीद मसूद : वहां कोई भी पद रिक्त नहीं है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा में पटसन का उत्पादन तथा खरीद

[अनुवाद]

*943. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कच्चे पटसन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम ने उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देकर पटसन की कितनी खरीद की;

(ग) उड़ीसा में भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्रों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या भारतीय पटसन निगम का पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देकर उनकी सारी फसल की खरीद करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा में कच्चे पटसन के उत्पादन, भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदी गई मात्रा और उसके तथा सहकारी अभिकरणों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों की संख्या के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :

	1987-88	1988-89	1989-90
1. उत्पादन (लाख गांठ में)			
पटसन	2.86	2.95	2.77
मेस्टा	2.16	1.78	1.88
योग	5.02	4.73	4.65
2. खरीद (लाख गांठ में)			
भारतीय पटसन निगम	नगण्य	शून्य	0.06
सहकारी समितियां	नगण्य	शून्य	—
योग	नगण्य	शून्य	0.06

3. क्रय केन्द्रों की संख्या :

भारतीय पटसन निगम	9	9	9
सहकारी समितियां	17	17	17
	26	26	26

(ख) भारतीय पटसन निगम (जे० सी० आई०) कीमत समर्थन प्रचालनों के अन्तर्गत खरीद संबंधी उपयुक्त नीति के अनुसार अलग-अलग मोसम में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर उपजकर्ताओं द्वारा जितनी मात्रा की पेशकश की जाती है उतनी मात्रा की खरीदारी कर लेता है। नए पटसन मौसम (जुलाई, 1990 से जून, 1991 तक) के दौरान जे० सी० आई० इसी नीति के अन्तर्गत अपने प्रचालन जारी रखेगा ताकि उड़ीसा और अन्य पटसन उगाने वाले राज्यों में पटसन उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जा सकें।

हुडको का आवास अध्ययन संस्थान के साथ सहयोग

*948. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगर विकास निगम ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित आवास अध्ययन संस्थान के सहयोग से मानव आवास प्रबन्ध संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह संस्थान किस हद तक आवास सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) आवास, सुधार, शहरी विकास इत्यादि में कार्यरत व्यवसायियों को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सहायता प्रदान करने तथा प्रशासकों, व्यवसाइयों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य लोगों के लिए पारस्परिक कार्यवाही का एक मंच स्थापित करने के लिए हुडको ने आवास अध्ययन संस्थान, रोटरडम के सहयोग से 1985 में मानव बस्ती प्रबंध संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान आवास तथा मानव बस्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है, विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहयोग करता है तथा आवास एवं मानव बस्ती क्षेत्र में लगे व्यवसायियों की तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्य कुशलता के उन्नयन के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) संस्थान मकानों का निर्माण नहीं करता है।

फल और सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

*949. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल और सब्जियों का कितने प्रतिशत भाग उपज प्राप्ति के बाद की सुविधाओं के अभाव में सड़ जाता है अथवा बेकार चला जाता है;

(ख) सरकार का किसानों को उपज प्राप्ति के बाद कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है, ताकि वे अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें; और

(ग) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की प्रगति और विकास हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) यद्यपि कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि अनुमान है कि फसल की कटाई के बाद उसकी अपर्याप्त देखभाल के कारण तथा किसानों का सम्पर्क खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं एवं फल तथा सब्जी बाजारों से न हो पाने की वजह से प्रति वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये मूल्य के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाते हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के संवर्धन और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1990-91 के लिए कई विकासात्मक योजनाएं बनायी गयी हैं। फल और सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्र में, इन योजनाओं म किसानों प्रसस्करणकर्ताओं के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाने, गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाने, विस्तार और शिक्षण, मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा नए प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने तथा विद्यमान प्रसंस्करण एककों को मजबूत बनाने हेतु राज्य सरकारों के उपक्रमों तथा सहकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं सम्मिलित हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए बनायी गयी हैं कि फल और सब्जी उगाने वालों को सीधे प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हो। कृषि विभाग के अधीन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने भी फलों आदि की खेती के कटाई उपरान्त प्रबन्ध के बारे में योजनाएं बनाई हैं।

पेप्सी परियोजना का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव

*950. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी परियोजना से पंजाब के किसानों को खाद्यान्न के बजाय लाभकारी फलों की फसल लगाने की प्रेरणा मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप पंजाब में फसल-पद्धति ही परिवर्तित हो जायेगी;

(ख) क्या इससे राज्य में खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो जायेगी और परिणामतः मूल खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) आशा है कि पंजाब एग्रो पेप्सी परियोजना पंजाब में अपने फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण की मात्रा में वृद्धि करेगी फिर भी इस बात का अनुमान नहीं लग सका है कि इसके परिणामस्वरूप किसान किस सीमा तक अपने विद्यमान अनाज उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तन करके उसमें फल या सब्जियाँ उगाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक

*951. **श्री वी० एन० रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1981 से 1990 तक की अवधि को अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 तक देश में शुद्ध पेय जल की सप्लाई एवं स्वच्छता—सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित क्या उपलब्धियां रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31-3-88 की स्थिति के अनुसार 82.24% शहरी जनसंख्या को पेयजल पूर्ति तथा 43.9% को स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। यह आशा है कि 31-3-90 तक शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में 85% और स्वच्छता सुविधाओं में 48% जनसंख्या लाभान्वित होनी चाहिए ।

हरे काजू का उपयोग

*952. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हरे काजू को उपयोग में लाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है ताकि देश में उगने वाले फलों का उपयोग किया जा सकें। वर्ष 1990-91 के दौरान फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए कई योजना स्कीमे बनाई गई हैं। इनमें नए एकक स्थापित करने एवं मौजूदा एककों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों को सहायता देने की योजनाएं, लघु एवं कुटीर एककों को बढ़ावा देने के लिए विपणन सहायता; विस्तार, प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित योजनायें शामिल है । ये योजनाएं काजू पैदा करने वाले क्षेत्रों में भी कार्यान्वित की जा सकती हैं।

ओषधियों के विज्ञापन पर खर्च

*954. डा० वेंकटेश काबडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ओषधों और भेषजों के विज्ञापन पर खर्च विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जा रहा खर्च कम करने के लिए मार्ग निर्देश जारी करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावित मार्ग निर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त बचत के परिणामस्वरूप कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उठते ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग सम्बन्धी अध्ययन

[हिन्दी]

*955. श्री हरीश रावत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा कपड़ा उद्योग के तकनीकी वित्तीय, विपणन तथा अन्य पहलुओं के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन खामियों का ब्यौरा क्या है जो इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आई; और

(घ) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 में "फाउण्डेशन आफ एण्ड इण्डस्ट्रियल रिकवरी" (फेयर) द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं मण्डलों के पहाड़ी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था। फेयर की रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 2600 हथकरघे थे जिनमें से 1500 हथकरघों को सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी एजेंसी से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। यहां तक कि सहायता प्राप्त करघों के सम्बन्ध में भी कच्चे माल और डिजाइनों की समस्याओं सहित इनपुट की समस्याओं के साथ-साथ टैक्नालोजिकल गैप के कारण कम उत्पादना और विपणन व्यवस्था का अभाव कम आय के लिए जिम्मेवार मुख्य कारण थे। इसलिए उन्होंने यह सिफारिश की कि उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के साथ बराबरी लाने के उद्देश्य से समुचित बाजार व्यवस्था के साथ-साथ उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु तत्कालिक कदम उठाए जायें।

(घ) फेयर की सिफारिश और साथ ही ऊनी हथकरघा मदों के उत्पादन में लगे बुनकरों की हालत में सुधार को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को 798.73 लाख रुपए के परिव्यय की उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मण्डलों के लिए एक हिल एरिया वूलन हैंडलूम डवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तुत की जिसे कि वर्ष 1985-86 में अनुमोदित कर दिया गया था। इस परियोजना की लागत केन्द्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा मैचिंग आधार पर वहन की जानी थी। परियोजना में निम्नलिखित संघटक मदों की व्यवस्था की गई थी :

1. करघे का अभिग्रहण	1184
2. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	8
3. करघों का आधुनिकीकरण	500
4. निजी करघा खरीद योजना	200
5. उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	46
6. डिजाइन केन्द्र	1
7. प्रोसेस हाउस	1

परियोजना प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा करने के बाद यह विचार किया गया था कि 79.43 लाख रुपए की लागत से एक बड़े प्रोसेस हाउस की स्थापना के बजाए परियोजना क्षेत्रों में स्थित वर्तमान निष्क्रिय रंजक-गृहों को पुन: चालू किया जाना चाहिए। तदनुसार समग्र अनुमोदित परिव्यय के भीतर ही परियोजना क्षेत्र में स्थित 12 वर्तमान रंजक गृहों को पुन: चालू करने तथा उनके

अपग्रेडेशन के लिए अनुमोदन उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया गया था। यह परियोजना उत्तर प्रदेश हथकरघा विकास निगम, कानपुर द्वारा चलायी जा रही है। अब तक खर्च किए गए 522.57 लाख रु० के व्यय से निगम ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं :

(1) *अभिग्रहीत करघों की संख्या	1743
(2) स्थापित उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	12
(3) आधुनिकृत करघों की संख्या	335
(4) "निजी करघा खरीद योजना के अन्तर्गत वितरित करघों की संख्या	100
(5) स्थापित उत्पादन केन्द्रों की संख्या	38
(6) पुन: चालू किए गए। उपग्रेड किए गए रंजक गृहों की संख्या	7

केन्द्रीय सरकार ने अब तक अपने 399.365 लाख रुपए के कुल हिस्से की तुलना में 346.365 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ गाइडों को मानदेय का भुगतान

[अनुवाद]

*956. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 दिसम्बर, 1989 तक जिला-वार कितने ग्रामीण हेल्थ गाइडों को प्रशिक्षित किया गया और कितनों को तैनात (अलग-अलग) किया गया और उन्हें कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया;

(ख) क्या ग्रामीण हेल्थ गाइडों की सेवाओं को नियमित करने के लिए स्थायी संवर्ग बनाने अथवा उन्हें अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसे गाइडों को मानदेय का भुगतान न किये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन हेल्थ गाइडों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में 23,297 ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया है और 31-12-89 की स्थिति के अनुसार 21,193 ग्राम स्वास्थ्य गाइड कार्यरत हैं। जिला-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस मन्त्रालय को ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में उड़ीसा सरकार से सूचना प्राप्त हुई हैं। ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उड़ीसा राज्य को 177.28 लाख रु० की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

विवरण

जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	कार्य कर रहे ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या
कटक	41	4073
पुरी	29	2425
गंजम	29	2266
फूलबनी	15	656
कालाहांडी	18	1222
बालासोर	19	1894
मयूरभंग	26	1350
क्योंझर	13	816
सुन्दरगढ़	17	478
ढेंकानाल	16	1305
सम्बलपुर	29	1740
बोलनगिर	20	1228
कोरापुट	42	1740
योग	314	21193

सरकारी क्वार्टरों से आवंटितियों को निकालना

*957. श्री राम सागर (सैदपुर)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान सम्पदा निदेशालय ने कितने मामलों में बिना कोई पूर्व सूचना दिए सरकारी क्वार्टरों के आवंटितियों का सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) इनमें से कितने मामले न्यायालयों के विचाराधीन थे;

(घ) क्या सम्पदा निदेशालय ने कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि इसे आज की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल बनाया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ है और बेदखली लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली, अधिनियम, 1971 में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निदेशालय का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं से सम्बन्धित श्रम कानून

[हिन्दी]

*958. डा० बंगाली सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिलाओं से सम्बन्धित श्रम कानूनों को लागू करने वाले तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र महिलाओं से सम्बन्धित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध करती रही है कि वे महिलाओं से सम्बन्धित श्रम कानूनों का कारगर रूप से कार्यान्वयन करें।

2. सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर एक योजना कुछ राज्यों में शुरू की गई थी ताकि महिला श्रमिकों तथा बाल श्रमिकों से सम्बन्धित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके इस योजना में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है जबकि शेष खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में भी संशोधन किया गया था ताकि अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतों को दायर करने के लिए कुछ चुने हुए स्वैच्छिक संगठनों को अनुमति दी जा सके।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों का बन्द किया जाना

*959. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के वर्तमान पेराई-मौसम में गत अप्रैल तक, उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों द्वारा कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई की गई और उससे कितनी चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) 31 मार्च, 1990 को राज्य में कितनी चीनी मिलें बन्द थीं; और

(ग) इन चीनी मिलों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने एकड़ भूमि के गन्ने की फसल का उपयोग नहीं किया जा सका ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 1989-90 के चालू मौसम के दौरान 30 अप्रैल, 1990 तक 291.33 लाख टन गन्ने की पेराई की गई और 25.51 लाख टन चीनी का उत्पादन (अनन्तिम) हुआ।

(ख) उत्तर प्रदेश की 104 चालू मिलों में से केवल पांच मिलों ने मार्च, 1990 तक पेराई का कार्य बन्द कर दिया था।

(ग) चीनी उद्योग के कृषि आधारित मौसमी उद्योग होने के कारण गन्ने की उपलब्धता समाप्त होते ही मिलों को बंद करना पड़ जाता है। तथापि, पिछले मौसम की तुलना में 1989-90 के दौरान मिलों द्वारा, जिनमें उक्त पांचों मिलें भी शामिल हैं, गन्ने की पेराई अधिक मात्रा में की गई।

पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट

[अनुवाद]

*960. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस इंस्टिट्यूट के चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो कब से और सरकार द्वारा रिक्त पद भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सरकार को (i) वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली के निदेशक के चयन, (ii) लेखा परीक्षा के पैरों के निपटान और (iii) एम डी छात्रों को पारिश्रमिक के भुगतान में हुए विलम्ब के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

अक्तूबर, 1989 में निदेशक के पद का विज्ञापन दिया गया था और चूंकि पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए इस संस्थान की शासी निकाय ने इस पद का दोबारा विज्ञापन देने का निर्णय लिया। आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 30-4-90 थी। प्राप्त आवेदनों पर कारंवाई की जा रही है।

इस संस्थान के वार्षिक लेखों का आडिट निदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है और बकाया लेखा परीक्षा आपत्तियां इस संस्थान द्वारा निपटाई जानी हैं।

जहां तक एम० डी० छात्रों को पारिश्रमिक के भुगतान का सम्बन्ध है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, छात्रों को राजन बाबू क्षयरोग अस्पताल, दिल्ली के साथ एक बॉंड भरना आवश्यक है।

1989-92 के सत्र में दाखिला किए गए पांच एम० डी० छात्रों में से तीन छात्रों ने यह बाँड भर दिया है और उन्हें अपना पारिश्रमिक मिल गया है ।

(घ) इस संस्थान में चिकित्सा अधीक्षक का कोई पद नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पिछले बचे हुए फ्लैटों का आवंटन

*961. श्री सी० एम० नेगी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत निर्मित नये फ्लैटों के साथ-साथ पिछले बचे फ्लैटों को भी आबंटित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले बचे हुए फ्लैटों का मूल्य क्या है और इनका मूल्य निर्धारित करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) यदि इन फ्लैटों का वसूल किया जाने वाला मूल्य इनके लिए निर्धारित मूल कीमत से अधिक है तो इसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का, इन फ्लैटों के काफी समय तक आबंटित न होने से, इनके मूल्य में हुए ह्रास को देखते हुए अब इनकी कीमत में कोई छूट देने विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) ऐसे फ्लैटों की बिक्री बिना लाभ-हानि के आधार पर की जाती है तथा आवंटित न किए गए शेष फ्लैटों को संशोधित लागत निर्धारित करने के लिए मापदण्ड इस प्रकार है :—

(I) यदि मूल ड्रा की तिथि से 6 माह के भीतर आवंटन किया जाता है तो फ्लैट की केवल मूल लागत वसूल की जाती है;

(II) यदि इस अवधि के पश्चात् आवंटन किया जाता है, तो लागत में संशोधन किया जाता है। निम्नलिखित घटक जोड़े जाते है :—

—रुकी हुई पूंजी पर 12.6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, क्योंकि दिल्ली प्राधिकरण वित्तीय संस्थानों को ब्याज की अदायगी करता है ।

—निर्माण लागत पर 2.25% प्रतिवर्ष दर पर अनुरक्षण प्रभार, क्योंकि अगले आवंटी को सौंपने तक फ्लैट का अनुरक्षण किया जाता है ।

—दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित किये जाने तक सेवाओं के अनुरक्षण के लिए भू-प्रीमियम पर 2.5% प्रतिवर्ष की दर पर सेवा प्रभार ।

(घ) और (ङ) निर्माण लागत पर 2.5% प्रतिवर्ष की दर पर मूल्य ह्रास अनुमेय है ।

पैकिंग की लागत

*962. श्री वी० कृष्ण राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब अन्तिम रूप से प्रसंस्कृत किए गए खाद्य पदार्थों की कुल लागत में से पैंकिग सामग्री पर कितने प्रतिशत लागत आती है; और

(ख) पैंकिंग सामग्री की लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके ?

वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत खाद्यों की कुल लागत में पैकेजिंग सामग्री की लागत का प्रतिशत हर उत्पाद में अलग-अलग होता है। किन्तु भारतीय पैकेजिंग संस्थान के अनुसार, खुदरा बिक्री मूल्य के संबंध में पैकेजिंग सामग्री की लागत अधिकांश मामलों में 2)% से 35 प्रतिशत के बीच होती है। प्रसंस्कृत खाद्यों में पैकेजिंग की लागत को कम करने के लिए समय-समय पर पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनों पर करों में कमी और प्रौद्योगिकी का उन्नयन जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मत्स्य नौकाएं

9980. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मत्स्य नौकाओं ने वास्तव में कितने दिवसों तक कार्य किया;

(ख) क्या सभी गैर-सरकारी कम्पनियों को इस संबंध में आंकड़े भरने के लिए एक प्रश्नावली भेजी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों से प्राप्त जानकारी का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने यह निगरानी नहीं की है कि गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली मत्स्य नौकाएं वर्ष 1989-90 के दौरान वास्तव में कितने दिन मछलियां पकड़ने गयी थीं। सरकार ने अलग-अलग कम्पनियों को ऐसी कोई प्रश्नावली नहीं भेजी है जिसमें उनसे वर्ष 1989-90 के दौरान मछली पकड़ने के वास्तविक दिनों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) व (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

9981. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"परचेज आफ सब स्टेण्डर्ड ड्रग्स बाई द हैल्थ डिपार्टमेंट, पंजाब"
शीर्षक से समाचार

9982. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1990 के पंजाबी दर्पण में "परचेज आफ सब-स्टेण्डर्ड ड्रग्स बाई द हैल्थ डिपार्टमेंट, पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) औषध नियंत्रक, पंजाब से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, पंजाबी ट्रिब्यून में 16-2-1990 को छपी खबर का पता लगाने के तत्काल बाद सिविल सर्जन, रोपड़ से, जिसके क्षेत्राधिकार में मोरिन्डा आता है, एक रिपोर्ट मांगी गयी थी। उनके अनुसार, डेक्सट्रोज घोल 10 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा दर संविदा (मैसर्स प्रेम फार्मास्यूटिकल्स, इन्दौर) पर लिया गया था। इसकी खरीद 5-12-88 को की गयी थी। 31-12-89 तक सभी सामग्री पहले ही इस्तेमाल में लायी जा चुकी थी और किसी भी सरकारी संस्था के स्टाक में डेक्सट्रोज की कोई बोतल नहीं थी, जैसाकि सिविल सर्जन, रोपड़ द्वारा सूचित किया गया है।

पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने उन फर्मों से, जो भंडार नियंत्रक, पंजाब द्वारा अनुमोदित दर संविदा सूची में शामिल हैं, अथवा भारत सरकार के उपक्रमों से इन दवाओं की खरीद करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (कर्मचारी राज्य बीमा) भी इन दवाओं की केवल उन फर्मों से खरीद करता है जिनके नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हैं और जिनके पक्ष में दर संविदा जारी की जाती है। उपर्युक्त फर्मों के अलावा किसी अन्य फर्म से कोई दवाई नहीं खरीदी जाती है।

औषधों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राज्य औषध संगठन उपर्युक्त अनुमोदित फर्मों द्वारा सप्लाई की गयी दवाओं के नमूने जांच के लिए केवल केमिस्टों से ही नहीं लेता है बल्कि सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार से भी लेता है। जब कभी किसी नमूने को घटिया/नकली पाया जाता है तो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन फर्मों के मामले में जो अन्य राज्यों से होती हैं, उस राज्य के राज्य औषध नियंत्रक को विश्लेषण के परिणामों और दोषी फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचना दी जाती है।

इसी प्रकार अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरण/उपस्कर या तो भंडार नियंत्रक, पंजाब अथवा पंजाब सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, जिसमें वित्त विभाग और उद्योग विभाग से एक-एक सदस्य लिया जाता है, के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इसके बाद औषध नियंत्रक, पंजाब के अनुसार, दवाइयों और अन्य उपकरणों आदि की खरीद में धन की कोई भूमिका नहीं होती है।

प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।

[हिन्दी]

9983. श्री गंगा चरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) हरेक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारत सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 30,000 जनसंख्या/आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए खोले जाते हैं जिसमें लगभग 20-25 गांवों को कवर किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन 6 उप केन्द्र होते हैं। प्रत्येक उप केन्द्र मैदानी क्षेत्र में 5000 जनसंख्या/आदिवासी, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र में 3000 जनसंख्या को कवर करने वाले 4-5 गांवों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करता है।

राजेन्द्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना का विस्तार

9981. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजेन्द्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगामकुआं, पटना के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पटना कुछ क्षेत्रों जैसे जानपदिक रोग विज्ञान क्लिनिकल अध्ययन, इम्यूनोलाजी, इम्युणोडायग्नोसिस, रसायन चिकित्सा इम्युनो प्रोफिलेक्सिस और लीशमैनियता में अपने अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का विस्तार कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना

9985. **स० अतिन्दरपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है अथवा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब में ऐसे कितने औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें इस समय कोई चिकित्सक नियुक्त नहीं है;

(घ) पंजाब में औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उपर्युक्त सभी औषधालयों आदि में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं;

(च) यदि नहीं, तो वहां पर चिकित्सक और अन्य सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी;

(छ) क्या प्रत्येक गांव और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवजात शिशुओं और माताओं के लिए परिवार कल्याण संबंधी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) पंजाब के प्रत्येक गांव में स्वतन्त्र रूप से स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार की नीति और मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 5000 की आबादी के (जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्र में 3000) के लिए एक उप-केन्द्र और मैदानी क्षेत्र में 30000 की आबादी (जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्र में 20000) के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान किया गया है।

(ग) इस प्रकार के 311 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें डाक्टरों के 311 पद रिक्त पड़े हैं। डाक्टर अभी तैनात किये जाने हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1990 को राज्य में 2852 उप-केन्द्र और 1987 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे।

(ङ) और (च) पंजाब सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मूल सुविधायें उपलब्ध हैं। डाक्टरों की भर्ती और तैनाती में भी शीघ्रता बरती जा रही है।

(छ) और (ज) प्रति 4-5 गांवों के लिए एक उप-केन्द्र है, जहां नवजात शिशुओं और माताओं के लिए मातृ-शिशु-स्वास्थ्य सेवाओं सहित परिवार कल्याण संबंधी मूल सुविधायें उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, कलकत्ता की ज्योति विविंग फैक्ट्री द्वारा मशीनरी पर कब्जा किए रहना

[अनुवाद]

9986. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा) कलकत्ता की ज्योति विविंग फैक्ट्री ने 1983 से कुछ ठेकेदारों की मशीन और उपकरणों पर अभी भी कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या निगम ने इन उपकरणों को जून 1986 या इसके आसपास ठेकेदारों को सौंपने का निर्णय किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) संबंधित ठेकेदार उन उपस्करों के किराया प्रभार का दावा कर रहा है। चूंकि संविदा की शर्तों के अनुसार उसका दावा तर्कसंगत नहीं है इसलिए उसे एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ठेकेदार से उपस्कर उठाने का अनुरोध किया गया है।

खाद्य राजसहायता

9987. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली खाद्य राजसहायता में हाल ही में काफी वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कितनी-कितनी राशि की राजसहायता दी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्षेत्र को एक निश्चित आय स्तर से नीचे वाले परिवारों तक सीमित रखने और ऐसी खाद्य राजसहायता में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गयी खाद्य राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राज सहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1987-88	2,000
1988-89	2,200
1989-90	2,476

(ग) ऊपर उल्लिखित तीन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उठाने की स्थिति नीचे दी गयी है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	जिन्स	उठान की मात्रा	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) और कमी (—) की प्रतिशतता
1987-88	गेहूं	67.31	54.27 (+)
	चावल	87.00	13.83 (+)

1	2	3	4
1988-89	गेहूं	69.57	3.36 (+)
	चावल	81.74	6.05 (−)
1989-90	गेहूं	68.91	0.95 (−)
	चावल	72.36	11.48 (−)

(ख) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

मयूर मिल, कानपुर के तदर्थ कर्मचारी

[हिन्दी]

9988. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मयूर मिल, कानपुर में कितने तदर्थ कर्मचारी हैं और वे कब से तदर्थ कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को नियमित करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एन० टी० सी० (उ० प्र०) लि० के अधीन मयूर मिल्स, कानपुर नामक वस्त्र मिल में कोई तदर्थ कर्मचारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय का कार्यकरण

[अनुवाद]

9989. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के ऐसे अनेक अधिकारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कार्यालय का कोई भी काम नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के एक अधिकारी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यालय का कोई भी काम नहीं किया है। अतः उन्हें उक्त अवधि के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाना चाहिए था। इस मामले की जांच की गयी थी तथा इस आरोप को गलत पाया गया था।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्मिक नीति

9990. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी और छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए इन क्षेत्रों के लिए कोई कार्मिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी नीति तैयार करते समय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 244 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये वार्षिक प्रतिवेदनों मे दिये गये सुझावों और की गयी सिफारिशों पर विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रबंधों तथा कार्मिक नीतियों के बारे में 1978 में नियुक्त महेश्वर प्रसाद दल ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्मिक नीतियां तैयार करने की सिफारिश की थीं, जिनमें कार्मिकों की नियुक्तियां, भर्ती चयन तथा आदिवासी क्षेत्रों में तैनात स्टाफ व अधिकारियों को देय आर्थिक व गैर आर्थिक प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण शामिल है। पांचवीं अनुसूचीबद्ध क्षेत्रों वाले राज्यों ने, स्थानीय स्थिति तथा अपेक्षा को ध्यान में रखकर, विभिन्न स्तरों पर सिफारिशें लागू की हैं। छठी अनुसूचीबद्ध क्षेत्रों में जिला परिषदें ही स्वायत्त निकाय हैं, जिन्हें अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के व्यापक अधिकार हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में रिक्त पदों को भरने, उचित प्रशिक्षण वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की तैनाती, आदिवासी समुदायों आदि के लिए अभिरुचि तथा सहानुभूति से संबंधित सामान्य सिफारिशें शामिल हैं। ये सिफारिशें बुनियादी तौर पर वही हैं जो महेश्वर प्रसाद दल की है जो राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों की सफलता के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करनाल स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों की भर्ती

9991. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करनाल स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय में अवर श्रेणी लिपकों की भर्ती के मामले में अनुचित तरीके अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) उन उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों ने जो करनाल में क०भ० नि० संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालय में 5-1-1990 को आयोजित की गई अ० श्रे० लि० भर्ती परीक्षा में बैठे थे, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक आवेदनपत्र दायर किया है जिसमें भर्ती में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति

9992. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारियों के क्षेत्रों के वितरण हेतु समान नीति नहीं अपनाई जा रही है;

(ख) क्या प्रवर्तन अधिकारियों तथा सहायक लेखा अधिकारियों की तैनाती की नीति भी तटस्थरूप से कार्यान्वित नहीं की जा रही है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का प्रतिष्ठानों के वितरण और प्रवर्तन अधिकारियों तथा सहायक लेखा अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में समान नीति लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) प्रवर्तन अधिकारियों के बीच क्षेत्रों का वितरण सामान्यत: प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक वर्ष में किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या तथा उन्हें आबंटित अन्य प्रशासनिक कार्य का ध्यान में रखकर किया जाता है। सामान्यत: सभी क्षेत्रों द्वारा इसी नीति का पालन किया जा रहा है।

(ख) चूंकि प्रवर्तन अधिकारियों/सहायक लेखा अधिकारियों के पद अन्तर्बदल होते हैं, इसलिए उनकी तैनाती व्यक्ति विशेष की फील्ड कार्य या डेस्क कार्य करने के अनुभव और उसकी उपयुक्तता के आधार पर तथा प्रशासनिक अत्यावश्यकता को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, आगरा के बारे में ज्ञापन

9993. **श्री माणिक सान्याल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "जालमा" कर्मचारी एसोसिएशन, आगरा का दिनांक 12 अप्रैल, 1990 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय कुष्ठ जालमा संस्थान के निदेशक से जालमा कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन के बारे में अपनी टिप्पणियां/विचार देने को कहा गया है।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का पंजीकरण

9994. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के उन आबंटितियों के नाम फ्लैटों के पंजीकरण को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिन्होंने देय राशि का पूरा भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पंजीकरण संबंधी औपचारिकता को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हस्तांतरण विलेख के निष्पादन कार्य एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमे आबंटियों द्वारा किश्तों का पूर्ण भुगतान, स्थल योजना तैयार करना, स्टाम्प प्रभारों का भुगतान आदि जैसी कतिपय औपचारिकताएं पूरी करनी अपेक्षित है । इन अपेक्षित औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए कारवाई करता है।

दिल्ली में झुग्गी निवासियों को मकानों का आबंटन

[हिन्दी]

9995. **श्री हरि भाऊ शंकर महाले : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों के उन क्षेत्रों, जहां प्रधानमन्त्री ने हाल ही में दौरा किया था, के झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को मकान आवंटित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों के उन झुग्गी निवासियों को भी मकान आबंटित किये जायेंगे जहां प्रधानमन्त्री ने दौरा नहीं किया था;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दिल्ली में झुग्गी निवासियों के लिए मकान आबंटन करने की ऐसी कोई योजना नहीं है । तथापि, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनापेक्षित स्थानों पर स्थित झुग्गी निवासियों को उसी स्थान पर उनके आश्रय उन्नयन के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जरूरत वाले परियोजना स्थलों पर स्थित झुग्गी-वासियों को "स्थल तथा सेवायें" कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक स्थानों पर विकसित प्लाट दिए जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी समूहों में सामान्यत: नागरिक सुविधायें (जैसे खड़जों वाले पैदल पथ, सतही नालियां, स्वच्छ पेय जल, स्ट्रीट लाइट, शौचालय आदि) उपलब्ध कराई जाती है। कोई नये अतिक्रमण न होने देना सरकार की नीति है और उपरोक्त सुविधायें केवल पुरानी स्थापित झुग्गियों के लिए ही है ।

आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों के क्वार्टर

[अनुवाद]

9996. **श्री के० प्रधानी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए नियत और जारी की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या कुछ धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) आठवें तथा नौवें वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों में आदिवासी प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए आदिवासी उपयोजना वाले 13 राजस्व घाटा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माणार्थ सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान 4520.10 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। निर्माण-कार्य की प्रगति के आधार पर वित्त मन्त्रालय द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को 3551.99 लाख रुपये के अनुदान नियुक्त किए गए। निर्मित क्वार्टरों की संख्या सम्बन्धी पूरी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माणार्थ आवंटित क्रमश: 30 लाख रुपये तथा 67.50 लाख रुपये की राशियां उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों के अनुरोध पर आदिवासी गांवों के लिए अवसंरचना विकास हेतु लगाई गई।

दिल्ली में "हुडको" द्वारा मकानों का निर्माण

9997. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा गत तीन वर्ष-वार, दिल्ली में कितने मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था और उसने वास्तव में कितने मकानों का निर्माण किया;

(ख) लक्ष्य से कितने कम मकानों का निर्माण हुआ और इसके कारण क्या थे;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इन मकानों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा;

(घ) मकानों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने हेतु कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे; और

(ङ) क्या मकानों के घटिया होने की शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको ने दिल्ली में कोई मकान निर्मित नहीं किया है और हुडको के लिए ऐसा कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 4 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए निर्माण के लक्ष्य इस प्रकार है :

1990-91	12,600
1991-92	19,000
1992-93	26,000
1993-94	26,500
	84,100

(घ) समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न उपाय, जैसे आवास के लिए भूमि की अग्रिम रूप से पहचान, कार्य दलों का सृजन करके आयोजना प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण, बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु पूर्व-निर्माण प्रौद्योगिकी अपनाना और समय को कम करने के लिए निविदा पद्धति का सरलीकरण, किए हैं।

(ङ) विगत में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों की मात्रा और आवृत्ति में यथेष्ट कमी हुई है निर्माण की कोटि सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोटि नियंत्रण सेल निर्माण कार्य और संरचनात्मक त्रुटियों का आकस्मिक निरीक्षण करता है तथा विशिष्ट शिकायतों की जांच की रही है और उनका निराकरण किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा का ढांचा

9998. श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा देने की आवश्यकता और यह सुनिश्चित करने पर बल दे रहे हैं कि छात्रों को उक्त क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त हों; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बदलते हुए वर्तमान समय के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा में नवीनता लाने की आवश्यकता पर विचार करेगी और इस महत्वपूर्ण विषय पर उसका क्या दृष्टिकोण है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी हां।

(ख) व्यक्ति और समाज की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं जबकि इसके साथ-साथ चिकित्सा परिचर्या में छात्रों को अद्यतन ज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित रखा जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद से स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया है।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई

[हिन्दी]

9999. श्री कालका दास : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस नगर की जनसंख्या के अनुपात में कितना पानी सप्लाई किया जाता है;

(ख) दिल्ली के पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में कितनी बार और कितनी अवधि के लिए पानी की सप्लाई की जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली के सभी क्षेत्रों में एक दिन में दो बार पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 88 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए, जलापूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 225 लिटर है ।

(ख) पानी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति निम्न प्रकार से हैं :

पुरानी दिल्ली क्षेत्र	298 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र	347 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
ग्रामीण क्षेत्र	68 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

(ग) अधिकांश ग्रामीण इलाकों में दिन में दो बार पानी सप्लाई किया जाता है । जल आपूर्ति प्रणाली के अन्तिम छोर पर अथवा ऊंचे स्थानों पर स्थित कुछ गांवों में तथा जहां भूमिगत पानी खारा है, वहां दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जाता है ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए किए गए अल्पावधि उपायों में (I) अलीपुर ब्लाक में पांच रैनी कुओं का निर्माण और (II) विशेषकर ग्रामीण तथा अन्य अभाव वाले क्षेत्रों में 20 ट्यूब वैलों का निर्माण शामिल हैं ।

जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए मध्यवर्ती उपायों में (I) हैदरपुर में द्वितीय जल शोधन संयन्त्र का निर्माण (II) नांगलोई में जल शोधन संयन्त्र का निर्माण और (III) बवाना में जल शोधन संयन्त्र का निर्माण शामिल हैं जिनमें कुशबवाना और अलीपुर ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ।

डिस्पोजेबल सीरिन्ज

[अनुवाद]

10000. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "डिस्पोजेबल सीरिन्जों" की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) सभी बड़े निर्माताओं का विवरण क्या है और उनकी क्षमता क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) भारत के कितने प्रतिशत अस्पताल वास्तव में "डिस्पोजेबल सिरिंजों" का प्रयोग कर रहे हैं;

(घ) अगले दो-तीन वर्षों में "डिस्पोजेबल सिरिंजों" की सम्भावित मांग कितनी होगी;

(ङ) क्या सरकार "डिस्पोजेबल सिरिंजों" के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है; और

(च) यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) डिस्पोजेबल सिरिंजों को अधिसूचना संख्या 365(अ) दिनांक 17 मार्च, 1989 के तहत औषध के रूप में अधिसूचित किया गया था । सभी राज्य औषध नियंत्रकों से डिस्पोजेबल सिरिंजों के विनिर्माताओं को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए कहा गया है । राज्य औषध नियन्त्रक डिस्पोजेबल सिरिंजों के निर्माण कार्य में लगे हुए यूनिटों को लाइसेंस जारी हैं इसलिए

डिस्पोजेबल सिरिंजों के सभी प्रमुख विनिर्माताओं के नाम और उनकी क्षमता तथा पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ग) से (घ) यह मन्त्रालय ऐसी सूचना की मानिटरिंग नहीं करता है।

राजस्थान में नसबन्दी आप्रेशन

[हिन्दी]

10001. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राजस्थान में कितने व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से नसबन्दी आप्रेशन कराये;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रूप में दी गयी धन राशि और वितरित किए गए अन्य सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मामलों में जोर जबरदस्ती की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कुछ नसबन्दी आप्रेशन असफल भी रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विश्वविद्यालयों को वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड की सहायता

[अनुवाद]

10002. **श्री वासवपुन्नय्या सिंगम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेंसी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड (वैपकोस) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और जल और भूमि प्रबन्धन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को उनके संकाय के सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित जल और भूमि प्रबन्धन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान को भी ऐसी कोई सहायता मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) जी हां। वापकोस जल एवं प्रबंध प्रशिक्षण और अनुसधाम संस्थान, हैदराबाद सहित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं जल एवं भूमि प्रबन्ध प्रशिक्षण और अनुसंधान संधानों को सहायता प्रदान करता है।

इस सहायता में सेवारत कार्मिकों का प्रशिक्षण पाठ्यचर्या की तैयारी और विकास, अनुकूली अनुसंधान अध्ययनों का क्रियान्वयन एवं प्रबोधन, किसानों के लिए विशेष कार्यशालाओं और खेत प्रदर्शनों की व्यवस्था आदि शामिल हैं। वापकोस ने "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 संकाय सदस्यों के लिए भारत तथा विदेशों में दीर्घावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और जल एवं भूमि प्रबन्ध प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के 16 सदस्यों के लिए विदेश में लघु अवधि के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है।

दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के लिए न्यूनतम मुआवजा

10003. **श्री गोपी नाथ गजपतिः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए न्यूनतम मुआवजा धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लिया गया नया निर्णय, किस तारीख से लागू होगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) मुआवजे का भुगतान समय-समय पर संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने कृषि भूमि के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कीमतें निर्धारित की हैं :—

(I) नदी तट तथा अग्र बांध के बीच स्थित भूमि के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़।

(II) सभी अन्य कृषि भूमि के लिए 4.65 लाख रुपये प्रति एकड़।

ये न्यूनतम दरें 27-4-90 से प्रभावी हुई है तथा मुआवजे का भुगतान करने के लिए अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा इन पर विचार किया जायेगा तथा उन सभी मामलों में लागू होगी जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि अधिसूचित की गयी है। गत वर्षों में धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के लिए 1900 की कीमत में 15% प्रति वर्ष की छूट देकर न्यूनतम कीमत निकाली जायेगी। यह न्यूनतम कीमत उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां पहले ही आवार्ड की घोषणा कर दी गयी है। इस न्यूनतम कीमत के अतिरिक्त भू-स्वामी 30 प्रतिशत हर्जाने तथा इस अधिनियम में निहित अन्य लाभों का हकदार होगा।

मध्य प्रदेश में कताई मिल

10004. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग को धागे उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस राज्य में विभिन्न सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को धागे की उपलब्धता के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए कैप्टिव उत्पादन करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने और वर्तमान बुनकर सहकारी कताई मिलों की क्षमता का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) को ऋण सहायता देती है। सातवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में बुनकर सहकारी कताई मिल की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार

10005. **श्री कमल चौधरी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना पंजाब सरकार से मांगी गयी है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रोलर आटा मिलें

10006. **श्री रामदास सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रोलर आटा मिलों को समय पर गेहूं की पर्याप्त सप्लाई न करने के कारण इन मिलों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप अनेक मजदूर बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की गेहूं की कितनी मांग थी और इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने गत वर्ष इन मिलों को कुल कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया; और

(घ) सप्लाई न करने के क्या कारण थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को 1986 में लाइसेंस मुक्त कर देने के बाद, केन्द्रीय सरकार की उन्हें गेहूं की आपूर्ति करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिलें अपनी जरूरत का गेहूं खुले बाजार से खरीदने के लिए अब स्वतन्त्र हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्तियां बनाये रखने की अपनी प्रमुख वचनबद्धता का निर्वाह करने के बाद यदि गेहूं बचाया जा सकता हो तो उस दशा में भारतीय खाद्य निगम रोलर फ्लोर मिलों को कभी-कभी गेहूं की कुछ मात्रा बेच देता है।

चम्बल नदी पर राहूघाट बहुद्देशीय परियोजना

[हिन्दी]

10007. **श्री छविराम अर्गल :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चम्बल नदी पर राहू घाट बहुद्देश्यीय परियोजना को चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए जल की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन पूरा हो गया है;

(ग) क्या इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ङ) राजस्थान सरकार से जून, 1987 में प्राप्त हुई, राहू घाट जल-विद्युत परियोजना के लिए परियोजना प्रस्ताव जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की जलमगनता शामिल है, फरवरी, 1988 में राज्य सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था कि वह अन्तर्राज्यीय मामलों को हल करने के बाद इसे पुन: प्रस्तुत करे। राज्य ने परियोजना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत नहीं किया है।

डा० अम्बेडकर की कृतियों का प्रकाशन

[अनुवाद]

10008. **श्री हेत राम** : : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अम्बेडकर की सभी कृतियों का प्रकाशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है;

(ख) क्या अभी तक किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रकाशित करने पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्र की जा रही है।

बाढ़ नियंत्रण प्रौद्योगिकी मिशन

[हिन्दी]

10009. **श्री एम० जे० अकबर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण प्रौद्योगिकी मिशन का पहलेगठन किया गया था;

(ख) क्या यह मिशन पूर्णिया डिवीजन सभी जिलों विशेष रूप से अरेरिया के जिले में कार्यरत है;

(ग) यदि हां, तो इस मिशन द्वारा इस क्षेत्र में अब तक किये गये कार्य का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश की संजय सागर मध्यम सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

10010. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की संजय सागर सिंचाई परियोजना को आस्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पुन: शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) अपर्याप्त पुनर्वास योजना तथा इसके प्रतिकूल पर्यावर्णिक प्रभाव के कारण इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अस्वीकृत कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस परियोजना को संशोधित करना है।

कैंसर-रोधी, एड्स-रोधी और क्षय-रोग रोधी औषधियों के बारे में अनुसंधान

10011. प्रो० राम गनेश कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान अति विशिष्ट औषधियों, जिनके सेवन का न्यूनतम दुष्प्रभाव पड़ता है, के निर्माण के लिए सक्रियता से अनुसंधान कर रही है;

(ख) क्या कैंसर रोधी एड्स रोधी और क्षय रोग रोधी औषधियों के बारे में अनुसंधान के आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी औषधियों का उत्पादन कब से शुरू किया जायेगा; और

(घ) ये औषधियां ऐसे रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों और डाक्टरों को कब तक उपलब्ध हो सकेंगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी की रुग्ण मिलें

10012. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की उन रुग्ण मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1987 से बन्द पड़ी हुई हैं;

(ख) इन मिलों के पुन: चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) वे कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं जिन्हें आशय-पत्र जारी किए गए लेकिन उन्होंने उक्त अवधि के दौरान उत्पादन शुरू नहीं किया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) निम्नलिखित दो चीनी मिलें 1987-88 से बन्द हैं और इन्हें फिर से कार्य आरम्भ करना है :—

(1) महाराष्ट्र शुगर मिल लि०, तिलक नगर,
जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

(2) बेलपुर शुगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, हरिगांव,
जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

तिलक नगर शुगर फैक्ट्री को तासगांव, जिला सांगली (महाराष्ट्र) में शिफ्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से आया है। दूसरी मिल के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ग) उन चीनी यूनिटों के नाम संलग्न विवरण पर दिए गए हैं जिन्हें आशय-पत्र जारी किए गए थे लेकिन जिन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्री लगाने के
लिए जारी किए गए आशय-पत्र/लाइसेंस, जिन्होंने
अभी उत्पादन आरम्भ करना है

क्र० सं०	स्थिति और जिला सहित फैक्ट्री का पूरा नाम	एल०आई०/ आई०एल०/ सी०आई०एल० की तारीख	दैनिक गन्ना पिराई क्षमता (टन)	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि० 2, महराजा सूर्या रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018 (स्थिति : तहसील हरूर, जिला : धर्मपुरी)	9-10-87	2500	सहकारी
2.	तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि० 2, महाराजा सूर्या रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018 (स्थिति : सेथियाथोपा, तहसील चिदम्बरम, जिला दक्षिण आरकोट)	9-10-87	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
	3. तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि० 2, महाराजा सूर्या रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018 (स्थिति : तहसील चेयार/वंदीवास जिला उत्तरी आरकोट)	11-3-88	2500	सहकारी
	4. तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि० 2, महाराजा सूर्या रोड, अलवरपेट, मद्रास-600018 (स्थिति तहसील : अरनथांगी, जिला पेडुकोटाई)	11-3-88	2500	सहकारी
	5. मै० पुन्डी शुगरज लि०, हाउस आफ पुन्डी नं० 1, वल्लभ रोड, तंजौर (स्थिति : वालंगईमान फिरका, तहसील वालंगईमान, जिला तंजौर)	22-3-88	2500	संयुक्त स्टॉक
पंजाब				
	6. जगरांव सहकारी चीनी मिल्स लि०, पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, एस० सी० ओ० 128-129, द्वितीय तल मध्य मार्ग, सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़-160008 (स्थिति : हूपूर, कमालपुर, जिला लुधियाना)	11-9-87	2500	सहकारी
	7. अमृतसर सहकारी चीनी मिल्स लि०, पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, एस० सी० ओ० 128-129, द्वितीय तल, मध्य मार्ग, सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़-160008 (स्थिति तहसील अजनाला, जिला अमृतसर)	11-9-87	2500	सहकारी
	8. फरीदकोट सहकारी चीनी मिल्स लि०, पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, मध्य मार्ग, एस०सी०ओ० 128-129, द्वितीय तल, सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़-160008 (स्थिति : रोड़ी के पास, चेतसिंह वाला जिला फरीदकोट)	11-9-87	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
9.	बुढलाडा सहकारी चीनी मिल्स लि०, पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, एस० सी० ओ० 128-129, द्वितीय तल, मध्य मार्ग, सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़-160008 (स्थिति : बुढलाडा तहसील मानसा, जिला भटिण्डा)	11-9-87	2500	सहकारी
10.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, (पी० ए० आई० सी०) एस० सी० ओ० नं० 315-16, सैक्टर 35-बी, चण्डीगढ़-160036 (स्थिति : मुकेरियत तहसील दसुया, जिला होशियारपुर)	23-3-90	2500	संयुक्त क्षेत्र
	महाराष्ट्र			
11.	श्री संत मुक्ताबाई एस० एस० के० लि०, कुण्ड, तहसील एडलाबाद, जिला जलगांव	11-2-88	2500	सहकारी
12.	अम्बा एस० एस० के० लि०, अंजनगांव (सूरजी) जिला अमरावती	14-3-88	2500	सहकारी
13.	श्री वासनिक बी० कृष्णा रामचन्द्र मे० शिवशक्ति आदिवासी और मेगस्वर्गीय एस० एस० के० लि०, पहुरजीरा, तहसील शेगांव जिला बुलधाना	31-8-88	2500	सहकारी
14.	श्री नामदेवराव बी० गोडकर देवगिरि एस०एस०के० लि०, श्री एम० बी० गोडकर पोस्ट फुलम्बरी, तालुका एवं जिला औरंगाबाद (स्थिति सांवगी, जिला औरंगाबाद)	1-12-88	2500	सहकारी
15.	मै० श्री संत दामाजी एस० एस० के० लि०, खिरनन्दगी, तालुका मंगलवेढे, जिला सोलापुर	3-4-89	2500	सहकारी
16.	मै० रामगणेश गोडकरी एस० एस० के० लि० (नियोजित) साओनेर राजकोठी, टैम्पल रोड, सिविल लाइन, नागपुर (स्थिति साओनेर, जिला नागपुर)	3-4-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
17.	प्रो० राम मेघे, श्री कोन्डेश्वर, एस० एस० के० लि०, नजदीक अम्बेडकर कालिज रिजर्व लाइन, वार्ड नं० 4, अमरावती कैम्प, जिला अमरावती (स्थिति : बाडनेरा, जिला अमरावती)	3-4-89	2500	सहकारी
18.	डा० वामनराव रामकृष्ण अकोला जिलाहा एस० एस० के० (प्रस्तावित) मार्फत अकोला जिला सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, सिविल लाइन पोस्ट, जिला अकोला (स्थिति सुकले गांव, जिला अकोला)	2-4-89	2500	सहकारी
19.	विदर्भ शेतकारी एस० एस० के० लि० मोघांव (बुटीबोरी), सुरेन्द्र बिलास, प्लाट नं० 763, दक्षिण अम्बाजारी रोड, शारदानन्द प्रेस, नागपुर (स्थिति मोघांव जिला नागपुर)	3-4-89	2500	सहकारी
20.	श्री शंकर शेतकारी एस० एस० के० लि०, पोस्ट कोनी/महागाव (कस्बा) जिला यवातमल (स्थिति मगरूर गांव जिला यवातमल)	26-4-89	2500	सहकारी
21.	मं० सिंघखेड़ा एस० एस० के० लि०, पोस्ट जे० के०—सिंघखेड़ा जिला धुलिया-425406 (स्थिति : वेगांव तहसील सिंघखेड़ा जिला धुलिया)	23-6-89	2500	सहकारी
22.	मं० अजरा शेतकारी एस० एस० के० लि०, पोस्ट अम्बोली तालुका सावंतवाडी, जिला सिन्धुदुर्ग	10-7-89	2500	सहकारी
23.	डा० पी० एम० शारे, मं० शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर एस० एस० के० लि०, अक्षय शिवाजी चौक मेन रोड, लतूर, जिला लतूर (स्थिति अम्बुलगा (बी० के०) तहसील निलंगा जिला लतूर)	16-10-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
24.	श्री सुरेन्द्र राव ए० सोलंकी मजलगांव एस० एस० के० लि०, प्लाट नं० 9, राजनगर, स्टेशन रोड, औरंगाबाद (स्थिति नितरूड, तहसील मजलगांव, जिला बीड़)	16-10-89	2500	सहकारी
25.	श्री एम० ए० मोटे, चीफ परोमोटर बनगंगा शेतकारी एस० एस० के० लि०, नगर परिषद कार्यालय, ता० भूम, जिला उस्मानाबाद	16-10-89	2500	सहकारी
26.	मै० भाउसाहेब महादेव हांडे, अगस्ती पोस्ट अकोला, ता० अकोला, जिला अहमदनगर (स्थिति आमगांव, तहसील अकोला, जिला अहमदनगर)	17-10-89	2500	सहकारी
27.	मै० संगोला तालुका एस० एस० के० लि०, महूद पोस्ट हलदाईवाडी, वाकी, ता० संगोला, जिला सोलापुर (स्थिति वाकी, तहसील संगोला, जिला सोलापुर)	18-10-89	2500	सहकारी
28.	आमनेर तालुका एस० एस० के० लि०, 169, बालाजी पेथ, जलगांव, (स्थिति गोंडखेड़, तहसील आमनेर जिला जलगांव)	3-11-89	2500	सहकारी
29.	मै० जारनदेश्वर एस० एस० के० लि०, कोरेगांव, पोस्ट ता० कोरेगांव, जिला सतारा (स्थिति बोम्बाले-खाटेवाडी तहसील खाटव जिला सतारा)	17-1-89	2500	सहकारी
30.	मै० जयकिशन एस० एस० के० लि०, बारवाड़ी (प्रस्तावित) ता० दरवाह, जिला यवतमाल (स्थिति बारवाडी, तह० दरवाह, जिला यवतमाल)	20-3-89	2500	सहकारी
31.	श्री बापुराव एम० देशमुख मं० शेतकारी एस० एस० के० लि०, (प्रस्तावित) बुटीवाड़ा, महादेवपुर वर्धा, जिला वर्धा (स्थिति नन्दगांव तहसील हिंगनघाट जिला वर्धा)	20-3-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
32.	मैं० चोपड़ा एस० एस० के० लि०, कृषि उत्पाद विपणन समिति, चोपड़ा, ता० जिला जलगांव (स्थिति मचले, तह० चोपड़ा, जिला जलगांव)	20-3-89	2500	सहकारी
33.	मैं० आदिनाथ एस० एस० के० लि०, पोस्ट कर्मला-413203, जिला सोलापुर (महाराष्ट्र) (स्थिति लावे-भटवानी, तह० कर्मला जिला सोलाहपुर)	20-3-89	2500	सहकारी
34.	श्री केदारेश्वर एस० एस० के लि०, पोस्ट पथारडी, जिला अहमनगर (स्थिति राने गांव, तह० शेनगांव, जिला अहमदनगर)	22-12-89	2500	सहकारी
35.	श्रीमती सूर्यकांता पाटिल, जयन्त पाटिल एस० एस० के० लि०, प्रियदर्शनी, कैलाश नगर, नांदेड-431602 (स्थिति हडसानी, तह० हडगांव, जिला नांदेड)	21-3-90	1750	सहकारी
36.	श्री सुरेश ए० वारपुडकर, नरसिंहा एस० एम० के० लि०, न्यू मोण्डा रोड, ता० एवं जिला प्रभानी (स्थिति लोहगांव, जिला प्रभानी)	21-3-90	2500	सहकारी
37.	जय अम्बिका एस० एस० के० लि०, पोस्ट कुन्टूर, वाया नाईगांव, ता० बिलोली, जिला नान्देड (स्थिति सामथाना, तहसील बिलोली, जिला नांदेड)	23-3-90	1750	सहकारी
	उत्तर प्रदेश			
38.	उ०प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० किसान सहकारी चीनी मिल्स, फजलपुर, नजिबाबाद, तहसील बिजनौर जिला (स्थिति स्नेह रोड नजिबाबाद, जिला बिजनौर)	27-10-87	2500	सहकारी
39.	मैं० कालाकंकर औद्योगिक कम्पलेक्स लि० (सुरेश चन्द्र शर्मा) सीसमान, 10/470, एम० सी० रोबर्ट गंज, कानपुर-208001 (स्थिति एम्थयू तह० कुन्डा, जिला प्रतापगढ़)	8-3-88	2500	संयुक्त स्टॉक

1	2	3	4	5
40.	श्री मै० प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, 9ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति घुरियापार ब्लाक उर्वा, तह० गोलाबाजार (बंसगांव) जि० गोरखपुर)	18-11-88	2500	सहकारी
41.	मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, 9ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति रूपापुर ब्लाक भरखनी, तह० साहबाद, जिला हरदोई)	20-3-89	2500	सहकारी
42.	श्री मै० प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, 9ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति चिलवारिया, जिला बहराईच)	20-3-89	2500	सहकारी
43.	मै० उ०प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० 9ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति मैनपुरी, जिला मैनपुरी)	23-6-89	2500	सहकारी
44.	मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० 9ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति सांचली, कादिम ब्लाक, तह० व जिला सहारनपुर)	27-7-89	2500	सहकारी
45.	मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० 9ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 (स्थिति जेवार, तह०खुर्जा जिला बुलन्दशहर)	16-10-89	2500	सहकारी
46.	वीनस शुगर मिल्स लि०, 78, बैंक स्ट्रीट मेरठ-250001 (स्थिति पाठकपुर, तहसील संभल, जिला मुरादाबाद)	7-3-90	2500	संयुक्त स्ठाक
	दादरा नगर हवेली			
47.	डा० सुरेश चन्द्र जैन, मार्फत ऐरोकैम सिलवासा प्रा० लि०, सिलवासा-396230 (वाया वापी) (स्थिति सयाली गांव, त० सिलवासा, जिला दादरा नगर हवेली)	29-3-88	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
हरियाणा				
48.	कैथल सहकारी चीनी मिल्स लि०, कैथल, जिला कुरूक्षेत्र	9-5-88	2500	सहकारी
49.	महम सहकारी चीनी मिल्स लि०, महम, जिला रोहतक	20-4-88	2500	सहकारी
50.	मैं० सहकारी चीनी मिल्स लि० मार्फत सहायक पंजीयक सहकारी समितियां फतेहाबाद, जिला हिसार	31-8-88	2500	सहकारी
उड़ीसा				
51.	मैं० शक्ति शुगरज लि०, 180, रेसकोर्स रोड कोयम्बटूर-641028 (स्थिति सोगर गांव, तहसील कमख्या नगर, जिला धेनकनाल)	29-8-88	2500	संयुक्त स्टाक
52.	मैं० इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेंटस्मेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, ईपीकोल हाऊस, जनपथ भुवनेश्वर-751007 (स्थिति बोलंगीर)	20-3-89	2500	संयुक्त क्षेत्र
53.	मैं० इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेंस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, ईपीकोल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751007 (स्थिति धर्मगढ़, तहसील धर्मगढ़, जिला कालाहांडी)	20-3-89	2500	संयुक्त क्षेत्र
54.	मैं० इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेंस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, ईपीकोल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751007 (स्थिति नवरंगपुर, जिला कोरापुट)	20-3-89	2500	संयुक्त क्षेत्र
55.	इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेंस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० ईपीकोल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751007 (स्थिति आनन्दपुर जिला, क्योंझर)	13-2-90	2500	संयुक्त क्षेत्र

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
56.	डा० आर० बी० जोशी, मुख्य प्रबंधक कृष्णा एस० एस० के० लि० पो० आ० अथानी, जिला बेलगांव (स्थिति अथानी गांव तहसील अथानी, जिला बेलगांव)	2-11-88	2500	सहकारी
57.	श्री एन० बी० सिरदेसाई, मुख्य प्रवर्तक, श्री भाग्यलक्ष्मी एस० एस० के० लि०, 369, देसाई गली डा० खानपुर जिला बेलगांव (स्थिति मानसपुर, तह० खानपुर जिला बेलगांव)	2-11-88	2500	सहकारी
58.	मै० नरंजा एस० एस० के० लि०, डी० सी० सी० बैंक बिल्डिंग बीदर-585401 (स्थिति इमामपुर, जिला बिदर)	20-3-89	2500	सहकारी
59.	मै० नन्दी एस० एस० के० लि०, एस० एस० फ्रन्ट रोड, बिजापुर-586101 (स्थिति चिका गालगली के पास जिला बिजापुर)	10-7-89	2500	सहकारी
आंध्र प्रदेश				
60.	निजाम चीनी फैक्ट्री लि०, पो०बा० नं० 1 कैरताबाद, हैदराबाद-500004 (स्थिति बोबिली जिला विजयनगरम)	28-12-88	2500 •	निजी क्षेत्र
61.	श्री मै० एम० श्रीनिवासालू रेड्डी, राघव शुगरज प्रा० लि० 3-6-436, हिमायत नगर, हैदराबाद-500029 (स्थिति गूडूर तहसील गूडूर मन्डलम, जिला नैलोर)	20-3-89	2500	संयुक्त स्टॉक
62.	मै० तेलगु शुगरज लि०, 1, क्षेत्र विलास, 3-6-293, हैदरगुडा, हैदराबाद-500025 (स्थिति कुमारनाथम तहसील पुगानु, जिला चितूर)	11-7-89	2500	संयुक्त स्टॉक
63.	सरस्वती सहकारी चीनी फैक्ट्री लि० नं० 2/बी० डी० एन०/89 कादम मंडल, जिला अदिलाबाद (स्थिति कादम, तहसील कादममंडल जिला अदिलाबाद)	16-10-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
64.	जयकिशन सहकारी चीनी फैक्ट्री लि० 1/बी० डी० एन०/88, हुजूराबाद, करीमनगर-505468 (स्थिति हुजूराबाद, जिला करीमनगर)	20-10-89	2500	सहकारी
65.	मै० श्री कैलाश औद्योगिक गैस लि०, 12-13-90 गली नं० 3, तरनाका, सिकन्दराबाद-500017 (स्थिति पेकबुन्धा तहसील कैलूर मण्डलम, जिला खमाम)	12-10-89	2500	संयुक्त स्टाक
गुजरात				
66.	श्री छोटूबाई दयालजी पटेल मै० कावेरी विभाग एस. खांड उद्योग मंडली लि० सामने पुराना बस स्टैंड डा० चिखली, जिला वलसाध (स्थिति खाटा अम्बा, वलसाध वलसाध)	22-6-89	2500	सहकारी
67.	मै० श्री रिवा खांड उद्योग एस० मण्डली लि०, पोस्ट अमोध, तहसील अमोध, जि० भारूच	10-7-89	2500	सहकारी
68.	श्री मंगलभाई वाराभाई पटेल श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि० नानदोड सहकारी जिन राजपिपला-393145 जिला भारूच (स्थिति तरोपा, तह० नानदोड़ जिला भारूच)	16-19-89	2500	सहकारी
69.	बदोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक यूनियन लि०, 1, संगीता अपार्टमैंट, आर० सी० रोड बड़ोदा-390005 (स्थिति मंडला तहसील डाभोई जिला वदोदरा)	20-10-89	2500	सहकारी
70.	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि० खेदुत सहकारी जिन, कोसम्बा, तहसील मंगरोल जिला सूरत-394120 (स्थिति रोहिद, तहसील हंसोट, जिला भारूच)	19-1-90	2500	सहकारी
71.	श्री वालोद प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, वीरपुर, तहसील वालोद जिला सूरत	20-2-90	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
72.	मैं० ओरियन्ट कार्टून्स (प्रा०) लि०, 909, पारिख मार्किट, 39 जे० एस० रोड, बम्बई-400004 (स्थिति तहसील कारेली, जिला नरसिंहपुर)	11-7-89	2500	संयुक्त स्टाक
	गुजरात [जारी]			
73.	श्री दमनगंगा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पोस्ट वापी बलसाद (स्थिति सरोंदा, तहसील अम्बेरगांव, जिला बलसाद)	26-3-90	2500	सहकारी
74.	श्री उकाई विभाग असरप्रसत सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, मार्फत जि० पंचायत का कार्यालय, जरियामहल, सूरत-395003 (स्थिति सेकसा, तहसील सोनगढ़, जिला सूरत)	28-3-90	2500	सहकारी
पांडिचेरी				
75.	साऊथ ईस्टर्न शुगरज एडं एलाईड इण्डस्ट्रीज लि०, सेथूर गांव, थिरुनालूर क्यूमूने, करईकाल, ता० पांडिचेरी-609607	28-3-90	2500	संयुक्त स्टाक
महाराष्ट्र [जारी]				
76.	जथ ता० शेतकारी एस० एस० के० लि०, पोस्ट तिपेहाली, त० जथ, जिला सांगली	26-3-90	2500	सहकारी
77.	श्री संत तुकाराम एस० एस० के० लि० हिंजवाडी त० मुलशी, जिला पुणे	26-3-90	2500	सहकारी
78.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, पुसेगांव त० हिंगोली, जिला प्रभानी	28-3-90	1750	सहकारी
79.	बालघाट शेतकारी एस० एस० के० लि०, रघुकुल महात्मा फुले नगर, अहमदपुर जिला लटूर-413515 (स्थिति उजना, तहसील अहमदपुर जि० लटूर)	28-3-90	1750	सहकारी
80.	पुष्पावती एस० एस० के० लि०, पोस्ट पुसाद, ता० पुसाद, जिला यवतमाल (स्थिति चिखाली, तहसील पुसाद, जिला यवतमाल)	28-3-90	2500	सहकारी
81.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, अकालकोट, सोलापुर-413216 (स्थिति मीराजागी, तह० आकलकोट जिला सोलापुर)	28-3-90	2500	सहकारी

विज्ञान भवन का जीर्णोद्धार

10013. श्री के० एस० राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उस दल ने, जिसने विज्ञान भवन की अग्नि दुर्घटना की जांच की है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य निष्कर्ष हैं और इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस आग अनुमानतः कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या इस भवन को गिराने तथा इसके ढांचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इस भवन का मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(छ) इस भवन के मरम्मत/जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कार्य में कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि विद्युत शार्ट सर्किट आग का कारण नहीं हो सकता। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) भवन के नजरी निरीक्षण से पता लगा कि :

(क) मुख्य हाल और स्टील ट्रसर्स सहित सम्पूर्ण छत धंस गई थीं।

(ख) फाल्स सिलिंग, दीवार पैनलिंग, मंच और हाल के भीतर सभी फिटिंग और जुड़नार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

(ग) विद्युत और साउण्ड सिस्टम भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(घ) कमीशन रूम "ई" तथा "एफ" में पर्याप्त क्षति हुई थी।

(ङ) द्वितीय तल पर स्थित कमीशन रूम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(घ) से (छ) चूंकि भवन पुलिस प्राधिकारियों के संरक्षण में है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि नवीकरण कब तक किया जा सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय, राजा बाजार, नई दिल्ली

[हिन्दी]

10014. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राजा बाजार गोल मार्केट, नई दिल्ली के पूछताछ कार्यालय में वर्षवार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) कितनी शिकायतों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य शिकायतों पर उसी दिन कार्यवाही न किए जाने की शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या शिकायतों पर कार्यवाही न किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 10,063 और 10,682 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ख) शून्य।

(ग) आपात प्रकृति की शिकायतें जैसे, नालों का बन्द होना, खराबी अथवा स्विचों का कार्य न करना इत्यादि 24 घंटे के भीतर निपटाई जाती है। अन्य शिकायतें जो अत्यावश्यक समझी जाती है, चार से सात दिनों के भीतर निपटाई जाती हैं। दरवाजों, खिड़कियों, डब्लू० सी० पैन स्वक्षालन टंकी (फ्लशिंग सिस्टम), फर्श इत्यादि को बदलने जैसी बड़ी शिकायतें अधिक समय लेती हैं क्योंकि उनमें प्राक्कलनों को तैयार करना और मंजूर करना अपेक्षित होता है और ये निधियों की उपलब्धता की शर्त पर किए जाते हैं।

(घ) लम्बित शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा शिकायत रजिस्टर का साप्ताहिक सर्वेक्षण/पुनरीक्षण किया जाता है।

बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० की यूनियनों से अभ्यावेदन

[अनुवाद]

10015. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे समय से विचाराधीन औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित आदेशों को रद्द करने के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० में विद्यमान यूनियनों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या समाज के कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र के मामलों में न्याय दिलाने की सुविधाओं को उदार बनाने हेतु कोई नीति बनायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) बिहार कोलियरी कामगार यूनियन (सीटू) से चार अभ्यावेदन श्रम मन्त्रालय में 4-4-1990 को प्राप्त हुए थे जो बी. सी. सी. एल. तथा

ई. सी. एल. में उन 14 औद्योगिक विवादों के बारे में, जिनमें न्याय निर्णयन अस्वीकार किया गया था, सरकार के निर्णय की पुनरीक्षा के बारे में थे। इन मामलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इनकी जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कोयला कम्पनी का नाम	औद्योगिक विवाद का विषय	न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट न करने की तारीख
बी. सी. सी. एल.	1. श्री नारायण रवानी तथा 62 अन्य व्यक्तियों को नियमित करने बाबत औद्योगिक विवाद	30-9-88
यथोक्त	2. धर्मबन्द कोयला खान की लोडर श्रीमती रूप मनझियन को समय पूर्व सेवानिवृत्ति करने बाबत औद्योगिक विवाद।	20-1-89
यथोक्त	3. इन्डस्ट्री कोलियरी के श्री अर्जुन हरिजन की बरखास्तगी बावत औद्योगिक विवाद।	10-8-88
यथोक्त	4. कटरास एरिया के श्री ए. के. मुखर्जी की बरखास्तगी बाबत औद्योगिक विवाद।	11-8-88
यथोक्त	5. गोविन्दनुर कोयला खान की श्रीमती सुगिया कामीन तथा 10 अन्य श्रमिकों को नियोजन से वंचित रखने बाबत औद्योगिक विवाद।	19-1-89
यथोक्त	6. श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा तथा बसुदेव रेवानी की सेवाओं को समाप्त करने बाबत औद्योगिक विवाद।	31-10-88
यथोक्त	7. श्री भजन मांझी तथा अन्य का उपस्थिति रजिस्टर से नाम काटने बाबत औद्योगिक विवाद।	25-4-88
यथोक्त	8. सर्वश्री लाशु मांझी तथा प्रभु मांझी का उपस्थिति रजिस्टर से नाम काटने बाबत औद्योगिक विवाद।	5-5-89

1	2	3
बी. सी. सी. एल.	9. पाथेरडीह कोलियरी के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा श्री ताऊ रजवार का नाम काटने बाबत औद्योगिक विवाद।	12-10-89
यथोक्त	10. सुदामडीह एरिया द्वारा श्री कारखी महतो की अभिकथित समयपूर्व सेवानिवृत्ति बाबत औद्योगिक विवाद।	1-8-89
यथोक्त	11. पूटकी कोलियरी के श्री रामधानी तथा 18 अन्य को मजदूरी न देने बाबत औद्योगिक विवाद।	31-7-89
ई. सी. एल.	1. श्यामपुर "ए" कोलियरी के श्री हरी लाल हंसदा तथा 12 अन्य को नियमित करने बाबत औद्योगिक विवाद।	25-1-90
यथोक्त	2. ईस्ट बस्सुरिया कोलियरी के श्री लखी राम महतो तथा 11 अन्य को नियमित न करने बाबत औद्योगिक विवाद।	16-8-88
यथोक्त	3. श्यामपुर "ए" कोलियरी के श्री रबी लाल मांझी के नियोजन को रोकने बाबत औद्योगिक विवाद।	7-9-89

नोट—अभ्यावेदन 4-4-90 प्राप्त हुए थे।

रावी नदी का बहाव भारत की ओर मोड़ना

10016. **श्री शांताराम पोटदुखे :**

श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के बहाव को भारत की ओर मोड़ने के प्रयास से भारतीय भू-भाग को होने वाले खतरे का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो मानसून प्रारम्भ होने से पहले उक्त स्थिति से निपटने तथा पाकिस्तान की ऐसी चाल द्वारा भारतीय भू-भाग को जलमग्न होने बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) पाकिस्तान की ओर से हाल मे हुई गतिविधि की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजाब सरकार ने पहले पाकिस्तान द्वारा अधिकांशत: 1982-83 में रावी नदी के साथ कुछ स्थानों पर बंधों के निर्माण तथा नदी व्यवहार्यता कार्यों के किए जाने की सूचना दी थी। शुरू किए गये कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिये हमारी ओर की "आबादी" तथा कृषि भूमि के वास्ते पंजाब सरकार द्वारा समय-समय

पर प्रति सुरक्षा उपाय किए हैं। ऐसे कार्यों के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1983 से पंजाब सरकार को 1580 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है। केन्द्र से एक दल ने फरवरी, 1990 में रावी नदी के कुछ पहुंचों का निरीक्षण किया, फ्लैड स्थिति की समीक्षा की और पंजाब सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं।

खसरे का प्रकोप

10017. श्री आर० जीवरत्नम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में खसरा रोग फैलने से अनेक बच्चों की मौत हो गई है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में खसरे के प्रकोप के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ सरकार ने इस संक्रामक रोग के देश के अन्य भागों में फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) 19 अप्रैल से 2 मई, 1990 तक दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में गोमा कुंआ झुग्गी समूह से खतरे के 40 मामले सूचित किए गये थे। 40 बच्चों में से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल, फतेहपुर और देवरिया जिलों में खसरे के प्रकोप होने की सूचना दी गई। तमिलनाडु से खसरे के किसी प्रकोप के होने के बारे में सूचना नहीं मिली है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के रिकार्ड से वर्ष 1989 में जब इसकी 1988 की तदनुरूप अवधि से तुलना की गई आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, अरूणाचल प्रदेश और पांडिचेरी में खसरे के सूचित किए गये मामलों में हुई वृद्धि का संकेत मिलता है। तथापि इस वृद्धि का आंशिक कारण सुधरी हुई रोग निगरानी गतिविधियां भी हो सकती है क्योंकि कार्यक्रम के इस पहलू पर पिछले वर्ष अधिक ध्यान दिया गया है।

(घ) जब कोई खसरे का प्रकोप सूचित किया जाता है तो खसरे को आगे फैलने से रोकने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा रिंग इम्युनाइजेशन किया जाता है। देश में सभी जिलों में वैक्सीन उपलब्ध हैं। यद्यपि कवरेज स्तरों में वृद्धि हो रही है, फिर भी ये अभी अभीष्टतम स्तरों पर नहीं पहुंचे है। खतरे के टीके की मांग एवं स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार प्रयास शुरू किए गए हैं।

"ए लाइफ आफ ग्रेनाइट" शीर्षक से समाचार

10018. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1990 में "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ए लाइफ आफ ग्रेनाइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रवासी श्रमिक अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से बहुत कम मजदूरी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना/रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वस्त्र, पटसन और होजरी एककों द्वारा भविष्य निधि का अंशदान

10019. **श्री राम नाईक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि का मासिक अंशदान 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने से सम्बन्धित कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों से समूचे वस्त्र उद्योग, पटसन कारखानों, होजरी और कृत्रिम रेशम के कारखानों को बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 6 के प्रथम उपबन्ध के सम्बन्ध में दिनांक 17-5-89 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार सिलेसिलाये परिधानों को वस्त्र उद्योग में शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन दोनों उपबन्धों की पुनरीक्षा करने तथा दिनांक 17-5-89 की उक्त अधिसूचना के (i), (ii) और (iii) के अन्तर्गत शामिल उपरोक्त औद्योगिक एककों को छोड़ कर शेष उपरोक्त उद्योगों पर मासिक अंशदान की बढ़ी हुई दरें लागू करने के लिए कदम उठाने का है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सूचित किया गया कि ये उद्योग भविष्य निधि अंशदान की बढ़ी हुई दर के कारण अतिरिक्त वित्तीय दायित्व को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं । अंशदान की बढ़ी हुई दर कपड़ा बनाने वाले कारखानों पर लागू होती है ।

(घ) यह महसूस किया जाता है कि ये कारखाने अंशदान की बढ़ी हुई दर के कारण अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वहन करने की स्थिति में हैं ।

(ङ) जी, हां । पटसन उद्योग के अलावा, कपड़ा उद्योग पर अंशदान की बढ़ी हुई दर को लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

औषधियों की पुनः जांच

10020. **श्री हरिन पाठक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी निर्माताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में औषधियों की पुन-जांच के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादों का ब्यौरा क्या है तथा इस जांच के अन्तिम परिणाम क्या निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी विनिर्माता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा औषधों की पुन: जांच करने की अनुमति नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चण्डीगढ़ में औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन

10021. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जनता को औद्योगिक भूखण्ड आबंटित किए गए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ आवंटितियों को अब तक भूखण्डों का कब्ज़ा नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

10022. **श्री डी० अमात** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त धनराशि से किन-किन राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों हेतु भवन निर्मित किए गए हैं और किन-किन राज्यों में ये परियोजनाएं प्रगति पर है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : बिहार और राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों का निर्माण क्रमश: 1981-87 और 1980-86 के दौरान क्षेत्रीय परियोजना स्कीम के अधीन जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता से किया गया था। इस समय जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता से राजस्थान में क्षेत्रीय परियोजना चरण-II चलायी जा रही है और इस परियोजना मे भी ऐसे ही स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की बात सोची गयी है।

पंजाब में भूमि के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना

10023. **श्री केशरी लाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब की जालंधर छावनी के अन्तर्गत आने वाले काकी पिंड, जोगिन्दर नगर आदि जैसे पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में भी बैनामा/रजिस्ट्री करने के प्रयोजनार्थ भूमि का न्यूनतम मूल्य 5000 रुपये प्रति मरला निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय अचानक किए जाने के क्या कारण हैं, जिसका प्रभाव अधिकांशत: निर्धनों पर पड़ेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज लखनऊ के बारे में शिकायतें

10024. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज लखनऊ के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"हेल्पेज इण्डिया" के वाहनों द्वारा विभिन्न कालोनियों में चिकित्सा सहायता प्रदान करना

10025. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हेल्पेज इंडिया" के वाहन गंदी बस्तियों और पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले गरीब लोगों को चिकित्सा परीक्षण और उपचार प्रदान करने के लिए दिल्ली की कितनी कालोनियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन हेल्पेज इंडिया को प्रतिवर्ष क्रमशः कितनी-कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है;

(ग) क्या हेल्पेज इंडिया ने हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं; और

(घ) इन पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) हेल्पेज इंडिया की गश्ती चिकित्सा यूनिट द्वारा प्रति सप्ताह पहली पाली में सात कालोनियों का दौरा किया जाता है और गरीब-वृद्ध लोगों के चिकित्सा निदान तथा उपचार की व्यवस्था करने के लिए प्रति सप्ताह दूसरी पाली में 6 कालोनियों का इस प्रकार से दौरा किया जाता है :—

पहली पाली : इंद्रपुरी, मदनगीर, पांडव नगर, खुरेजी, शकरपुर, मादीपुर और मंगोलपुरी।

दूसरी पाली : फरीदाबाद, सीलमपुर सीमापुरी (नई और पुरानी), भोलानाथ नगर, सुल्तान पुरी और ज्वालापुरी।

(ख) कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 में दवाइयों, डाक्टरों और अन्य स्टाफ के वेतन और दूसरी पाली के ईंधन और वाहनों के रखरखाव की लागत के 90 प्रतिशत अंश को कवर करने के लिए 3.10 लाख रुपये और वर्ष 1987-88 में 2.97 लाख रुपये की सहायता-अनुदान दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा पहली पाली के लिए वर्ष 1987-88 में 50,000 रुपये का एक ही बार में अनुदान मंजूर किया गया।

(ग) और (घ) हाल ही में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन गश्ती वाहन द्वारा वृद्ध रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निर्धन पुनर्वास कालोनियों का चयन करने से पहले वर्ष 1981 और 1982 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके प्रति अनुक्रिया बहुत ही अच्छी रही है क्योंकि वर्ष 1988-89 के दौरान दूसरी पाली में उपचार किए जाने वाले वृद्ध रोगियों के 20,000 के लक्ष्य की तुलना में 24500 रोगियों का उपचार किया गया चूंकि यह स्कीम वृद्ध रोगियों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी है, अत: धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के 3 महानगरों में गश्ती चिकित्सा यूनिटों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत ईंट उद्योगों को दोहरे कोड नम्बर

10026. श्री लारंग साय : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि पिछले 18 महीनों के दौरान कई ईंट उद्योगों को दोहरे कोड नम्बर जारी किए गए हैं और डी० ए० वी० एजुकेशन सोसाइटी और अन्य प्रबन्धों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विद्यालयों को विभिन्न कोड नम्बर जारी किए गए हैं ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में अधिक संख्या प्रदर्शित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन प्रतिष्ठानों को जिनमें 20 से भी कम कामगार हैं अनुचित तरीके से जबरन और गैर कानूनी ढंग से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ईंट उद्योग में लगे एक प्रतिष्ठान को गलती से दोहरा कोड नम्बर जारी किया गया था। कुछ स्कूलों को भी अलग कोड नम्बर दिए गए हैं क्योंकि वे पृथक लेखा बही रख रहे थे। तथापि डी० ए० वी० एजुकेशनल सोसाइटी के अन्तर्गत काम कर रहे स्कूलों को कोई अलग कोड नम्बर नहीं दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिंधी भाषा

10027. श्री अरविन्द नेताम : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 350-क और 350-ख के अनुसार सिंधी भाषा की उन्नति के लिए और क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) देश में सिंधी भाषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) संविधान के अनुच्छेद 350-क के अनुसार राज्य सरकारों तथा राज्य के स्थानीय प्राधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए समुचित सुविधायें उपलब्ध करानी होती हैं।

अब तक किसी भी राज्य को इस सम्बन्ध में अनुदेश/निर्देश जारी करने का अवसर नहीं आया है।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त संविधान के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करता है।

संविधान में की गयी व्यवस्था के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्टें संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में सिंधी बोलने वालों की संख्या 1,946,278 है। ये आंकड़े परिवार अनुसूची के माध्यम से परिवार में मुख्यत: बोली गयी भाषा पर जनगणना परिगणना के दौरान एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। तथापि उन आंकड़ों में संस्थानिक परिवार शामिल नहीं है परन्तु मकान रहित परिवार शामिल हैं। इन आंकड़ों में असम भी शामिल नहीं है क्योंकि जनगणना के समय विद्यमान अशांत स्थिति के कारण वहां जनगणना नहीं की गयी थी।

बोरियों की खरीद में अनियमिततायें बरतने का आरोप

10028. श्री संजय लाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना, मध्य प्रदेश में टाट की बोरियों की खरीद में बरती गयी अनियमितताओं में एन० सी० सी० एफ० कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारियों का हाथ होने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है; और

(ग) उपरोक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारायणपुर को कुसिला पुल से जोड़ना

[हिन्दी]

10029. श्री राम शरण यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोनबासी-दिआर, राघवपुर, लक्ष्मीपुर, फल्किया, कमला कुण्ड, तिलनगा दिआर से होता हुआ एक बांध बनाकर नारायणपुर को कुसिला पुल से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) नारायण पुर से कुरसेला को जोड़ने की लगभग 13.1 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना बिहार सरकार द्वारा तैयार की गयी है। इस स्कीम पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अगस्त, 1985 में भेजी गयी टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

धारीवाल वूलन मिल्स में वेतनमान

[अनुवाद]

10030. **श्रीमती सुखबन्त कौर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "न्यू एगरटन वूलन मिल्स, धारीवाल" के श्रमिकों के वेतनमान गत बीस वर्षों से संशोधित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का वेतनमानों में कब संशोधन करने का विचार है;

(ग) किसी श्रमिक को मिलने वाला न्यूनतम और अधिकतम मंजूरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मिल में उत्पादकता से जुड़ी वेतन व्यवस्था शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां। फिर भी वर्ष 1977 में वेतन के मुख्य अंश अर्थात महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी थी तथा धारीवाल केन्द्र के उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार रहन-सहन की लागत में हुई वृद्धि निष्प्रभावित की जाती है।

(ख) वेतनमानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मिलों के कामगारों का वेतन ढांचा, स्थापित उद्योग-सह-क्षेत्र के सिद्धान्त पर अन्य ऊनी मिलों के वेतन ढांचे से मिलता-जुलता है।

(ग) कामगारों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(रुपए में)

कामगारों की किस्म	न्यूनतम वेतन	अधिकतम वेतन
अकुशल	822	879
अर्ध-कुशल (ख)	873	884
अर्ध-कुशल (क)	914	921
कुशल (ख)	939	1052
कुशल (क)	1013	1066
अत्यन्त कुशल	1079	1087

(घ) जी नहीं ; मिलों में जहां कहीं भी सम्भव है वहां पर सभी किस्मों के कामगारों के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ उत्पादकता से सम्बद्ध वेतन पहले से ही लागू है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों की खरीद के लिए धनराशि का आवंटन

10031. डा० भगवान दास राठौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 से पहले मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधियों की खरीद के लिए बजट में प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की जाती थी;

(ख) वर्ष 1987 से सभी मेडिकल स्टोरों में प्रति वर्ष "प्रोप्राइटरी" औषधियों की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान वार्षिक खरीद की राशि में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 1983-84 से पहले किया गया धनराशि का आबंटन नीचे दिया गया है :—

1981-82	18.00 करोड़ रुपये
1982-83	15.00 करोड़ रुपये
1983-84	15.00 करोड़ रुपये

(ख) सभी डिपुओं की पिछले तीन वर्षों के लिए स्वामित्व वाली औषधों के खरीद सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1987-88	25,83,49,229 रुपये
1988-89	37,85,19,810 रुपये
1989-90	46,35,05,059 रुपये

(ग) ये कारण मांगकर्ता से प्राप्त हुई मांग और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सम्पूर्ण अपेक्षाओं की सप्लाई करने के निर्णय तथा आपाती अपेक्षाओं और मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं ।

महाराष्ट्र की सूती कताई मिलों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

10032. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी सूती कताई मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान औद्योगिक बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता के लिए कितने आवेदन/अनुरोध भेजे गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों को सहायता दी गयी;

(घ) कितने आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) महाराष्ट्र में 31 सहकारी कताई मिलें प्रचलन में हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 से 1989-90 की अवधि के दौरान आई० डी० बी० आई० को नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए 11 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 3 एककों अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण खेतकारी सहकारी सूत गिरनी लि०, धुले, रेणुका आदिवासी सहकारी कताई मिल लि०, नान्देद और संजय गांधी कपास उत्पादक सहकारी सूत गिरनी लि०, बुलदाना को आई० डी० बी० आई० ने स्वत: ऋण की मंजूरी दी है। 4 एककों अर्थात दरियापुर अंजनगांव सहकारी सूत गिरनी लि०, अमरावती, इन्द्रा सहकारी सूत गिरनी लि०, वर्धा, अकोट तालुक सहकारी सूत गिरनी लि०, अकोला और जल्ना विभाग सहकारी सूत गिरनी लि०, जल्ना को एन० सी० डी० सी०/विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत सहायता की मंजूरी दी जा रही है। बाकी चार एककों अर्थात पनगंगा सहकारी सूत गिरनी लि०, बुलदाना, नलगंगा सहकारी सूत गिरनी लि०, बुल्दाना, यवाल तालुक सहकारी सूत गिरनी लि०, जलगांव तथा श्री हेमवर्ना भवानी माता सहकारी सूत गिरनी लि०, ओसमानाबाद के मामले में आई० डी० बी० आई० द्वारा फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त 11 एककों के अतिरिक्त वर्ष 1987-88 से 1989-90 की अवधि के दौरान यवतमल (पुसाद) स्थित एकक को एन० सी० डी० सी०/विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत पहले से ही सहायता की मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ) आई० डी० बी० आई० ने इस समय ऋण सहायता के लिए बाकी चार एककों के मामले पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

(ङ) एन० सी० डी० सी०/विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत चार एककों के लिए वही शर्तें लागू होती हैं जो कि विश्व बैंक/एन० सी० डी० सी० योजना के अन्तर्गत कृषि उद्योग परियोजनाओं के लिए लागू होती हैं। यह ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का ऋण स्थगन का प्रावधान है। आई० डी० बी० आई० द्वारा 3 मिलों को मंजूर की गयी सहायता सामान्य शर्तों द्वारा संचालित होती है जिसमें 10 वर्षों में 14 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज और ऋण इक्विटी अनुपात 1:1 के साथ पुनर्भुगतान की व्यवस्था है।

बम्बई के मेडिकल छात्रों का प्रवेश रद्द करना

[अनुवाद]

10033. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बम्बई के 50 मेडिकल छात्रों का प्रवेश जिन्हें पहले प्रवेश की मंजूरी प्रदान की गई थी, हाल ही में रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित मेडिकल कालेजों में 19 अतिरिक्त दाखिलों को नियमित करने/मान्यता देने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुरोध किया है :—

1. ग्रान्ट मेडिकल कालेज, बम्बई	10
2. बी० जे० मेडिकल कालेज, पुणे	2
3. राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर	6
4. आई० सी० मेडिकल कालेज, नागपुर	1
कुल	19 (उन्नीस)

भारतीय चिकित्सा परिषद ने उपर्युक्त कालेजों का निरीक्षण किया और उन्होंने माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2-5-1990 को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जब महाराष्ट्र सरकार के वकील ने न्यायालय को यह बताया कि विभिन्न मेडिकल कालेजों में छात्रों को दाखिल करना राज्य सरकार के लिए संभव है और ग्रान्ट मेडिकल कालेज, बम्बई, और राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर में भारतीय चिकित्सा परिषद से अतिरिक्त सीटों की मांग करना आवश्यक नहीं है। अतएव महाराष्ट्र सरकार के वकील ने इस मामले के स्थगन के लिये अनुरोध किया। तत्पश्चात भारतीय चिकित्सा परिषद ने 4-5-1990 को चिकित्सा शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार बम्बई से उन मेडिकल कालेजों के नामों को सूचित करने का अनुरोध किया जिनमें अतिरिक्त छात्रों को समायोजित किया गया है।

सिंचाई के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करना

10034. **श्री एन० जे० राठवा :**

श्री शंकर सिंह बघेला : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त क्षेत्र के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मंजूर कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्ध क्षेत्र में आठवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए गठित कार्य दल ने, देश में जल संसाधन विकास के कार्यक्रम पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आगामी पांच वर्षों के दौरान लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर कमान क्षेत्रों

को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराने का कार्यक्रम सम्मिलित है। तथापि, आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कपड़ा समिति के बाजार अनुसंधान स्कंध द्वारा अध्ययन

10035. श्री कमालुद्दीन अहमद : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा समिति के बाजार अनुसंधान स्कंध द्वारा किये गये अध्ययनों से यह पता चला है कि सिंथेटिक कपड़ा धागा तथा सिंथेटिक युक्त कपड़ों के मिल बाह्य मूल्य तथा इन कपड़ों के खुदरा मूल्यों के बीच बहुत अधिक अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो मिल बाह्य मूल्यों तथा खुदरा मूल्यों में कितना अन्तर है;

(ग) क्या पी० एस० एफ०, एन० एफ० वाई, पी एफ वाई इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई रियायतें उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाई हैं; और

(घ) उत्पाद शुल्क में इन रियायतों को अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) चुनिन्दा किस्मों के वस्त्रों की कीमतों की प्रवृत्ति पर वर्ष 1979 में वस्त्र समिति द्वारा किये गये प्रायोगिक सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह था कि बम्बई के स्थानीय बाजार में चुनिन्दा किस्मों के सिंथेटिक और ब्लेंडिड वस्त्रों के मामले में एक्स-मिल कीमतों और फुटकर कीमतों के बीच व्यापार गुन्जाइश का अन्तर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था। उत्पादन केन्द्रों से दूर तथा दूरदराज के देहाती मामले में व्यापार मार्जिन और लगभग 10 प्रतिशत तक अधिक था। फरवरी, 1990 में एक्स-मिल और फुटकर कीमतों के बीच प्रतिशत अन्तर 39.2 प्रतिशत से 55.1 प्रतिशत के बीच था।

(ग) वर्ष 1988-89 के बजट में दी गई वित्तीय शुल्क की राहत पूरी तरह से उपभोक्ता को नहीं मिली जिसका मुख्य कारण ऐसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना था जिसका इस्तेमाल इन फाइबरों/यार्न के निर्माण के लिए किया जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी शुल्क रियायतें सही उपभोक्ता को मिलें, सरकार समय-समय पर कीमतों की समीक्षा और मानीटरी करती है।

नई दिल्ली स्थित बतरा अस्पताल

10036. श्री ई० एम० एस० पाकीर मोहम्मद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित बतरा अस्पताल एक धर्मार्थ अस्पताल है लेकिन यह जनता से भारी फीस वसूल कर रहा है;

(ख) क्या उक्त अस्पताल ने अपनी दरें सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बढ़ा दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) बतरा अस्पताल को एक धर्मार्थ संघ द्वारा चलाया जाता है, दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम,

1953 के अन्तर्गत पंजीकृत है। निजी अस्पतालों में दरों के संशोधन के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

10037. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच के आदेश कब दिए गए थे और जांच कार्य इस समय किस चरण में चल रहा है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार ने एक मामले में सी० बी० आई० को जांच की अनुमति दे दी है और मामला अभी भी सी० बी० आई० की जांच के अधीन है।

महानगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

10038. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

श्री कैलाश मेघवाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो मांग और उपलब्धता के बीच कितना अन्तर है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे शहरों में और अधिक होस्टलों के निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) महानगरों में होस्टल आवास पाने की इच्छुक कामकाजी महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ग) और (घ) 1990-91 में 3500 कामकाजी महिलाओं को होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। परन्तु इस योजना के अन्तर्गत आबंटन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार नहीं किया जाता। महानगरों में स्थित स्वयंसेवी संगठनों के आवेदन-पत्र सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के माध्यम से प्राप्त होने पर, भारत सरकार उन प्रस्तावों पर विचार करती है।

जामा मस्जिद क्षेत्र के दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान का आवंटन

10039. **श्री बी० एम० बनातवाला** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में आपात-स्थिति के दौरान जामा मस्जिद परिसीमा से हटाए गए सभी दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान आवंटित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अभी भी लम्बित पड़े ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष दुकानदारों को दुकान आवंटित करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 574 पात्र व्यक्ति थे और उनमें से सभी को वैकल्पिक दुकानें/कियोस्क/कियोस्क स्थल आवंटित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कोयले की चोरी

[हिन्दी]

10040. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री गंगा चरण लोधी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए निर्धारित कोयला काले बाजार में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को कितना घाटा उठाना पड़ा ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों की खरीद

[अनुवाद]

10041. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 1990-91 के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीफ खाद्यान्न की खरीद अब तक संतोषजनक रही है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है कि देश में खरीदे गये चावल और गेहूं की मात्रा के भण्डारण की समस्या पैदा न हो जाए; और

(घ) यदि हां, तो बढ़िया फसल को देखते हुए किस सीमा तक खाद्यान्नों के संरक्षण का प्रबन्ध किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) पहली अप्रैल, 1990 को स्थिति के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध चावल और गेहूं का कुल स्टाक क्रमशः 7.91 और 3.65 मिलियन मीटरी टन था जबकि बफर स्टाक नीति के अधीन इनकी आवश्यकता क्रमशः 9.40 और 7.10 मिलियन मीटरी टन थी। खरीफ विपणन मौसम 1989-90 के दौरान 21 मई, 1990 तक कुल 1,0.81 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गयी थी जबकि 1988-89 मौसम में इसी अवधि के दौरान 73.17 लाख मीटरी टन चावल की वसूली की गयी थी। वर्तमान रबी विपणन मौसम 1990-91 के दौरान 21 मई, 1990 तक गेहूं की कुल वसूली 91.43 लाख मीटरी टन तक पहुंच गयी है जबकि रबी विपणन मौसम 1989-90 में इसी अवधि के दौरान 74.93 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गयी थी। वर्तमान खरीफ और रबी विपणन मौसमों के दौरान चावल और गेहूं की रिकार्ड वसूली होने की दृष्टि में, 1990-91 के दौरान खाद्य स्थिति के सुगम हो जाने की सम्भावना है।

1-4-1990 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मौजूदा भण्डारण क्षमता और उसके उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

ढकी हुई क्षमता		स्टाक	उपयोग की प्रतिशतता
अपनी	119.35		
किराये की	56.52	90.59	51.71%
	175.87		
कैप क्षमता			
अपनी	10.73		
किराये की	10.14	6.21	29.77%
	20.87		
कुल जोड़	196.74	96.80	49.39%

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8.23 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की योजना बनायी गयी है—भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4.23 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन तथा राज्य भाण्डागार निगमों, प्रत्येक द्वारा 2.0 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करने की योजना है। अतः भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के वर्तमान स्टाक और वर्तमान खरीफ तथा रबी विपणन मौसमों के दौरान वसूल किए जा रहे स्टाक का भण्डारण और परिरक्षण करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न किस्म की मछलियों की उपलब्धता के बारे में अध्ययन

10042. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गहरे समुद्र में मछलियों की उपलब्धता/उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) आठवीं योजना में इनके निर्यात हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय मत्स्य उद्योग सर्वेक्षण विभाग ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पानी के तले के स्रोतों और समुद्री तूना स्रोतों का गहन सर्वेक्षण किया है। गहरे तरण समुद्री तूना स्रोतों का गहन सर्वेक्षण दक्षिणी पश्चिमी तथा निचले पूर्वी तटों के साथ किया गया। इसके अलावा छालनी द्वारा स्किवडों के लिए प्रयोगात्मक सर्वेक्षण भी किये गये हैं।

(ग) गहरे समुद्री क्षेत्रों से मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं :—

(I) आयात तथा स्वदेशी निर्माण के जरिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों की शुरूआत।

(II) भारतीय कम्पनियों द्वारा किराये पर मछली पकड़ने के विदेशी जलयानों को चलाने की अनुमति देना।

(III) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, प्रसंस्करण और विपणन में संयुक्त उपक्रम लगाने की अनुमति देना।

(घ) आठवीं योजना के दौरान निर्यात के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम ये है :—

(I) कैप्चर फिशरीज का विकास करके निर्यात उत्पादन में वृद्धि करना।

(II) कल्चर फिशरीज द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना।

(III) नयी प्रौद्योगिकी और मूल्य वृद्धि शुरू करना।

(IV) प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता उन्नयन और क्षति में कमी करना।

(V) उत्साहजनक बाजार संवर्धन सम्बन्धी उपाय।

राजस्थान से नौकरी के लिए विदेश गए व्यक्तियों की संख्या

[हिन्दी]

10043. **श्री दौलतराम सारण :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान राजस्थान से कितने व्यक्ति नौकरी के लिए विदेश गए; और

(ख) वे किन-किन देशों में गए ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उन व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित, जिन्होंने विदेशों में नौकरी के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त की, राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है ।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम

10044. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी राज्यों में जिला स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) जी, नहीं ।

2. समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०) के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति विकास खण्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खण्ड तथा शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों तथा वार्ड (वार्डों) में परियोजनाएं आबंटित करने पर विचार किया जाता है। पांच से अधिक (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं वाले प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय आई० सी० डी० एस० सैल उपलब्ध करायी जाती है। इस समय देश के लगभग 40% भाग में आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न भेजना

[अनुवाद]

10045. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब से अन्य राज्यों या नगरों को, चावल और गेहूं कितनी मात्रा में भेजा गया;

(ख) खाद्यान्नों की कितनी मात्रा गंतव्य स्थलों तक पहुंची तथा कितनी मात्रा का रास्ते में नुकसान हो गया;

(ग) इस कारण निगम को कितनी हानि हुई तथा इस हानि के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया; और

(घ) ऐसी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पिछले तीन

वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सभी राज्यों को पंजाब से भेजी गयी गेहूं और चावल की कुल मात्राओं का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	सभी राज्यों को भेजी गयी मात्रा (रेल और सड़क मार्ग द्वारा)		
	गेहूं	चावल	जोड़
1987-88	70.70	54.11	124.81
1988-89	48.82	41.22	90.04
1989-90 (2/90 तक)	45.98	26.09	27.07

(ख) 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त हुए स्टाक के आधार पर विभिन्न राज्यों में गेहूं और चावल की मार्गस्थ हानि की स्थिति नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	गेहूं	प्रतिशतता	चावल	प्रतिशतता
1986-87	2.49	1.71	1.78	1.74
1987-88	2.79	1.91	2.14	1.97
1988-89	1.37	1.29	1.63	1.65

पंजाब से प्रेषित किए गए खाद्यान्नों की मार्गस्थ हानि के बारे में अलग से सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) पंजाब से प्रेषित किए गए खाद्यान्नों की इस प्रकार की हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए जिन कर्मचारियों को दण्डित किया गया था, उनके सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) खाद्यान्नों की मार्गस्थ हानियों को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न पग उठाए हैं। निम्नलिखित प्रमुख पग उठाए गए हैं :—

(1) डिपो रिकार्ड का उपयुक्त अनुरक्षण।

(2) स्टाक की नियमित और कड़ी प्रत्यक्ष जांच।

(3) दस्तों द्वारा निरीक्षण और सतर्कता रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(4) खाद्यान्नों के रेकों, विशेष रूप से पंजाब से पूर्व को भेजे जा रहे वैगनों पर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के दस्ते तैनात करना।

(5) डिपुओं, विशेषतया पूर्वी जोन में स्थित डिपुओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना।

(6) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डिपुओं के आवधिक निरीक्षण में तेजी लाना।

(7) तोल-सेतु लगाना ताकि डिपुओं पर 100% वजन करना सुनिश्चित किया जा सके और वैगनों का वजन करने के लिए इन-मोशन वैगन तोल-सेतु लगाना।

(8) अधिक हानि वाले डिपुओं मामले में एक प्रतिशत और ऐसे डिपुओं के मामलों में जहां हानि पहले ही एक प्रतिशत से कम होती है, वहां एक प्रतिशत से कम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हानियों को घटाकर अत्यधिक न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए प्रयास करना।

(9) बोरियों की मशीन से सिलाई करना।

दिल्ली में बौद्ध विहारों का तोड़ा जाना

10046. **श्री जगपाल सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में कुछ बौद्ध विहारों (पूजा स्थलों) को तोड़े जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मच्छरों के प्रकोप को समाप्त करना

10047. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे प्रमुख नगरों में मच्छरों के प्रकोप को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई सहायता देने का है;

(ग) क्या कोचीन निगम ने कोचीन में मच्छरों के प्रकोप को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता देने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम देश में मलेरिया और फाइलेरिया को नियंत्रित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के मच्छरों से फैलते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मच्छरों की संख्या को कम करके तथा अन्य विभिन्न उपाय करके रोग न फैलने देकर रोग की घटनाओं को कम करना है। दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन शहरी मलेरिया योजना और राष्ट्रीय फाइलेरिया

नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से मलेरिया रोग पर काबू पाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. मच्छरों की जलीय अवस्थाओं का उन्मूलन करने की दृष्टि से पानी के गड्ढों में मच्छर लार्वानाशी तेल/फेन्थियॉन/पेरिसग्रीन/टेमेफोस जैसे रसायनों का इस्तेमाल।
2. संक्रामक मलेरिया वेक्टरों (ये मच्छर मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं) को मारने के लिए मलेरिया के प्रत्येक रोगी के घर में तथा उसके आसपास के 50 घरों में 0.1 प्रतिशत पाइरेथ्रम सत्व का छिड़काव करना।
3. जहां कहीं सम्भव हो लघु इंजीनियरी तरीकों एवं जैव-पर्यावरणिक नियंत्रण तरीकों; जैसे मच्छर पैदा होने वाले स्थानों पर मच्छर-लार्वा खाने वाली मछलियों को रख कर, मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को कम करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों को नकद और सामग्री, दोनों रूपों में, सहायता प्रदान कर रही है और इसे जारी रखा जाएगा।

(ग) और (घ) कोचीन कार्पोरेशन ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा इसके वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी से अनुरोध किया है कि इस कार्पोरेशन को उस क्षेत्र में मच्छरों के नियंत्रण के लिए वृहद योजना (मास्टर प्लान) बनाने में सहायता दी जाए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं कोचीन कार्पोरेशन के बीच इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु

10048. श्री कल्पनाथ सोनकर :

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ ग्रेड और सुपर टाइम स्केल के विभिन्न उप-संवर्गों में सेवारत कितने डाक्टर वर्ष 1990 और 1991 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे;

(ख) क्या वर्ष 1990 में किसी डाक्टर की सेवा अवधि बढ़ाई गई है अथवा उसकी पुन नियुक्ति की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उसकी सेवा अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इससे "फीडर" संवर्गों के डाक्टरों की पदोन्नति के अवसरों और उनके मनोबल पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का संबंध है स्थिति इस प्रकार है :

	1990	1991
सुपर टाइम वेतनमान	6	4
विशेषज्ञ ग्रेड	6	9

(ख) जी, हां। डा० पी० के० कक्कड़, चिकित्सा अधीक्षक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली की 1-?-1990 से एक वर्ष के लिए सेवा बढ़ा दी गई है।

(ग) यह सेवावृद्धि उनके रिकार्ड और व्यावसायिक कुशलता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लोक हित में की गई है।

(घ) और (ङ) अधिकारियों की सेवा वृद्धि अलग-अलग मामलों में लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है।

विदेशों में आयुर्वेद को बढ़ावा

10049. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1990 के "द स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 1000 सोवियत चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद का एक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है;

(ख) अन्य किन-किन देशों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं अथवा आयोजित किए जाएंगे; और प्रत्येक मामले में कितने चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया अथवा किया जाएगा;

(ग) "आयुर्वेद का आरम्भिक पाठ्यक्रम" की रूपरेखा की इसकी महत्वपूर्ण विषय सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार विदेशों में आयुर्वेद के ज्ञान के प्रसार को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मादा भ्रूण गर्भपात

10050. प्रो० सुदर्शन राय चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1984 से अब तक राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मादा भ्रूणों का गर्भपात कराया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार मादा भ्रूण हत्या रोकने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार भ्रूण के लिंग के निर्धारण की प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के प्रयोग

को विनियमित करने तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है।

बंगलौर में "गारडिनल सोडियम" टीकों की अनुपलब्धता

10051. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गारडिनल सोडियम" टीकों का उत्पादन देश में इस समय गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या नवजात शिशु के लिये यह जीवन रक्षक औषध, पिछले दो महीनों से बंगलौर नगर के "निमहान्स" या किसी अन्य अस्पताल में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) देश में फेनोबार्बिटोन के ब्रांड गार्डिनल सोडियम इन्जेक्शन का निर्माण और विपणन मैं० मे एण्ड बेकर लि०, जिसे अब मैं० रान पालेन इण्डिया के नाम से जाना जाता है, द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी की नियुक्ति

10052. **श्री कमल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में म्युनिसिपल कमेटी के क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने वाले किसी प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियम, 1954 के नियम 50(1) में अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) पंजाब में उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने का कार्य किस प्राधिकारी को सौंपा गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) पंजाब राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय प्राधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यापरियों के खिलाफ मुकदमें चलाने का कार्य पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के उद्देश्य

10053. **श्री उत्तम राठौर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी;

(ख) क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं पर प्रति वर्ष कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में की गई थी :

(I) इसकी सभी शाखाओं ने स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के प्रतिमानों का विकास करना ताकि भारत के सभी मेडिकल कालेजों और अन्य सहायक संस्थानों के लिए चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर निरूपित किया जा सके;

(II) स्वास्थ्य कार्यकलाप की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्च कोटि की शैक्षणिक सुविधायें एक स्थान पर जुटाना; और

(III) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना।

(ख) उक्त उद्देश्यों को पूरा किया जा चुका है और यह संस्थान अभी भी आगे प्रगति करने में लगा हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा यथा सूचित पिछले 3 वर्षों के दौरान इस संस्थान पर खर्च किये गये वार्षिक व्यय का वर्ष वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा वर्षवार खर्च किए गए व्यय

(लाख रुपए)

क्र० सं०	उपशीर्ष	1987-88 प्लान व्यय	1987-88 नान प्लान व्यय	1988-89 प्लान व्यय	1988-89 नान प्लान व्यय	1989-90 प्लान व्यय	1989-90 नान प्लान व्यय
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (मुख्य)	567.47	2014.06	715.94	2285.63	615.00	2200.00
2.	अति विशेषतायें	355.05	79.97	548.62	100.83	518.00	188.73

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	डा. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र	60.58	176.23	127.87	203.05	120.00	241.65
4.	रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान	33.03	41.19	18.21	69.38	80.75	84.87
5.	नशा निवारण केंद्र	64.00	—	61.00	—	70.00	—
6.	केंद्रीयकृत दुर्घटना और अभिघात सेवायें	11.84	—	33.03	—	2.50	—

कृपया देखें : वर्ष 1989-90 के दौरान व्यय के आंकड़े आजमायशी हैं।

इस परियोजना को अब दिल्ली प्रशासन को स्थानांतरित किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश में परिवार कल्याण केन्द्र

10054. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उपर्युक्त केन्द्रों के लिये भवन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित की गई केन्द्रीय राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन सेवायें ब्लाक स्तर पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या के लिए और आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्रों मे 20,000 जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, जिला स्तर तथा उप-मण्डलीय स्तर पर प्रसवोत्तर तथा मैदानी क्षेत्रों में 5000 देहाती जनसंख्या के लिए और आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 देहाती जनसंख्या के लिये खोले गए उप केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार इन केन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(I)	ब्लाक स्तर पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	77
(II)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (उपर्युक्त (I) में उल्लिखित ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को छोड़कर)	124
(III)	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	29
(IV)	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र	11

(V) उप-मंडलीय स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र 22

(VI) उप-केन्द्र 1502

(ख) उपर्युक्त केन्द्रों के लिए भवनों एवं उपकरणों की व्यवस्था हेतु अलग से कोई केन्द्रीय धनराशि नहीं रखी जाती।

मान्यताप्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

10055. डा० राम चन्द्र डोम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा राज्य-वार कितने सरकारी मेडिकल कालेजो की मान्यता समाप्त कर दी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कितनी गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता दी गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त नहीं की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निम्नलिखित प्राइवेट मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है :

1. एम० एस० रामय्या मेडिकल कालेज, बेंगलूर	1988 तक दाखिलों के लिए अस्थायी
2. डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बेंगलूर	तौर पर मान्यता दी गई है।
3. कम्पेगौडा आयुर्विज्ञान संस्थान, बेंगलूर	
4. रूरल मेडिकल कालेज, लोनी	पहले बैच के उत्तीर्ण होकर निकलने के बाद तीन वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर मान्यता दी गई/अनुमोदित किया गया।
5. श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पोरूर, मद्रास	1988 के दाखिलों तक अस्थायी तौर पर मान्यताप्राप्त/अनुमोदित (अब सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है)।

नहरों को प्लास्टिक फिल्मों से पक्का करना

10056. श्री जे० चोक्का राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने नहरों को प्लास्टिक फिल्मों से पक्का करने की बात का समर्थन नहीं किया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इसका विरोध किया है जबकि योजना आयोग ने प्लास्टिक फिल्मों द्वारा नहरों को पक्का करने की सिफारिश की है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पक्का करने के कार्य के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक सगठनों को अनुदान

10057. **श्री वसन्त साठे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें महाराष्ट्र के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान अनुदान दिया गया है और उन्हें दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें अनुदान स्वीकृत करने के मानदंड क्या है;

(ग) क्या अनुदान धनराशि का दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वर्ष 1990-91 के लिए कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ङ) जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, वर्ष 1990-91 के दौरान "पुणे जिले के अन्देर मबोल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना" चलाने के लिए सेवाधाम न्यास, पुणे को सहायता अनुदान के लिए 2,42,38?/- रुपये की बजट व्यवस्था तथा "स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में गहन परियोजना" चलाने के लिए के० ई० एम० अस्पताल, पुणे को सहायता अनुदान के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान की गई 8,00,000 रुपये की बजट व्यवस्था में से अब तक कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है। पुणे जिला आंशिक तौर पर महाराष्ट्र की आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत आता है।

(ख) अनुदान उन संगठनों/संस्थाओं को दिया जाता है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 या दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हों और जो स्वैच्छिक प्रकृति की तथा मुनाफा ना कमाती हों तथा सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करती हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

झुग्गी निवासियों के लिए राशन को मात्रा कम करना

10058. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** :

श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं के मामले में पुराने राशन कार्ड धारकों की तुलना में झुग्गी निवासियों को मिलने वाले राशन की मात्रा 50 प्रतिशत कम कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के फैकल्टी सदस्य

10059. **श्री जोरावर राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के फैकल्टी सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह रोस्टर में किए गए प्रावधानों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि इस संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संकाय सदस्य 4.30 प्रतिशत है। इस समय यह रोस्टर केवल सीधी भर्ती के लिए सहायक प्रोफेसर के प्रवेश स्तर पर ही रखा जाता है जो रोस्टर प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप नहीं है। इस संस्थान की शासी निकाय के निर्णय के अनुसार, प्रवेश स्तर (सहायक प्रोफेसर) पर ये पद उनकी विशिष्टता को बताए बिना आरक्षित होते हैं और जिनके लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं और उपयुक्त पाए जाते हैं, उनको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित माना जाता है यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नही होता है तो ये पद सामान्य उम्मीदवारों से भर लिए जाते हैं और यह आरक्षण अगले वर्ष के विज्ञापन में ले जाया जाता है। बहरहाल, इस संस्थान में वरिष्ठ संकाय पदों में कोई भी आरक्षण न तो सीधी भर्ती के लिए किया जा रहा है और न प्रोन्नति के लिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार के लिए सरकार के आरक्षण आदेशों के परिधि से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय पदों को छूट देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना

10060. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओं के मूल्यांकन का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, विशेषकर रोगों की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) किन-किन रोगों की प्राथमिकता के आधार पर रोकथाम करने की आवश्यकता है; और

(च) ये रोग अधिकतर किन राज्यों में पाए जाते हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 1989-90 में 14 योजनाएं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इनमें से कुछ योजनाओं का भिन्न-भिन्न समय पर मूल्यांकन किया गया है।

(घ) इन योजनाओं जिनमें मलेरिया, काला आजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग, दृष्टिहीनता और गिनी-कृमि जन्तुबाधा नियंत्रण की योजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों को समय-समय पर विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ङ) संचारी रोगों के नियंत्रण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल की गयी इन सभी बीमारियों की रोकथाम प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है।

(च) मलेरिया, क्षयरोग और दृष्टिहीनता थोड़े-बहुत अन्तर से सभी राज्यों में व्याप्त हैं। काला आजार बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में व्याप्त है। जापानी एन्सेफेलाइटिस के अधिक मामले आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं। फाइलेरिया के अधिक रोगी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए गए हैं। अधिकतर कुष्ठरोगी तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं जबकि गिनी-कृमि जन्तुबाधा से प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं।

विवरण

(क) से (च) 1989-90 में निम्नलिखित 14 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं थीं :—

1. चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाना।
2. राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा।
3. बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
4. विशेषज्ञों और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण औषधालयों में प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
7. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

8. राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

9. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (जिसमें कुष्ठ सर्वेक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण योजना के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान तथा 105 लाख रुपये की विदेशी सहायता भी शामिल हैं)।

10. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (जिसमें सीडा सहायता के अन्तर्गत 250 लाख रुपये की नोशनल वृद्धि भी शामिल है)।

11. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (जिसमें डेनिडा सहायता के अन्तर्गत 145 लाख रुपये की नोशनल वृद्धि भी शामिल है)।

12. गिनी-कृमि उन्मूलन कार्यक्रम।

13. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता।

14. भारतीय चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों (जिनमें जड़ी-बूटी फार्म, औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि भी शामिल हैं) के विकास के लिए सहायता।

लच्छीदार धागे के मूल्य में कमी

10061. **श्री सुधीर गिरि :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और कताई मिलों के बीच लच्छीदार धागे के मूल्यों में कमी करने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्योरा क्या है?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) उचित और स्थिर कीमतों पर हथकरघा बुनकरों को हैंकयार्न की सप्लाई के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए कताई उद्योग के प्रमुख एसोसिएशनों और परिसंघों के प्रतिनिधियों के साथ वस्त्र मंत्री द्वारा ली गयी एक बैठक में मार्च, 1990 में उत्तरार्द्ध के दौरान प्रचलित हैंक यार्न की कीमतों को 5 प्रतिशत कम करने और कीमतों के कम किए गए इस स्तर को सितम्बर, 1990 के अन्त तक बनाए रखने के लिए सहमति दी गई थी। हैंक यार्न कीमत मानीटरी समिति अक्तूबर, 1990 से लागू की जाने वाली कीमतों के स्तर के सम्बन्ध में जुलाई, 1990 में समीक्षा करेगी।

उदयपुर अस्पताल में "कैट स्कैनर" मशीन लगाने के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

10062. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ताकि राज्य में उदयपुर अस्पताल में न्यूरो-सर्जरी हेतु खोपड़ी का एक्स-रे करने के लिए "कैट स्कैनर" मशीन उपलब्ध करायी जा सके;

(ख) क्या उदयपुर डिवीजन आदिवासी बहुल क्षेत्र है;

(ग) यदि हां, तो क्या सस्ते और सही इलाज के लिए यह मशीन अविलम्ब जरूरी है; और

(घ) यदि हां, तो यह मशीन वहां कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) कैट स्केनर मुख्यतया रोग निदान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है न कि उपचार करने के लिए । केन्द्र सरकार का उदयपुर अस्पताल में कैट स्केनर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वैसे भारतीय जापानी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एस० एम० एस० मैडिकल कालेज, जयपुर में एक ऐसी मशीन लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

महाराष्ट्र में नसबन्दी

[अनुवाद]

10063. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में कितने व्यक्तियों की नसबंदी की गई;

(ख) किन-किन जिलों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए;

(ग) क्या इसके लिए कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को इस प्रोत्साहन से वंचित रखा गया अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) महाराष्ट्र राज्य से मिली नवीनतम सूचना के अनुसार महाराष्ट्र मे अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान नसबन्दी किए गए व्यक्तियों की संख्या 5,26,457 है ।

(ख) 1989-90 के दौरान बारह जिलों—रायगढ़, रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, नासिक, जालना, नान्देड़, लतूर, ओस्मानाबाद, परभनी, बुल्डाना, भण्डारा और चन्द्रपुर में नसबन्दी के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं ।

(ग) और (घ) मजदूरी के हानि स्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान करने के अलावा, एक या दो लड़कियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले चुनिन्दा आयु वर्ग के स्वीकारकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने की एक योजना है । किसी भी स्वीकारकर्ता को इन लाभों से वंचित नहीं किया गया है ।

चिकित्सा परिषद अधिनियम

10064. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) बिल, 1987 पर विचार किया है ने जुलाई, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार संसद द्वारा बिल पर विचार करने और पास करवाने के लिए यथाशीघ्र आगे कदम उठायेगी। इस बिल की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपबन्ध भी शामिल हैं:—

(i) नया मेडिकल कालेज खोलने, मौजूदा मेडिकल कालेजों की सीटों को बढ़ाने अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा ऊंचा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(ii) भारत में प्राथमिक चिकित्सा अर्हता परिभाषित की गई है जो इस समय एम० बी० बी० एस० है।

(iii) भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में चिकित्सकों के पंजीकरण का समय-समय पर नवीकरण किया जायेगा।

(iv) चिकित्सा रजिस्टर से नामों को हटाने के लिए राज्यों की नीति समिति और मूल प्राधिकरण के रूप में लगाये गये दण्डों के मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में एक नैतिकता एवं अनुशासन समिति की स्थापना की जा रही है।

(v) कैपिटेशन फीस को समाप्त किया जा रहा है और इस उपबन्ध का उल्लंघन करना दण्डनीय होगा। यह परिषद चिकित्सा कालेजों के छात्रों की ट्यूशन फीस और अन्य फीसें निर्धारित भी कर सकेगी।

(vi) मान्यता प्राप्त विदेशी चिकित्सीय अर्हताएं रखने वाले छात्रों द्वारा चिकित्सीय प्रैक्टिस की अनुमति के लिए इस परिषद द्वारा एक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी।

रोगों के उपचार में कैक्टस और सक्यूलेंट पौधों का उपयोग

[हिन्दी]

10065. **श्री राजवीर सिंह** :

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैक्टस और सक्यूलेंट पौधे कैंसर, गठिया, मधुमेह और यौन-सम्पर्क से फैलने वाले रोगों के उपचार के बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं;

(ख) क्या इन रोगों के उपचार में कैक्टस और सक्यूलेंट पौधों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए इन पौधों पर कोई प्रयोग किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) औषध ग्रन्थों के अनुसार, कैक्टस को दवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तथापि, सक्यूलेंट पादपों, कुमारी और स्नूही को चरक के समय से ही दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। चरक संहिता यह बताती है कि स्नूही मधुमेह में लाभकारी है।

(ख) और (ग) जिन दो प्रमुख कैक्टस पादपों को चिकित्सा की विभिन्न देसी पद्धतियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन पर कतिपय भेषज विज्ञान सम्बन्धी तथा क्लीनिकल अध्ययन किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(i) स्नूही (यूफोर्बिया नेरी फोलिया)

(ii) मुसब्बर (इंडियन ऐलोज)

स्नूही का वनस्पति-दूध क्षारसूत्र का एक मुख्य संघटक है और यह क्षारसूत्र एक आयुर्वेदिक औषध-युक्त धागा होता है जिसका इस्तेमाल बिना आपरेशन के भगन्दर (अनल फिस्टुला) का इलाज करने के लिए किया जाता है। कुमारी के सम्बन्ध में (पशुओं पर किए गए अध्ययनों के आधार पर) यह बताया गया है कि इसमें प्रजनन-रोधी और घाव को भरने के गुण होते हैं। पशुओं में रक्त शर्करा को कम करने में भी कुमारी प्रभावकारी बताई गई है।

क्षारसूत्र की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में किए गए क्लीनिक परीक्षणों से अब तक प्राप्त हुए परिणामों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परम्परागत चिकित्सा

परम्परागत चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलाप सातवीं योजना अवधि के दौरान फिर से चालू किए जाने से परिषद ने एक रोगोन्मुख पद्धति अपनाई है जो परम्परागत औषधोन्मुख पद्धति के समान है। जैसे कि पहले बताया गया है, सातवीं योजना के दौरान एक समन्वित एकीकृत अध्ययन के लिए प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्र लिए गए थे। ये क्षेत्र हैं : जैसे भगन्दर, फाइलेरियासिस, वाइरस यकृत-शोथ, मूत्राश्मरता, मधुमेह तथा श्वसनिका दमा।

एक एकीकृत, समन्वित कार्यनीति तैयार की गई थी जिसमें क्लीनिकल तथा प्रयोगात्मक दोनों अध्ययनों के लिए बहु-शास्त्रीय प्रयास किए गए। जहां अधिकतर क्लीनिकल प्रयोग प्रकृति में बहु-केन्द्रक तथा दोतरफा हैं, वहां प्रयोगात्मक अध्ययन (रासायनिक, भेषज गुण विज्ञान तथा विष विज्ञान) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थापित परम्परागत चिकित्सा सम्बन्धी उन्नत भेषज गुण विज्ञान अनुसंधान केन्द्र मे किए जा रहे हैं।

क्लीनिकल परीक्षण एक समान नयाचार तथा प्रोफोर्मा पर आधारित हैं जो कि क्लीनिकल, भेषजगुण विज्ञान तथा जीव सांख्यिकी विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी विशेषज्ञों के घनिष्ठ परामर्श से तैयार किए गए हैं।

भगन्दर के इलाज के लिए क्षार सूत्र तकनीक

क्षार सूत्र तकनीक (शल्य विज्ञान की तुलना में) के नाम से विख्यात नान-सर्जिकल तकनीक पर क्लीनिकल प्रयोग इस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा और सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई के शल्य चिकित्सा विभागों में चल रहे हैं। क्षारसूत्र तकनीक में औषधयुक्त धागा उपयोग में लाया जाता है जिस पर कैक्टस पौधे की स्नूही जाति के वनस्पति दूध, अपामार्ग के

क्षार ओर हल्दी के चूर्ण का लेप चढ़ा होता है। यह धागा मलमार्ग में डाला जाता है और इसी स्थिति में एक हफ्ते तक रहने दिया जाता है। जब तक मलमार्ग का व्रण पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक साप्ताहिक अन्तरालों पर इस धागे की जगह नया औषधयुक्त धागा डालते रहते हैं। रोगी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह धागा डाक्टर द्वारा बहिरंग रोगी विभाग में ही डाला जा सकता है या एक अच्छी प्रशिक्षित नर्स भी इस धागे को डाल सकती है। धागे को धारण किए हुए भी रोगी अपना सामान्य कार्य कर सकता है।

अब तक जिन रोगियों पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उनकी कुल संख्या (सभी चार केन्द्रों को मिलाकर) 402 है। इनमें से 205 रोगी क्षारसूत्र समूह तथा 197 का शल्य चिकित्सा समूह में या दृच्छिकरण किया गया था। क्षारसूत्र समूह के जिन रोगियों ने एक वर्ष का अनुवर्ती उपचार (सभी केन्द्रों के रोगियों को मिलाकर) पूरा कर लिया है उनकी संख्या 102 है जबकि शल्य चिकित्सा समूह के ऐसे रोगियों की संख्या 92 है। अब तक क्षार सूत्र समूह में फिर से रोग होने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है जबकि शल्य चिकित्सा समूह में रोग के फिर से होने की 8 घटनाएं सूचित की गई हैं। सभी केन्द्रों से मिले परिणाम समान रूप से उत्साहवर्धक हैं। मलमार्ग के ठीक होने के मूल्यांकन से क्षारसूत्र समूह के मामले में सफलता दर 94 प्रतिशत तथा शल्य चिकित्सा समूह के मामले में 89 प्रतिशत है। भगन्दर पर किए गए यादृच्छिक समूहों के सभी प्रयोगों के आंकड़े इकट्ठे किए जायेंगे और जैसे ही भगन्दर के लक्षित 500 रोगी उपचार कोर्स पूरा कर लेंगे (जिसमें भगन्दर के ठीक हो जाने के बाद एक वर्ष का अनुवर्ती उपचार भी शामिल है), उनका सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण किया जाएगा।

औद्योगिक एककों द्वारा भविष्य निधि का निवेश

[अनुवाद]

10066. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एककों द्वारा भविष्य निधि के निवेश के सम्बन्ध में उद्योगों पर किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ख) इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इसका बेहतर ढंग से निवेश करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) (क) कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश करना होता है। पहली अप्रैल, 1986 से लागू निवेश पैटर्न नीचे दिया गया है :—

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार की गारन्टीशुदा प्रतिभूतियां	—15%
(ii) विशेष जमा योजना	—85%

(ख) कुल मिलाकर, विद्यमान निवेश पैटर्न लगभग 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष का लाभ (रिटर्न) प्रदान करता है। विद्यमान निवेश पैटर्न में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में केरल का आदर्श

10067. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शत-प्रतिशत सफलता मिली है;

(ख) क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए केरल का आदर्श अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों के लिए परिवार नियोजन के तरीकेवार लक्ष्य हर वर्ष नियत किए जाते हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान केरल ने चारों परिवार नियोजन तरीकों के पूरे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) और (ग) परिवार नियोजन स्वीकार्यता स्तर कई बातों पर निर्भर करता है। यद्यपि राज्यों को कुछेक सुविधाएं एक जैसे प्रतिमान के आधार पर दी जाती हैं, तथापि राज्यों को क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियां, जो उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुकूल हों, विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूखण्डों का आवंटन

10068. **श्री नकुल नायक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के निर्वाचित सदस्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंड प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने सदस्यों को भूखंड दिये गये हैं और आज तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) आवंटितियों को भूखंड न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 2-1-79 से पूर्व, महानगर परिषद के सदस्यों, दिल्ली नगर निगम के पार्षद और छावनी बोर्ड तथा नई दिल्ली नगर पालिका के गैर-सरकारी सदस्यों को भू-खंड आवंटित करने के लिए 2½% का आरक्षित कोटा था।

(ख) और (ग) इस कोटे के अन्तर्गत विभिन्न सदस्यों को 41 भू-खंड दिए गए थे और 2-1-79 से इस कोटे के समापन के कारण 8 मामलों में ऐसा नहीं किया गया था।

संसाधित खाद्य-पदार्थों में योज्य खाद्य-पदार्थों का प्रयोग

10069. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसाधित खाद्य-पदार्थों में विभिन्न योज्य, खाद्य-पदार्थों के प्रयोग के कारण बच्चों की सक्रियता में वृद्धि होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योज्य खाद्य-पदार्थों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त खाद्य-पदार्थ तथा पोषण पर विचार करने वाली वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में योज्य खाद्य-पदार्थों के कुप्रभावों के सम्बन्ध में अध्ययन आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को, बच्चों को शरारती, आक्रामक और उदंड बनाने में योज्य खाद्य-पदार्थों के प्रभाव के बारे में दक्षिण अफ्रीका के हाइपरेक्टीवली, एसोसिएशन द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य की जानकारी है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत अनुमत विभिन्न खाद्य योगज सुरक्षित हैं और बच्चों में अतिसक्रियमयता उत्पन्न करते प्रतीत नहीं होते। भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले बच्चों में अतिसक्रियमयता का कोई दृष्टांत ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) देश के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जब कभी आवश्यकता होती है, योगजों के प्रभाव के बारे में अवश्य अध्ययन करते हैं।

(घ) भारत सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

रुग्ण पटसन उद्योग

10070. **श्री चित्त बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग तेजी से रुग्ण होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को रुग्ण होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतिकूल व्यापार की परिस्थितियों के फलस्वरूप असंतुलन और लागत-कीमत ढांचे के मुख्य कारण से अनेक पटसन मिलें रुग्ण हो गयीं। जबकि कच्चे माल, विद्युत और प्रत्यक्ष निविष्टियों की लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर भी मन्द मांग के कारण बिक्री वसूली कुल मिलाकर के बढ़ रही लागत के बराबर नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण सिंथेटिक प्रतिस्थापनों से स्पर्धा होने की वजह से पटसन के माल की घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में ही मांग का कम होना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पटसन उद्योग का नवीकरण करने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय शुरू किए हैं जिनमें शामिल हैं :—

(1) 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना शुरू करना।

(2) पटसन क्षेत्र में विभिन्न अभिज्ञात कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रु० की विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना।

(3) खाद्य, अनाज, सीमेंट, उर्वरक और चीनी जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पटसन के सामान का अनिवार्य प्रयोग करने के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश जारी करना।

(4) तीन वर्षों के लिए विभिन्न विविधीकृत पटसन उत्पादों पर क्रमश: 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से घरेलू बिक्रियों पर तथा निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता देने के लिए आई०एम०ए० तथा ई० एम० ए० योजनाएं शुरू करना।

(5) 31-12-1990 तक उन्नत प्रौद्योगिकी की कुछ मशीनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना।

(6) विनिर्माताओं और व्यापारी निर्यातकों दोनों को लगभग सभी पटसन उत्पादों के निर्यात पर 12 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता की मंजूरी देना।

(7) बाजार कीमत से अलग लागत-सह-कीमत निर्धारण फार्मूले के आधार पर खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन बोरों की खरीद:

(8) छूट प्राप्त कीमतों पर हैसियन और सैकिंग का विश्व-व्यापी निविदाओं के आधार पर पटसन के माल के निर्यात पर जे० एम० डी० सी० और एस० टी० सी० को हुए समस्त घाटों में साझेदारी।

(9) पटसन उद्योग द्वारा उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों के अनुसार अनेक विविधीकृत पटसन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की छूट।

चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

10071. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी मार्ग निर्देशों/चिकित्सा नियमों के अनुसार पुलिस द्वारा अचेतन/चेतन अवस्था में भर्ती किये गये रोगियों के लिए दिल्ली में सिविल अस्पतालों में चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगता है;

(ख) क्या उपरोक्त चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्ट सम्बन्धित अस्पताल द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस चिकित्सीय कानूनी मामले सम्बन्धी रिपोर्ट को सम्बन्धित पुलिस स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगता है;

(घ) क्या सम्बन्धित रोगियों की आपात स्थिति में लिये गये एक्सरे की रिपोर्ट तैयार होने में देरी होती है; और

(ङ) नवम्बर और दिसम्बर, 1989 के दौरान दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आपात स्थिति में लिये गये एक्सरे की रिपोर्ट तैयार करने में 72 घंटे से अधिक समय के विलम्ब होने के मामलों का ब्योरा क्या है; और प्रत्येक मामले में विलम्ब के कारण और औचित्य क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत करघा एककों के लिए सहकारी समितियां

10072. **श्री बी० एस० बासवराज :**

श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु विद्युत करघा एककों की संयुक्त खरीद, संयुक्त संसाधन एवं संयुक्त निर्माण के लिए सहकारी समितियां बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विद्युत करघा सहकारी समितियां बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उनकी शेयर पूंजी में अंशदान दें ताकि विद्युत करघा क्षेत्र को वित्तीय सहायता तथा विपणन सुविधाएं देने की व्यवस्था को सुकर बनाया जा सके।

जोखिमपूर्ण औषधों का विपणन

100‾3. **श्री मानवेन्द्र सिंह :**

प्रो० राम गणेश कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कौन-सी औषधों का विपणन हो रहा है, जो अन्य देशों में जोखिमपूर्ण और खतरनाक पाई गई है;

(ख) किन देशों में इन औषधों के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने पर रोक लगा दी गई है; और

(ग) भारत में इन औषधों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) विश्व के कुछ देशों में वापस ले ली गई बताई गई 44 औषधों में से 7 औषधों को चिकित्सा विशेषज्ञों/विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से देश में निरन्तर विपणन की अनुमति दे दी गई है। इन सात औषधों के नामों के साथ-साथ उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये है, जिनमें ये औषधें वापस ले ली गई है।

(ग) उपर्युक्त सात औषधों की निरन्तर बिक्री करते रहने की अनुमति देने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से एक विवेकपूर्ण निर्णय, जैसा कि विश्व के अनेक देशों ने किया है, इस शर्त पर लिया गया है कि कुछ मामलों में पैकेट के लेबल पर और उसमें रखी पर्चियों पर एक चेतावनी तथा विपरीत प्रभावों का उल्लेख किया गया हो।

विवरण

उन देशों के नामों का विवरण जिनमें इन औषधों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, और जिनमें बेची जा रही हैं।

भेषज संहिता स्तर और उपचारात्मक संकेत

क्र० सं०	औषध का नाम	उपचारात्मक संकेत	भेषज संहिता-स्तर	जिन देशों में बेची जा रही है	जिन देशों में वापिस ले ली गई हैं, बेची नहीं जा रही हैं
1	2	3	4	5	6
1.	हाईड्रॉक्सीक्विनोलाइंस एंट्रोक्विनॉल, इंटेस्टोपॉन आदि	अमीबी अतिसार और पेचिश	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 में राजकीय यूनाइटिड स्टेट्स भेषज संहिता संस्करण में राजकीय;	आस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको सहित 34 देश	जापान, ग्रीस, नार्वे, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, साइप्रस, नेपाल, इटली, बंगलादेश, स्पेन, जिम्बाबे
2.	फेनफॉर्मिन (डी० बी० आई०)	मधुमेह विकारों के उपचार के लिए	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 में राजकीय	आस्ट्रिया, इटली, बेंजुओला	संयुक्त राज्य अमेरिका, नार्वे, तुर्की, आस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, साइप्रस, नार्वे, डेनमार्क, यमन, अरब, यू०के०, फिनलैंड, स्वीडन

1	2	3	4	5	6
3.	नाइट्रोफ्यूरेन				
	(क) (फ्यूरो फ्यूराजोलिडोन)	(क) जीवाणुज मूल के अतिसार जठरांत्रशोथ के उपचार के लिए निर्दिष्ट	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 में राजकीय	फ्रांस, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, यू०के०, ग्रीस, इटली, मेक्सिको, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड सहित 40 देश	जापान
	(ख) फ्यूरेसिनक्रीम	(ख) स्थलीय उपरिस्थ घावों, दग्ध (बर्न्स) और त्वचा संक्रमणों के लिए प्रयुक्त			
4.	लाइनोस्ट्रॉनाल (उच्च खुराक) आर्गेमेट्रियल आर्येस्ट्रिन	मासिक धर्म सम्बन्धी विकारों के लिए	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 में राजकीय	आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, मेक्सिको, इटली, स्पेन, जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बंगलादेश सहित 78 देश	आस्ट्रेलिया
5.	पिपरजाइन (एंटोपोर)	पाए गए वार्म और थ्रेड वार्म इंफेस्टेशन्स के उपचार हेतु	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 में राजकीय	यू०के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, और अन्य देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य सूची	स्वीडन, नीदरलैंड, इटली

1	2	3	4	5	6
6.	(क) ऑक्सीफेनबुटाजोन (सुगनरिल)	आर्थराइटिस और हड्डियों और स्नायु की सम्बद्ध अवस्था के लिए	ब्रिटिश भेषज संहिता, 1980 और यू० एस० पी० XX में राजकीय	इटली, यू०एस०ए०, आयरलेंड, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, स्विटजरलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया आदि	नार्वे, यू०के०, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, फिनलैंड, जार्डन
	(ख) फिनाइलबुटाजोन (बोर्लेडिन)	—तदैव—	—तदैव—	फिनलैंड, यू०के०, इटली, यू० एस०ए०, आयरलैंड, पोलैंड, स्विटजरलैंड आदि	नार्वे, यू० ए० ई० और जार्डन
7.	एनलजीन(डिपाइरोन) (नावलजीन)	वेदना, ज्वर, रूमेटिज्म साइएटिका और न्यूरेल्जिया के उपचार के लिए	यू० एस० एस०आर० भेषज संहिता और भारतीय भेषज संहिता द्वितीय संस्करण मे राजकीय	यू०एस०एस०आर०, मेक्सिको, ब्राजील, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड आदि	आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, यू० एस० ए०, डेनमार्क, जार्डन, सिंगापुर, साउदी अरब, नार्वे, बंगलादेश, ग्रीस।

पुनपुन नदी पर मोटेपुर बांध

[हिन्दी]

10074. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पटना, जहानाबाद और नालन्दा जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चन्दोस के निकट पुनपुन नदी पर मोटेपुर बांध का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) केन्द्र में मूल्यांकन हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोन नहर को पक्का करने हेतु वित्तीय सहायता

10075. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सोन नहर को पक्का करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना को विश्व बैंक द्वारा निधियां देने हेतु प्रस्तुत किया गया था किन्तु राज्य सरकार ने इस परियोजना को सुवर्ण रेखा सिंचाई सोपान-दो (रिपीटर) परियोजना के बाद दूसरी प्राथमिकता दी है। इसके साथ-साथ, वार्षिक राज्य योजनाओं से अपर्याप्त बजट सहायता के कारण इस परियोजना को योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

बांधों का निर्माण

10076. श्री हीरा भाई : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूंगरपुर कमला बांध का निर्माण करने तथा सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में तालाबों और बांधों के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में बांधों का निर्माण करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सोम कमला सिंचाई परियोजना, जिसमें डूंगरपुर जिले में कमला अम्बा गांव के पास सोम नदी पर एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है, निवेश स्वीकृति के वास्ते योजना आयोग के पास है।

दिल्ली में मिलावटी औषधों की बिक्री

10077. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में खुलेआम मिलावटी औषधियों की बिक्री की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत कितनी निजी कम्पनियों और दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(ग) दिल्ली में इस समय मिलावटी औषधों की जांच के लिए कितनी प्रयोगशालाएं हैं;

(घ) यदि ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने पिछले वर्ष छापा मार कर पकड़ी गई मिलावटी औषधों के नाम तक बताने से इन्कार कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ मामले ध्यान में आये हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में औषधों की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन की अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है लेकिन दिल्ली प्रशासन का संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में खाद्य और औषधों की जांच के लिए एक संयुक्त प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली औषधों का व्यापार करने वाले जिन व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनका ब्योरा

क.सं.	दोषी का नाम तथा पता	औषध का नाम और बैच संख्या	जिसके द्वारा विनिर्माण का दावा किया गया	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		1987-88		
1.	आनन्द स्वरूप अग्रवाल, मालिक मैं० अग्रवाल आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड जनरल स्टोर, त्रिनगर, दिल्ली	अशोका लिक० एक्सटं० आई० पी० बैच सं० 210	मैसर्स सिविल ड्रग लैब० दिल्ली	मुकदमा चलाया गया
2.	रामचन्द्र, भागीदार मैं० सोनू पैकर, सदर बाजार, दिल्ली	सफेद गोलियां एम्बोस्ड "बेयर" बैच सं० का उल्लेख नहीं	लेवल नहीं लगा था	तदेव
3.	(I) शम्भू दयाल, (II) रोशन लाल (III) मैं० शम्भू दयाल रोशन लाल कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली	(क) अशोक लिक० एक्सटं० आई० पी० बैच सं० 009 (ख) बेहल लि० एक्सटं० आई० पी० बैच सं० 59	मैं० सिविल ड्रग लेबोरेट्री दिल्ली	तदेव

1	2	3	4	5
		1988-89		
4.	सत्यदेव प्रकाश श्रीवास्तव, बी-44 सैंट्रल मार्किट, मदनगीर, नई दिल्ली एवं अन्य	कंप० एम्पिसिलिन बैच सं० 2852	मैं० स्मिथ स्टेनस्ट्रीट लि० कलकत्ता	मुकदमा चलाया गया
5.	रजिन्द्र सिंह तोमर एवं मैं० सुनीता सेल्स कार्पोरेशन, मजलिस पार्क, दिल्ली	(क) क्लोरमफेनिकॉल कंप० आई० पी० बैच सं० 308 (ख) डिफेनहाइड्रमिन एच० सी० एल० कैप्स० आई० पी० बैच न का उल्लेख नहीं (ग) तदेव	मैं० विजया लेबोरेट्री, लखनऊ	तदेव
6.	इन्दर मोहन सिंह बलजीत नगर, नई दिल्ली	स्वाद गोलियां (आयुर्वेदिक औषधि) बैच नं० अलग-अलग	मैं० पनामा कैमिकल वर्क्स इन्दौर	तदेव
		1989-90		
7.	दवेश कुमार राजौरा, गली नं० 8 मकान नं० 511, मूंगा नगर दिल्ली-93	टेट्रासाइक्लिन कंप० आई० पी० बैच सं० 22	मैं० हाइको फार्मा, 21 सैमूअल स्ट्रीट (बम्बई-02)	तदेव
8.	अशोक कुमार छाबड़ा, एवं किशन लाल छाबड़ा, मैं० छाबड़ा मेडिकोज, आजाद मार्किट, दिल्ली तथा अन्य	टेट्रासाइक्लिन कं० आई० पी० बैच सं० 006	मैं० साइपर फार्मा, नई दिल्ली	तदेव
9.	चन्दरवीर सिंह, मालिक मैं० मूलचंद मेडिकोज, जौहरीपुर गांव, दिल्ली।	क्लोरमफेनिकॉल कंप० आई० पी० बैच सं० 1140	मैं० हेवेल फार्मास्यूटिकल्स, बहादुरपुर, हरियाणा	तदेव

स्वयंसेवी संगठनों को मकान किराया भत्ता

[अनुवाद]

10078. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण केन्द्रों का संचालन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को बहुत ही कम दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किराया वापसी की दरें बढ़ाई जा रही हैं; यदि हां, तो इस वृद्धि को किस तारीख से लागू किया जा रहा है; और

(घ) क्या उन भवनों के मालिक, जिनमें परिवार कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं, उन केन्द्रों को चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों पर अपने भवन खाली करने हेतु दबाव डाल रहे हैं; यदि हां तो इस प्रयोजन हेतु राज्यों को विशेष सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीं सरकार किराये के भवन जहां स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाए जा रहे टाइप-III के शहरी परिवार कल्याण केन्द्र स्थित हैं, के किराए के लिए सहायता प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए 3000/- रुपये वार्षिक की सीमा का निर्धारण किया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सीमा नहीं बढ़ाई गई है।

(घ) इस मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

आंध्र प्रदेश में गन्ना विकास निधि ऋण का उपयोग

10079. **श्री एम० बागा रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान आंध्र प्रदेश में सहकारी, सहकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित चीनी मिलों के लिए गन्ना विकास निधि के लिए कितनी धनराशि मन्जूर की गई;

(ख) इन क्षेत्रों को पहली, दूसरी और तीसरी किश्तों में कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इसका उपयोग किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) चीनी विकास निधि अधिनियम वर्ष 1982 में बनाया गया था और चीनी विकास निधि नि 1983 में तैयार किए गए थे। अत: आंध्र प्रदेश में गन्ने के विकास के प्रयोजन हेतु 1977-78 और 1978-79 में इस

विधि से धनराशि मन्जूर करने और निमुंक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वाणिज्यिक और आवासीय अपार्टमेंटस की बिक्री

10080. श्री रेशम लाल जांगडे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौराम दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाणिज्यिक और आवासीय आर्टमेंटस की सर्वप्रथम बिक्री के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) अब तक कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है और ऐसे अन्य आवेदनों को मंजूरी प्रदान करने के बारे में क्या योजना है;

(ग) कितने आवेदनों पर आपत्तियां की गई हैं;

(घ) क्या इन मामलों के निपटान में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 13(1) (क) और (ख) का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई चीनी नीति

10081. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी को फैक्ट्रियों और चीनी के मूल्य आदि के सम्बन्ध में नई नीति बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक घोषण की जायेगी; और

(ग) इस नीति का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष लेवी चीनी निकासी के मूल्य अधिसूचित करती है। वर्तमान वर्ष 1989-80 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य सा० का० नि० सं० 36(ई)/आ० व०/चीनी, दिनांक 27 जनवरी, 1990 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनकी एक प्रति 14-3-1990 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा यूरिया की बिक्री

10082. श्री बाबूभाई मेघजी शाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बिक्री हेतु निविदायें आमंत्रित करके यूरिया और अन्य उर्वरकों की घटी दरों पर बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान इस प्रकार की गई बिक्री का ब्योरा क्या है; और

(ग) उर्वरक खरीददारों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) "केन" के अलावा दुरुस्त उर्वरकों की टेंडर बिक्री अप्रैल, 1989 और इसके बाद से शुरू हुई। मार्च, 1990 तक 0.66 लाख मीटरी टन दुरुस्त उर्वरक बेचा गया था।

गत चार वर्षों में बेचे गए घटिया उर्वरकों का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

1986-87	0.18 लाख मीटरी टन
1987-88	0.03 लाख मीटरी टन
1988-89	0.15 लाख मीटरी टन
1989-90	0.05 लाख मीटरी टन

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदों को नियमित किया जाना

10083. **श्री रति लाल प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक प्रबंधन अधिकारी, मुख्य लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक कई वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के अनुदेश जारी किए थे;

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में रिक्त पदों का ब्योरा क्या है; और सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भरे गए पदों का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उपलब्ध रिक्तियों में उच्च श्रेणी लिपिकों, प्रधान लिपिकों और प्रवर्तन अधिकारियों में पात्र व्यक्तियों को नियमित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) ब्योरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

बच्चों का कुपोषण

10084. **श्री हरा अन्वारासु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे विश्व के देशों में बच्चे स्वास्थ्य तथा अन्य कुपोषण की समस्याओं के कारण मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत एवं एशिया के कुछ अन्य देशों में शिशु मृत्यु दर नीचे दी गई है :

अफगानिस्तान	177
बंगला देश	133
इण्डोनेशिया	[77
नेपाल	136
भूटान	137
पाकिस्तान	126
श्रीलंका	30
बर्मा	104
चीन	35
भारत	[94

(ग) भारत में शैशव मृत्यु के मुख्य कारण हैं : जन्म के समय कम वजन होना, अतिसारीय रोग, तीव्र श्वसन संक्रमण, रोग प्रतिरक्षण और कुपोषण की रोकथाम के जरिए रोकी जा सकने वाली बीमारियां।

आयोडीनयुक्त नमक

[हिन्दी]

10085. **श्री बालसिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों में आयोडीन की निर्धारित मात्रा कितनी है;

(ख) सरसों के तेल में आयोडीन की मात्रा कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या आयोडीन की इस निर्धारित मात्रा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) खाद्य अप-

मिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुसार खाद्य तेलों में आयोडीन की निर्धारित मात्रा नीचे दी गई है :

1.	नारियल का तेल	7.5 से 10.0
2.	बिनौले का तेल	98 से 112
3.	मूंगफली का तेल	85 से 99
4.	अलसी का तेल	170 से कम नहीं
5.	महुए का तेल	58 से 70
6.	सरसों का तेल/रेपसीड का तेल	96 से 110
7.	जैतून का तेल	79 से 90
8.	पोस्त का तेल	133 से 143
9.	सेफ्फलॉवर का तेल	135 से 148
10.	तारामीरा का तेल	99 से 105
11.	तिल का तेल	103 से 120
12.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में उत्पादन किया गया तिल का तेल	115 से 120
13.	नाइजर सीड का तेल	110 से 135
14.	सोयाबीन का तेल	120 से 141
15.	मक्का का तेल	103 से 128
16.	बादाम का तेल	90 से 109
17.	तरबूज के बीजों का तेल	115 से 125
18.	आयातित रेपसीड तेल	94 से 126
19.	खजूर का तेल	45 से 56
20.	पामोलीन	54 से 62
21.	खजूर की गिरी का तेल	10 से 23
22.	सूरजमुखी बीजों का तेल	100 से 145
23.	चावल की भूसी का तेल	90 से 105

(ख) सरसों के तेल की आयोडीन मात्रा 23-5-1974 को संशोधित की गई थी।

(ग) और (घ) अब तक एकत्र किए गए सरसों के तेल के नमूनों के विश्लेषणात्मक आंकड़ों के आधार पर आयोडीन मात्रा में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तथापि, सरसों के बीजों के कुछ और नमूने प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

नकली औषधियां

10086. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री राजवीर सिंह :

डा० बंगाली सिंह : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली औषधियों की बिक्री में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कोई जांच कराई है कि बाजार में ये नकली औषधियां न बेची जाएं;

(ग) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान नकली औषधियां बेचने वाले कितने लोगों का पता लगाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें अपने राज्य औषध नियन्त्रण संगठनों के माध्यम से देश में औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। केन्द्रीय और राज्य औषध निरीक्षक आवधिक रूप से बाजार से नमूने लेते हैं और सरकारी प्रयोगशालाओं में उनकी जांच करवाते हैं। जब भी कभी नकली औषधों के विनिर्माण अथवा बिक्री के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है, छापे मारे जाते हैं और नकली औषधों के रैकटों का पता लगाने के लिए और आगे कार्रवाई की जाती है तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है।

इस मन्त्रालय को नकली औषधों की बिक्री के सम्बन्ध में पिछले छह महीनों के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण

[अनुवाद]

10087. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) महिलाओं को, विशेषरूप से अशिक्षित निर्धन लोगों को, बच्चों का रोग प्रतिरक्षण न किए जाने के परिणामों की जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के 1985-86 में शुरू होने के समय टीके लगाने का स्तर बी० सी० जी० के लिए 29 प्रतिशत और डी० पी० टी० के लिए 41 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 198९-90 के अन्त तक इस स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका में भिन्न-भिन्न टीकों का कवरेज स्तर दर्शाया गया है :

एन्टिजन	अनुमानित कवरेज स्तर		
	1985-86	1988-89	1989-90 (*)
डी० पी० टी०	41.12%	79.61%	82.82%
ओ० पी० वी०	35.66%	74.83%	82.30%
बी० सी० जी०	28.84%	76.29%	89.04%
खसरा	—	55.17%	69.32%
टी० टी० (पी० डब्ल्यू०)	39.85%	65.15%	69.21%

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) विभिन्न श्रव्य-दृश्य संचार सामग्रियों का विकास किया गया है और जन साधारण को टीका लगवाने के लाभों तथा टीका न लगवाने के परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिए उनका व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। विशिष्ट प्रचार अभियान, जिसमें जन प्रचार और गैर जन प्रचार दोनों माध्यम शामिल हैं, उन राज्यों में शुरू कर दिया गया है जिनमें कार्य निष्पादन कम रहा है। इस विशिष्ट अभियान का उद्देश्य यह है कि पारस्परिक आदान प्रदान में क्षेत्रीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए वीडियो फिल्मों, टीका लगाने से रोके जा सकने वाले छह रोगों से बचाव पर प्रकाश डालने वाले टी०वी० स्पॉटों तथा विभिन्न गैर जन प्रचार घटकों, जिनमें पोस्टर और पैम्पलेट आदि शामिल हैं, का उपयोग करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में संदेश फैलाया जाए।

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र की भूमि के विस्थापित लोगों को रोजगार

10088. श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को उन व्यक्तियों को रोजगार देने की सलाह दी है, जिनकी भूमि विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के लिए अधिगृहीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को अब तक रोजगार दे दिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कारंवाई करने का विचार किया गया है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुमार, विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र के 4,539 विस्थापित व्यक्तियों और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के 290 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया है।

भारत में शिशु मृत्यु दर

10089. श्री के० मुरलीधरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार शिशु मृत्यु दर का औसत क्या है; और

(ख) क्या प्रवृत्ति उर्ध्वगामी है या अधोगामी है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार, वर्ष 1981, 1986 और 1988 के लिए प्रमुख राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का अनुमान इस प्रकार है :

प्रमुख राज्य	1981	1986	1988
आन्ध्र प्रदेश	86	82	83
असम	106	109	99
बिहार	118	101	97
गुजरात	116	107	90
हरियाणा	101	85	90
कर्नाटक	69	73	74
केरल	37	27	28
मध्य प्रदेश	142	118	121
महाराष्ट्र	79	63	68
उड़ीसा	135	123	122
पंजाब	81	68	62
राजस्थान	108	107	103
तमिलनाडु	91	80	74
उत्तर प्रदेश	150	132	124
पश्चिम बंगाल	91	71	69
भारत	110	96	94

(ख) पिछले दशक के दौरान शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जल प्रभार

10090. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के कुछ आबंटियों से पानी प्रभारों के रूप में पानी की खपत के लिए प्रति मास न्यूनतम 30 रु० वसूल करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान पानी की खपत के लिए न्यूनतम 7 रु० लेता रहा है;

(घ) यदि हां, तो दो अभिकरणों में समान सुविधाओं में इतने बड़े अन्तर के कारण क्या है; और

(ङ) इस मामले में एकरूपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क), (ख), (घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के आबंटितियों से पानी प्रभार प्रति मास 30/- रुपये की अनन्तिम दर पर आगामी बिलों में समंजन की शर्तें पर वसूल किए जा रहे हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में, पानी प्रभार दिल्ली विकास प्राधिकरण को भारी परिमाण में सप्लाई किए गए पानी के लिए दिल्ली नगर निगम की न्यूनतम दर पर वसूल किए जा रहे हैं। पानी की बूस्ट पम्पिंग पर व्यय के कारण, 30 पैसे प्रति किलो लीटर की अतिरिक्त उगाही की जाती है ।

(ग) न्यूनतम प्रभार प्रति मास 7.50 रुपये प्रति कनेक्शन है।

विवरण

1. कालकाजी, सामुदायिक केन्द्र के पश्चिम में
2. अलकनंदा पाकेट बी और सी
3. ग्रेटर कैलाश-I में स्व-वित्त पोषित योजना
4. कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए-3
5. मुनीरका चरण-IV में 144 स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैट
6. वसंत विहार, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामने
7. वसंत विहार, ब्लाक डी, नजदीक आर० बी० आई० क्वाटर्स
8. मालवीय नगर एक्सटेंशन साकेत
9. देशबन्धु गुप्ता कालेज, कालकाजी
10. ए-10 कालकाजी एक्सटेंशन
11. कालकाजी "जी" ब्लाक
12. वसन्त कुन्ज सेक्टर ए, बी, सी और डी
13. कालकाजी, बाह्य रिंग रोड

14. ईस्ट आफ कैलाश पाकेट ए और बी-I

15. अलकनंदा पाकेट बी और सी ग्रुप-III

16. कटवारिया सराय

17. अलकनंदा

18. शेख सराय

19. कालकाजी ए-12 और ए-ब्लाक 13।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों के रिक्त पद

[हिन्दी]

10091. श्री एम० एस० पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं; और वे कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों के 69 पद रिक्त हैं। 36 रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे। शेष 30 रिक्तियां 30-4-1990 से विद्यमान हैं।

(ख) चूंकि तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों को उनके मूल कार्यकाल, जिसके लिए उन्हें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के आधार पर नियुक्त किया गया था, से आगे जारी रखे जाने की अनुमति दी गई है, इसलिए उन्हें समायोजित करने के लिए जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों के 38 पद नहीं भरे गये थे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों की नियमित रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों को तैनात करने के लिए कार्यवाही कर रही है। अब जूनियर रेजीडेंट डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

स्वयंसेवी संगठनों में कुष्ठ रोग निवारक अधिकारियों को वेतन

[अनुवाद]

10092. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में स्वयंसेवी संगठनों के कुष्ठ रोग निवारक अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या स्वयंसेवी संगठनों मे काम करने वाले डाक्टरों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों आदि को उतना वेतन और अन्य भत्ते देने का कोई निर्णय लिया गया है जितना सरकारी डाक्टरों आदि को दिया जाता है;

(घ) सम्मेलन आयोजित करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। राज्य कुष्ठ अधिकारियों और कुष्ठ कार्यक्रम में शामिल स्वैच्छिक संगठनों का वार्षिक सम्मेलन, नई दिल्ली में 12-14 अप्रैल, 1990 को आयोजित किया गया।

(ख) सम्मेलन के निष्कर्ष/सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 8.715 लाख रुपये।

विवरण

सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई :

1. रोगियों का शुरू में पता लगाना और उपचार सुनिश्चित करना;
2. 1995 तक सभी निम्न स्थानिकमारी वाले जिलों में बहु-औषध उपचार प्रदान करना;
3. सभी श्रेणियों के कुष्ठ प्रशिक्षणार्थियों के लिए वजीफे में संशोधन किया जाना चाहिए;
4. मेडिकल कालेजों और अन्य ऐसी ही संस्थाओं की पाठ्यचर्या में कुष्ठ विषय को उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए;
5. स्वास्थ्य शिक्षा और पुनर्वास के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट में वृद्धि की जानी चाहिए;
6. राज्य कुष्ठ अधिकारियों, जिला कुष्ठ अधिकारियों की वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए;
7. कुष्ठ-रोधी औषधों की गुणवत्ता और मात्रा पर्याप्त और नियमित की जानी चाहिए;
8. कुष्ठ स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है; और
9. एकीकृत पुनर्वास कार्यकलापों पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

मत्स्यन पोतों पर किराये पर लेने के लिए आवेदन

10093. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यन पोतों को किराये पर लेने से संबंधित अनेक आवेदन-पत्र नगण्य आधारों पर अस्वीकार कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कि उद्यमियों को अपने आवेदन पत्रों में गलतियों को सुधारने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाये, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सम्बद्ध पार्टियों को आवेदन फार्म और विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धांतों की एक प्रति भेजी जाती है। चार्टर जांच समिति द्वारा आवेदकों के आवेदनों की जांच करने से पहले उनके मूल आवेदन के अलावा भेजे गए अतिरिक्त दस्तावेजों को शामिल करने के भी सभी प्रयास किए जाते हैं।

आयुर्विज्ञान/चिकित्सा सेवाओं में स्नातकोत्तर परीक्षा

10094. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्विज्ञान/चिकित्सा सेवाओं में एक ही समान स्नातकोत्तर परीक्षा प्रणाली आयोजित करने का विचार है;

(ख) क्या ये परीक्षाएं किसी स्वायत्तशासी निकाय द्वारा आयोजित की जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जम्मू व कश्मीर और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा पाठ्यक्रमों जिनमें सामान्य चिकित्सा भी शामिल है, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखे बिना, प्राइवेट मेडिकल/डेन्टल कालेजों को छोड़कर, प्रत्येक मेडिकल/डेन्टल कालेज या संस्था में 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर चिकित्सा/डेन्टल सीटों का अंशदान करते हैं और इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाती हैं।

बिहार में फल आधारित उद्योग

[हिन्दी]

10095. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंगा और ओढनी में कुछ समय पूर्व सहकारी क्षेत्र में फल आधारित एककों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन एककों की उत्पादन क्षमता का ब्योरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन तीनों फल आधारित एककों को चालू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का इन एककों का अधिग्रहण करने का विचार है क्योंकि ये एकक सरकारी क्षेत्र प्रयोजन पूरा करने में सक्षम नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) वर्ष 1966-67 के दौरान सहकारी क्षेत्र के अधीन राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से बिहार में मधुबनी, दरभंगा और बेनी नामक स्थानों में फल प्रसंस्करण एकक स्थापित किये गये थे। प्राप्त सूचना के अनुसार फलों पर आधारित कोई सहकारी एकक ओड़नी में नहीं लगाया गया है।

उक्त तीन एकक उत्पादन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने 1976 के दौरान दरभंगा में एकक के लिए पुनर्वास सहायता मंजूर की थी और इसी प्रकार मधुबनी और बेनी स्थित सहकारी एककों के पुनर्वास हेतु भी 1982 में सहायता दी गई थी। किन्तु संबंधित सहकारी समितियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर मंजूरी रद्द करनी पड़ी।

सरकार का इन एककों को अधिग्रहीत करने का विचार नहीं है।

राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

[अनुवाद]

10096. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चालू वर्ष में तथा निकट भविष्य में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न शहरों में कामकाजी महिलाओं के होस्टलों में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में कोई वर्गीकरण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) 1990-91 में 3500 कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु 70 अतिरिक्त कामकाजी महिला होस्टल शुरू करने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परन्तु बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल के निर्माण/विस्तार की योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं और धनराशि का आबंटन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार नहीं किया जाता। स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के माध्यम से प्राप्त होने पर ही परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं पर श्वेत पत्र

10097. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार, नर्मदा सागर और सरोवर परियोजनाओं का व्यापक विरोध देखते हुए इन परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह श्वेत पत्र कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़-प्रबन्धन

10098. **श्री मुल्लापल्लो रामचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल द्वारा बाढ़ प्रबन्धन की किसी दीर्घ अवधि की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) लगभग 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से थोत्तापल्ली उमडमार्ग तक प्रवाहित चैनल को गहरा करने तथा चौड़ा करने और सम्बद्ध सुरक्षा कार्यों पर रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में सितम्बर, 1986 में प्राप्त हुई थी, केन्द्रीय जल आयोग ने इस रिपोर्ट की जांच की और टिप्पणियां जुलाई, 1987 में राज्य सरकार को भेज दीं। राज्य सरकार से आशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु फरवरी, 1990 में अनुरोध किया गया है।

चीनी मिलों के मध्य दूरी को कम करना

10099. **श्री माधवराव सिंधिया** :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलें स्थापित करने के लिए नए लाइसेंस जारी करने हेतु दूरी संबंधी धारा को हटाने या उसमें ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार वर्तमान और प्रस्तावित फैक्ट्री के बीच दूरी के मानदण्ड सहित आठवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग में अनुपालन के लिए नई लाइसेंस नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इस नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने तथा इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है।

भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य

10100. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद के उन सदस्यों और पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्यकाल 1 मार्च, 1990 को समाप्त हो गया है; और

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद में विद्यमान रिक्तियों को कब तक भरा जायेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों, जिन्होंने 1-3-90 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार नामांकन/चुनाव द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद की मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

1-3-90 को अपना कार्य काल पूरा करने वाले सदस्यों की सूची

धारा 3(1)(क) के अन्तर्गत नामित व्यक्ति

1. डा० टी० पी० शर्मा
2. डा० बी० के० आनन्द

धारा 3(1)(ख) के अन्तर्गत चुने गए

1. डा० एस० अरुमुगम
2. डा० एच० बी० राजशेखर
3. डा० एम० पी० मेहरोत्रा
4. डा० बुदियो स्वामी
5. डा० पी० शिवा रेड्डी
6. डा० आर० पी० सिन्हा
7. डा० पी० एल० शुक्ला
8. डा० सी० नगेश्वरा राव
9. डा० जी० बक्थवासलम
10. डा० एस० गनेनादेसिकन
11. डा० जे० एन० भादुरी

धारा 3(1)(ग) के अन्तर्गत नामित व्यक्ति

1. डा० एस० एन० देशमुख
2. डा० जयासीलन मेथियास
3. डा० पी० नरसिम्हा राव
4. डा० पी० के० पृथ्वी
5. डा० एस० भीमप्पा

धारा 3(1)(घ) के अन्तर्गत चुने गए व्यक्ति

1. डा० एम० बी० गर्ग
2. डा० बालकृष्ण पिहो
3. डा० वसन्त अनन्त कामत
4. डा० आर० जी० त्रिमुलिया
5. डा० राधा मोहन सिंह
6. डा० चुन्नी लाल बजाज
7. डा० कृष्ण गोपाल मित्तल

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी रिपोर्ट

10101. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि थोड़े से संसाधनों का स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाने से ही बड़ी संख्या में मौतों को रोका जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी हां। रोग प्रतिरक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, अतिसार रोगों की रोकथाम जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रमों को सरकार द्वारा उचित प्राथमिकता दी जाती है इससे स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने में सुविधा होगी।

भारतीय खाद्य निगम की क्षमता का उपयोग

10102. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा औसतन कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) यदि क्षमता का कम उपयोग किया गया, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) : इस प्रयोजन के लिए निश्चित किए गए 85 प्रतिशत के अनुकूलतम स्तर के प्रति निगम द्वारा 1989-90 के दौरान औसतन 42 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया।

(ग) वर्ष के दौरान कम उपयोग मुख्यतया स्टाक का कम स्तर होने के कारण हुआ।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्याशित अधिक वसूली होने की दृष्टि में क्षमता उपयोग में सुधार होने की आशा है।

नारियल पानी की बोतल बन्दी

10103. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और अन्य राज्यों में नारियल पानी की बोतल बन्दी (बाटलिंग) के लिये स्थापित किये गये एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नारियल पानी को सुरक्षित रखने और इसकी बोतल बन्दी के लिये कोई अनुसंधानी अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) केरल अथवा अन्य किसी राज्य में मृदु नारियल पानी की बोतल बन्दी (बाटलिंग) के लिये कोई एकक नहीं है जिसे फल उत्पाद आदेश 1955 के अधीन लाइसेंस दिया गया हो।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम ने मृदु नारियल पानी को सुरक्षित रखने और इसकी बोतल-बन्दी के लिये प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। इस प्रक्रिया में पके हुए नारियल-पानी को स्वाद, रंग इत्यादि में मृदु नारियल-पानी जैसा बनाने के लिये उन्नत किया जाता है।

लेबल लगाने के नए प्रावधान को लागू करना

10104. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** नये लेबल लगाने के प्रावधान को लागू करने के बारे में 20 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबल लगाने के नये प्रावधान को सख्ती से लागू करने के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई निगरानी रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों, मादक पेयों तथा शीतल पेय पदार्थों और मिठाइयों के मामलों में भी निर्माताओं/पैक करने वालों द्वारा इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा इसमें प्रयुक्त कृत्रिम रंगों एवं अन्य योज्य पदार्थों की मात्रा कहीं नहीं दर्शायी जाती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन प्रावधानों को किस प्रकार लागू करने का विचार है;

(ङ) क्या ऐसा कोई त्रुटिहीन तरीका है जिससे बाजार में खुले आम बेचे जा रहे और उपयोग में लाये जा रहे विभिन्न कृत्रिम रंगों और सुगंधों में मिलावट पर रोक लगाई जा सके;

(च) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) किन-किन खाद्य पदार्थों में खाये जाने वाले रंगों की वर्तमान मात्रा एक किलोग्राम में

200 मिलीग्राम से घटाकर एक किलोग्राम 100 मिलीग्राम की जा रही है और इसको कड़ाई से लागू करने के लिये क्या कार्य-प्रणाली तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्वास्थ्य प्राधिकारियों को नए लेबल लगाने संबंधी उपबन्धों के प्रवर्तन के बारे में की गई कारंवाई की सूचना देने की सलाह दी गई है। अब तक किसी राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ङ) और (च) सिंथेटिक रंगों और जायकों में मिलावट का पता विश्लेषणात्मक विधियों से लगाया जा सकता है।

(छ) विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर रंग की मात्रा को 200 मि०ग्राम प्रति किलोग्राम से घटाकर 100 मि० ग्राम प्रति किलोग्राम करने के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया है।

पटसन आधुनिकीकरण कोष योजना संबंधी समिति की रिपोर्ट

10105. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन आधुनिकीकरण कोष योजना और पटसन विशेष विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बारे में अध्ययन करने हेतु नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में अध्यापन संवर्ग

10106. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ऐसे गैर-अध्यापन संवर्ग स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के रूप में समझे जाने के पात्र हैं, जो मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली जैसे अध्यापन संस्थाओं में कार्यरत है और जो अधिकांशतः मेडिकल छात्रों को पढ़ाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मामलों में, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक के रूप में मान्यता प्रदान करने की निर्धारित आवश्यकता क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अध्यापक पद देने का प्रस्ताव है, ताकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध कार्य और पी० एच० डी० पाठ्यक्रम कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए निर्धारित अपेक्षाएं संविधि/अध्यादेशों के रूप में दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

1. प्राध्यापक/सहायक प्रोफेसर के पद के लिए

अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता और ट्यूटर/रेजीडेन्ट के रूप में 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें एक वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता के बाद होना चाहिए।

II. रीडर/सह प्रोफेसर के पद के लिए

अपेक्षित स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता और किसी मेडिकल कालेज में सहायक प्रोफेसर/प्राध्यापक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

III. प्रोफेसर के पद के लिए

अपेक्षित स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता और किसी मेडिकल कालेज में सह प्रोफेसर/रीडर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उप-संवर्ग के स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को ऐसी संस्थाओं में ट्यूटरों/रेजीडेन्टों/प्राध्यापकों/सहायक प्रोफेसरों/सह प्रोफेसरों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को शिक्षण पद नाम देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि उन्हें अध्यापक के रूप में भर्ती नहीं किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक पृथक अध्यापन उप संवर्ग है जिसके अधीन चिकित्सा अधिकारियों को सहायक प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/प्रोफेसर के रूप में भर्ती/नियुक्त किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन

10107. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर महानगरों में उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे नगरों में से किसी में भी निकट भविष्य में भूमिगत जल के भंडार के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार को समाप्त न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) यद्यपि सभी शहरी क्षेत्रों तथा महानगरीय शहरों के लिए अलग से अध्ययन नहीं किए गए हैं, फिर भी कुछ

शहरी क्षेत्रों तथा महानगरीय शहरों सहित ब्लाकवार तथा जिलावार आधार पर भू जल संसाधनों का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि शहरों में भूजल स्तरों में कोई सामान्य गिरावट नहीं पाई गई है, फिर भी कुछ शहरों में स्थानीय पाकेटों में गिरावट तथा वृद्धि भी पाई गई है।

(ङ) भूजल की आयोजना, विकास और प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भूजल स्तरों को बनाये रखने, भूजल संरक्षण और परिवर्धन के लिए भूमि तथा जलप्रबन्ध पद्धतियों सहित, कृत्रिम पुनर्भरण और भूजल विकास के नियन्त्रण और नियमन हेतु निवारात्मक तथा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

जनसंख्या सलाहकार परिषद की बैठक

10108. डा० वेंकटेश काबडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या सलाहकार परिषद की अन्तिम बैठक कब आयोजित की गयी थी;

(ख) जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में परिषद ने क्या-क्या नवीनतम सिफारिशें की हैं; और

(ग) जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय किये गये है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जनसंख्या सलाहकार परिषद ने अपनी पिछली बैठक 29-6-84 को बुलाई थी और उस बैठक में परिषद ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, संगठन एवं प्रबंध तथा संचार कार्यनीति सम्बन्धी कार्य-दल की रिपोर्टों पर चर्चा की थी। यह परिषद इस समय अस्तित्व में नहीं है।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ाने, जनसंख्या संबंधी शिक्षा को तेज करने, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने, उन्नत सूचना प्रणालियों को अपनाने तथा स्वैच्छिक संगठन को शामिल करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुनंप्रशिक्षण को फिर से शुरू करने, महिला साक्षरता एवं महिलाओं के स्तर में सुधार करने जैसे अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और मजबूत बनाने तथा क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार दृष्टिकोण अपनाने की योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है और इन्हें और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा।

मस्तिष्क संस्तयता गृह और स्वास्थ्य आरामगृह

10109. डा० वेंकटेश काबडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्तिष्क संस्तयता गृह और स्वास्थ्य आरामगृह (स्वास्टिक होम एण्ड हैल्थ रिपोर्ट) कोई सामदायक सेवा प्रदान कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मस्तिष्क संस्तयता गृहों और आराम-गृहों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इसके लिए वर्ष 1990-91 में कितना बजट प्रावधान है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में रेल रोको आन्दोलन

10110. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में 12 जून, 1988 को बाढ़, सूखा और बिजली संकट के स्थायी समाधान की मांग को लेकर एक रेल रोको आन्दोलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) जी, हां। आन्दोलन-कर्त्ताओं ने रेल पटरी पर बैठकर कुछ रेल गाड़ियों को रोका था। उत्तर बिहार की नदियों के विषय में बाढ़ प्रबन्ध के लिए व्यापक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा राज्य सरकार को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों को होने वाली कठिनाइयां

10111. **श्री डी० अमाल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर 15 फरवरी, 1990 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले सभी पोत मछली नहीं पकड़ रहे हैं;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के संचालन संबंधी लंबित नीतिगत और ढांचे संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योगों को पुन: चालू करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को पुन: शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) विभिन्न कंपनियों से और भारतीय मत्स्य उद्योग संगठन से फरवरी, 1990 में पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि आर्थिक अजीव्यता के कारण गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य बंद कर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के उद्योग के सामने आ रही कठिनाईयों को सुलझाने के लिए कई कदम उठाये हैं। ऋणों पर ब्याज सहायता, इक्विटी भागीदारी दिशांतरित मछली पकड़ने के कार्य के लिए जलयानों में परिवर्तन करने के लिए सहायता आदि के रूप में सहायता

उपलब्ध कराकर कई योजनागत स्कीमें तैयार की गई। पुनर्वास के लिए जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर भी गुणादोष के आधार पर विचार किया जाता है।

मूंग की दाल की खरीद

10112. श्री संजय लाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने जुलाई-दिसम्बर, 1988 के दौरान 5 करोड़ रुपए मूल्य की साबूत मूंग खरीदी थी;

(ख) क्या यह खरीद बिना मांग के और बिना निविदा आमन्त्रित किये ही की गई थी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि जुलाई, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान उसके अकोला डिपो द्वारा 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की साबूत मूंग खरीदी गई थी।

(ख) यह खरीदारी नागरिक आपूर्ति निगमों तथा अन्य संगठनों से मांग-पत्रों की प्रत्याशा में नियमित बाजार से नीलामी के जरिए और सहकारी समितियों तथा अन्यों से बातचीत के जरिए की गई थी।

(ग) और (घ) इस मामले में जांच प्रगति पर है। अन्तिम कार्रवाई जांच परिणाम उपलब्ध होने के बाद की जाएगी। इस बीच, अकोला के तत्कालीन डिपो प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है।

चावल के बह जाने की जांच

10113. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन से वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात के लिए रखा गया लगभग 1.65 करोड़ रुपये मूल्य का चावल चक्रवात में बह गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं। 1980-81 में कांडला पत्तन पर रखे चावल के भण्डार का कोई भाग वर्षा और तूफान में नहीं बहा था। तथापि, वर्षा और तूफान के कारण चावल को नुकसान पहुंचा था।

(ग) और (घ) कोई जांच नहीं की गई थी, क्योंकि बीमा कम्पनी पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का दावा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

एच० एम० टी० घड़ियों की सप्लाई

10114. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सुपर बाजार और दिल्ली होलसेल कोपरेटिव स्टोर्स की बजाय मैसर्स पहाड़ी धीरज स्टोर, दिल्ली को 80 लाख रुपये मूल्य की एच० एम० टी० घड़ियों की सप्लाई की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उनकी दिल्ली शाखा ने 1979-80 के दौरान केवल 35.38 लाख रुपये मूल्य की एच०एम० टी० घड़ियां पहाड़ी धीरज उपभोक्ता सहकारी भण्डार, दिल्ली को सप्लाई की थीं। यह सप्लाई आम व्यापारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई थी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में गैर-सदस्यों को अवैध ऋण दिया जाना

10115. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा ऋण नीति संबंधी शाखा में गैर-सदस्यों को (30-6-86 तक) 173. 7 लाख रुपये के कपड़े सप्लाई किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सदस्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सदस्य की ओर कितनी धन-राशि का ऋण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि 30 जून, 1986 को गैर सदस्यों से वसूली के लिए 173.37 लाख रुपए की राशि बकाया थी, जो कपड़े सहित विभिन्न वस्तुओं से संबंधित थी। इस राशि को 31 मार्च, 1990 तक कम करके 56.69 लाख रुपए तक ला दिया गया है। गैर-सदस्यों के नाम, उन्हें दिए गए ऋण तथा 31-3-90 को उनसे वसूली योग्य बकाया राशि संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि गैर-सदस्यों को आपूर्ति, आम व्यापारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई थी।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं० पार्टी का नाम	निम्नलिखित को बकाया 30-6-86	31-3-90
1. पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	3.14	2.69
2. तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	65.70	—
3. कर्नाटक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	5.97	3.67

1	2	3	4
4.	भारतीय खाद्य निगम, दिल्ली	10.09	10.09
5.	पश्चिमी बंगाल आवश्यक वस्तु निगम	6.00	—
6.	शाहदरा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	22.46	22.46
7.	सीमेक्स इंटरनेशनल, बम्बई	4.62	4.62
8.	प्रोटेक्स इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, बंगलौर	2.91	—
9.	नया बाजार, कानपुर	2.09	—
10.	उपभोक्ता भंडार कोन्सोफेड, पंजाब	1.57	—
11.	श्री भुज उपभोक्ता सहकारी भंडार, भुज	1.05	—
12.	कोट्टयम जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	1.54	0.08
13.	गोयल ट्रेडर्स, दिल्ली	1.36	1.36
14.	आनन्द उपभोक्ता सहकारी भंडार	1.03	1.03
15.	जमुना दास श्री निवास एण्ड सन्स	2.20	2.20
16.	के० पी० के० थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार कलकत्ता	1.39	—
17.	नयागढ़ थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	3.[illegible]4	2.98
18.	एटा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	1.24	—
19.	गोरखपुर थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	1.91	0.42
20.	हमीरपुर थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार	2.63	1.01
21.	भगवती सहकारी सुपर मार्किट, मद्रास	1.49	—
22.	पेरियर जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार, पेरियर	1.82	—
33.	सलीम जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार, सलीम	1.38	—
24.	चिन्तामणि उपभोक्ता सुपर मार्किट, मद्रास	2.28	—
25.	जनता बाजार उपभोक्ता सहकारी भंडार, पटना	1.48	1.48
26.	राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम, पटना	3.44	—
27.	स्टील वर्कर्स उपभोक्ता सह-भंडार, जमशेदपुर	3.50	—
28.	टिस्को केन्टीन उप० सह० भंडार, जमशेदपुर	1.34	—
29.	रचना ट्रेडर्स, दिल्ली	9.82*	—
30.	जनता उप० सह० भंडार, कोल्हापुर	3.47	2.60
31.	जनता उप० सह० भंडार, अकोला	1.20	—
		173.37	56.69

*यह राशि दूसरे खाते में इसी प्रकार के ऋण के प्रति समायोजित की जा सकती है।

धारीवाल वूलन मिल्स का आधुनिकीकरण

10116. **श्रीमती सुखबंस कौर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारीवाल वूलन मिल्स के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब पूरा होगा;

(ग) क्या इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम मे उत्पादन में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) धारीवाल मिल्स के आधुनिकीकरण पर अभी तक लगभग 11 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई हैं।

(ख) ऐसी आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्स्टिड यार्न और फैब्रिक के उत्पादन में आधुनिकीकरण से पूर्व के स्तर की तुलना में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो कि कार्य-भार और कार्य आबंटन के साथ-साथ सभी पश्चगामी और अग्रगामी यांत्रिक संपर्कों के पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाने पर संभव होगा।

परियोजनाओं का समन्वय

[हिन्दी]

10117. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण बागमती नदी क्षेत्र के लिए बहु-उद्देश्यीय परियोजना का ब्यौरा तथा अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नेपाल की निर्माणाधीन कमैय्या बहु-उद्देश्यीय परियोजना को बागमती नदी परियोजना के साथ समन्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कमैय्या परियोजना के निर्माण के कारण बागमती नदी परियोजना के लिए जल की कमी की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ङ) बागमती नदी पर नूनथोड़ा पर 117 मीटर ऊंचे बांध परियोजना के संबंध में उनके अध्ययनों के ब्यौरों के बारे में भारत ने नेपाल से अनुरोध किया हैं ताकि भारत की अनुप्रवाह आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए उनको उपयुक्त सुझाव दिए जा सकें। इस अनुरोध पर नेपाल सरकार का उत्तर उत्साह-वर्धक नहीं था। इस मामले को नेपाल के साथ की जाने वाली कारंवाई के मुद्दों की सूची में शामिल किया गया है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सहायता

[अनुवाद]

10118. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता को, इसकी विभिन्न मिलों के आधुनिकीकरण के लिए दी गई राशि का इसी प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम समय पर ऋण अदा कर रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) लगातार भारी घाटे होते रहने के कारण एन० टी० सी० मिलें मूलधन के पुनर्भुगतान कार्यक्रम का अनुपालन नहीं कर सकीं।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थानों ने पुनर्भुगतान के लिए एन० टी० सी० को लिखा है। फिर भी बातचीत के बाद एन० टी० सी० ने देय किस्तों के 25% के बराबर की राशि अदा कर दी है तथा बाकी ऋण की ऋण अदायगी किस्तों का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध किया है। वित्तीय संस्थानों ने अलग-अलग मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव किया है।

जल संसाधन प्रबंधन के लिए दूर संवेदी तकनीक

10119. **श्री एम० एम० पल्लम राजू :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधनों की आयोजना में संलग्न संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके विशिष्ट उत्तर-दायित्व क्या हैं;

(ख) क्या सरकार जल संसाधनों का पता लगाने, आकलन करने और आयोजना तैयार करने तथा उनका उचित और उपयुक्त रूप से प्रयोग करने के लिए दूर संवेदी अनुप्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का उत्तरोत्तर प्रयोग कर रही है; और

(ग) देश में जल संसाधनों की आयोजना करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) देश के जल संसाधनों के विकास तथा विनियमन के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम निर्धारित करना जल संसाधन मंत्रालय की समग्र जिम्मेदारी है। इस भूमिका को अदा करने में केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण इस मंत्रालय की सहायता करते हैं। केन्द्रीय जल आयोग संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग की स्कीमों को शुरू करने, समन्वित करने और उन्हें आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। केन्द्रीय

भूजल बोर्ड भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मूल्यांकन करता है तथा उनके प्रबंध और विकास के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित करता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन प्राय द्वीपीय नदी बेसिनों और उप-बेसिनों की जल योजनाएं तैयार कर रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के संबंधित विभाग भी जल संसाधनों की आयोजना में लगे हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उनके सामने आ रही मुख्य समस्याएं ये हैं :—वित्तीय आबंटनों की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता, प्रशिक्षित पर्याप्त जनशक्ति की कमी, पर्यावरण शास्त्रियों तथा सक्रियवादियों द्वारा बड़े बांधों का विरोध, अन्तर्राज्यीय विवाद तथा परियोजना द्वारा होने वाले विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में कठिनाइयां।

अजाथियोप्रीन का देश में उत्पादन

10120. **श्री के० एस० राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुर्दा प्रतिरोपण के रोगियों के लिए एक आवश्यक औषधि "अजाथियोप्रीन" का इस समय आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बाजार में इस औषधि की एक गोली का अनुमानित बिक्री मूल्य कितना है;

(ग) क्या 19 मार्च, 1990 के "न्यूज टाइम्स" हैदराबाद में प्रकाशित समाचार के अनुसार महाराष्ट्र के भारतीय अनुसंधान-कर्ताओं ने "अजाथियोप्रीन" के समतुल्य एक औषधि का हाल ही में विकास किया है, जिसे गुर्दा प्रतिरोपण वाले रोगियों द्वारा उक्त औषधि के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो देश में विकसित इस औषधि का ब्यौरा क्या है और क्या इसके अनुकूल प्रभाव का परीक्षण किया गया है;

(ङ) यह औषधि बाजार में अनुमानतः किस मूल्य पर उपलब्ध होगी; और

(च) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) "अजाथियोप्रीन" का, जो गुरदा प्रत्यारोपण करा रहे रोगियों के लिए अपेक्षित एक अनिवार्य औषध है, देश में आयात किया जाता है। इसका विक्रय मूल्य प्रत्येक 50 मि० ग्रा० की गोली के लिए लगभग 6/- रुपये है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कपास की प्रमुख किस्मों के मूल्य में वृद्धि

10121. **श्री कमालुद्दीन अहमद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कपास की प्रमुख किस्मों के मूल्य में, इसी अवधि के दौरान हुई मुद्रास्फीति की दर की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : वर्ष 1987-88 के दौरान एच०-4 आर० एफ०-414 किस्मों की रुई की कीमतों में 6.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर की तुलना में 8.5 से 12.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 1988-89 के रुई वर्ष में यह वृद्धि 3.5 प्रतिशत से 6 6 प्रतिशत तक थी जबकि मुद्रास्फीति की दर 8.3 प्रतिशत थी और इसमें सितम्बर, 1989 से अप्रैल, 1990 तक 4 प्रतिशत से 20.3 प्रतिशत तक की गिरावट आई जबकि इसी अवधि में मुद्रास्फीति में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

देश में खाद्य प्रसंस्करण

10122. श्री डी० अमात : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आरम्भ किए जाने पर कोई राजसहायता मंजूर करने का है;

(ग) क्या देश के किसी भी जनजातीय क्षेत्रों में ऐसा कोई उद्योग चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे ऐसे एककों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित, असंगठित और सरकारी क्षेत्रों में हैं। केन्द्र द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों की वृद्धि व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1990-91 के लिए कई विकासात्मक योजनाएं तैयार की गयी हैं। इन योजनाओं में राज्य सरकारी उपक्रमों/सहकारी उपक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

लेवी चावल की खरीद में अनियमितताएं

[हिन्दी]

10123. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चावल की खरीद में गत पांच वर्षों के दौरान अनियमितताओं के अनेक मामले सामने आए हैं जैसाकि 6 मार्च, 1990 के "अमर उजाला" (बरेली संस्करण) में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन अनियमितताओं के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) से (ग) आवश्यक ब्योरे एकत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश भांडागार निगम को घाटा

10124. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 9 मार्च, 1990 के "अमर उजाला" (बरेली संस्करण) में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के एकाधिकार के कारण उत्तर प्रदेश भांडागार निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भांडागारों ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया था और यदि नहीं, तो उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत कितना है और इसके परिणामस्वरूप कितनी घाटा हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) उपलब्ध सूचनानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम का 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान क्षमता उपयोग 93 प्रतिशत से अधिक था। सूखे के कारण 1988-89 के दौरान यह गिरकर 79 प्रतिशत रह गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, निगम ने 1985-86 से 1987-88 तक लाभ कमाया था और आशा है कि वह 1988-89 में भी लाभ कमायेगा।

किराए की मत्स्य नौकाओं के संबंध में समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

10125. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराये की मत्स्य नौकाओं के संबंध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना विभिन्न देशों की कई एजेन्सियों से एकत्र की जानी है।

(ग) रिपोर्ट को तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक बच्चे का आपरेशन

10126. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 6 मार्च, 1990 को एक चार महीने की बच्ची का आपरेशन किया गया था जिसमें उसका बायां फेफड़ा रोगग्रस्त समझकर निकाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बच्ची के माता-पिता द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी;

(घ) क्या इस मामले की सर्जनों के एक सक्षम दल द्वारा जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार ने दोषी डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) प्रश्न के इन भागों का उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने सूचित किया है कि पाखी दीक्षित नामक साढ़े चार महीने की एक बच्ची को 2 मार्च, 1990 को अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग के माध्यम से हृदय-वक्ष एवं बाहिका शल्य-चिकित्सा विभाग में दाखिल किया गया था। दाखिल करने की सलाह हृदय-वक्ष एवं बाहिका शल्य चिकित्सा के एसोसिएट प्रोफेसर, डा० बलराम ने दी थी। मूल्यांकन के बाद 6 मार्च 1990 को बच्ची का आपरेशन किया गया बच्ची की मां, श्रीमती रचना दीक्षित द्वारा की गई दिनांक 22 मार्च, 1990 की शिकायत के प्राप्त होने के तुरन्त बाद निदेशक ने इस शिकायत की जांच के लिए तंत्रिका शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर, डा० आर० भाटिया को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। डा० रवि भाटिया को 3 अप्रैल, 1990 को टाइम्स आफ इण्डिया में "बेबीज लंग रिमूव्ड ड्यू टू नेग्लीजेन्स" शीर्षक से छपी खबर की एक प्रतिलिपि भी दी गई थी। अपनी जांच के दौरान डा० भाटिया ने शल्य चिकित्सकों, डा० एम० एल० शर्मा, प्रोफेसर, हृदय वक्ष शल्य चिकित्सा, डा० बलराम एरां, एसोसिएट प्रोफेसर, हृदय वक्ष एवं बाहिक शल्य चिकित्सा, डा० प्रवीण कालिया, सहायक प्रोफेसर, संवेदनाहरण विज्ञान के बयान के लिए गए और बच्ची के माता-पिता के भी बयान लिए गए।

डा० भाटिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाखी दीक्षित नामक साढ़े चार महीने की एक बच्ची को 2 मार्च, 1990 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग के माध्यम से हृदय वक्ष एवं बाहिका शल्य चिकित्सा विभाग में दाखिल किया गया था। दाखिल करने की सलाह हृदय वक्ष एवं बाहिका शल्य चिकित्सा के एसोसिएट प्रोफेसर, डा० बलराम द्वारा दी गई थी। मूल्यांकन के बाद 6 मार्च, 1990 बच्ची का आपरेशन किया गया था। आपरेशन से पहले का निदान यह था कि एक "मध्यस्थानिका पिंड" बाईं ओर को बढ़ा हुआ है। प्रस्तावित आपरेशन प्रक्रिया यह थी कि बाईं ओर के ऊपर के हिस्से का खण्डोच्छेदन किया जाए। तथापि, आपरेशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, बाएं फेफड़े का उच्छेदन किया गया। ऊतक संबंधी जांच से पता चला कि बाएं फेफड़े में व्यापक रूप से क्षयरोग फैला हुआ है। उपलब्ध सारे रिकार्ड की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद और डा० शर्मा, प्रोफेसर, हृदय वक्ष शल्य चिकित्सा, डा० बलराम एरां, एसोसिएट प्रोफेसर, हृदय वक्ष एवं बाहिका शल्य चिकित्सा, डा० प्रवीण कालिया, सहायक, प्रोफेसर संवेदनाहरण विज्ञान, हृदय व एवं बहिका शल्य चिकित्सा, बच्ची के पिता श्री अतुल दीक्षित और माता श्रीमती रचना दीक्षित के बयानों पर विचार करने के बाद डा० भाटिया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इलाज कर रहे शल्य-चिकित्सकों की लापरवाही का कोई प्रमाण नहीं है। शल्य चिकित्सा के दौरान फेफड़े का उच्छेदन करने का निर्णय हृदय वक्ष एवं बाहिका शल्य चिकित्सा

विभाग के दो प्रोफेसरों और एक एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा मिलकर लिया गया था। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस आयु में इतना अधिक क्षयरोग फैल जाना एक असाधारण बात है, इसके तकनीकी पहलुओं आदि के बारे में आगे और जांच चल रही है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में कालाजार ज्वर से हुई मौतें

[हिन्दी]

10127. **डा० बंगाली सिंह :**

श्री बसुदेव चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में कालाजार ज्वर में कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस बीमारी की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों से प्राप्त संशोधित रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान बिहार में काला-आजार के कारण 466 और पश्चिम बंगाल में 20 मौतें होने की सूचना मिली है।

(ख) जी हां।

(ग) काला-आजार के विरुद्ध चलाये गये अभियान में एक त्रिमुखी नीति शामिल है, जो इस प्रकार हैं :—

I. काला-आजार की घटनाओं को सूचित करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वर्ष में डी० डी० टी० का दो बार छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण के लिए संचरण को रोकना :

II. मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए रोगी का पता लगाना और उपचार करना तथा रोगी का पता लगाने के लिए आवधिक सक्रिय खोजबीन करना और उसके बाद गहन उपचार अभियान चलाना।

III. सामुदायिक सहभागिता, भागीदारी और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों सहित सभी संभावित नीतियों के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा।

तदनुसार दोनों राज्यों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

(घ) बिहार को 2.5 करोड़ रुपये और पश्चिमी बंगाल को 0.5 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 के दौरान इतनी ही धनराशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जानी है।

चावल की भूसी से तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

10128. श्री ए० के० राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चावल की भूसी से तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) यदि चावल मिल में चावल की भूसी, जिससे कि तेल निकाला जाता है, को अलग किया जायेगा तो उससे तेल का कितना अधिकतम उत्पादन होगा; और

(ग) देश में चावल की भूसी से तेल निकालने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चावल की भूसी के तेल का उत्पादन निम्नानुसार हुआ :—

वर्ष	मी० टनों में उत्पादन
1986-87	1,79,451
1987-88	2,90,698
1988-89	3,16,150

(ख) यदि चावल मिल में चावल की भूसी, जिससे कि तेल निकाला जाता है, को अलग किया जाए तो चावल की भूसी के तेल का अतिरिक्त उत्पादन 1.2 से 1.5 लाख मी० टन तक होना संभव हो सकता है।

(ग) देश में चावल की भूसी के तेल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :—

(I) वनस्पति घी के विनिर्माण में चावल की भूसी के तेल के प्रयोग पर 5000 रुपये प्रति मी० टन की दर से आर्थिक प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है।

(II) साबुन के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले चावल की भूसी के तेल पर 640 रुपये प्रति मी० टन की दर से आर्थिक प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है।

(III) नागरिक पूर्ति विभाग ने राज्य सरकार और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से मिलों के सुधार का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें 5000 रुपये प्रति चावल की भूसी निकालने की मिल को सीधी सहायता दी जाती है।

(IV) स्टेबिलाइजर के आयात पर सीमा शुल्क में रियायती दर की अनुमति दी गई है। इससे खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी के तेल आदि के उत्पादन में सहायता मिलेगी।

कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना

10129. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री सी० पी० मुदाला गिरियप्पा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने पर इससे कितनी कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी;

(घ) इस परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस परियोजना का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ङ) केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन/सहायता पाने वालों की संख्या

[हिन्दी]

10131. **श्री हरि भाऊ शंकर महाले** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बुढ़ापा पेंशन/सहायता पाने वालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या सरकार का उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में 2929 वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ता थे।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इस पर 33,66,000/- रुपये का कुल खर्च हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में नई चीनी मिलों की स्थापना

[अनुवाद]

10132. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में चीनी की कितनी नई मिलें स्थापित की गयीं;

(ख) प्रत्येक मिल की स्थापना के मामले में भवनों, भूमि और मशीनरी पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्थापित की गयी मिलों की तुलना में पंजाब में प्रत्येक मिल पर अधिक धनराशि व्यय की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में चीनी की तीन नई फैक्ट्रियां स्थापित की गयीं। सहकारी चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भवन, भूमि और मशीनरी पर किए जाने वाले व्यय का निर्णय राज्य सरकार की सलाह से फैक्ट्री प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है और यह खर्च स्थानीय परिस्थितियों जैसे प्लांट व मशीनरी के चयन आदि के आधार पर प्रत्येक फैक्ट्री के लिए अलग-अलग होता है।

(ग) हरियाणा राज्य में इस अवधि के दौरान एक भी चीनी मिल की स्थापना नहीं हुई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में गोश्त प्रसंस्करण एकक

10134. **श्री धी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में न्यूजीलैंड की "फ्लेचर प्रोजेक्ट सर्विजेज" के सहयोग से भेड़ गोश्त प्रसंस्करण एकक स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रसंस्करण एकक को स्थापित करने की मंजूरी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा किन-किन शर्तों पर ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में जल पूर्ति और प्रबन्धन के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग

[हिन्दी]

10135. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जल पूर्ति और प्रबन्ध के लिए किसी विदेशी कम्पनी के साथ सहयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा;

(ग) क्या जापान के सहयोग से जल वितरण और प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (घ) जापान सरकार से एक प्राथमिक अध्ययन दल, जिसने अप्रैल, 1990 में भारत का दौरा किया था, शारदा नहर कमान क्षेत्र विकास परियोजना, उत्तर प्रदेश की सिंचाई और जल निकास विकास पर व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हो गया है। अध्ययन रिपोर्ट खेत पर विकास कार्यों के क्रियान्वयन सहित जल निकास समस्याओं, लवणता/क्षारता नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जल

प्रबन्ध प्रणाली के सुधार तथा भूमिगत जल के उपयोग के हल को विशेष रूप से ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। अध्ययन सम्बन्धी कार्य अभी शुरू किया जाना है।

जल स्रोतों की उपलब्धता

10136. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि देश के जल संसाधन कितने वर्षों तक चलेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार जल संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) यह निर्धारित किया गया है कि 188 मिलियन हैक्टेयर मीटर औसत वार्षिक प्राकृतिक जल प्रवाह मे से लगभग 111 मिलियन हैक्टेयर मीटर जल को विकास की पारम्परिक विधियों से लाभप्रद उपयोग में लाया जा सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक विविध प्रयोजनों के लिए लगभग 105 मिलियन हैक्टेयर मीटर जल की मांग की जाएगी। जल की क्षति को कम करने के लिए विद्यमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य तथा जल संरक्षण के लिए अनेक नई छोटी और बड़ी भण्डारण परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

शिशु मृत्यु दर

[अनुवाद]

10137. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक सभी नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) यद्यपि, ईसवी सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में सभी नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, तथापि देश में शिशु मृत्यु दर के लिए प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	1990	**2000**
शिशु मृत्यु दर (ग्रामीण)	80-90	65
(शहरी)	60-65	50

(ग) देश में शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुख है और भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार, वर्ष 1988 में शिशु मृत्यु दर 94 थी, जबकि 1981 में यह दर 110 थी। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ परम्परागत दाइयों

के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाना स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिक्षा को तेज करना, बच्चों को व्यापक स्तर पर टीका लगाना, अतिसार रोगों को रोकने के लिए मुखसेव्य पुनर्जल-पूरण उपचार का प्रचार करना, स्तन्यपान तथा दूध छुड़ाने की उपयुक्त विधियों को बढ़ावा देना, एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन पोषणिक रक्ताल्पता से बचाव एवं अनुपूरक पोषण की योजना शामिल है।

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना

10138. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नये केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायाधिकरणों की किन-किन स्थानों पर स्थापना की जायेगी; और

(ग) इससे औद्योगिक संबंधों में कितना सुधार होने की आशा है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर तीन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव है :—

1. नोएडा
2. रांची
3. भोपाल

(ग) अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों को गठित करने से औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या कम हो जाएगी। कर्मकारों के लिए भी उनसे सम्पर्क करना सरल हो जाएगा।

बाल विवाह

10139. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद देश के अनेक भागों में बाल विवाह प्रथा अभी भी जारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को यह निदेश देने का विचार है कि इस मामले में कानूनी उपबन्धों का सख्ती से पालन किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और सरकार बाल विवाह की किसी घटना की जानकारी मिलने पर, उस मामले में क्या कार्यवाही करती है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाल विवाह रोकने सम्बन्धी "बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929" में

1978 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य यह व्यवस्था करना था कि जांच के प्रयोजन के लिए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के खण्ड 42 (नाम और पता बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तार किया जाना) में उल्लिखित मामलों के अलावा सभी मामलों के प्रयोजनार्थ और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय होंगे। इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। बाल विवाह की कुप्रथा के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ सरकार द्वारा जनसंचार के माध्यमों से इस कार्य में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से तथा अन्य उपायों के जरिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें रेडियो कार्यक्रम, प्रदर्शनियां लगाना, सिनेमा स्लाईड्स दिखाना, इश्तिहार और दूरदर्शन पर लघु वृत्त चित्र दिखाना, ग्रामीण महिलाओं के साथ सामूहिक रूप में विचार-विमर्श करना इत्यादि शामिल हैं।

पेप्सी पंजाब एग्रो का निर्यात दायित्व

10140. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री डा० रामचन्द्र डोम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि पेप्सी पंजाब एग्रो वोल्टाज संयुक्त उद्यम अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार पेप्सी फूड्स को अपना निर्यात दायित्व पूरा करने से पूर्व शीतल पेय का उत्पादन और बिक्री करने की अनुमति देने का है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० ने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के साथ करार किया है। उपर्युक्त करार के उल्लंघन पर मे० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

(ख) आशय पत्र की शर्तों में से एक शर्त यह है कि यह परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 10 वर्षों की अवधि के लिए अपने कुल उत्पादन का प्रतिवर्ष 50% निर्यात करेगी जिसका 40% भाग कम्पनी के अपने निर्मित उत्पादों से होगा। इस प्रकार निर्यात दायित्व कम्पनी के प्रति-वर्ष के उत्पादन से जुड़ा है और शीतल पेयों के उत्पादन और बिक्री शुरू होने की तारीख पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है।

आवास योजनाओं के लक्ष्य/उपलब्धियां

10141. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था और वास्तव में कितने मकान बनाये गये;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरे न किये जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आवास योजनाओं के संबंध में वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाले विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5 और विवरण-6 संलग्न हैं।

(ख) से (घ) चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिए गये हैं तथा कुल मिलाकर प्रगति सन्तोषजनक है।

विवरण-1

20-सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र संख्या 14 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धियां

विषय		सातवीं पंचवर्षीय योजना					संचयी उपलब्धि
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	सातवीं योजना 28-2-90 तक
सूत्र संख्या 14							
(क) आवास स्थलों का	लक्ष्य	5.81	6.33	5.50	6.00	5.35	28.99
का प्रावधान	उपलब्धि	9.22	8.03	9.19	8.09	7.80	42.33
(परिवार)	प्रतिशत	158.89	126.86	167.09	134.83	145.79	146.02
(ख) निर्माण	लक्ष्य	4.13	3.91	3.65	3.83	3.53	22.88
सहायता	उपलब्धि	4.14	4.39	4.12	5.78	2.68	21.11
(परिवार)	प्रतिशत	188.24	112.28	112.88	150.91	75.[illegible]2	92.26
(ग) इन्दिरा	लक्ष्य	1.58	2.14	1.33	1.35	1.54*	7.94
आवास योजना	उपलब्धि	0.51	1.52	1.63	1.26	1.34	6.25
(रिहायशी एकक)	प्रतिशत	32.28	71.03	122.56	93.33	87.01	78.84
(घ) ई० डब्ल्यू०एस०	लक्ष्य	1.51	1.19	1.08	1.40	2.57	7.75
आवास	उपलब्धि	1.41	2.24	1.20	1.40	0.68	6.85
(रिहायशी एकक)	प्रतिशत	93.38	189.24	111.11	100.00	23.35	88.39

1		2	3	4	5	6	7
(ङ) निम्न आय	लक्ष्य	—	—	0.41	0.43	0.55	1.39
वर्ग आवास	उपलब्धि	—	—	0.51	0.51	0.44	1.46
(रिहायशी एकक)	प्रतिशत	—	—	124.39	118.60	80.00	105.04

टिप्पणी :— सूत्र संख्या 14 (ख), (ङ) तथा 15 के लक्ष्यों को राज्य सरकार के अनुरोध पर संशोधित किया गया है।

* :—ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संशोधित लक्ष्य।

विवरण-2

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल योजना के अन्तर्गत हुई वास्तविक प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि 28-2-90 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	125000	242171	125000	180237	90000	246647	90000	126011	30000	57656
असम	10000	9551	10000	10000	10000	10000	10000	2897	10000	4110
बिहार	19000	36110	25000	22048	25000	23862	25000	25986	25000	15498
गुजरात	16000	31198	33000	42302	35000	43536	35000	41419	35000	49230
हरियाणा	6000	6909	2.00	2658	1500	132	1000	843	1000	367
जम्मू तथा कश्मीर	750	112	1166	1152	1200	941	1200	221	1200	1155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	45000	45110	45000	45203	40000	46610	40000	42371	40000	30712
केरल	8000	11039	6000	7892	5000	5941	5000	5288	5000	3351
मध्य प्रदेश	40000	61321	21000	44066	30000	47870	35000	118417	40000	93581
महाराष्ट्र	14000	23817	18000	24190	18000	23217	20000	20000	20000	11936
उड़ीसा	30000	79815	20000	28480	20000	53121	15000	16762	15000	19989
राजस्थान	30000	65509	30000	43558	30000	44831	30000	38799	30000	35115
तमिलनाडु	175000	187630	218750	232360	170000	270983	220000	286976	220000	332992
त्रिपुरा	7000	6154	5000	5093	5000	6566	4900	1076	6500	3210
उत्तर प्रदेश	40000	82733	50000	87952	50000	75297	50000	70611	50000	117777
पश्चिम बंगाल	7000	18720	14400	18325	15550	15027	14200	12785	3889	4572
संघ राज्य क्षेत्र										
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1500	791	1580	1612	300	379	300	344	300	153
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	1000	2466	1000	0
दादर तथा नागर हवेली	50	72	0	0	50	155	50	50	0	0
दिल्ली	4000	4579	4000	3790	2000	2005	1000	0	250	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोवा दमन तथा दीव	200	212	200*	203	200*	295	200	244	200	121
पांडिचेरी	2000	1885	2500	2088	1800	1603	1600	1600	850	661
योग	558500	922438	632516	803159	549900	919015	608350	809086	535189	780286

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट।

टिप्पणी : यह योजना अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में प्रचालन में नहीं है।

* : केवल गोवा के लिए।

विवरण-3

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को निर्माण सहायता के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि (28-2-90 तक)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	125000	142556	134000	153794	125000	127831	125000	128074	125000	70416
2.	अरुणाचल प्रदेश	1676	433	2000	300	300	1276	640	776	600	140
3.	असम	10000	9551	10000	10000	10000	10000	10000	2897	10000	4110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. गोवा	—	—	—	—	200	201	200	134	200	189
5. गुजरात	37200	37484	39500	39994	44000	37688	44000	40973	20000	15298
6. हरियाणा	3250	4254	3900	2900	3500	3300	1000	1620	1600	0
7. जम्मू और कश्मीर	750	102	1166	1971	1200	694	1200	256	1200	120
8. कर्नाटक	75000	51639	40000	54858	40205	42293	40000	41206	40000	27992
9. केरल	8000	3237	3000	3656	15000	16854	27000	32105	21500	8376
10. मध्य प्रदेश	30000	20116	21000	25589	24000	29241	25000	22537	16100	10172
11. मणिपुर	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0
12. महाराष्ट्र	14000	15269	18000	18029	18000	18057	20000	20076	18000	11833
13. मेघालय	100	97	150	150	150	150	450	545	840	22
14. मिज़ोरम	0	0	0	0	200	260	230	250	260	260
15. उड़ीसा	6667	6667	3333	3523	3333	3340	3000	3032	3333	3200
16. राजस्थान	30000	32418	30000	30188	40000	66472	30000	81915	30000	32417
17. सिक्किम	80	80	100	125	200	274	200	*4075	200	185
18. तमिलनाडु	40000	42248	40000	48553	8240	23000	22000	17690	22000	23420
19. त्रिपुरा	4440	5333	6666	6666	8000	7796	6000	6000	6500	2409
20. उत्तर प्रदेश	17988	32708	28756	31158	16210	16069	20000	**164087	30000	54426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. पश्चिम बंगाल	4000	4667	5040	4154	4000	5004	4344	3655	3889	1135
संघ राज्य क्षेत्र										
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	100	84	85	92	0	0	20	20	20	55
2. दादर तथा नागर हवेली	1310	1631	920	969	550	574	600	94	600	564
3. दिल्ली	1000	1000	1000	1000	1000	213	500	17	100	0
4. दमन तथा दीव	200*	238*	0*	0*	0	0	35	30	35	0
5. पांडिचेरी	1800	1802	2000	1460	1548	1785	1975	1986	1445	1040
योग	412561	413616	390616	439129	365366	412927	383394	578060	353422	267779

* गोवा भी शामिल है।

** एन० पी० आई०

*** आवास कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित (3875) मकान शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टें।

टिप्पणी : यह योजना हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, नागालैंड, राज्यों में और चण्डीगढ़, दादर तथा नागर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन नहीं है।

विवरण-4

इन्दिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत हुई वास्तविक प्रगति

क्र० सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 योजनाबद्ध मकानों की सं०	1985-86 निर्मित मकानों की सं०	1986-87 योजनाबद्ध मकानों की सं०	1986-87 निर्मित मकानों की सं०	1987-88 योजनाबद्ध मकानों की सं०	1987-88 निर्मित मकानों की सं०	1988-89 योजनाबद्ध मकानों की सं०	1988-89 निर्मित मकानों की सं०	1989-90 योजनाबद्ध मकानों की सं०	1989-90 निर्मित मकानों की सं० (28-2-90 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	14180	3321	28483	19483	2000	12832	13143	9948	11364	6199
2. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	34	93	84	181	प्राप्त नहीं
3. असम	3000	65	2630	0	2010	1991	2564	719	3105	1218
4. बिहार	21096	1585	25634	18932	0	24028	19327	15655	22772	15900
5. गोवा	—	—	—	—	—	—	155	102	223	86
6. गुजरात	4750	4707	7000	5571	8000	4553	4375	4044	4679	3152
7. हरियाणा	1417	390	1810	1019	0	1422	1274	1216	1131	1217
8. हिमाचल प्रदेश	772	0	690	412	690	0	715	783	679	448
9. जम्मू तथा कश्मीर	1336	0	1661	638	0	0	877	1487	990	822
10. कर्नाटक	5190	3533	10608	1[illegible]42	0	9670	6352	865	7114	3602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. केरल	6400	5716	17560	14888	6150	11040	5191	8554	3865	13431
12. मध्य प्रदेश	10866	0	10866	1964	0	10033	11407	6857	15070	8028
13. महाराष्ट्र	15000	6404	8000	12198	8000	7431	10983	7613	12173	4000
14. मणिपुर	160	0	50	12	0	160	128	111	260	139
15. मेघालय	230	0	156	156	0	0	140	205	269	26
16. मिज़ोरम	111	0	92	27	0	37	90	70	110	85
17. नागालैंड	140	84	228	182	130	130	—	251	297	124
18. उड़ीसा	7120	0	9544	4485	0	7091	5825	5958	7445	2371
19. पंजाब	2250	0	5767	669	2376	1366	1364	0	946	1098
20. राजस्थान	3591	46	6150	2120	10000	10180	5196	4027	7408	2 17
21. सिक्किम	112	112	150	150	150	0	92	150	116	85
22. तमिलनाडु	19348	9291	25404	34030	25000	24535	10811	26977	10204	39545
23. त्रिपुरा	599	599	1019	1208	1592	404	391	391	318	15
24. उत्तर प्रदेश	27514	16467	26004	25191	25916	25709	23400	23871	30415	22320
25. पश्चिम बंगाल	12000	0	24532	6711	11430	8014	10406	6178	12712	8161
संघ राज्य क्षेत्र										
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	0	0	0	0	7	101	70	97	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
3. दादर तथा नागर हवेली	62	0	0	0	51	80	51	59	49	110
4. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	88	0	110	0
5. दमण और द्वीव	180*	0	70*	216*	0	0	21	0	31	7
6. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	30	0	48	0
7. पांडिचेरी	111	0	172	0	0	97	180	84	93	205
अखिल भारत	157635	52320	214380	151805	103515	160844	134770	126329	154298	135132*

*=इसमें गोवा भी शामिल है।

आंकड़े योजना मंत्रालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट से लिए गए हैं।

विवरण-5

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं के अन्तर्गत हुई वास्तविक प्रगति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि 28-2-90 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	8000	7443	8000	9659	15000	9503	15000	9086	145000	8218
2. असम	5458	2589	3262	2285	3000	2890	2065	2095	2128	594
3. बिहार	10000	11785	10000	10461	10000	14888	10000	10116	10000	287
4. गुजरात	6033	7251	8000	10438	4000	4080	4500	4756	4500	2101
5. हरियाणा	2000	1944	2000	2000	750	360	550	154	550	129
6. हिमाचल प्रदेश										
7. जम्मू तथा कश्मीर	750	395	1000	1043	1100	1079	1000	1169	10000	1232
8. कर्नाटक	6500	5959	4700	6064	2348	2381	1855	1862	2000	2389
9. केरल	30000	21996	9300	103322	9300	15774	10000	15662	10100	5672
01. मध्य प्रदेश	6000	6498	5000	7824	8000	17427	5000	5784	5000	2893
11. महाराष्ट्र	11250	15291	14000	20083	11750	11930	17000	18170	13760	6754
12. मणिपुर	100	138			160	32	161	40	215	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. मेघालय	33	33	33	33	43	43	100	91	240	29
14. मिजोरम	260	260	260	260	200	200	200	200	200	200
15. नागालैंड					100	0	100	0	100	0
16. उड़ीसा	1500	1630	3000	3109	2500	2510	2500	2301	2500	2170
17. राजस्थान	11000	9946	6000	6000	5000	4993	3000	3142	3000	2522
18. सिक्किम							200	14	200	185
19. पंजाब									100	41
20. तमिलनाडु	15000	16660	12200	12221	7000	10622	45251	45126	30000	7621
21. त्रिपुरा	205	195	150	338	153	98	106	118	160	139
22. उत्तर प्रदेश	30000	27122	24000	24409	17500	29364	12000	17104	18000	15774
23. पश्चिम बंगाल	3192	1329	3000	1893	350	502	535	1015	180	513
संघ राज्य क्षेत्र										
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	20	0	20	38					0	0
2. चण्डीगढ़	1000	1000	1000	995					100	1
3. दिल्ली	1700	612	2700	0	9000	0	8300	1264	8300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. गोवा दमन व द्वीप	110	0	100	0	180*	180	126*	126	126	156
							5**	0	5	0
5. पांडिचेरी	1000	1308	1092	1366	592	592	700	236	64	64
योग	151161	141384	118817	223841	108026	120448	140254	139631	256598	59778

स्रोत : राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टें

टिप्पणी : अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र दादर व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में योजना परिचालन में नहीं है।

* गोवा के लिए निर्धारित लक्ष्य

** दमण तथा द्वीप के लिए निर्धारित लक्ष्य

विवरण-6

सूत्र संख्या 14 (ख) : निम्न आय वर्ग आवास

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि	1989-90 लक्ष्य	1989-90 उपलब्धि (28-2-90 तक)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	300	257	1500	1501	1500	250
असम	50	122	142	159	147	84
बिहार	262	1156	272	710	806	539

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	70	70	40	40	568	100
गुजरात	2500	4672	2700	44756	2700	3115
हरियाणा	1250	664	950	254	950	97
हिमाचल प्रदेश	165	165	161	194	180	197
जम्मू तथा कश्मीर	30	4	50	39	50	22
कर्नाटक	1453	1564	974	1033	1000	971
केरल	272	989	1000	2762	2500	4727
मध्य प्रदेश	3300	2974	1500	2663	1500	2572
महाराष्ट्र	17000	17613	17000	18367	17000	10442
मणिपुर	190	40	89	40	215	67
मेघालय	51	74	121	25	20	5
मिजोरम	27	27	820	320	320	320
नागालैंड	150	0	150	0	150	0
उड़ीसा	500	5192	2000	2028	2000	2130
पंजाब	550	550	550	550	550	418
राजस्थान	3000	5038	5000	5184	4000	2729
सिक्किम	28	30	0	0	0	0
तमिलनाडु	610	1553	1916	1916	10728	7924

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	98	27	0	0	85	39
उत्तर प्रदेश	7500	7926	5000	7054	7500	6885
पश्चिम बंगाल	350	230	270	270	100	21
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह			270	345	100	196
चण्डीगढ़			250	250	420	0
दिल्ली	300	36	119	19	119	16
दमन व दीव			4	0	4	3
पांडिचेरी	56	20	42	15	10	16
योग	40567	50993	43395	50494	55302	43885

इस योजना का 1-4-87 से प्रवोधन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय

10142. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और अधिक चिकित्सालय खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अनुरोधों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 में कितने चिकित्सालय खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) गाजियाबाद में एक और एलोपैथिक औषधालय खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण उत्तर प्रदेश में कोई नया औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या

[हिन्दी]

10143. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने कुष्ठ रोगी हैं;

(ख) इस राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने कुष्ठ निवारण केन्द्र हैं;

(ग) क्या इन संस्थानों को कुछ अनुदान भी दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रोगी-वार मात्रा कितनी है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) फरवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार 3,51,112।

(ख) दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार राज्य में निम्नलिखित यूनिटें कुष्ठ-रोगी सेवाएं प्रदान कर रही हैं :

कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	94
शहरी कुष्ठ केन्द्र	50
एस० ई० टी० केन्द्र	1023
जिला कुष्ठ कार्यालय	37
अस्थायी भर्ती वार्ड	17
स्वयंसेवी संगठन	48

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1990-91 के लिए निम्नलिखित सहायता का प्रस्ताव है :

(लाख रुपये)

नकद	सामग्री	कुल
160.00	40.00	200.00

रोगीवार मात्रा का ब्योरा नहीं रखा जा रहा है।

वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यकलापों में शामिल स्वयंसेवी संगठनों के लिए 7,87,800 रु० का अनुदान उपलब्ध किया गया था।

जड़ी-बूटियों की खेती

10144. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों में प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियां उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत में मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में इन जड़ी-बूटियों की नियमित रूप से खेती करने की कोई सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस मन्त्रालय का ऐसे पौधों की नियमित खेती के लिए कोई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मन्त्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, रानीखेत में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधों की प्रयोगात्मक खेती कर रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में फलों पर आधारित उद्योग

10145. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फलों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य में कृषि पर आधारित एकक स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) यू० पी० पशुधन उद्योग लिमिटेड और यू० पी० होर्टिको, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फल आधारित उद्योग हेतु वित्तीय सहायता मांगी थी, को सलाह दी गयी है कि वे एक ब्यौरेवार परियोजना प्रस्ताव तैयार करें।

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों की जांच

[अनुवाद]

10146. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस जांच समिति के विचाराधीन विषय क्या-क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पेप्सी कोला को स्वीकृति प्रदान करना

10147. **श्री पी० एम० सईद :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेप्सी कोला नाम के शीत पेय को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रवर्तक कौन-कौन है; और

(ग) इस शीतल पेय के कब तक बाजार में आ जाने की सम्भावना है तथा इसकी कितनी खपत होने का अनुमान है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न जोनों में मजूरी ढांचा

10148. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न जोनों में मजूरी ढांचे का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य श्रम सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

10149. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री जनार्दन पुजारी :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री बी० एस० बासवराज :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, चीनी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए, इस वर्ष इसका आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) चीनी मौसम, 1989-90 के दौरान 30 अप्रैल, 1990 तक चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 83.62 लाख टन की तुलना में 97.06 लाख टन था। चीनी के आयात, यदि कोई हो, के बारे में निर्णय पिछले स्टाक, मौसम के दौरान उत्पादन और आंतरिक उपभोग के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। इस समय चीनी के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो सरकार चीनी का आयात करने में नहीं हिचकिचाएगी।

मधुरक पदार्थ (स्वीटनर) के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

10150. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "असपर्टेम" और गम्भीर मानसिक रोगों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याओं के बीच सीधा सम्बन्ध है;

(ख) क्या भारत में इस कृत्रिम मधुरक (स्वीटनर) पदार्थ का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, यदि हां, तो इसका कौन-कौन से उत्पादों में प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने वाली कम्पनियों के नाम क्या-क्या है; और

(ग) उक्त खतरे को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों में मधुरक पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ऐसपर्टेम के उपयोग के कारण मानसिक

बीमारी और अन्य स्वास्थ्य खतरों के होने का आरोप लगाया गया है। फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, दि सेन्टर फार डिजीज कन्ट्रोल ने सेसपर्टेम का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। इस केन्द्र द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों से ऐसपर्टेम के इस्तेमाल से होने वाले विभिन्न व्यापक प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों की विद्यमानता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

(ख) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन ऐसपर्टेम को केवल चाय-पान की मेज पर इस्तेमाल किए जाने वाले मधुरक के रूप में उपयुक्त लेबल घोषणाओं के साथ बेचना अनुमत्य है। किसी खाद्य पदार्थ और पेय में इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

10151. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन 30 जिलों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या सबसे कम है;

(ख) प्रत्येक जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में राष्ट्रीय औसत के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) भारत भारत द्वारा कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार संख्या की मानीटरिंग नहीं की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कार्य राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक जिले में जनसंख्या मानदंड के आधार पर मैदानी क्षेत्र में प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या और पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) योजना आयोग और स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का असन्तुलन/कमी न हो जिन्हें जनसंख्या मानदण्ड के आधार पर खोलना अपेक्षित है। देश में 31-3 90 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 20412 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लड़के, लड़कियों के लिए छात्रावास

[हिन्दी]

10152. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लड़के, लड़कियों के लिए और अधिक छात्रावासों के निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने छात्रावासों के निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे छात्रावास भोजपुर जिले में भी खोले जायेंगे ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण हेतु समान अंशदान के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। किसी राज्य में एक वर्ष विशेष में निर्मित होस्टलों की संख्या सम्बन्धित राज्य से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर होगी। वर्ष 1990-91 के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के उद्देश्य

[अनुवाद]

10153. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने अब तक क्या-क्या कार्य किए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) वर्ष 1980 में सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया था जिसमें दो घटक शामिल हैं अर्थात हिमालयी नदी विकास तथा प्राय:द्वीपीय नदी विकास। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना जुलाई, 1982 में क्षेत्रीय अन्वेषण करने तथा प्राय: द्वीपीय नदी विकास घटक के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु की गई थी।

(ख) और (ग) प्राय:द्वीपीय नदी विकास में 17 जल अन्तरण सम्पर्कों की प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की परिकल्पना है। सातवीं योजना के अन्त तक 5 सम्पर्कों पर प्राथमिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं और शेष 12 पर आठवीं योजना में रिपोर्ट तैयार करने का कार्यक्रम है। सम्पर्कों के आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन भी शुरू किए जायेंगे। बेसिन राज्यों की सहमति पर जल अंतरण सम्पर्कों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किये जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में हिन्दी का प्रयोग

10154. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम को दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों/अस्पतालों/स्टोरों/क्षेत्रीय मुख्यालयों और मुख्यालय में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और विभिन्न स्टोरों में कुल कितने-कितने रोमन तथा देवनागरी लिपियों के टाइप राइटर/टाइपिस्ट हैं; और

(ग) कुल टाइप राइटरों आदि की तुलना में देवनागरी लिपि के टाइप राइटरों आदि का प्रतिशत कितना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सरकारी कार्य में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में पूरी तरह से अनुपालन किया है। राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं।

(ख) सूचना इस प्रकार है :

(I) हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों की संख्या	54
(II) रोमन टाइपराइटरों की संख्या	49
(III) देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या	9

(ग) ऐसे उपकरणों की कुल संख्या के मुकाबले देवनागरी लिपि के उपकरणों की प्रतिशतता 15.6 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलोर द्वारा अत्याधुनिक स्कैनर के लिए निविदाएं

10155. **श्री एच० सी० श्रीकांतय्या** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान सस्थान (नीमहंस) बंगलोर ने डेढ़ करोड़ रुपयों की लागत वाले अत्याधुनिक स्कैनर की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमन्त्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे निविदायें कब आमन्त्रित की गई थीं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान संस्थान (नीमहंस) बंगलोर ने अत्याधुनिक स्कैनर खरीद लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक खरीद लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी हां। फरवरी, 1989 में निविदायें आमन्त्रित की गई थी।

(ग) और (घ) चयन की गई फर्म मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिकल कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी त्रिपक्षीय करार नहीं किया है जो उस पर और इसके भारतीय अभिकर्ता मैसर्स आई० जी० ई० (इण्डिया) लिमिटेड, बंगलोर पर बाध्यकारी होगा। आशा है, यह उपकरण जनवरी/फरवरी, 1991 तक स्थापित हो जायेगा।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सप्लाई किया गया लिथोट्रीपटर

10156. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में "लिथोट्रीपटर" कब सप्लाई और स्थापित किया गया;

(ख) अब तक इस "लिथोट्रीप्टर" से कितने रोगियों का इलाज किया गया है और इस उपकरण की रोगियों के उपचार के मामले में सफलता दर कितनी रही; और

(ग) क्या रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) लिथोट्रिप्टर 19-9-1989 को सप्लाई किया गया था। यह उपकरण 26-3-1990 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में लगाया गया तथा प्रचालित किया गया था।

(ख) अब तक लिथोट्रिप्टर से 40 रोगियों का उपचार किया गया है और प्रथम प्रयास में उपचार की सफलता-दर लगभग 65% रही है।

(ग) जब तक दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रभार निर्धारित नहीं किए जाते तब तक रोगियों का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है।

अस्पतालों में "नाइट ड्यूटी" के दौरान महिला कर्मचारियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

10157. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी अस्पतालों में "नाइट ड्यूटी" के दौरान महिला कर्मचारियों (डाक्टर, नर्स, दाई इत्यादि) को सरकार द्वारा कौन-कौन-सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में महिला कर्मचारियों को ड्यूटी कक्ष/विश्राम कक्ष उपलब्ध किए जाते हैं जहां वे रात्रि ड्यूटी के दौरान जलपान और विश्राम कर सकती हैं। जहां तक राज्य सरकार के अस्पतालों का संबंध है, स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण महिला कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र में वनस्पति तेल एकक

10158. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में वनस्पति तेल संयंत्रों की स्थापना हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य में स्थापित किए जाने वाले इन संयंत्रों का ब्योरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) फिलहाल महाराष्ट्र में वनस्पति के विनिर्माण के लिए और क्षमता बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड

ने संयुक्त क्षेत्र में कुरकुम्भ दौद, पूना में 30,000 मी० टन वार्षिक क्षमता के वनस्पति एकक की स्थापना के लिए अगस्त, 1989 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था चूंकि महाराष्ट्र में वनस्पति का उत्पादन उसकी मांग से काफी अधिक है, इसलिए उनके आवेदन-पत्र को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।

क्षयरोग उपचार गृह (सेनेटोरियम)

10159. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार गृह (सेनेटोरियम) हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में संस्थापित किए गए उपचार तथा नैदानिक उपकरणों का ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक केन्द्र में अनुमानतः कितने रोगियों का उपचार हुआ ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक सूचना के अनुसार देश में "क्षेत्रीय क्षयरोग सैनिटोरियम" नाम की कोई संस्था नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण को मान्यता न दिया जाना

[अनुवाद]

10160. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिग्री के छात्रों को शल्य चिकित्सा में दिये जा रहे प्रशिक्षण को भारतीय चिकित्सा परिषद ने मान्यता दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कालेजों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्रमशः केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अतः भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा केरल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिग्रियों के छात्रों को शल्य चिकित्सा में दिए जा रहे प्रशिक्षण को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलने के पक्ष में नहीं है। विभिन्न पद्धतियों में सहयोग के बारे में अनुसंधान स्तर पर विचार किया जा सकता है।

नाइजीरिया विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री को मान्यता प्रदान करना

10161. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है कि नाइजीरिया विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) नाइजीरिया के विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय डाक्टरों को प्रदान की गई मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने का प्रश्न भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विचाराधीन है। परिषद का विचार इन विश्वविद्यालयों की मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए उस देश की चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षण तथा अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए एक दल नाइजीरिया भेजने का है। परिषद से अनुरोध किया गया है कि लागोस स्थित अपने उच्चायोग के परामर्श से इस दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

10162. **डा० रामचन्द्र डोम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण की कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे देश में क्षयरोग के सम्बन्ध में कोई जनसांख्यिकीय अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) क्षयरोग कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की मानिटरिंग करने की एक अन्तर्निर्मित पद्धति है। कार्यक्रम के अनिवार्य घटकों के कार्यकरण की ब्यौरेवार कार्य रिपोर्ट राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलूर द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्राप्त की जाती है जहां रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है, कार्यनिष्पादन को आंका जाता है और आवश्यक उपचारी उपाय किए जाते हैं और अलग-अलग जिला क्षयरोग केन्द्रों और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति द्वारा लगभग 14 वर्ष पूर्व भी गहराई से मूल्यांकन किया गया था।

हाल ही में एक स्वतन्त्र एजेन्सी-इंस्टिट्यूट आफ कम्युनिकेशन आपरेशन एण्ड कम्युनिटी इन्वाल्वमेंट, बंगलूर द्वारा कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का एक गहन मूल्यांकन किया गया था। उसकी रिपोर्ट से राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम की विश्वस्तता में किसी बुनियादी त्रुटि अथवा अभाव का पता नहीं चलता है।

(ग) जी, हां ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1955-58 के दौरान एक अध्ययन किया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद

10163. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश नागरिक पूर्ति निगम ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि इसे चावल की खरीद करने एवं अन्य राज्य सरकारों को इस चावल को बेचने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

"हुडको" के पास लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की योजनाएं

10164. **श्री वसन्त साठे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार "हुडको" द्वारा महाराष्ट्र को कितना ऋण दिया गया;

(ख) अब तक ऋण की कितनी धनराशि की अदायगी की गई है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार से अब तक कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं और "हुडको" के पास अभी भी मंजूरी हेतु लंबित हैं; और इसके विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में ऋण लेने वाले विभिन्न अभिकरणों को हुडको द्वारा स्वीकृत ऋणों की राशि उनसे प्राप्त हुई अदायगी इस प्रकार है :—

वर्ष	हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण	हुडको द्वारा प्राप्त ऋण अदायगी
	(करोड़ रुपयों में)	
1987-88	35	18.12
1988-89	36	21.18
1989-90	59	21.80

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त 29.94 करोड़ रुपये के ऋण के लिए 47 योजनाएं मूल्यांकन तथा हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार अभिकरणों द्वारा अनुपालन के लिए विभिन्न सोपानों में हैं। ये योजनाएं ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा सामान्य अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर स्वीकृति के लिए चालू वर्ष की सूची में शामिल की गई है।

खानाबदोश जनजातियां

[हिन्दी]

10165. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और विशेष रूप से राजस्थान में खानाबदोश जनजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने इन जनजातियों को मकान, शिक्षा संबंधी सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन जनजातियों के कल्याण के लिए कोई विशेष सरकारी योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) खानाबदोश जनजातियों के स्थायी बन्दोबस्त के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है तथा यह पूर्णत: एक राज्य विषय है।

राजस्थान की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि

[अनुवाद]

10166. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस योजना अवधि के दौरान राजस्थान में जिन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया, उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सातवीं योजनावधि में लगभग 523 करोड़ रुपए के व्यय हो जाने की प्रत्याशा है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान 3 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 4 नई बृहद परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिन पर 16.60 करोड़ रुपए व्यय हुए। इनमें से केवल एक मध्यम सिंचाई परियोजना नामश: गरदड़ा सिंचाई परियोजना को योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्थान की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

10167. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए अब तक विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) आठ वृहद परियोजनाएं नामश: इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण I व II, जाखम, गुड़गांव नहर, ओखला बराज, कोटा बराज को ऊंचा उठाना, माही बजाज सागर, चम्बल लिफ्ट तथा 13 मध्यम परियोजनाएं नामश: मीजा पोषक, वैगन, बस्सी, सोम कमला अम्बा, कोठारी, सोम कादगर, पंचाना, भीम सागर, बिलास, छापी, सावन-भादों, परवान लिफ्ट और हरीशचन्द्र सागर।

(ख) कोई नहीं। तथापि, विगत में परवानलिफ्ट तथा हरीशचन्द्र सागर परियोजनाओं को छोड़कर अन्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 7/80 से 6/86 तक की अवधि के दौरान यू० स० ए० आई० डी० कार्यक्रम के तहत 35 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्राप्त हुई।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा नर्मदा मुख्य नहर के बारे में लिया गया निर्णय

10168. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने नर्मदा मुख्य नहर का निर्माण कार्य चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या निर्णय लेते समय राजस्थान सरकार के विचारों पर भी ध्यान दिया गया था ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा नर्मदा मुख्य नहर के निर्माण की आयोजना दो चरणों में की गई है जिसे सन् 2002 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इस नहर के चरण I में 144 कि०मी० अर्थात् माही क्रासिंग तक निर्माण की परिकल्पना है जिसको 1993-94 तक पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है। दूसरे चरण में निर्माण राजस्थान सीमा तक पूरा किया जाएगा।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह प्राधिकरण नर्मदा परियोजनाओं के निर्माण के कार्यक्रमों पर विचार करता है।

आवास और मानव अधिवास के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण

10169. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के आवास और मानव अधिवास के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने भी कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में आवास संबंधी समस्या के समाधान के लिए आवास और शहरी विकास निगम अथवा सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार अपने विभिन्न संगठनों/संस्थानों जैसे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, आवास एवं नगर विकास निगम, सी० बी० आर० आई० तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से आवास तथा मानव बस्तियों के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देती रही है।

(ख) और (ग) आवास एवं नगर विकास निगम द्वारा 1985 में स्थापित मानव बस्ती प्रबन्ध संस्थान, आवास तथा मानव बस्ती के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न विशिष्ट संस्थानों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहयोग करता है तथा आवास एवं मानव बस्तियों से संबंधित व्यवसायिकों की प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धकीय दक्षताओं के उन्नयन हेतु नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है।

(घ) आवास एवं नगर विकास निगम राज्य आवास अभिकरणों स्थानीय निकायों तथा सहकारी क्षेत्रों इत्यादि के लिए सम्पूर्ण देश में आवास तथा मूलभूत सेवा विकास योजनाओं का वित्तपोषण करता है। हुडको की वार्षिक निधियों का 55% भाग, कम लागत आवास पर बल देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लाभभोगियों के लिए आवास हेतु नियमित किया जाता है।

आवास एवं नगर विकास निगम स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, जिसमें औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट शामिल हैं, का अनुपयोग करके कम लागत की भवन निर्माण सामग्री तथा संघटक बनाने वाले उद्यमों की साम्य पूंजी में भी हिस्सा ले रहा है।

कम लागत आवास प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण देने और आवास निर्माण के लिए उद्यमी गतिविधियों को प्रोत्साहित करके केन्द्र सरकार के अनुदान तथा हुडको ऋण से भवन निर्माण केन्द्रों का एक जाल बिछाया जा रहा है।

सरकार द्वारा घोषित कार्रवाई योजना के अन्तर्गत, विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने की दृष्टि से निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आरम्भ की गई हैं :—

(क) मुख्य शहरी केन्द्रों में फुटपाथ निवासियों के लिए रात्रि आश्रय योजना।

(ख) सफाई कर्मचारियों की सुविधा के लिए कम लागत की स्वच्छता योजना।

(ग) शहरी मूलभूत सेवा योजना।

इसके अतिरिक्त, नेहरू रोजगार योजना के एक संघटक के रूप में आश्रय उन्नयन योजना भी आरम्भ की गई है।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा उत्पादन

10170. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अनुमानतः कितने हथकरघा बुनकर हैं;

(ख) वस्त्रों की किन-किन मदों का केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने के लिए चयन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में इन मदों का कितना उत्पादन किया गया;

(घ) क्या केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली मदों की इस सूची में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सूची में कितनी मदों को शामिल किया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा गणना (1987-88) के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 4.53 लाख व्यक्ति हथकरघा बुनाई और प्रारम्भिक कार्य में लगे हुए हैं।

(ख) हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत केवल हथकरघों द्वारा ही उत्पादन के लिए निम्नलिखित 22 मदें आरक्षित की गई हैं :—

1. बुने हुए बार्डर अथवा हैडिंग तथा एक्सट्रा वार्प अथवा एक्सट्रा वेफ्ट वाली सूती साड़ियां;
2. कोटा डोरियां साड़ियां,
3. टाई एवं डाई साड़ी और सामग्री,
4. बार्डर में अतिरिक्त वार्प के साथ बुने हुए बोर्डर वाली सूती धोतियां,
5. बार्डर में अतिरिक्त वार्प वाला अंगवस्त्र और ढीली बुनावट में बुना हुआ सूती गमछा,
6. चैक की लुंगियां,
7. चैक की सूती कमीजें,
8. सूती क्रेप फैब्रिक,
9. बार्डर अथवा हैडिंग्स वाले तौलिये,
10. दोहरे कपड़े की बुनावट में बुने हुए खेस और फर्निशिंग तथा बुने हुए बार्डरों अथवा हैडिंग्स वाले बेडशीट, बेडकवर और काऊंटर पेन,
11. चारों किनारों पर बुने बार्डर वाले टेबल क्लाथ, टेबल मेट और नेपकीन,
12. 10 काउंटों से अनधिक काउंटों के यार्न के प्रयोग वाले बुने हुए सूती डस्टर तथा बस्ते,
13. चैक तथा स्ट्राइप वाली चद्दर,
14. 4 से 12 काउंट की लम्बाई वाली अपरिष्कृत यार्न से बनी जमाइकलम, दरी अथवा डरेट,

15. 8 से 12 तक के काउंटों वाले यार्न के प्रयोग से उत्पादित बुकरम कपड़ा,

16. धारी वाले रंगीन बुने साटिन में मशरू कपड़ा,

17. 20 काउंट और अधिक के काउंटों के लोरीड पिक बलाथ,

18. बुने हुए बार्डर में सभी रेशमी साड़ियां और धोतियां जिसमें वजन के हिसाब से रेशम का अंश कम से कम 25 प्रतिशत हो,

19. 35 माइक्रोन की औसत की शुद्ध ऊन और अपरिष्कृत (फाइबर फाइनलैस) के कम्बल या कम्बलियां,

20. औसतन 34 माइक्रोन और अपरिष्कृत ऊन के बैरक कम्बल,

21. बुने हुए डिजाइनों में शाल, लोई, मफलर, पंखी, आदि और

22. चैक अथवा स्ट्राइप में ऊनी ट्वीड।

(ग) चूंकि हथकरघा क्षेत्र एक अत्यधिक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र है और उत्पादन हाथ से किया जाता है, हथकरघा उत्पादों के उत्पादन का अनुमान कताई मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न की घरेलू सुपुर्दगियों के आधार पर लगाया जाता है। चूंकि कपड़े की 22 मदों की केवल कुछ किस्में हथकरघों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित की गई हैं, हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मदों के उत्पादन की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में समुद्री खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण

10171. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और भण्डारण की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान प्रसंस्करण और भण्डार क्षमता पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान उनमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नरेला टाउनशिप के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण

10172. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नरेला टाउनशिप के विकास के लिए अक्तूबर, 1963 में अनेक गांवों अर्थात् नरेला, भोरगढ़, कुरेनी, मसूदपुर, शाहपुर आदि में किसानों

की हजारों एकड़ भूमि के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी किन्तु नवम्बर, 1986 में इस भूमि को बहुत कम मुआवजा देकर अन्तिम रूप से अधिग्रहीत कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम अधिग्रहण के लिए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिग्रहीत की गई भूमि अब भी खाली पड़ी है और किसानों को इस पर कृषि करने से वंचित रखा गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली में हाल ही में मुआवजे की दरों में की गई वृद्धि की घोषणा को देखते हुए, विशेष रूप से उन किसानों की भूमि जो उनके कब्जे में है की मुआवजे की दरों में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त मामलों की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है और इस प्रकार के आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) यह सत्य है कि इस भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब हुआ था। विलम्ब के कारणों में एक कारण यह था कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रारम्भ में अक्तूबर, 1963 में 9000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई थी लेकिन सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात केवल लगभग 1900 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया था। यह 1969 में हुआ था। इसमें कई व्यक्तिगत भू-स्वामी सुनवाई शामिल थे तथा प्रक्रियानुसार प्रत्येक भू-स्वामी सुनवाई तथा अपना दावा प्रस्तुत करने का पात्र है। क्रमश: 1976 से आगे अवार्ड घोषित किये गये थे। विभिन्न मदों के लिए हर्जाना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया गया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में उसको सौंपी गई भूमि का पहले ही सर्वेक्षण कर लिया है तथा विकास योजनायें तैयार कर ली गई हैं। कुछ क्षेत्रों में वास्तविक विकास भी आरम्भ हो चुका है।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में नीति को अब पुनरीक्षित एवं घोषित कर दिया गया है। तथापि, यह उस भूमि पर लागू नहीं होगा जहां पहले ही अवार्ड दे दिए गए हैं।

केजुअल लेबर एण्ड माडल स्टेंडिंग आर्डर्स

10173. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को शासित करने वाले सभी मंत्रालयों और विभागों को केजुअल लेबर एण्ड माडल स्टेंडिंग आर्डर्स, 1971 के बारे में पत्र लिखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) तत्कालीन श्रम मंत्री ने 27-2-1983 को सभी मंत्रियों को लिखा जिसमें नैमित्तिक श्रमिकों के फायदे के लिए सभी नियोक्ता मंत्रालयों के साथ परामर्श करके वर्ष 1971 में अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके वर्ष 1971 में श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आदर्श स्थायी आदेशों (माडल

स्टैंडिंग आर्डर्स) की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था। उन्होंने सभी मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार उपक्रमों को इन्हें अपनाने तथा इन आदर्श स्थायी आदेशों में निर्दिष्ट उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें। कुछ मंत्रालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने उपक्रमों को उक्त आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं।

ठेका श्रम प्रणाली

10174. श्री ए० के० राय : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कुल कितने ठेका श्रमिक हैं;

(ख) कितने श्रमिक स्थाई किस्म के कार्यों में लगे;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेका श्रमिकों को स्थाई किस्म के कार्य उपलब्ध कराने हेतु ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान): (क) मांगे गए प्रपत्र में कोई भी केन्द्रीकृत आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) स्थायी किस्म के कार्यों में लगे ठेका श्रमिकों की संख्या के प्रश्न का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में उन कार्यों तथा प्रक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के नियोजन पर रोक लगाने की व्यवस्था है, जहां अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रदान की गई शर्तें पूरी की जाती हैं। ऐसे कार्यों तथा संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जा सकता जहां अधिनियम के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। अतः ऐसे कार्यों पर जहां ठेका श्रमिकों को प्रतिषिद्ध किया गया है केवल नियमित कर्मकारों को लगाया जा सकता है।

पैकिंग में टिन का प्रयोग

10175. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री शांता राम पोटदुखे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की पैकिंग में अनुपयुक्त ग्रेडों की टिन के प्रयोग की मनाही है;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी मात्रा में पैकिंग किया हुआ देसी खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल अनुपयुक्त टेबेरों में मिलता है और कुछ मामलों में प्रयोग नहीं किया जाता, हमारे देश में प्रयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है

कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग में अच्छे ग्रेड की टिन-प्लेटों का ही प्रयोग किया जाए और ऐसे मामलों में बेकार टिन-प्लेट के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में पहले ही यह व्यवस्था की गई है कि खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाले टिन सहित टिन के डिब्बे में पैक की जाने वाली सामग्री सुरक्षित होगी और यह खाद्य वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधिकारियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि टिन सहित पैक की जाने वाली सामग्री स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार हो।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा इस मंत्रालय को ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा का विस्तार

10176. श्री एस० बी० थोरट : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र मे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक श्रमिक वर्गों को लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

10177. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल राज्य में कितने संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) क्या केरल राज्य में और अधिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) और (ख) कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवन का निर्माण/विस्तार करने की योजना के अन्तर्गत भूमि के मूल्य के 50 प्रतिशत तक तथा भवन निर्माण लागत के 75 प्रतिशत तक अथवा बनी बनाई इमारत खरीदने के लिए इसी पद्धति पर स्वयंसेवी संगठनों, सार्वजनिक न्यासों, स्थानीय निकायों, महिला विकास निगमों, विश्वविद्यालयों, समाज कार्य स्कूलों/कालेजों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1972-73 में इस कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक भारत सरकार ने केरल में 8617 कामकाजी महिलाओं को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 101 होस्टलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है जिनमें 55 होस्टल ऐसे हैं जहां 1480 बच्चों के लिए दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं तथा धन का आवंटन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार नहीं किया जाता। पात्र संगठनों के प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से प्राप्त होने पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

"रिटिनाइटिस पिगमेन्टोसा"

[हिन्दी]

10178. **श्री राजवीर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत संघ में रिटिनाइटिस पिगमेन्टोसा बीमारी के उपचार हेतु औषधि की उपलब्धता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी के उपचार हेतु औषधि का आयात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली हेल्मोल्ट्ज इंस्टिट्यूट आई० डिजीजिज, मास्को के साथ एक आदान-प्रदान कार्यक्रम चला रहा है जो रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा के रोगियों को यह औषध उपचार प्रदान करता है। दोनों संस्थानों के बीच कार्यवाही योजना में इस औषध के इस्तेमाल के लिए संयुक्त क्लिनिकल जांच करने की बात सोची गई है। यह औषध अभी तक जांच के लिए डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उप-समितियों का गठन

[अनुवाद]

10179. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए छोटी उप-समितियां गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए तीन विकास परिषदों का गठन किया गया है। ये हैं :—

(1) लघुकी बांस एवं मुरगी-पालन उद्योग विकास परिषद।

(2) फल, सब्जी, शराब एवं बागान उत्पाद उद्योग विकास परिषद।

(3) खाद्यान्न, डेरी उत्पाद एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य विकास परिषद।

विकास परिषदों की सहायता के लिए सात पैनलों की भी स्थापना की गई है ताकि विशेष मामलों की जांच की जा सके।

लेवी चीनी

10180. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की कृत्रिम कमी और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, महीने के अन्त में मिलों में अप्रेषित पड़ी हुई खुली-बिक्री की चीनी को लेवी चीनी में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीनी की कुल मात्रा कितनी है; और

(ग) इस निर्णय से देश में चीनी की कमी दूर करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए 3.32 लाख टन मासिक लेवी चीनी कोटे का आबंटन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिमाह खुली बिक्री चीनी भी रिलीज की जाती है जिससे कि खुले बाजार में उचित दामों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खुले बाजार में रिलीज की गई खुली बिक्री चीनी की पूरी मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि मासिक खुली-बिक्री कोटे में से वैध अवधि की समाप्ति पर बिना बिकी/अप्रेषित चीनी को अब मई, 1990 से लेवी चीनी में बदल दिया जाएगा यदि यह चूक पूर्णतया उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई न हो। सरकार प्रतिमाह खुली बिक्री चीनी की पर्याप्त मात्रा रिलीज करना सुनिश्चित कर रही है।

दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों के लिए संशोधित मार्गनिर्देश

10181. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों के सम्बन्ध में संशोधित मार्ग निर्देशों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार का विचार है कि गगनचुम्बी निर्माण/विकास नियंत्रित करने के लिए अलग मार्ग निर्देशनों की बजाय इस आशय के विनियमन दिल्ली वृहद योजना पर आधारित एकीकृत भवन संहिता का भाग बनाना चाहिए।

उड़ीसा के गांवों के लिए मूलभूत सुविधाएं

10182. श्री के० प्रधानी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 184 आदिवासी गांवों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कुछ धनराशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा गांवों के नाम सहित पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करना

[हिन्दी]

10183. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्रों और विशेष रूप से सर्किल संख्या-43 में आवेदकों पर उन्हें नये राशन कार्ड जारी करने के लिए सम्बद्ध जिला खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों से प्रमाण पत्र देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो कि दिल्ली प्रशासन के नियमों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूषित ग्लूकोज

[अनुवाद]

10184. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रक ने नवम्बर, 1989 में ओस्लर्स फार्मा लिमिटेड, कोयम्बतूर (तमिलनाडु) के विरुद्ध "दूषित ग्लूकोज" के मामले में जांच कार्य को अचानक रोक दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ओस्लर्स फार्मा लिमिटेड द्वारा निर्मित "आई० वी० फ्लूइड्स" के 153 बैचों को केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता में परीक्षण/विश्लेषण न किए जाने के क्या करण हैं; और

(ग) भारत के औषध नियंत्रक द्वारा 3600 बोतलों की जांच करने पर उन्हें दूषित पाए जाने के बाद 30,000 बोतलों के चाक्षुष निरीक्षण को अचानक बंद करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किए गए अनुरोध पर औषध निरीक्षक, केन्द्रीय औषध नियंत्रण मानक संगठन, नार्थजोन, गाजियाबाद ने मैसर्स आस्लर फार्मा लिमिटेड, कोयम्बतूर द्वारा विनिर्मित और मैसर्स एस० के० फार्मेस्यूटिकल्स, नई दिल्ली के परिसर में स्टाक किए गए अन्त: शिरा द्रव की लगभग 3600 बोतलों की सामान्य दृष्टि से ही जांच की। औषध निरीक्षकों ने पाया कि 3600 बोतलों में से लगभग 1560 बोतलें फफूंद से संदूषित थीं और शेष बोतलों में कुछ कण जैसा पदार्थ था। यह महसूस किया गया कि मैसर्स एस०के० फार्मा के परिसर में पड़ा सम्पूर्ण स्टाक संदूषित हो गया है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मैसर्स एस० के० फार्मा से कहा गया कि वे उनके द्वारा रखे गए सम्पूर्ण स्टाक को वैसे ही रहने दें। न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें सम्पूर्ण स्टाक को नष्ट करने की अनुमति मांगी गई थी। औषध निरीक्षकों ने सामान्य प्रक्रिया स्वरूप, 20 बैचों के यादृच्छिक नमूने लिए और उन्हें विश्लेषण के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोग शाला, कलकत्ता को भेजा। 14 नमूनों को मानक कोटि का नहीं पाया गया क्योंकि उनमें फफूंद थी; एक नमूना पाइरोजन जांच में सफल नहीं उतरा और 5 नमूनों को मानक कोटि का घोषित किया गया।

विश्लेषण के परिणामों के आधार पर वितरकों और विनिर्माताओं के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के केरल स्थित अस्पताल

10185. **श्री पी० सी० थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चालू अस्पताओं का जिलावार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केरल में इस निगम के और अस्पताल खोले जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या केरल में निगम के अस्पतालों की सेवाओं के मामलों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) केरल में मौजूदा क० रा० बी० अस्पतालों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 75 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है :—

अस्पताल का नाम	अतिरिक्त पलंगों की संख्या
1. क० रा० बी० अस्पताल, ओलेरीक्करा, त्रिचूर	50
2. क० रा० बी० अस्पताल, असरामम, क्वीलन	25

अनुमानित राशि स्वीकृत किये जाने के बाद अतिरिक्त पलंगों के लिए अपेक्षित निधि की व्यवस्था क० रा० बी० निगम द्वारा की जाएगी।

(घ) और (ङ) दवाइयों के उपलब्ध न होने, दवाई के प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी में विलम्ब, डाक्टरों की कमी आदि के बारे में छिटपुट शिकायतें हैं। चूंकि क० रा० बी० योजना के अधीन चिकित्सीय देख-रेख के प्रशासन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है, शिकायतों को समुचित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए केरल सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

विवरण

क्रमांक	अस्पताल का नाम	जिले का नाम
1.	क० रा० बी० अस्पताल, पेरूरकडा	त्रिवेन्द्रम
2.	क० रा० बी० अस्पताल, असरामम	क्वीलन
3.	क० रा० बी० अस्पताल, पेरीपल्ली	क्वीलन
4.	क० रा० बी० अस्पताल, एजुकोन	क्वीलन
5.	क० रा० बी० अस्पताल, वदवापूर	कोट्टायाम
6.	क० रा० बी० अस्पताल, बीच वार्ड अलेप्पी	अलेप्पी
7.	क० रा० बी० अस्पताल, उद्योगमंडल	एरनाकुलम
8.	क० रा० बी० अस्पताल, एरनाकुलम	एरनाकुलम
9.	क० रा० बी० अस्पताल, ओलेरीक्करा	एरनाकुलम
10.	क० रा० बी० अस्पताल, (अ० रो०) माटगुन्नाथुवावु	त्रिचूर
11.	क० रा० बी० अस्पताल, फेरोक	कोजीकोड
12.	क० रा० बी० अस्पताल, थोटाड्डा	कन्नानोर
13.	क० रा० बी० अस्पताल, जैनमेडू पालघाट	पालघाट

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले

10186. श्री तेज नारायण सिंह : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने वर्तमान कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश करने के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में पुलिस और प्रशासन द्वारा उन पर कार्यवाही करने में अपनाये जाने वाले रुख के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में उचित कार्यवाही करने में दोषी पाये गये विधि प्रवर्तन अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है;

(घ) इस समस्या से निपटने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अद्यतन, अध्ययन सामान्य मामलो का पता लगाने और सामान्य उपाय सुझाने के उद्देश्य में अत्याचार के एक हजार मामलों की जांच तक सीमित था । अध्ययन ने किसी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी का सही पता नहीं लगाया है । रिपोर्ट में बताई गई कमियां हैं :—अपराध स्थल पर पुलिस अधिकारियों का विलंब से दौरा और आरोप पत्र दायर करने में अनावश्यक देरी, दोषपूर्ण आरोप पत्र दायर करना, न्यायालयों के समक्ष मामलों में दीर्घकालिक लम्बितता, अत्याचारों से पीड़ितों को राहत के भुगतान में विलंब और असफलताएं और अनुरूप ।

(घ) अध्ययन रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है ।

सुपर बाजार व केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

10187. श्री नन्द कुमार साय :

श्री रामजीलाल सुमन :

श्री रेशमलाल जांगड़े : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में "सुपर बाजार-सी० जी० एच० एस० टूसल-पेशन्ट्स सफर द मोस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) ऐसे क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है जिनसे रोगियों को औषधियां समय पर उपलब्ध हो जायें और वे औषधियों पर खर्च की गई धनराशि का वापस भुगतान बिना कठिनाई और असुविधा के प्राप्त कर सकें ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) फार्मूलरी में शामिल सभी एलोपैथिक दवाइयां चिकित्सा सामग्री भण्डार

संगठन से प्राप्त की जाती हैं। जिन दवाइयों की चिकित्सा सामग्री भण्डार द्वारा पूर्ति नहीं की जाती उन्हें सुपर बाजार से मांग-पत्र भेजकर मंगाया जाता है। आपाती मामलों में लाभार्थियों को सुपर बाजार से बिना कोई भुगतान किए दवाइयां खरीदने के लिए प्राधिकार पर्चों भी दी जाती है। सुपर बाजार में दवाई उपलब्ध न होने की स्थिति में लाभार्थी को प्राधिकार दिया जाता है कि वह बाजार से दवाई खरीद ले और सुपर बाजार से धन वापस ले ले। सुपर बाजार द्वारा औषधालयों और लाभार्थियों को दवाइयों की पूर्ति में भारी वृद्धि हो जाने के कारण धन-वापसी के दावों की संख्या भी काफी बढ़ गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना सुचारू ढंग से कार्य करती रहे और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कोई असुविधा न हो, निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :—

1. चिकित्सा सामग्री भण्डार द्वारा पूर्ति न की गई दवाइयां निर्माताओं से सीधे खरीदी जाएं;

2. दिल्ली में और अधिक स्थानीय केमिस्ट नियुक्त किए जा रहे हैं।

शीरे से शराब बनाना

[हिन्दी]

10188. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुपयुक्त शीरे से बनाई गई शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शीरे का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये किस दण्ड का प्रावधान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गई विशिष्टियों के अनुसार गन्ने के शीरे का इस्तेमाल केवल रम बनाने में किया जा सकता है। रम की विशिष्टियों में यह निर्धारित किया गया है कि यह हानिकारक घटकों से मुक्त होगी।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी खाद्य वस्तु को बेचना एक दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए कारावास, जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, हो सकता है।

काम्पिल में रूई कताई मिल

10189. **डा० महावीपक सिंह शाक्य** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल स्थित रूई कताई मिल का उत्पादन लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार अलग-अलग कताई मिलों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करना

10190. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सुदर्शन टैक्सटाइल और नागपाल विविंग मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या ये मिलें अभी पुन: चालू किये जाने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सुदर्शन टैक्सटाइल मिल्स, कोटा को जो कि 6-?-1983 से बन्द पड़ी हुई है। नोडीय अभिकरण द्वारा गैर-अर्थक्षम पाया गया है। और इसीलिए वह अभी दुबारा खोले जाने की स्थिति में नहीं है। नागपाल गिनिंग मिल्स के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

औषध नियंत्रक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया मामला

[अनुवाद]

10191. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी एंड ओरस्कार्स फार्मा लिमिटेड के औषध नियंत्रण के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक आपराधिक मामला संख्या आर० सी० 37 (ए) डी० एल० आई० दर्ज किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई सूचना के अनुसार, पी० सी० अधिनियम, 1947 की धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के साथ पठित धारा 120-बी और धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 12 (2) के अन्तर्गत औषध नियंत्रण दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों, सी० आई० पी० एल० गाजियाबाद और मैसर्स आस्लर्स फार्मा लि० कोयम्बटूर के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो, ए० सी० बी० दिल्ली में एक मामला अर्थात आर० सी० 37क/89-डी० एल० आई०, दिनांक 31-7-1989 दर्ज किया गया है। संक्षेप में यह आरोप है कि वर्ष 1988 के दौरान मैसर्स आस्लर्स फार्मा लि०, 277 ए, पेरूर मेन रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) द्वारा विनिर्मित 153 बैचों में से अन्त:शिरा द्रव की 30,000 बोतलें मैसर्स एस्के फार्मास्यूटिकल्स, 6 प्लाट संख्या 36, मेन पटेल-रोड, नई दिल्ली को दिल्ली में इसकी बिक्री के लिए सप्लाई की गई थी ये बोतलें संदूषित थी और इनमें स्पष्ट दिखाई देने वाले काले, सफेद और रेशेदार कण थे। दिनांक 9-2-1989 को औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए 11 बैचों से नमूने लिए गए। तथापि, उपर्युक्त अपराधियों के साथ मौन सहमति रखने वाले इन अधिकारियों ने मैसर्स आस्लर्स फार्मा लि० के प्रति अनुसूचित पक्षपात दर्शाया और इन बैचों को बिक्री के लिए स्वीकृति दे दी।

इस मामले की जांच की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 क्षेत्र की सीमा से दूरसंचार को बाहर रखना

10192. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्षेत्र की सीमा से टेलीफोन सेवाओं को बाहर रखने के बारे में क्रमशः दिनांक 26 जुलाई, 1989 और 25 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1354 और 6515 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के लागू होने के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा दी गई सलाह से संचार मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्षेत्र के बारे में सम्बन्धित मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और इस सलाह को किस तारीख से स्वीकार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) दूर-संचार विभाग द्वारा मुहैया कराई जाने वाली टेलीफोन सेवाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आती हैं और यह बात दूर-संचार विभाग को 4 अगस्त, 1989 के पत्र द्वारा सूचित कर दी गई थी। दूर-संचार विभाग ने टेलीफोन सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिधि से छूट देने के लिए हाल में नागरिक पूर्ति विभाग तथा विधि व न्याय मंत्रालय से सम्पर्क किया था। नागरिक पूर्ति विभाग कोई भी छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं है।

केन्द्रीय आवास परिसर, बसन्त विहार, नई दिल्ली में औषधालय खोलना

[हिन्दी]

10193. श्री राजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय आवास परिसर वसन्त विहार, नई दिल्ली में एक औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) वसन्त विहार में एक एलोपैथिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जायेगा। इस समय वसन्त विहार के निवासी निकट के औषधालयों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठा रहे है।

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

[अनुवाद]

10194. डा० भगवान दास राठौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख अस्पतालों के सांपतिक आधार के बहाने चिकित्सा उपकरणों की खरीद में की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि करोड़ों रुपये मूल्य के चिकित्सा उपकरण दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य प्रमुख अस्पतालों के स्टोरों और सब स्टोरों में व्यर्थ पड़े हैं क्योंकि वास्तव में इनकी आवश्यकता ही नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का प्रति वर्ष करोड़ों रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बचाने हेतु इन अलाभकारी कार्यों की जांच करने के लिए जांच समिति गठित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय योग अनुसंधान परिषद और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

10195. प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा :

श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय योग अनुसंधान परिषद और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के निदेशक ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अन्य योग केन्द्रों के बारे में ऐसी शिकायतें की गई हैं; यदि यहां, तो इन शिकायतों पर क्या कारंवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या अब सरकार का योग संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताओं और कदाचार को समाप्त करने और उनके कार्यक्रम में सुधार लाने की दृष्टि से इन संस्थाओं के पूरे कार्यकलापों की जांच करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चूंकि किसी अनियमितता और कदाचार की सूचना नहीं मिली है इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय सहायता

10196. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र को, केरल सरकारी क्षेत्र के पुनर्वित्तपोषण की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या हथकरघा विकास निगम के अधीन कार्यरत हथकरघाओं को उपरोक्त योजना के अंतर्गत ऋण नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य हथकरघा विकास निगमों में अलग-अलग क्षेत्र में कार्यरत हथकरघा बुनकर भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं। अलग-अलग बुनकरों को निवेश और विपणन सम्बन्धी सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा राज्य निगमों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-कानूनी तरीके से खींची गई शराब पीने से हुई मौतें

[हिन्दी]

10197. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अर्थात वर्ष 1989 के दौरान देश में गैर-कानून तरीके से खींची गई शराब पीने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) ऐसी अवैध शराब बेचने के लिए कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया;

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(घ) क्या सरकार का देश में "नशाबन्दी" कानून लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के अस्पतालों में वैकल्पिक दवा दिया जाना

[अनुवाद]

10198. डा० भगवान दास राठौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में वास्तविक नुस्खे वाली दवाओं के बदले उन वैकल्पिक दवाओं को दिया जा रहा है, जिनके घटक, नितान्त रूप से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत भिन्न घटकों वाली इन औषधियों को दिए जाने की अनुमति है; और

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञों द्वारा नुस्खे लिखी दवाओं के उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फार्मूलरी में शामिल सभी दवाइयां औषधालयों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थियों को उपलब्ध की जाती है। यदि कोई मद उपलब्ध नहीं होती तो उसे सुपर बाजार से खरीद कर लाभार्थियों को उपलब्ध किया जाता है। सुपर बाजार द्वारा भी सप्लाई न किए जाने के मामले में रोगी को प्राधिकृत किया जाता है कि वह उस दवाई को खुले बाजार से खरीद ले और खर्च की प्रतिपूर्ति ले ले। आपाती मामले में चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे लाभार्थियों को सुपर बाजार से दवाई लेने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करें।

कुप्रबन्ध के कारण नष्ट हुई रुई

10199. श्री गंगा चरण लोधी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित ईकरटन कॉटन मिल्स में एक हजार मीटर रुई नष्ट होने का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे मिल को कुल कितना नुकसान हुआ है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उ० प्र०) लि० के अधीन अथंटन वेस्ट मिल्स, कानपुर नामक वस्त्र मिल में कोई रुई नष्ट नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति

[हिन्दी]

10200. श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री आर० एन० राकेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र नीति सम्बन्धी आबिद हुसैन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कीटनाशकों से फैलने वाले जहर तथा कृषि कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य को इससे होने वाले नुकसान संबंधी आंकड़ों का संकलन

[अनुवाद]

10201. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों के बारे में ठाकेर समिति (1964) ने सिफारिश की थी कि चिकित्सीय विष-विज्ञान पर, विशेषकर कीटनाशकों से फैलने वाले जहर तथा किसानों एवं जन स्वास्थ्य को इससे होने वाले नुकसान के बारे में निश्चित कार्यक्रम बनाया जाए;

(ख) क्या ठाकेर समिति (1964) ने यह भी सिफारिश की थी कि भोजन, खाद्य सामग्री, चारे तथा पानी पर कीटनाशकों के प्रभावों के आंकड़ों के लिए दो विकास विश्लेषणात्मक इकाईयां और दो वैश्लेषिक इकाइयों की स्थापना की जाए;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है तथा एकत्रित की गई सूचना का पूरा ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह सूचना प्रकाशनों के माध्यम से सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में नारियल जटा का निर्यात

10202. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान केरल से कितनी मात्रा में नारियल जटा का निर्यात किया गया; और

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कयर निर्यात के लिए 45 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आलू, चावल और गेहूं इत्यादि से शराब बनाया जाना

10203. श्री पी० एम० सईद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आलू, चावल, गेहू इत्यादि से एक विशेष प्रकार की शराब का निर्माण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस जारी किया गया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसका उत्पादन किया जायेगा;

(ग) क्या इस प्रकार निर्मित शराब का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) गैर शीरा कच्ची सामग्री पर आधारित पेय अल्कोहल के विनिर्माण के लिए कुछ आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कीटनाशकों के बारे में ठाकेर समिति

10204. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों के बारे में ठाकेर समिति (1964) ने कीटनाशकों के सम्पर्क से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने की सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के क्या परिणाम रहे;

(ख) समिति की अन्य सिफारिशों पर की गई मुद्देवार कारंवाई का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या किसी अन्य केन्द्रीय संस्था ने देश में जहर फैलाने वाले कीटनाशकों के बारे में विवरण इकट्ठा किया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार तथा राज्यवार ब्योरा क्या है;और

(घ) क्या कीटनाशकों से फैलने वाले जहर को पूरे देश में एक अधिसूचित रोग घोषित करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवश्यक वस्तुओं का रक्षित भण्डार

10205. श्री बसन्त साठे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए उनका पर्याप्त रक्षित भण्डार बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) और (ख) सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए सरकार के पास गेहूं और चावल के पर्याप्त सुरक्षित भण्डार हैं। चालू वर्ष में चीनी का बहुत अच्छा उत्पादन होने जा रहा है और लेवी लेवी तथा खुले बाजार में बिक्री दोनों के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहेगी।

मिट्टी के तेल की जरूरतें देशीय उत्पादन और आयात, दोनों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं। विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त भण्डार रखा गया है।

खाद्य तेलों के सम्बन्ध में, समय-समय पर आयात की गई मात्रा के आधार पर भण्डार बनाए रखे जाते हैं।

महाराष्ट्र में नर्सिंग स्कूल

10206. श्री वसन्त साठे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ऐसे नर्सिंग स्कूल मौजूद हैं जिन्हें भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) उनको मान्यता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रतिवर्ष कितनी नर्सें प्रशिक्षित होकर निकलती हैं तथा राज्य में प्रशिक्षित नर्सों की अनुमानित मांग कितनी है; और

(घ) महाराष्ट्र में, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में प्रशिक्षित नर्सों की मांग को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) महाराष्ट्र में निम्नलिखित तीन स्कूलों को भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा मान्यता नहीं मिली है :

1. जनरल अस्पताल, भण्डारा।
2. प्रवर ग्रामीण अस्पताल, लोनी।
3. सेठ आर० राम नाते धर्मार्थ अस्पताल, पूर्ण।

(ख) ये स्कूल महाराष्ट्र नर्सिंग परिषद से सम्बद्ध हैं और इन संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के निरीक्षण के पश्चात भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा इन्हें मान्यता देने पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में 75 मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल और कालेज हैं और प्रशिक्षित नर्सों की कुल अनुमानित संख्या दो हजार प्रतिवर्ष है। महाराष्ट्र में प्रशिक्षित नर्सिंग कार्मिक महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में हैं।

इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम को मान्यता

10207. श्री वसन्त साठे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के अनेक कालेजों में इलेक्ट्रोपैथी विषय पढ़ाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा सरकार के अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र मिलने की उम्मीद है।

बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति

10208. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांधों के निर्माण और अन्य बांध निर्माण स्थलों के विकास के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु सरकार का विचार एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाप्त होते जा रहे भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण हेतु जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए वर्ष 1980 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों में पुनर्वास से सम्बन्धित मदें तथा बांध स्थलों के चयन से सम्बन्धित मदें भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रभावित आदिवासियों के लिए अपेक्षित विशेष प्रावधानों की कल्याण मन्त्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के स्तर पर जिलेवार रिपोर्टें तैयार करना शुरू किया है और इन रिपोर्टों को सम्बन्धित स्थानीय अभिकरणों को प्रस्तुत कर रहा है। देश भर में अप्रैल/मई, 1990 में आयोजित जल संसाधन दिवस पर राष्ट्रीय वार्तालाप के लिए चुना गया मूल विषय "भविष्य के लिए जल" है। विषय वस्तु मे भूजल से सम्बन्धित मामले भी शामिल हैं इसके अलावा, भारतीय जल संसाधन सोसाइटी को, क्षेत्र के जल संसाधनों से सम्बन्धित मामलों पर गहराई से बातचीत करने के लिए उनके सदस्यों के स्थानीय केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

मैसर्स एस्के फार्मास्यूटिकल्स के विरुद्ध मामला

10209. **श्री कालका दास** :

प्रो० सैफुद्दीन सोज :

श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज एस्के फार्मास्यूटिकल्स, जिसने हजारों मरीजों की जान बचाई और मैसर्स ओस्लेर्स फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा निर्मित अत्यधिक संदूषित ग्लूकोज की बोतलों की ओर से ही वापस लेकर एक बड़ी दुर्घटना होने बचाई, के विरुद्ध एक मनगढंत मामला बनाया गया है;

(ख) क्या यह शिकायत एस्के फार्मास्यूटिकल्स ने की है तथा वही इस मामले का प्रमुख साक्षी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले की एक निष्पक्ष निकाय द्वारा पुन: जांच कराने के मामले में क्या कारंवाई की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) मैसर्स एस्के फार्मास्यूटिकल्स, जिनके पास फफून्दी की बोतलों का स्टाक पाया गया है और अन्त: शिरा द्रव की बोतलों के निर्माता मैसर्स ऑसलर फार्मा, कोयम्बटूर पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है।

क्योंकि न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है, इसलिए सम्पूर्ण मामला न्यायाधीन है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन तथा ट्रालिंग को बढ़ावा देना

10210. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और मत्स्य नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) स्वदेशी निर्माण, आयात, संयुक्त उद्यमों तथा मछली पकड़ने के विदेशी जलयानों को किराये पर लेने के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजी बेड़े में वृद्धि करना;

(II) स्वदेश में निर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता देने का प्रावधान;

(III) शिपिंग क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमैंट कं० आफ इण्डिया लि० द्वारा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(IV) बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मात्स्यकी बन्दरगाहों का निर्माण;

(V) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मजदूरों का प्रशिक्षण;

(VI) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी स्रोतों का क्रमबद्ध तथा गहन सर्वेक्षण करने से उपलब्ध होनेवाली मछली की किस्मों तथा मात्राओं के बारे में सूचना का प्रसार करना;

(VII) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित उपकरणों पर लगने वाले करों में कमी करना।

दिल्ली में नेताजी स्मारक

[हिन्दी]

10210-क. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज का एक स्मारक स्थापित करने के बारे में अखिल भारतीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्मारक समिति का कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

———

12.00 मध्यान्ह

श्री रमेश चेन्नीथाला, संसद सदस्य के साथ दिल्ली पुलिस की कथित हाथापाई के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हरीश रावत जी, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। बृह्मभट्ट जी, आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ।

(व्यवधान)

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारी बात आज आपको सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं ? आप बैठ जायें। क्या हो गया।

कुमारी मायावती (बिजनोर) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात मैंने सुनी है, आज हम हाऊस नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। आप पहले बैठ जायें।

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : वहां एक आदमी की जमीन ले ली है, उसके खिलाफ हमने लिखकर दिया है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई वहां के पुलिस आफिसर ने वहां के डी०एम० ने मेरा घर सर्च किया है, हम आपसे न्याय मांगना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यूथ कांग्रेस के प्रेसीडेंट और इस सदन के माननीय सदस्य को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पीटा है और वह घायल अवस्था में है···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका प्रिवलेज मोशन मिला है, मैंने उसको फैक्ट्स के लिए भेजा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैंने कल यह मुद्दा उठाया था और उपाध्यक्ष महोदय ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिया था।

श्री हरीश रावत : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। हमने कल इस मुद्दे को उठाया था। श्री चिदम्बरम जी ने इसे उठाया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है न। आपका प्रिवलेज मोशन मिला है, मैंने उसको फैक्ट्स के लिए भेज दिया है।

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : अखबारों में फैक्ट्स आये हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स मंगा रहे हैं। यह बात सही नहीं है कल डिप्टी स्पीकर ने कहा था, सोमनाथ चटर्जी ने भी सपोर्ट किया था कि यह मामला सीरियस है

[अनुवाद]

और सरकार तथ्यों को प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

इसके बाद भी गवर्नमेंट फैक्ट्स के साथ नहीं आ रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुनी। हमें आडवाणी जी की बातें सुननी चाहियें। मैं समझता हूं यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम आडवाणी जी की बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर देना चाहती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी आपकी सहायता करना चाहते हैं। वे आपको समर्थन देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : विशेषाधिकार सूचना मैंने दी थी। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : विशेषाधिकार प्रस्ताव मैंने रखा है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय ने कल रिपोर्ट की मांग की थी। रिपोर्ट कहां है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। आप हमेशा बोलते रहते हैं। मैं श्री रावत को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी-अपनी जगह पर बैठेंगे ?

[हिन्दी]

आप बैठ जायें। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर डेलकर, आपने जो दिया है, उसके लिए तो मैं आपको बुलाऊंगा। आपको मैंने मना नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, जब कल माननीय चिदम्बरम जी ने इस मामले को उठाया था तो डिप्टी स्पीकर साहेब ने कहा था कि वे रिपोर्ट मंगवाएंगे और गवर्नमेंट से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन यह ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने पुलिस अफसर से यह कहलवाती है कि तुम बड़े एम० पी० बनते हो, तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ करके ठीक कर दिया जाएगा मगर दिल्ली के अन्दर राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में घायल अवस्था में श्री रमेश चेन्नीथाला पड़े हैं, उनकी रिपोर्ट मंगवाकर आपको इन्फार्म नहीं कर सकती है। सदन की अवमानना से खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। यह अवमानना जानबूझकर की गयी है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज इस सदन का हर सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पहले इरा अम्बारासु को पीटा गया, अब रमेश चेन्नीथाला को पीटा गया। कल को हरीश रावत की बारी आयेगी, फिर चिदम्बरम जी की बारी आयेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक स्थिति आएगी जब न केवल विरोधी पक्ष के सदस्य, बल्कि सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य भी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सब आपके हाथ में हैं, हमारा सम्मान, हमारी सुरक्षा आपका दायित्व हैं, इस सदन का दायित्व है। मैं सारे सदन की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो ब्रीच आफ प्रिवलेज के नोटिस से दिए हैं, उनको डायरेक्टली प्रिवलेज कमेटी को सौंप दिया जाए, सीधे प्रिवलेज कमेटी को रैफर कर दिया जाना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मि० श्रीवास्तव, जब किसी मेंबर की पिटाई हुई है तो इस विषय को लाइटली नहीं लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य श्री हरीश रावत जी के बाद आपने आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम लिया था और वे बोलने के लिए खड़े भी हुए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठिए। मैं आडवाणी जी को भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

जी हां, कुरियन जी।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, अब एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। हमारी सुरक्षा अब सिर्फ आपके द्वारा ही सुनिश्चित हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि एक माननीय संसद सदस्य को पीटा गया है और संसद सदस्य के रूप में अपना कर्त्तव्य पालन करने में उन्हें बाधा पहुंचाई गयी है। हमारे पास श्री अन्बारासु जी का उदाहरण है। उन्हें भी पीटा गया था। पहले श्री विजय राघवन जी को भी पीटा गया था और यह बात पिछले सत्र में हुई थी। इस सभा के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से आपने उस मामले को विशेषाधिकार समिति के हवाले कर दिया था। हम आपके आभारी हैं।

यह भी उसी प्रकार की घटना है। इस बात पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए कि सभी समाचारपत्रों में यह खबर छपी थी कि ये आन्दोलनकारी शान्तिपूर्वक चल रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण आन्दोलन था।

दूसरे, अकारण ही उन पर लाठी चार्ज करने के आदेश दिये गये थे। इस तथ्य के बावजूद कि उनके साथ हजारों नौजवान थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने के लिए एक भी गाड़ी नहीं लायी। अत: संसद के माननीय सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से उनके कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचाने हेतु जानबूझ कर यह लाठी चार्ज किया गया था। (व्यवधान)

सिर्फ यही नहीं, राज्य सभा की एक और संसद सदस्या माननीय श्रीमती सुशीला तिरिया को पीटा गया था। ये घटनायें बार-बार हो रही हैं। यह सरकार की चाल है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : गृह मन्त्री महोदय कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं गम्भीर रूप से आरोप लगाता हूं कि यह सरकार एक तरफ तो विपक्ष के सदस्यों को मुकद्दमा तथा अन्य तरीकों से धमकाने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ वे सदस्यों पर लाठी चार्ज करके मार देना चाहती है।

विलिंगडन अस्पताल के डाक्टर इन्चार्ज ने बताया है कि श्री चेन्नीथाला तीन सप्ताह और नहीं चल सकते हैं। हो सकता है, उन्होंने चाहा हो कि वह दस दिन तक न चल सकें जिससे संसद के बढ़े हुए सत्र की अवधि समाप्त हो जाए। यह प्रश्न है। वे नहीं चाहते कि सदस्य स्वतन्त्र रूप से कार्य करें।

[प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन]

वे सदस्यों को शारीरिक रूप से परेशान करके सभा में आने से रोकने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में पुलिस कार्य कर रही है।

अकारण ही लाठी चार्ज कर के एक माननीय सदस्य को पीटा गया। क्या सरकार इसे चुनौती दे सकती है? यह विशेषाधिकार समिति को सौंपने का मामला बनता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि उस पक्ष के माननीय सदस्य वे सभी उपस्थित हैं भी इस बात से सहमत होंगे। (व्यवधान) इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह इस सभा के एक ऐसे सदस्य का मामला है जिन्हें बुरी तरह पीटा गया है। इसका एक पूर्वोदाहरण भी है। इसी प्रकार के एक मामले को, जिसमें इस सभा के सदस्य को पीटा गया था, विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है। यह पुलिस द्वारा सभा के सदस्य पर हमले का मामला है। मेरा भी यह सुझाव है कि इस विशेष मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करे और निर्णय करे। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : इससे पहले गृह मंत्री महोदय को आज ही एक वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : जब किसी सदस्य को पीटा जाता है तो सामान्यत: ऐसा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। इसका पूर्वोदाहरण भी है। मैं एक बात कार्य-वाही वृत्तांत में सम्मिलित करना चाहता हूं। सभा को यह मामला कल बताया गया। यह एक दुर्भाग्य पूर्ण घटना है। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं श्री आचार्य की इस बात से सहमत हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें सरकार का विचार सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी सदन में मौजूद हैं। जो भावनाएं इस घटना पर जाहिर की गयी हैं, उसमें मतभेद नहीं है।···(व्यवधान) आप मुझे सुन लें। आपके छह-छह लोगों को हम सुनते हैं। जो घटना घटी है इस पर सदन में कभी दो राय नहीं होती हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी गृह मंत्री जी आए हैं उनका बयान हो जाएगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी। आप मालिक हैं जैसे चाहें फैसला कर लें।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कठिनाई है वह यह है कि सरकार इस तरह के काम करवा रही है, इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि सरकार ऐसा काम नहीं करवाएगी। क्योंकि सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों की हड्डियां कभी न कभी टूटी हैं।

इसलिए सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी। गृह मन्त्री जी ने बताया है कि वे आज ही बयान दे देंगे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी (श्रीनगर) : हमें भी मौका दें, हमने काफी देर से हाथ उठा रखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। श्री खुराना।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा यह कहना है कि कल जो घटना हुई और जो नाम लिया गया मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस बेलगाम हो रही है उसके ऊपर कोई न कोई अंकुश होना चाहिए, क्योंकि यही एक घटना नहीं है, बल्कि मुझे याद है जिस अधिकारी का नाम लिया गया चिदम्बरम जी द्वारा मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगस्त, 1989 के अन्दर दिल्ली में कनाट प्लेस में बाजपेयी जी पर उसी अधिकारी ने हमला कराया था। यह परिपाटी अगर उसी समय खत्म कर दी जाती, इसको रोक दिया जाता तो आज यह घटना नहीं होती। पुलिस बेलगाम हो रही है, इस अधिकारी को भेजा जाये और दिल्ली पुलिस पर अंकुश कैसे लगाया जाये इसके ऊपर होम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री बोलें।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : आज 3 बजे मैं एक वक्तव्य दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे जायें। मैं बाद में फैसला दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी : 127 आदमी मर गये है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नहीं सुन रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्री डी० जे० टंडेल (दमण और द्वीव) : चार महीने से हम लोगों की जान जोखिम में है। (व्यवधान)

12.24 म० प०

(इस समय श्री डी० जे० टंडेल और कुछ माननीय सभा पटल के निकट आये और फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जायें।

(व्यवधान)

12.25 म० प०

(इस समय श्री डी० जे० टंडेल और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

श्री राजेंद्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि माननीय गृह मन्त्री महोदय को सांसद लोग पत्र लिखते हैं और मैं भी तीन महीनों से लगातार लिख रहा हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं अग्निहोत्री जी, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इस घटना के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। यह वक्तव्य व्यापक होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय सदस्य, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है के उपचार के बारे में कुछ और विवरण प्राप्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम आपको ब्यौरा देंगे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं कुछ और विवरण जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : अस्पताल दिल्ली से बाहर नहीं है। यह दिल्ली में ही है।

[हिन्दी]

होम मिनिस्टर साहब, आप खुद जा सकते थे। कल देख सकते थे मेम्बर पार्लियामेंट को। डिप्टी स्पीकर ने हिदायत दी थी सरकार को। मेहरबानी करके आप डिटेल्ज ले आते।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन सकता। यह क्या बात है? कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है। मेरी अनुमति के बिना आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह क्या कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : वह कहते हैं कि उन्हें सूचना एकत्रित करनी है। ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं कुछ और जानकारी हासिल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : माफ कीजिए। यह तो बहुत ज्यादती हुई है। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अभी और इनफारमेशन कलेक्ट करनी है।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि 3 बजे देंगे।

[अनुवाद]

मैं श्री आडवाणी को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : प्रत्येक घटना के, जो घटित होती है, सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य देने की कोई परम्परा नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह 'प्रत्येक घटना' नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया बैठ जाइए। श्री आडवाणी बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक सदस्य से सम्बन्धित बात है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वह 'प्रत्येक घटना' किस प्रकार कह सकते है ? यह सही नहीं है। वह इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री को कल दोपहर बाद की घटना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कल दोपहर बाद जब श्री चिदम्बरम ने यह मामला उठाया तो हम में कुछ समझ गये कि पुलिस लाठी चार्ज में संसद सदस्य को चोट आयी है, यह एक ऐसा मामला है, जिसके बारे में सभा के सभी वर्गों का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए सभा के विचार और भावना को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष महोदय ने सरकार से कहा कि यह ऐसा मामला है जिसके बारे में सभा को सूचित किया जाए और बताया जाए कि क्या हुआ था, ताकि तदनुसार सभा कार्यवाही कर सके।

जाहिर है, गृह मन्त्री महोदय को इसके बारे में नहीं बताया गया है···(व्यवधान) इसलिए मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं कि सरकार दोपहर 12.30 बजे भी सभा को पूरे तथ्य नहीं बता सकी। मेरे विचार से यह ऐसा मामला है जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना चाहिए। कोई निर्णय करने से पहले वह सरकार से उसका मत जान सकते है परन्तु सभा का दृष्टिकोण, जैसाकि मैं समझता हूं, दलगत भावना से हटकर यह होना चाहिए कि यदि सभा के किसी सदस्य को, चाहे वह किसी भी दल का है, लाठी चार्ज में चोट लगी है और सरकार तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकती तो आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। परन्तु एक सही उदाहरण स्थापित जा सके इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि निर्णय लेने से पहले सरकार की बात सुननी चाहिए आप इस सभा के संरक्षक हैं तथा सभा की यह भावना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं श्री आडवाणी की बात से सहमत हूं। यदि सरकार ने कोई विवरण नहीं दिया है तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है···(व्यवधान) गृह मन्त्री महोदय ने कहा है यहां के सदस्य भी देख

[श्री वसन्त साठे]

के अन्य व्यक्तियों के समान ही है तथा हम तथ्यों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। यदि सरकार का यह दृष्टिकोण है तो हमने भी सुजीहबिया के अपहरण के मामले यही दृष्टिकोण अपनाया था और कहा था कि वह भी देश की अन्य लड़की की तरह…(व्यवधान) यह संसद का सदस्य हमारे सहयोगी है और यदि आप इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तो केवल एक ही विकल्प है कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाएं, हम तथ्य एकत्रित करने तक सरकार की प्रतिक्षा नहीं कर सकते। गृह मंत्री महोदय को अपनी बात—जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले में—को वापस लेना चाहिए क्योंकि यह केवल एक सदस्य का ही नहीं बल्कि समूची सभा का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति दे दी है। कुछ सदस्यों ने अपनी राय दे दी है। कुछ अन्य सदस्य तथा दलों के नेता भी अपनी टिप्पणियां करना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि यह मामला कल उठाया गया था परन्तु गृह मन्त्री महोदय को अभी तक न तो बताया गया है और न ही वे वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। मैं समस्या के इस पहलू पर जाना नहीं चाहता। क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध सदन के सदस्य और पूरे सदन के विशेषाधिकार से है, अत: गृह मन्त्री के लिए यह अच्छी बात होगी कि वे इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव पेश करें। यह एक पूर्वोदाहरण है जिसका ब्रिटिश संसद में पालन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम गृह मन्त्री की बात सुनते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, उनके तिरस्कारपूर्ण कथन के बाद हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। उन्होंने आपके साथ और सदन के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया है।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। हमें गृह मन्त्री की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी : स्पीकर साहब, आप हमें तो मौका ही नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप बीच में मुझसे बिना इजाजत लिए कैसे खड़े हो जाते हैं ? आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू, क्या आप बैठ जायेंगी ?

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं भी मानता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा ठीक ही चिन्ता व्यक्त की गई है। हमारे एक सहयोगी ने प्रधानमन्त्री महोदय के निवास पर धरना देने के लिए एक प्रदर्शन की अगुवाई की थी। जब पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो वे जख्मी हो गये और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था मुझे कहना चाहिए कि यह निन्दनीय है और मैं इस बात की जांच कराऊंगा कि एक संसद सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कौन-सा अधिकारी जिम्मेवार है। बहरहाल यदि आप इस मामले विशेषाधिकार समिति के पास भेजना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस बात पर सभी सहमत हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए। मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं।

— — — —

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा और नगर हवेली से इंडिपेंडेंट चुनकर आया हूं। वहां पर बिलकुल प्रजातन्त्र नहीं है। टोटल पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। यह एडमिनिस्ट्रेशन यहां की होम मिनिस्ट्री के अन्दर आता है और वह उसको डील करती है। वहां पर पिछले तीन साल से आदिवासियों की जमीनें वहां इन्डस्ट्रियलिस्ट्स, जमींदार और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर बेच रहे हैं। वहां पर इतनी कम जमीन है, वहां पर आदिवासियों के पास जमीन नहीं है, वहां के आदिवासियों की जमीन ले ली गई है, वहां पर बिलकुल जमीन नहीं है, वहां पर जो जमीन आदिवासियों को देनी थी वह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर शुगर फैक्ट्री को दे दी। हमारे आदिवासी बगैर जमीन के रह गए। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, प्रदर्शन किया तो वहां के कलैक्टर, वहां के पुलिस आफिसर दीपक मिश्रा (ए० आई० जी० पी०) द्वारा मुझे परेशान किया गया, चुनाव के पहले मुझे जेल में डाला गया···(व्यवधान) चुनाव के बाद मैंने आवाज उठाई, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, प्राईम मिनिस्टर को भी लिखी कि आफिसर मिलकर हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारे आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको जगल में बेच रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट मैंने लिखी। चार महीने से मैं लिखता आ रहा हूं लेकिन आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं फिर होम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूं, मुझे मिलने नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कि यदि ऐसा ही हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय होगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा इलाका एक दिन कश्मीर बन जाएगा, पंजाब बन जाएगा। जब मैंने ये सारी बातें लिखीं, यहां पर बोली तो वहां के आफिसर बोलते हैं कि मिनिस्ट्री में हमारे दो-चार सगे संबंधी हैं, वे हमारे हैं, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। (व्यवधान) ऐसा करके दीपक मिश्रा ने मेरा घर सर्च किया पुलिस पार्टी के साथ, मेरे फैमिली मैम्बर्स को गालियां दीं, जब मैं पार्लियामेंट का काम करने के लिए आया था, तब मेरी ऐबसेंस में मेरा घर सर्च किया। यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया है, सारे सदस्यों का अपमान किया है। इसके आफिसर के खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने बोल देता हूं कि दो दिन में ऐक्शन नहीं लिया तो मैं आपके सामने धरना करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : हम उसके मामले का भी समर्थन कर रहे हैं। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए। हम कहते हैं कि वह मामला भी विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हम भी चाहते हैं कि ये मैटर प्रीविलेज कमेटी में जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, और कोई नहीं बोलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। यह तरीका नहीं है। मैंने श्री आडवाणी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस प्रकार नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी का व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : यह मामूली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं, मैंने इजाजत दी है। आप पहले बैठ जाएं। इसके बाद मैं पाण्डे साहब को बुलाऊंगा।

श्री जगपाल सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, हम लोग लिखते-लिखते मर जाते हैं लेकिन इस सरकार की तरफ से···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री जगपाल सिंह : आप मेरी बात सुनिये। वह लोग तत्काल होम मिनिस्टर साहब से वहां मिल चुके हैं। होम मिनिस्टर से जब ये लोग कई बार मिल चुके तो होम मिनिस्टर ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं पाइण्ट आफ् आर्डर सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्री आडवाणी जी आप अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाएं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुम बैठ जाओ। क्या बात कर रहे हो, मुझे धमकाते हो? आप सब बैठ जायें। आप गुस्सा मत करिये, बहुत गुस्सा दिखा रहे हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप अध्यक्ष के साथ गुस्से से बातें नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद शफी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डेलकर जी और टंडेल जी, दोनों इस लोक सभा के माननीय सदस्य हैं। डेलकर जी का जो निवेदन मेरे पास आया था उसको मैं गवर्नमेंट को भेज चुका हूं। मैं उन दोनों को इजाजत दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डेलकर जी का जो सबमीशन था उस पर वह बोल चुके हैं। अब टंडेल जी बोलेंगे। लेकिन उसके पहले यदि कोई प्वाइंट आफ आर्डर है, श्री आडवाणी जी का तो वे बोलेंगे। उसके बाद मैं टंडेल जी को बुलाऊंगा। आडवाणी साहेब का प्वाइंट आफ आर्डर मैं सुन लूं। अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर इधर का मेम्बर भी उठाता है तो मैं उसको इजाजत देता हूं। अब मैं आडवाणी जी का प्वाइंट आफ आर्डर सुन लूं। आडवाणी जी।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 229 के अन्तर्गत यह बताया गया है :

"जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या, किसी दण्डापराध बन्दीकरण, के लिए बन्दी किया जायेगा उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथास्थिति दण्ड देने वाला न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।"

[हिन्दी]

अभी हमारे सम्माननीय सदस्य, मोहन भाई से हमने सुना कि उनको गिरफ्तार किया गया। **(व्यवधान)** जो बातें कही गयी है, उनके बारे में मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। टंडेल जी।

श्री डी० जे० टंडेल (दमण और दीव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। मैं सभा के सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि वे मेरी बातों को शान्ति से सुनें।

मैं दमण और दीव से इन्डीपेंडेंटली, चुनाव जीतकर आया हूं। दमण और दीव और दादरा और नगर हवेली के जो शासक हैं उनकी जो दादागिरी चल रही है उसके बावजूद मुझे इन्डीपेंडेंटली चुनाव जिताकर यहां भेजा गया है। दमण और दीव और दादरा और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर एक हैं, चीफ सेक्रेटरी एक हैं और पुलिस के आई० जी० एक है। दमण और दीव मे जब जनता पर जुल्म हुआ तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठायी। इस पर वहां के कर्मचारियों ने हमको ब्लेक मेल करने की कोशिश की। **(व्यवधान)**

मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां माननीय सदस्यों को क्लीयर कहना चाहता हूं कि हमारा दिल टूट गया है, हम कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं। यह जो पूरी मशीनरी है, यह कांग्रेस की है। **(व्यवधान)**

कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने हमारे लिए जो हमदर्दी दिखाई है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, हमको आपका सहयोग नहीं चाहिए, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री डेलकर, जो वहां से चुनाव जीतकर आए हैं, वहां का ए० आई० जी० पी०, पुलिस के साथ उनके घर पर सर्च करने के लिए गया। इलेक्शन से पहले भी उनकी घर-पकड़ की गई। इस तरह से पुलिस भेजकर उनको और उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरह से ए० आई० जी० पी० और पूरी सरकारी मशीनरी मुझे भी परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। **(व्यवधान)**

अभी 20 दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र दमण और दीव में ए० आई० जी० पी०, कलेक्टर

और एडमिनिस्ट्रेटर, सबने मिलकर सी क्लास के जो लोअर क्लास के कर्मचारी, टायपिस्ट, ड्राइवर वगैरह हैं, उनका ट्रांस्फर 800 किलोमीटर दूर कर दिया, जबकि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सर्विस रूल्स ट्रांसफर पालिसी के मुताबिक सी क्लास कर्मचारियों का ट्रांस्फर उनके तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, फिर भी जानबूझकर हमको दबाने के लिए उन लोगों का ट्रांस्फर 800 किलोमीटर दूर किया गया। (व्यवधान)

इसके बारे में मैं मंत्री जी से मिला और मंत्री जी हमारी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गृह राज्य मन्त्री जी ने दमण और दीव शुक्रवार को वायरलेस मैसेज भेजा कि ये ट्रांस्फर रोके जाएं, लेकिन ए० आई० जी० पी० ने वह वायरलेस मैसेज एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं दिया और अपनी जेब में रख लिया और 21 तारीख को वहां से सबको रिलीव कर दिया गया। (व्यवधान)

मैं 21 तारीख को गृह राज्य मन्त्री श्री सुबोध कांत सहाय जी से मिला और उन्होंने फोन पर हाटलाइन द्वारा चीफ सेक्रेटरी से बात की और उनको कहा कि आप इस तरह से ट्रांस्फर मत करिए, लेकिन फिर भी कल सबको वहां से रिलीव कर दिया गया है, सबको वहां से हटा दिया गया है। मन्त्री महोदय के आदेशों का भी वहां पर पालन नहीं किया गया। वहां पर अधिकारी कहते हैं कि यहां सरकार पर हमारा कब्जा है, आप इण्डिपेंडेंट मेंबर्स हमारा क्या कर लेंगे। इस तरह से हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरह की वहां के एडमिनिस्ट्रेटर श्री खुर्शीद आलम खां की दादागिरी चल रही है। हमारी कोई भी बात वहां पर नहीं सुनी जाती और कहा जाता है कि जाकर हाउस में चिल्लाओ। अध्यक्ष महोदय, पूरी मशीनरी को एमीजिएटली परिवर्तित किया जाए और वायरलेस मैसेज जो नहीं दिया गया था और गड़बड़ियां हुई, इन सारी चीजों की इन्क्वायरी बिठाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटर को भी बदला जाना चाहिए, हमको खुर्शीद आलम खां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। इसी तरह से दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के लिए हमको अलग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। फिलहाल गोवा गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज देकर एडमिनिस्ट्रेटर से काम चलाया जा रहा है।

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : जिन पुलिस आफिसर्स ने होम मिनिस्टर के आर्डर को डिसओबे किया है उनको इमीजिएटली सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ इन्क्वारी कराई जाए। गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आदेशों का वहां पर पालन नहीं किया गया। इन सारी चीजों की इन्क्वारी होनी चाहिए।

हमारी मांग है कि सारी चीजों के सम्बन्ध में होम मिनिस्टर साहब यहां पर बयान दें। (व्यवधान)

श्री डी० जे० टंडेल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कलेक्टर को तुरन्त बदला जाए और पूरी मशीनरी को परिवर्तित किया जाए। इसी तरह से अलग एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था भी तुरन्त की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। (व्यवधान)

1.00 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : माननीय सदस्य श्री डेलकर ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें शिकायत की गयी है कि कुछ अधिकारियों ने पराजित कांग्रेस के उम्मीदवार की सांठ-गांठ से···**(व्यवधान)** महोदय, मैं अभी उनके अभ्यावेदन का एक वाक्य पढ़ता हूं :

"सामान्य चुनाव के बाद से जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था, अधिकारी तन्त्र···"

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : वे जवाब कैसे दे सकते हैं ? गृह मन्त्री को जवाब देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई भी जवाब दे सकता है। कृपया बैठ जाए।

श्री बसन्त साठे : क्या आपने उन्हें अनुमति प्रदान की है ? क्या उन्होंने आपको कागजात दिखा दिये हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम श्री उपेन्द्र की बात सुनते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कुछ भी उद्धृत करने से पूर्व उन्हें आपकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आता हूं, परन्तु उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सदन को आदिवासियों के मामले पर अत्यधिक गम्भीरता से विचार करना चाहिए। चाहे वर्तमान सरकार हो अथवा पूर्व सरकार हो, यहां मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, यदि कोई आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में शामिल पाया जाता है तो इस सदन को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। **(व्यवधान)** चाहे अधिकारी तन्त्र हो अथवा पुलिस दोनों ही के द्वारा संसद सदस्यों पर अत्याचार, जैसा कि श्री चेन्नीथाला अथवा आदिवासी संसद सदस्य के साथ हुआ, हम इसे अत्यधिक गम्भीरता से लेते हैं। हमें मामले को सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। एक तरफ तो संसद सदस्यों पर प्रहार और अत्याचार होते हैं, दूसरी ओर आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, चाहे वे इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के हों। यह एक अत्यधिक गम्भीर प्रश्न है। हमें इस मामले को सामान्य नहीं समझना चाहिए और यदि संसदीय कार्य मन्त्री चर्चा में बोलते हुए आदिवासियों के मामले को राजनैतिक रूप देने का प्रयास करते हैं, तो यह सबसे अधिक आपत्तिजनक बात है। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आता हूं···। **(व्यवधान)** यह आरोपों के बारे में है। मैं नहीं जानता कि

श्री उपेन्द्र गृह मन्त्री बन गये हैं। आदिवासियों के प्रश्न पर मैंने यह आशा की थी कि गृह मन्त्री इसका जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मैंने अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : जब वे आदिवासियों के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए और आदिवासियों के एक पत्र को उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, तो शायद वह गृह मन्त्री द्वारा अच्छी प्रकार से पढ़ा जाता...। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि वे किसी दस्तावेज का हवाला देते हैं और उससे कुछ उद्धृत करते हैं...**(व्यवधान)** इस सम्बन्ध में मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 368 को उद्धृत करना चाहता हूं :

> "यदि कोई मन्त्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।"

वह एक पत्र पढ़ रहे हैं। अतः उन्हें पहले वह पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहिए और इसके बाद इसका हवाला देना चाहिए। उससे पहले उन्हें इस पत्र को पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। परन्तु हमें पता होना चाहिए कि यह क्या है। उन्हें सन्दर्भ के अतिरिक्त और कुछ भी उद्धृत नहीं करना चाहिए। हमें बतायें कि वह दस्तावेज क्या है। पूरे दस्तावेज को सभा पटल पर प्रस्तुत कीजिए ताकि हमें जानकारी हो जाए कि यह क्या है यह किसको भेजा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या निवेदन किया गया है, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इन सभी के बिना उन्हें उस पत्र से उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति प्राप्त करिये और इसे पटल पर प्रस्तुत कीजिए।

श्री पी० उपेन्द्र : श्री शंकरानन्द ने जो आपत्ति की है वह वैध नहीं है क्योंकि कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और संसदीय कार्य मन्त्री होने के नाते मैं माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में उतना ही चिन्तित हूं। मैं तुरन्त ही इस मामले को गृह मन्त्री की जानकारी में लाया और प्रधान मन्त्री के साथ भी मैंने इस पर विचार विमर्श किया था। गृह मन्त्री जी माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त करेंगे ही। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ठीक अभी आपको यह स्पष्ट बताया गया है कि नियम 368 के अन्तर्गत किसी भी पत्र को पटल पर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इन पत्रों को सभा पटल पर प्रस्तुत करने का सारा उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसमें क्या है, जिससे कि कोई भी उससे बाहर की बातें उद्धृत न कर सके। महोदय, ऐसा नहीं हो सकता कि वे सदन में अचानक कुछ भी कह दें। उनके उद्धृत करने से पहले हमारा इसे देखने का अधिकार है क्योंकि वे इसे संदर्भ से अलग उद्धृत कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है कि वह उसकी अधिप्रमाणिक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब पी० उपेन्द्रजी बोल रहे थे उस समय सामने की बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों में से दो-तीन सम्मानित सदस्य बार-बार खड़े हो जाते थे और हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। सभा गृह में एक प्रकार का जो वातावरण बना है वह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो सम्मानित सदस्य बार-बार खड़े होकर बोलते हैं आपको उन्हें कहना चाहिए कि वे बार-बार खड़े न हों। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया गृह मन्त्री जी को सुनें।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : दमन और दीव से दोनों माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की। सरकार की नीति यह नहीं है कि सरकार के परिवर्तन के बाद अधिकारियों को भी बदल दें। यह नीति नहीं है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सभी अधिकारी वहां कार्य कर रहे हैं। यह केवल एक संयोग है कि वे पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए और माननीय सदस्यों को उन लोगों से शिकायत थी कि जो चुनाव हार गये थे उन लोगों और अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्वाभाविक थे। **(व्यवधान)** मैं अवश्य कहूंगा··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, इस तरह से नहीं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : माननीय सदस्यों ने आपको एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : वह पत्र मैंने आपको भेज दिया था।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अधिकारियों के व्यवहार के बारे में गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, विशेष रूप से जब वे माननीय सदस्यों से व्यवहार करते हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि तथ्यों का पता लगाने के लिए शीघ्र जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसे सजा दी जाएगी। मैं आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : इसके बारे में होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट नहीं दिया। पहले श्री दीपक मिश्रा, ए० आई० जी० पी० को हटाया जाये, बाद में इन्क्वायरी की जाये।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इजराइल और अधिकृत क्षेत्रों में की गई अरबों नृशंस हत्याओं की मैं निन्दा करता हूं। इस क्षेत्र में शान्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिनेश सिंह जी, आप कोई स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सुविधा के लिए... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, अब दिनेश सिंह जी को सुनें।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, यहां इतना अधिक शोर था। मैं फिर से आरम्भ करता हूं।

महोदय, पिछले कुछ दिनों में इजराइल और अधिकृत क्षेत्रों में की गई अरबों की नृशंस हत्याओं की मैं निन्दा करता हूं। इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेसीडेन्ट यासर अराफात को इस विषय पर सुरक्षा परिषद को सम्बोधित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको दे दूं अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा हो शायद। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, यदि उन्हें न्यूयार्क जाने के लिए वीजा देने से पुनः मना किया जाता है तो सुरक्षा परिषद की बैठक का स्थल बदल दिया जाए ताकि फिलीस्तीनी लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व जान सके।

फिलीस्तीनी लोगों का संघर्ष न्यायोचित है। महात्मा गांधी के समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है और स्वतन्त्र भारत में पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह जी, मुझे सम्बोधित करें।

श्री दिनेश सिंह : यहां तक कि विपक्ष में भी कांग्रेस दल ने... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप धाराप्रवाह बोलें तो सही होगा...

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। मैं भी अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। इसमें इसका समर्थन या विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप धाराप्रवाह बोलें। यदि आप धाराप्रवाह बोलेंगे तो अपनी बात भली-भांति स्पष्ट कर पायेंगे।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, अरब के राजदूतों ने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर उन्हें स्थिति से

अवगत कराया। यहां तक कि विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति अराफात और उनके लोगों के न्यायोचित उद्देश्य के समर्थन के अपने प्रण को दोहराया है।

मुझे विश्वास है कि अरब देशों के राजदूतों ने इस सम्बन्ध में हमारी सरकार से भी समर्थन मांगा था परन्तु सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसराइल से हिंसा को समाप्त करने और शांति प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने के लिए कहा है।

मैं सरकार से अरबों के न्यायोचित संघर्ष को समर्थन देने के लिए निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिप्लव बाबू, आप हमेशा इसी तरह खड़े हो जाते हैं। मैंने श्री चौधरी को अनुमति दी है। आप खड़े क्यों हैं ?

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये क्या कर रहे हैं, हर प्वाइंट पर खड़े हो जाते हैं बिना स्पीकर की इजाजत के। मैं सोज साहब से कहता हूं कि यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, श्री दिनेश सिंह ने जो कहा है, उसका समर्थन करने के अतिरिक्त मैं अलग विषय की बात कर रहा हूं। कल कश्मीर पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में हमारी संक्षिप्त चर्चा हुई, क्या इसे स्वीकृत किया जाएगा या नहीं। मैं उस चर्चा में भाग ले रहा था। यद्यपि हमने स्थगन प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु इस पर सदन में चर्चा के लिए हम सहमत थे। अब वहां स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। जिन प्रयासों की वहां आवश्यकता है, उनमें प्रशासकीय कार्यवाही की जानी चाहिए, लोगों से अपील और सम्पर्क किया जाना चाहिए। ये दो काम एक साथ नहीं किए जा रहे और इसके कारण लोग अधिक से अधिक दूर होते जा रहे हैं। परसों मीरवायज फारूख की हत्या से लोगों के मनों में उग्रवादियों के प्रति वितृष्णा पैदा हुई है। परन्तु शोकाकुल लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्यवाही ने उस वितृष्णा को समाप्त कर दिया। कल भी मैंने यहां सदन में प्रधानमंत्री से यह वचन देने की मांग की थी कि शोकाकुल व्यक्तियों पर गोलियां चलाने की जांच की जाए। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस स्थिति में हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया और हम यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान राज्यपाल के कारण लोग और अलग होते जा रहे हैं। हम शीघ्र ही उसके वहां से हटाए जाने की मांग करते हैं और इसीलिए मैं यहां सदन मे इस पर चर्चा की मांग करता हूं। इसके लिए मैंने नियम 193 के अधीन सूचना भी दी है। हमें कश्मीर और वहां के लोगों को बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, श्री चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहता हूं । सरकार द्वारा कल यहां दिए गए वक्तव्य के अनुसार गोलीबारी में 27 व्यक्ति मारे गए। तत्पश्चात बी० बी० सी० की खबरों से मुझे पता चला कि 47 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। हो सकता है कि बी० बी० सी० की खबर पर कोई विश्वास करे या न करे। परन्तु आम तौर पर बी० बी० सी० के समाचार गलत नहीं होते। चाहे जो कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। यह हो सकता है कि वे उग्रवादियों की किसी कार्यवाही से उत्तेजित हुए हों परन्तु वहां अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके कारण आम लोग इसका शिकार बने। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हालांकि पहले हमने श्री जगमोहन की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था। तत्पश्चात्, हमने उनकी तत्काल वापसी के लिए दबाव नहीं डाला क्योंकि हमने यह अनुभव किया कि इससे उग्रवादियों पर गलत असर पड़ता है और इसे वे अपनी सफलता समझेंगे। अतः हम चुप रहे। परन्तु जो कुछ भी कल हुआ, उससे हम यह अनुभव करते हैं कि गलत नहीं बल्कि सही संकेत कश्मीर के लोगों को भेजना चाहिए। मेरा विचार है कि सम्पूर्ण सदन इससे सहमत है और इस देश के अधिकतर नागरिक यह चाहते हैं कि कश्मीर के लोग हमारे देश से और अलग-थलग न हों बल्कि उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाए। उस दृष्टि से, इस पूरे मामले पर चर्चा जरूरी है मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस मसले पर पुनर्विचार करें कि क्या श्री जगमोहन का राज्यपाल के रूप में बने रहना आवश्यक है। जहां तक मुझे मालूम है वहां जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने कोई खेद नहीं व्यक्त किया है। इसलिए हम कश्मीर के लोगों में यह गलत धारणा नहीं बनने देना चाहते कि वहां किसी तरह से फौज का कब्जा है। ऐसा नहीं है लेकिन ऐसी ही धारणा बन जाएगी। अतः हम इस मसले पर शीघ्र ही चर्चा करना चाहते हैं और सम्पूर्ण मसले पर चर्चा होनी चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, कश्मीर के अन्दर पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन पर सारे सदन ने दुख प्रकट किया है। वहां पर मौलवी फारूक की हत्या हुई···

श्री मोहम्मद सफी (श्रीनगर) : अध्यक्ष जी, क्या बात है, आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम हर बार खड़े होते हैं, और बैठ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे पूछकर थोड़े ही खड़े होते जाते हैं। आप बैठ जाइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मौलवी फारूक की हत्या के बाद शोकाकुल जो जलसा जा रहा था, उसके ऊपर गोलीकाण्ड हुआ, वहां पर मिनिस्टर साहब ने कहा कि 27 मौतें हुईं, परन्तु बाद में ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि काफी लोगों की हत्याएं हुई हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सौ से भी ज्यादा ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उस मृत्यु पर भी इस सदन में कल अडवाणी जी ने अपना शोक व्यक्त किया था। किसी की भी मृत्यु हो, चाहे पुलिस की गोली से या आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, उस कारण से हो, मृत्यु मृत्यु है और उस पर हम सब लोग शोक प्रकट करते हैं। उसके बारे में भी जांच की बात पेपर्स में आयी है कि सी० बी० आई० के हाथ में उसकी जांच दी गयी है और वहां पर अधिक फोर्स ऐप्लाई हुई है या नहीं, इसकी जांच भी होम मिनिस्टर करना चाहें तो वे कर सकते हैं। परन्तु अभी जो बातें कही गयी हैं और जो बात यहां पर बार-बार दोहराई जाती है, वहां पर कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों की गतिविधियों की आलोचना न करना, उन्होंने जिनकी हत्या की है उसके ऊपर कोई बात न कहना, जिन्होंने मौलवी फारूख की हत्या की है उन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की साजिश की वजह से हत्या की है। डायरैक्टली और इनडायरैक्टली उन आतंकवादियों के पक्ष में बातें करना, मैं समझता हूं कि यह देशभक्ति का काम नहीं है (व्यवधान) बार-बार यह बात दोहरायी जाती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री मल्होत्रा ने कहा है कि उग्रवादियों के पक्ष में कोई बात कहना राष्ट्र विरोधी है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। लेकिन न तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने और न ही श्री सैफुद्दीन चौधरी ने उग्रवादियों के पक्ष में कुछ ने कहा है। यह श्री मल्होत्रा के पूर्व वक्ताओं पर आक्षेप है। अतः इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : नेशनल कांफ्रेंस के किसी आदमी और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने इस हाउस में यहां पर कई बार भाषण दिया और यह कहा कि कश्मीर में गवर्नमेंट सख्त कदम नहीं उठा रही है इसलिए कश्मीर में हालात बिगड़ गए। इस तरह की बात कहने के बाद जब सरकार ने वहां पर सख्त कदम उठाने शुरू किए तो उन्होंने उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। (व्यवधान) वे आलोचना करते हैं कि सख्त कदम नहीं उठाए। इनकी दोहरी नीति से वहां पर स्थिति खराब हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज जो बात कही है मैं उससे सहमत नहीं हूं। (व्यवधान) मैं इसमें सहमत हूं कि आप इसमें पूरी बहस करायें। अचानक टुकड़ों में मांग रख दी जाती है, उसकी बजाय यहां पर पूरी बहस हो जाए और उस बहस में सब बातें स्पष्ट हो सकती हैं। परन्तु हम इस हक में नहीं हैं कि वहां से गवर्नर को हटा लें और यह सिगनल दे दें कि वहां पर जो चाहे आतंकवादी करते रहें, उन पर कोई रोक नहीं लगायी जायेगी, इस बात का सिगनल देना मुनासिब नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर की घटना पर किसी भी देशवासी को

दुख होगा लेकिन दुख के साथ आज हमें लज्जा का भी अनुभव हो रहा है। मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा, आतंकवाद कहीं भी हो, उसकी निन्दा होनी चाहिए। मैं इस बारे में भी स्पष्ट हूं कि देश की एकता, सार्वभौमिकता को बचाने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करना पड़े, कितने लोगों का खून बहे, इसमें देश को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वभौमिकता के नाम पर शव की यात्रा पर गोली चलाना, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। चाहे कोई राज्यपाल हो या चाहे कोई अधिकारी हो, अगर शव यात्रा पर, जैसे मुझे कहा गया कि मौलवी फारूख के ताबूत पर भी गोलियां लगीं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार या कोई भी सदन इस बात को स्वीकार कर सकता है या इसकी ताईद कर सकता है।

मैं दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर मामलों पर, जहां लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, बयान देते समय बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे राज्यपाल खबर दें या अन्य व्यक्ति खबर दे। 47 लोग मरे हैं और अगर 27 की खबर आती है तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इससे न केवल सदन की मर्यादा गिरती है बल्कि सरकार की बात के ऊपर लोगों का विश्वास टूटता है। मैं राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं शुरू से इस राय का था कि इस राज्यपाल का जाना, इस देश के लिए और कश्मीर के लिए एक दुखद घटना होगी लेकिन सरकार ने उसमें कुछ सद्गुण देखे होंगे, उन सद्गुणों से कुछ लाभ नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपने कह दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बी० ए० सी० अब एक घंटे के बाद बैठेगी।

श्री मोहम्मद शफी : अध्यक्ष महोदय, हमको भी सुनिये। मैंने कहा था, मुझे पर्सनल शिकायत है। मुझे मौका ही नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद शफी : मैं आपको एक मिनट में अपनी जाती शिकायत करूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसन्त साठे : महोदय जो कुछ हमने सभी पक्षों की ओर से अभी सुना है उसके परिप्रेक्ष्य में इस मसले पर चर्चा की जानी चाहिए और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया जा सकता है। यदि आप चाहें, यदि सदन की यह राय हो कि इस मसले पर शीघ्र ही चर्चा शुरू करें तब हमें इस चर्चा की अनुमति होनी चाहिए और यह तीन बजे तक पूर्ण हो जायेगी या कार्य मंत्रणा समिति यह कहे कि इसे आज 4.00 बजे शुरू किया जाए।''' (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मीरवाइज मौलवी फारूख की हत्या और शोक व्यक्त करने वालों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाना और कश्मीर की पूरी स्थिति आघात

पहुंचाने वाली और आश्चर्यजनक है। मैं यह जरूर कहूंगा कि हर क्षण जब तक···*···कश्मीर के राज्यपाल के रूप में रहते हैं कश्मीर के लोगों में अलगाव की भावना बढ़ेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नाम न लें तो ठीक रहेगा। जो आदमी यहां नहीं है उनका नाम लेना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : प्रत्येक वह क्षण जिसमें वर्तमान राज्यपाल अपने कार्य भार संभाले रहते हैं यह कश्मीर के लोगों को शेष राष्ट्र से अलग करने में सहायक होगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है। स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि शोक व्यक्त करने वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी जाती हैं और यहां तक कि जनाजे पर भी गोलियों के शौकीन राज्यपाल के आदेश पर पुलिस गोलियां चलाती है और कम से कम पांच गोलियां कश्मीर के एक सम्मानित व्यक्ति, जिनकी हत्या की गयी, के ताबूत पर भी लगी है। यह राज्यपाल का शर्मनाक खेल है। कश्मीर की स्थिति को ज्यादा सहन नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि इस पर शीघ्र चर्चा की जाए और चर्चा शुरू करने से पूर्व सरकार की वस्तुस्थिति को देखते हुए वर्तमान राज्यपाल को वापिस बुला लेना चाहिए। कश्मीर में स्थिति को सामान्य करने की ओर यह पहला कदम है। अतः राज्यपाल को तुरन्त वापिस बुलाना और सदन में तुरन्त चर्चा करना दोनों आवश्यक है। इस पर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद शफी : मिस्टर स्पीकर, जो मुझे कहना था, मैं चन्द्रशेखर जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कह दिया। मगर इसके मुतल्लिक होम मिनिस्टर साहेब ने कोई बयान नहीं दिया, कोई राय जाहिर नहीं की।

[अनुवाद]

वाडसगांव उनके गृह नगर में···

[हिन्दी]

बीस तारीख की शाम को एक बारात जा रही थी। सी० आर० पी० वालों ने तमाम बारातियों को मारा। उनकी मां को गेंग रेप किया और जो दूसरे लोग थे उनको भी मारा।

जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मैंने होम मिनिस्टर और उनके स्टाफ को इत्तिला दी कि मैं कश्मीर जा रहा हूं तो उन्होंने कहा कि "चढ़ जा बेटा शूली पर, भली करेंगे राम।" मैं एयरपोर्ट गया। मुझे बताया गया था कि वहां पर आपका इन्तजाम होगा, सिक्योरिटी होगी। जब मैं वहां के एयर-पोर्ट पर पहुंचा तो मुझे कुछ नहीं मिला। जब एयरपोर्ट से सब लोग चले गये तो मैंने बड़ी मिन्नत-समाजत करके मिलिट्री की एक जीप पर छलांग मारी। मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैं अपने बंगले पर पहुंचकर 6 दिन तक अपने बंगले में तड़पता रहा। फिर मैंने वहां के डी० जी० को टेलीफोन किया

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि कम से कम मुझको एयरपोर्ट तक तो ले जाया जाए ताकि मैं सेसन अटेंड कर सकूं। वहां होम मिनिस्टर डी० जी० से कहते हैं कि आप खुद जाइए आपको लाश मिलेगी। होम मिनिस्टर की जानिब से मैंने लिख कर दिया। उनकी चिट्ठी आयी—"आई एम लुकिंग इन टु द मेटर।"

हमने कल भी कहा। हमको साफ-साफ कहा गया कि पाकिस्तानी एजेंट हो। अखबारों से हम को पता चला, हम कल भी चिल्ला रहे थे। होम मिनिस्टर ने हमको प्रोहिबिट किया—और कहा कि क्यों ज्यादती करते हो, क्यों एजीटेशन करते हो ? हमने कल कहा कि सौ आदमी मर गये लेकिन अखबारों में आया कि 47। हमने कहा कि अभी एक दिन और ठहरिये, अखबार वाले खुद कहेंगे 127 लोग मर गये। यह नाजी और हिटलर की हिस्ट्री में भी नहीं होगा कि पूरे ताबूत पर, पुरअमन जलूस जा रहा है, उस पर उन्होंने गोलियां बरसायीं। जनता वाले टीपू सुल्तान की मुर्दा तलवार पर भी भड़क उठते हैं। मौलवी साहब सोये हुए थे, उन्होंने शायद समझा जिन्दा हों, उनको भी दो-चार गोलियां लगीं। मुर्दा जान पर भी 5 गोलियां लगीं।

जनाब ये हमेशा कश्मीर के मसले पर टालमटोल करते रहे हैं। हमने पहले ही कहा राज्यपाल।

अध्यक्ष महोदय : आप नाम न लीजिये।

श्री मोहम्मद शफी : हमने पहले ही कहा, अल्लाह जानता है कि कश्मीर में जब तक राज्यपाल रहेंगे, वहां के हालात ठीक नहीं हो सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। श्री चित्त बसु।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरे विचार से कश्मीर में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। मुझे कल प्रधानमन्त्री की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने में कश्मीर के लोगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कश्मीर समस्या एक राजनैतिक समस्या है और कश्मीर के लोगों को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी है।

दुर्भाग्य से राज्यपाल की भूमिका से कश्मीर के लोगों के भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की मुख्य धारा से दूर होने की प्रक्रिया में तेजी आयी है। मैं समझता हूं कि लोगों के दूर होने से कश्मीर की समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलेगी और देश की एकता और अखंडता मजबूत नहीं होगी। इससे सीमा-पार से ताकतों के आक्रमण का सामना करने में भी मदद नहीं मिलेगी। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो अन्तत: स्थिति को और अधिक बिगाड़ेगी। हम पहले भी मौजूदा राज्यपाल को कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त करने पर सरकार से सहमत नहीं थे। मैं समझता हूं कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि सरकार को देश के व्यापक हित में, देश की एकता और अखंडता की खातिर तथा कश्मीर के लोगों की देश की मुख्य धारा से दूर होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने तथा राजनैतिक समाधान ढूंढने के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर उसमें परिवर्तन करना चाहिए।

————

1.40 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता और भारतीय रुई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं, श्री शरद यादव की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 969/90]

(ख) (एक) भारतीय रुई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रुई निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 970/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 969-70/90]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 6ख के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1990, जो 7 अप्रैल, 1990

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 221 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 971/90]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1990, जो 31 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 159 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 972/90]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा दिल्ली में पानी की दरों में हुई वृद्धि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के 27 दिसम्बर, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण आदि

[अनुवाद]

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 56 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) नियम, 1990, जो 8 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 973/90]

(2) (एक) दिल्ली में पानी की दरों में हुई वृद्धि के बारे में श्री माधवराव सिंधिया, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के 27 दिसम्बर, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने के हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 974/90]

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता तथा भारतीय नर्सिंग परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 975/90]

(3) (एक) भारतीय नर्सिंग परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 976/90]

(5) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 977/90]

(6) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने तथा (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 978/90]

(8) (एक) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 979/90]

(9) (एक) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने तथा (दो) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 979/90]

(10) (एक) मेडिकल कालेज के बारे में श्री आर० एन० राकेश, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5433 के 18 अप्रैल, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 980/90]

(11) (एक) डाक्टर बी० बरूआ कैंसर संस्थान के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डाक्टर बी० बरूआ कैंसर संस्थान के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 981/90]

(13) (एक) क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार सोसाइटी केन्द्र, कटक के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार सोसाइटी केन्द्र, कटक के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 982/90]

(15) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 983/90]

आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1990, जो 26 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 256(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल, (भण्डारण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1990, जो 18 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 331(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 984/90]

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1989, जो 23 अक्तूबर, 1989 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-50(131)/86-एफ एण्ड एस/सीए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 985/90]

————

1.48 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1990 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मई, 1990 की, बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक, 1990 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मई, 1990 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

————

1.44 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

1.45 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.48 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.48 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी।

सभापति महोदय : इस सम्मान के लिए धन्यवाद।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदया, कुछ ऐसे मामले हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और जिसकी अग्रिम सूचना मैंने अध्यक्ष महोदय को सुबह दे दी थी।

सभापति महोदय : अब विधायी मामले लेने है। आप क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमने सूचनायें दे रखी हैं। वस्तुत: राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक में कम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। वे लोग कार्यालय के परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जिस समय सांकेतिक हड़ताल चल रही थी, उस समय पुलिस ने महिला कर्मचारियों पर निर्दयतापूर्वक उग्र हमला किया। उन्हें गिरफ्तार नही किया गया, जबकि वे कह रही थीं कि "कृपया हमें गिरफ्तार कर लीजिये।" पुलिस ने किसी कानून की परवाह नहीं की। यही कारण है कि मैं इस बात का यहां उल्लेख करना चाहता था और इस मामले को मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता था। मैंने गृह मन्त्री को तथा वित्त मन्त्री तक को तार दिये थे, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में गृह मन्त्री एक वक्तव्य दें। विधि मन्त्री और श्रम मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मुझे आशा है, कम-से-कम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे कुछ बोलेंगे कि पुलिस द्वारा महिला कर्मचारियों की पिटाई न की जाये, और विशेष रूप से जब तक कि इन कर्मचारियों की ओर से कोई उत्तेजक कार्यवाही भी न की गई हो। यह एक सामान्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन था।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि सब लोगों ने इस बात को सुन लिया होगा। अब मैं विधायी मामले लूंगी।

— ———

संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक*

सभापति महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान को विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति लेने के लिए आमंत्रित करती हूं।

[हिन्दी]

श्रम कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में···

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पेश करने दीजिए। पहले पर्मीशन लेने दें तब कहें। अभी तो मैं प्रस्ताव कर रहा हूं···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले मन्त्री महोदय को सभा में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति तो लेने दीजिए और उसके बाद ही आप विधेयक को पुर: स्थापित करने पर आपत्ति कर सकते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : नियमों के अधीन हम उसे चुनौती दे रहे हैं वह इस प्रस्ताव को पेश नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पहले मैं कहूंगा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुमति दी जाये तब चेयर कहेंगी, कि दी जाये या नहीं, तब आप कहें। मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

बोलिए क्या आब्जेक्शन है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव हुआ :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री कुमारमंगलम इसका विरोध करते हैं।

* दिनांक 23-5-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदया, अध्यक्ष के निदेशों के अधीन 19क और 19ख के अधीन इस सभा में किसी विधेयक को लाने से पूर्व, इसकी समुचित सूचना अग्रिम रूप से सचिवालय को दी जानी चाहिए। सूचना लिखित में दी जानी चाहिए थी। उन्हें कम से कम सात दिन की सूचना देनी चाहिये थी अथवा उससे कम समय की सूचना पर अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव किया जा सकता था।

इतना ही नहीं, विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने से पूर्व उसे कम-से-कम दो दिन पूर्व परिचालित करना होता है। इन दोनों प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय ने कल परिचालित किये गये विधेयक के साथ विशेष स्थिति के रूप में इन दोनों निदेशों से छूट दिए जाने का अनुरोध भेजा था। इसमें भी उन्होंने कोई वास्तविक कारण नहीं बताया। उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए थी कि ऐसी क्या विशेष अत्यावश्यकता थी और ऐसे क्या कारण थे कि वह इसकी समय पर पूर्व सूचना नहीं दे सके थे। देखें तो, दो दिन और सात दिन इतने अधिक तो नहीं है। किन्तु इतनी अत्यावश्यकता क्या है ?

फिर भी इस विशेष मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या संवैधानिक दर्जा दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। ऐसी क्या भारी अत्यावश्यकता है कि हमें हर नियमों में और अध्यक्ष के निदेशों में छूट देनी होगी। पुरस्थापना अथवा संशोधनों को प्रस्तावित करने का विरोध करने तक के लिए हमें पर्याप्त सूचना देने के तरीके को छोड़ने के क्या कारण है ? यह आवश्यक है कि इस प्रकार हर विधेयक प्रस्तावित किया जाए। यह एकदम अनुचित है। जो कारण दिये गये हैं वे सरसरे और सामान्य हैं। निश्चित तौर पर ये कारण पर्याप्त नहीं हैं। मेरा यह अनुरोध है कि उन्हें यह विधेयक इस सभा में प्रस्तावित करने की अनुमति न दी जाए। इसे समुचित सूचना देने तथा परिचालित करके दो दिन के बाद शुक्रवार को आसानी से लिया जा सकता है। अन्यथा हमारे लिए इसके वास्ते तैयार होना असंभव है।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : श्री कुमारमंगलम ने जो कहा है, उसके प्रत्युत्तर में मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा। यह अनुरोध अध्यक्ष पीठ के विचारार्थ प्रस्तुत है।

एक माननीय सदस्य : आपको सूचना देनी होगी।

श्री मान्धाता सिंह : कैसी सूचना। आप प्रतिदिन अनेक बातें बिना सूचना के उठाते रहते हैं।

महोदया, मैं आपका अमूल्य समय अधिक नहीं लूंगा। मैं केवल इस बात की ओर संकेत देना चाहूंगा जैसा कि हमारे मित्र श्री कुमारमंगलम ने कहा था, इस संविधान संशोधन विधेयक को, जो माननीय श्रम मन्त्री द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है इस सभा के समक्ष रखने से पहले दो या सात दिन की पूर्व सूचना अध्यक्ष को दी जानी चाहिये और उनकी सहमति ली जानी चाहिये थी। यह सच है कि इसे अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा छपवाया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्षमा करें, यह तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं व्यवस्था के अनुसार कार्य करूंगी। कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय ने अपने कारण देते हुए अध्यक्ष की अनुमति मांगी है, और अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से मन्त्री महोदय को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के वास्ते प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कुमारमंगलम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि हम सभी साथी यहां पर हाऊस में बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं। वसन्त साठे जी और गाडगिल साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता हूं माननीय सदस्य किस दृष्टिकोण से इस विधेयक को इम्पार्टेंस दे रहे हैं? इस विधेयक द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाने वाला है और मैं नहीं समझता कि किसी भी माननीय सदस्य को इस मामले में कोई आपत्ति होनी चाहिए। मैं कल से इस सदन में देख रहा हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, यह कार्यवाही शून्यकाल की तरह नहीं चलनी चाहिए। मन्त्री महोदय प्रतीक्षा में खड़े हैं। कार्यवाही वृतान्त में दर्ज नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कल इसके पूर्व जब नेशनल कमीशन आन वीमेन्स का मामला आया, जिसके सम्बन्ध में सब लोगों ने मांग की थी लेकिन विपक्ष की ओर से उस पर भी आब्जेक्शन शुरू हो गया। शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राईब्स कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध मे यह मामला 1978 में इस सदन में आया था। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कोई और चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस साल हम बाबा साहेब अम्बेडकर सेंटनरी यीअर मनाने जा रहे हैं, हम यह कम्मिट करने जा रहे हैं, कि समुदाय के जो उपेक्षित लोग हैं, उनके लिए कुछ करके दिखायें और उसे वास्तविक रूप में करें। आप रूल्ज पढ़िये। शायद आपने पढ़ा नहीं। आप इसमें पढ़िये। रूल 19ए का आपने हवाला दिया है उसके साथ आप रूल 19बी में देखिये। उसमें लिखा हुआ है :

[अनुवाद]

"इस निदेश के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।"

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अब इसके बाद भी आप कहते हैं कि ले लिया है। तो अब स्पीकर ने अनुमति दे दी है। अब उसके बाद भी आप इस तरह कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप इस तरह से मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं। यदि गंभीरता समझते तो आपको यह सब नहीं उठाना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री हरीश रावत : लोकसभा अध्यक्ष के निदेश संख्या 19क और 19ख के अधीन।

निदेश संख्या 19क में यह स्पष्ट रूप से निहित है। इसमें कहा गया है :

"(1) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।

(2) इस निदेश के अधीन, विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी, जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव की अनुमति न दे।"

सभापति महोदय : निदेश संख्या 19ख के अधीन क्या है ?

श्री हरीश रावत : इससे मन्त्री महोदय को कोई सहायता नहीं मिलती। इसमें भी स्पष्ट उल्लेख है। इसमें कहा गया है :

"कोई विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्यसूची में सम्मलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जबकि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विचार हो, कम-से-कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।" (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसकी प्रतियां वितरित की जा चुकी हैं जो कि आपको भी मिल चुकी है।

श्री हरीश रावत : हमें यह आज ही मिली है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हरीश जी इसे पहले परिचालित किया जा चुका है। और फिर यह अध्यक्ष का निदेश है। उन्होंने इसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदया, मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाए ''(व्यवधान) यदि मैं ज्ञापन को पढ़ूं तो सभा को पता चलेगा'''(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कुमारमंगलम कृपया इसे न पढ़िये ।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदया इसे इस प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में दिए गए कारण कहीं नहीं ठहरते । (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

— — —

3·00 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब मैं समझती हूं कि कि हम पुन: कुछ शांत होकर नियम 377 के अधीन मामलों को उठा सकते हैं । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें । मुझे विश्वास है कि आप सभी सहयोग करेंगे । श्री अरविन्द कांबले ।

(एक) मुम्बई दूरदर्शन प्राधिकारियों को सिन्धी नाटक "झूले लाल" शीघ्र प्रसारित करने के निदेश दिए जाने की मांग

श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले (उस्मानाबाद) : मैं वह मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसने मेरे राज्य में सिन्धी समुदाय की भावनाओं को उकसाया है और वे लोग अपना विश्वास खो रहे हैं । ऐसा दूरदर्शन पर 'सिन्धी नाटक' 'झूले लाल' के प्रसारण को रद्द करने के कारण हुआ । दूरदर्शन पर इस नाटक का प्रसारण सिन्धी नववर्ष दिवस 'चेत्तो चांद' के अववसर पर 28 मार्च, 1990 के लिए नियत किया गया था ।

दूरदर्शन मुम्बई ने प्रियदर्शनी अकादमी के साथ इससे सम्बन्धित अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए थे । अकादमी ने इस काम को आगे बढ़ाकर अपनी तैयारियां कीं नाटक के लिए सबसे अच्छे कलाकारों को अनुबन्धित किया, इस कार्यक्रम के श्रव्य कैसेट भी तैयार किए और जैसाकि दूरदर्शन के अधिकारी चाहते थे दिनांक 25 मार्च, 1990 को नाटक की सूटिंग के लिए कलाकारों को उस स्टुडियो में इकट्ठा किया गया, जिसे बहुत पहले बुक कर लिया गया था। दूरदर्शन के अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए एकाएक सूटिंग रद्द कर दी । उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा तक नहीं की। इससे नाटक के आयोजकों को भारी वित्तीय क्षति और उनकी मानहानि ही नहीं हुई बल्कि इससे सिन्धी समाज भी असन्तुष्ट हो गया ।

मेरा सूचना और प्रसारण मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे दूरदर्शन से शीघ्रातिशीघ्र नाटक का प्रसारण की घोषणा करने को कहें ।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देना चाहता हूं। सातवीं लोकसभा में बीमा निगम की कार्य दक्षता बढ़ाये जाने के नाम पर जीवन बीमा निगम को विभाजित करने हेतु एक विधेयक लाया गया था परन्तु विभाजन जांच प्रक्रिया की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। परिणामस्वरूप विधेयक वापस हो गया। जीवन बीमा निगम की कार्य दक्षता बढ़ाने तथा सुदूर गांवों तक के लोगों को जीवन बीमा योजना से लाभ मिले और आम जनता इन योजनाओं में रचनात्मक भागीदारी कर सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा निगम की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार तहसील मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय तक किया जाना आवश्यक है। यही नहीं, हमारी यह भी मांग है कि जीवन बीमा योजना के साथ पशु जीवन बीमा योजना एवं फसल बीमा योजना के प्रशासन तन्त्र का तहसील एवं ब्लाक स्तर तक विस्तार कर इसे व्यापक बनाया जाना चाहिए। इससे न केवल राष्ट्रवासी व्यक्तिगत लाभ उठा पायेंगे, वरन राष्ट्र के विकास के लिए अधिक धन संचय करने में, अधिक लोगों का रचनात्मक योगदान मिल सकेगा तथा बीमा योजनाओं के व्यापक फैलाव से शिक्षित बेरोजगारों को राष्ट्रभर में नियोजित करने के अवसर स्वत: पैदा हो जायेंगे। यह राष्ट्रव्यापी लोक महत्व का कार्य होगा।

हमारी मांग है कि सरकार तथा वित्त मन्त्री जी इस पर अविलम्ब निर्णय लेकर बीमा कम्पनियों के विस्तार व विकेन्द्रीकरण को क्रियान्वित करने की कृपा करें।

(तीन) बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : सभापति महोदया, मैं नियम 377 के अधीन अति लोक महत्व के विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार के समस्तीपुर, रोसेड़ा एवं दरभंगा में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज होने के कारण सभी टेलीफोन मृत प्राय: हो गये हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बार-बार वर्षों से बिरौल, हसनपुर, बहेरो, रोसेड़ा, सिंघियाघाट एवं सिंघिया के टेलीफोन खराब है। जब तक समस्तीपुर, रोसेड़ा एवं दरभंगा में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना नहीं की जायेगी, तब तक उपभोक्ताओं को परेशानियां बनी रहेंगी। हसनपुर, बिरौल आदि प्रखण्डों को खगड़िया एक्सचेंज से भी जोड़ना गलत है। इन प्रखण्डों को समस्तीपुर, दरभंगा इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज से जोड़ा जाना चाहिये।

अत: समस्तीपुर एवं दरभंगा में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

(चार) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग

श्री सूरज प्रसाद सरोज (मोहनलालगंज) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की सूचना देता हूं :

"मैं इस सदन के द्वारा सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश खासकर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र तथा मालमलीहाबाद माल काकोरी, हसनगंज उन्नाव की ओर आकर्षित करना चाहता

हूं। जहां पर आम, अमरूद, आलू, ताड़ और धान की फसल बहुत अधिक मात्रा में होती है। इन क्षेत्रों को सरकार ने फलपट्टी के रूप में घोषित कर रखा है।

लेकिन यहां पर इन फलों इत्यादि को रखने के लिए उचित स्थानों के अभाव तथा बिजली की लगातार कमी तथा फलों इत्यादि के लदान के लिए उचित प्रबन्धों के न होने से तथा इनकी पैकिंग के लिए डिब्बों की अत्यन्त कमी के कारण यहां के किसानों को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का नुकसान होता है। यहां पर प्रतिवर्ष तकरीबन पांच करोड़ डिब्बों की खपत होती है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाए जाएं जिनमें यहां के फलों का यहां पर इस्तेमाल हो सके तथा लकड़ी की कमी को देखते हुए दफ्ती के डिब्बे बनाने का उद्योग स्थापित किया जाए। इसके द्वारा यहां के किसानों को तो लाभ होगा ही वरन हजारों पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।"

(पांच) महाराष्ट्र में पार्ली-बीड़ अहमदनगर बड़ी रेल लाइन को स्वीकृति दिए जाने तथा इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी मण्डियों से जोड़े जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : सभापति महोदया, बीड़ महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा जिला है जिसमें शिक्षा दर सबसे कम और बेराजगारी अत्यधिक है। इसमें ढंग का कोई उपयोग नहीं है और वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण इस जिले को बारम्बार अकाल ग्रसित होना पड़ता है। जिला मुख्यालय को महानगर के बाजारों से जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं है, जिसकी वजह से किसानों और उद्यमियों को हानि उठानी पड़ती है। सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों की लगभग 3 लाख जनसंख्या अपनी रोजी-रोटी की तलाश में इस जिले को छोड़कर बड़े नगरों और पश्चिमी महाराष्ट्र में बस गई हैं। क्या मैं रेल मन्त्री महोदय से यह अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया वे पार्ली-बीड़ अहमदनगर बड़ी रेल लाइन को अपनी मजूरी दें तथा इस पिछड़े क्षेत्र को बड़ी-बड़ी मंडियों से जोड़ने की व्यवस्था करे और इसके विकास का मार्ग प्रशस्त करे।

(छ:) बिहार में मरकच्चों में आयुध कारखाना लगाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन प्रस्तुत करता हूं :—

"झारखण्ड या वनांचल के सर्वाधिक उपेक्षित एवं पिछड़े 150 वर्ग किलो मीटर भू-भाग के लाखों गरीब एवं बेकारीग्रस्त युवकों एवं अन्य जनता की 1986 से आज तक लगातार मांग रही है कि देश के सर्वश्रेष्ठ सैनिक स्कूल, तिलैयाडैम के समीप कोडरमा संसदीय क्षेत्र के सबसे उपयुक्त स्थल मरकच्चों प्रखण्ड में एक चिरप्रस्तावित आयुध कारखाने को अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाए।

मरकच्चों के बरीयारडीह कलकत्ता से दिल्ली सीधी रेल मार्ग एन० एच० 2 जी० टी० रोड तथा एन० एच० 31, पटना रांची रोड पर अवस्थित है। प्रस्तावित

7658.33 एकड़ भूमि प्राय: जो सरकारी है जो प्रदूषण रहित एवं शुष्क आर्द्रता सहित है। इस भू-भाग के लिए मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों से सुरक्षित यह स्थान सामरिक दृष्टिकोण से उत्तम है। पानी, बिजली एवं कच्चे माल भी सुलभ हैं। विशेषज्ञों के दल ने भी इसे सबसे अच्छा स्थल माना है। बिहार सरकार के दो मुख्य-मन्त्रियों तथा उद्योग मन्त्री ने भी अनुशंसा की है। 19 सांसदों एवं 25 विधायकों ने भी अनुशंसा की है। 1985 से आज तक आम जनता तथा राष्ट्रीय मोर्चे के सभी दलों की आम मांग के रूप में आयुध कारखाना आया है।

अस्तु, मरकच्चों में बिना और समय गंवाए प्रोपेलेन्ट आयुध कारखाने का शिला न्यास राष्ट्र सुरक्षा एवं युवकांक्षा पूर्ति हेतु करें।"

(सात) **तमिलनाडु में नामीबियार, पोइगंयार और कोदुमुदियार जलाशय योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग**

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आर० अतीतन (तिरुचेन्दूर) : महोदया, मेरा चुनाव क्षेत्र प्राय: सूखे से प्रभावित रहता है। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नमकीन पानी भूमिगत जल में रिसता रहता है। इसलिए कुएं का पानी खारा हो जाता है। कुछ स्थानों पर पानी के एक बरतन की लागत दो रुपये तक पड़ती है। इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार को काफी समय से लम्बित पड़ी पचैयार नामीबियार पोइगंयार और कोदुमुदियार जलाशय परियोजनाओं का निर्माण करना चाहिए।

नामीबियार, पोइगंयार और कोदुमुदियार योजनाओ को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इन जलाशयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा के लिए पर्याप्त धन राशि आबंटित की जाए।

केन्द्रीय सरकार, पचैयार योजना पर राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकती है।

मेरा जल संसाधन मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन योजनाओं पर गौर करें और नामी-बियार, पोइगंयार कोदुमुदियार योजनाओ को शीघ्र पूरा करने तथा पचैयार योजना को शीघ्र मन्जूरी देने का निदेश दें।

(आठ) **"बंगाल की खाड़ी में लघु मछुआरा समुदाय" परियोजना के अन्तर्गत सुन्दरबन क्षेत्र को भी शामिल किए जाने की मांग**

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदया, पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में एक ओर जहां प्रकृति उदार है और वहां अपार वन सम्पदा है, दुर्भाग्यवश वहां रहने वाले, जिनमें अधिकांश ग्रामीण हैं अत्यन्त गरीब है। इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में कोई भी उद्योग यहां तक कि कुटीर और लघु उद्योग भी नहीं है, जिसके कारण यहां के लोगों की जीविका का मुख्य साधन मछलीपालन तथा वनों से लकड़ी एकत्र करना है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी योजनाओं के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहां के लोगों को कभी कभी दोनों समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को जीविका के कुछ साधन जुटाए जाएं। इनके लिए मत्स्य पालन ही एकमात्र साधन है। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे उन्हें भोजन भी उपलब्ध होगा और पौष्टिक स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि सरकार को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी जिसकी अत्यन्त

आवश्यकता है। सुन्दरबन में मछली का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सुन्दरबन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुछ उत्पादनोन्मुखी आदान पूर्ति तथा विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जायें। पता चला है कि पिछले वर्ष बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 'बंगाल की खाड़ी में लघु मछुआरा समुदाय परियोजना, की समीक्षा की गई थी। लेकिन इसके परिणाम का पता नहीं चला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह परियोजना बंगाल की खाड़ी के चारों ओर है और अगर पहले इसका विस्तार नहीं किया गया है तो अब इसका विस्तार करके सुन्दरबन क्षेत्र को भी इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

———

3.13 म० प०

नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वहाँ के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय: अब सभा, 22 मई, 90 को श्री दिनेश सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी, अर्थात—

> "कि यह सभा नागालैंड में नई सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति के लिए वहां के राज्यपाल के आचरण का निरनुमोदन करती है।"

डा० विप्लव दासगुप्त अपना भाषण आगे जारी रखेंगे।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदया, कल इस विषय पर बोलते हुए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम यह महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से नागालैंड में राज्यपाल ने कार्यवाही की है, उससे सरकारिया आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन होता है। सरकारिया आयोग ने यह आधार बनाया था कि यदि इस बारे में कोई विवाद हो तो उसे सदन में सुलझाया जाना चाहिए। यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो सम्बन्धित सरकार को 30-60 दिनों के भीतर या उससे भी पहले सभा का सत्र बुलाकर, उसमें अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा जाना चाहिए। हमारा मत है कि इस मामले को इसी प्रकार सुलझाया जाना चाहिए था। बहुमत सिद्ध करने का अन्य सही तरीका नहीं है।

दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना ही बदल दिया। हम समझते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके साथ ही हम इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह संकल्प सदन में ऐसे लोगों ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनका इस विशेष मामले पर अपना उदाहारण अनुकरणीय नहीं है। यह देखने में आया है कि यह दल, जो इस समय विपक्ष में है, राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है और इसने अपने हितों के लिए राज्यपाल का प्रयोग किया है। मेरा सुझाव है कि हमें राज्यपाल की भूमिका को सही तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। राज्यपाल को एक बिचौलिए की भूमिका अदा करनी चाहिए और उसे संविधान के संरक्षक और सरकार का मित्र दार्शनिक

और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि उसे प्रत्येक बात की जानकारी दी जाए। उसे चेतावनी देने और प्रोत्साहन देने का अधिकार भी होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य पाल को सत्तारूढ़ दल के हाथ का हथियार भी नहीं बनना चाहिए।

स्वयं नेहरू ने कहा था कि राज्यपाल किसे बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राज्य-पाल को दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे राज्य की राजनीति से कोई लेना देना न हो, वह राजनीति में लिप्त नहीं होना चाहिए और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। दुर्भाग्यवश राज्यपाल का चयन करते समय इन मापदण्डों का पालन नहीं किया गया है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 1947-85 के मध्य और विशेषतौर पर 1980 से लगभग 60% ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया गया जोकि नियुक्त किए जाने के कुछ दिन या कुछ माह पूर्व तक सक्रिय राजनीति में थे। वास्तव में सरकारिया आयोग ने कहा है कि 1980 से इस पद पर सक्रिय राजनीतिज्ञों की बढ़ी है और इसी कारण से राज्य द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि नेहरू अन्य सभी मापदंडों से एक लोकतन्त्रवादी थे और सभी कांग्रेसियों से सबसे अधिक लोकतंत्रवादी थे, फिर भी दुर्भाग्य से उन्होंने 1952 में तमिलनाडु में 1954 में, जब आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत में थी, इसी प्रकार बहुमत का फैसला किया था। उन्होंने यही सब किया। उन्होंने बहुमत वाले दल को वहां सरकार नहीं बनाने दी और वास्तव में, राज्यपाल की सहायता से उन्होंने ऐसा मुख्यमन्त्री नियुक्त किया, जिसका कि उस समय वहां बहुमत नहीं था। लेकिन बाद में उसने दल बदल की सहायता से वहां बहुमत प्राप्त कर लिया। दुर्भाग्यवश पंडित नेहरू ने स्वयं राज्यपाल की इस परम्परा का पालन नहीं किया।

इसके बाद राज्यपाल के पद का अनेक प्रकार से निरादर हुआ। आज प्रातः ही हम कश्मीर समस्या पर विचार कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह समस्या पैदा कैसे हुई? कांग्रेस दल द्वारा दल-बदल कराए जाने के कारण यह समस्या वहां आरम्भ हुई। फारूक अब्दुल्ला सरकार के पतन से यह दल बदल ऐसे व्यक्ति ने करवाई*।

वह स्वयं पैसा लेकर वहां गए और दल बदलुओं को खरीदा और सरकार बदल दी गई।

श्री एडुआर्डो फलेरो (मारमागाओ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पीठासीन अधिकारी का पूर्व सूचना दिए बिना ऐसे न लगाए जाएं। आपने ये आरोप लगाए हैं और पीठासीन अधिकारी ने आपको इनकी अनुमति भी दे दी है। क्या सदस्य ने इसकी सूचना दी थी? मुझे विश्वास है सदस्य ने इसकी सूचना नहीं दी है। अतः पीठासीन अधिकारी को कभी इस प्रकार के आरोप की अनुमति नहीं देनी चाहिए। महोदया, कृपया इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण तिवारी (डुमरियागंज) : यह कोई एलीगेशन नहीं है, यह हकीकत है। (व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप यह कैसे कह सकते हैं कि पैसे देकर उस गवर्नमेंट को गिराया है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

डा० विप्लव दासगुप्त : कश्मीर में ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था···

श्री एडुआर्डो फलेरो : महोदया, आप कृपया पहले मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें।

डा० विप्लव दासगुप्त : महोदया, मैं इसे वाग्मितापूर्ण कह रहा था।

सभापति महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगी। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने इसे वाग्मितापूर्ण ढंग से कहा था···

श्री एडुआर्डो फलेरो : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने पर ही सहमत होऊंगा।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगी और आपको इसके बारे में सूचित करूंगी।

डा० विप्लव दासगुप्त : जब आंध्र प्रदेश में श्री एन०टी० रामाराव को मुख्यमन्त्री पद से हटाया गया, यही बात वहां भी हुई थी। हाल ही में कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ है। दल बदलुओं को खरीदा गया और उन्हें मन्त्री पद दिया गया। अत: कांग्रेस को इन मामलों पर बोलने का और सिद्धांत की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उनके अपने हाथ प्रदूषित हैं, अत: उन्हें इन मामलों पर नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अत: उन्हें इस प्रकार बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही मैं जनता दल को कांग्रेस पार्टी के बराबर नहीं रखना चाहता। हमें जनता दल से भारी अपेक्षाएं हैं। जनता दल ने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मापदण्ड स्थापित किए हैं। उदाहरणतया उपाध्यक्ष कांग्रेस दल का है, जोकि कांग्रेस दल ने नहीं बनाया था। लोक लेखा समिति का सभापति कांग्रेस का सदस्य है न कि सत्तादल का सदस्य।

श्री एडुआर्डो फलेरो : नहीं, माननीय सदस्य गलत बात कह रहे हैं। मेरा नियम 376 के अन्तर्गत, व्यवस्था का प्रश्न है। जैसाकि सभापति महोदया जानती ही है कि अब तक कि यही परम्परा रही है कि इस सभा का उपाध्यक्ष हमेशा से ही विपक्ष का सदस्य होता है। केवल पिछली बार ही ···(**व्यवधान**)

डा० विप्लव दासगुप्त : नहीं, हम ए० आई० डी० एम० के० को विपक्ष दल नहीं मानते, हम इसे कांग्रेस दल का ही एक भाग मानते हैं।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : हम आपको भी जनता दल पार्टी ही मानते हैं। हम आपको सी० पी० आई० (एम) दल का नहीं मानते।

डा० विप्लव दासगुप्त : बहरहाल, हम महसूस करते हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल की अपेक्षाकृत अधिक नैतिक जिम्मेदारी है। अत: इसे अपने आपको कांग्रेस दल से भिन्न दर्शाना होगा। कांग्रेस दल ने गलत काम किए हैं जो न्यायोचित नहीं हैं। उदाहरणार्थ राज्यपाल के पद का प्रयोग जिस ढंग से कांग्रेस दल ने किया वह गलत है। अतः, जो दल लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव कर रहा है, जो दल प्रसार भारती विधेयक का प्रस्ताव कर रहा है, जो दल बहुत ही निर्भीकता और साहस से कानूनों के माध्यम से देश की राजनैतिक प्रणाली को प्रजातान्त्रिक बना रहा है। उससे मुझे काफी अपेक्षाएं हैं। मैं आपको उनके स्तर पर नहीं रखा सकता। उनकी तुलना कांग्रेस दल से नहीं की जानी चाहिए।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : हम भी उनकी तुलना अपने से नहीं करते हैं। (व्यवधान)

डा० विप्लव दासगुप्त : दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा वह यह है। दलबदल का मामला लीजिए। दल-बदल का इतिहास क्या है ? यदि आप दल बदल के इतिहास की ओर देखें तो पता चलेगा की जब तक दल बदल एक दिशा में होता रहा था, जब तक कांग्रेस द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। क्योंकि वे दल बदल के लाभार्थी थे। यदि आप वर्ष 1967 और 1970 के बीच की अवधि के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि सभी संसद सदस्यों और विधायकों में से 50 प्रतिशत सदस्यों ने दल बदल किया। तत्पश्चात् इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री भजन लाल जिन्होंने दल-बदल के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है—वे इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : वह इस तरह आरोप नहीं लगा सकते।

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दास गुप्त अपना बचाव स्वयं अच्छी तरह कर सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अन्बारासु इरा : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : नहीं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए कृपया उन्हें अपना भाषण जारी रखने दिया जाए।

(व्यवधान)

डा० विप्लव दासगुप्त : वर्ष 1973 में, दल बदल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव था। दल बदल विधेयक वर्ष 1973 में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव था। लेकिन, इसके पश्चात् उन्होंने इस विधेयक को व्यपगत होने दिया। क्योंकि वे दल-बदल रोकना नहीं चाहते थे। क्योंकि उन दिनों वे दल-बदल के प्रमुख लाभार्थी थे। उन्होंने इसके बाद, वर्ष 1985 में यह कानून क्यों पारित किया ? उन्होंने यह कानून कुछ ही दिनों में पारित कर दिया। वे किसी भी तरह से अपना बहुमत बनाए रखना चाहते थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी ही थी जो एन्टी डिफेक्शन बिल लेकर आई है। आप भी 1977 में थे, इसका श्रेय आपको नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त : उन्होंने दल बदल के माध्यम से अनेक सरकारें गिराई। यह न भूलें वर्ष 1985 में अपना बहुमत सुनिश्चित करने के बाद ही उन्होंने यह कानून पारित कर दिया और इस कानून का उन्हें लाभ मिला। यदि दल बदल कानून न होता तो श्री राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स सौदे के प्रकाश में आने के बाद तुरन्त ही दो वर्षों के अन्दर ही गिर गई होती। इसलिए इस कानून ने उनके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। वर्तमान दल बदल में अनेक खामियां है। यह एक ऐसी छतरी है

[डा० बिप्लव दासगुप्त]
जिसमें अनेक छेद हैं और इसके परिणामस्वरूप आप देखेंगे कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, इसकी व्याख्या करते सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं हैं क्योंकि इस कानून को ठीक तरह से नहीं बनाया गया है।

उदाहरणार्थ, यदि एक तिहाई सदस्यों ने दल बदल किया है तो आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। आप संसद में आने के लिए किसी पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते यदि उसने दल छोड़ दिया है और वह दल के सचेतक की आज्ञा का पालन करता है। अनेक असंगतियां हैं। यह इस तथ्य पर भी विचार नहीं करता है कि ऐसे अनेक आदमी हो सकते हैं जो दूसरे दल में शामिल हो जाएं क्योंकि वे सैद्धांतिक आपत्तिकर्त्ता हैं। इस कानून में ऐसे लोगों में कोई अन्तर नहीं है जो धन के प्रलोभन में दल बदल करते हैं, जो पदों के प्रलोभन में दल-बदल करते हैं और जो सैद्धांतिक आपत्तिकर्त्ता हैं, उन लोगों की तरह जिन्होंने पिछले वर्ष जो कांग्रेस से जनता दल में गए। वे सैद्धांतिक आपत्तिकर्त्ता है, उन्होंने मन्त्री पद के लिए उन लोगों की तरह दल-बदल नहीं किया जिन्होंने धन के प्रलोभन में, पदों के प्रलोभन में दल-बदला है। दल-बदल के लिए सजा दी जानी चाहिए, इसी तरह इस कानून में अनेक असंगतियां हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अन्य माननीय सदस्यों को अनुमति नहीं दी है। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दिया जाए।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं महसूस करता हूं कि अध्यक्ष महोदय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन गयी है क्योंकि दसवीं अनुसूची में, खण्ड 6 में, अध्यक्ष महोदय के अधिकार असीम हैं जिसका अर्थ है कि अध्यक्ष महोदय ही यह निर्णय करते हैं कि दल-बदल वास्तव में दल-बदल है या नहीं। इससे भी सभी तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। खण्ड 7 के अन्तर्गत न्यायालय भी इस बारे में निर्णय नहीं दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप आज क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि अध्यक्ष अलग-अलग विचारधारा के होते हैं। अनेक अध्यक्ष महोदय हैं और विभिन्न अध्यक्ष महोदय विभिन्न अनुदेश और विभिन्न निर्णय देते हैं इसके परिणामस्वरूप, जहां तक दल-बदल कानून का संबंध है, यह पूरी तरह भ्रमित करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि श्री गोस्वामी इस बात पर विचार करेंगे। मुझे मालूम है कि वे इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस पर ध्यान दिया जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनको सम्बोधित नहीं कर सकते। श्री दासगुप्त कृपया मेरी ओर देखो और आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा० बिप्लव दासगुप्त : वह मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं क्योंकि सच कड़वा होता है। सच उनके लिए कड़वा है, जिसके कारण वे मुझे नहीं बोलने देना चाहते। लेकिन इसके साथ ही यह सच है।

दल-बदल खेल क्या है? खेल यह है कि यदि आप अध्यक्ष महोदय को अपने पक्ष में ले लें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। गोवा में, उन्होंने अध्यक्ष महोदय को अपने पक्ष में ले लिया। कोई समस्या नहीं रही। नागालैंड में, वे अध्यक्ष महोदय को अपने पक्ष में नहीं ले सके। वहां समस्या पैदा हो गई, क्योंकि नागालैंड में, अध्यक्ष महोदय ने कुछ लोगों को, जिन्होंने दल-बदल किया, निष्कासित कर दिया। यह मुद्दे पर विवाद है।

अब स्थिति यह है श्री दिनेश सिंह ने यह मुद्दा उठाया है अर्थात्, क्या दल-बदल 'मूलतः' कांग्रेस से होता है अथवा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर स्पष्ट कोई राय नहीं है। मैंने लोक सभा महासचिव, डा० काश्यप ने एक जगह लिखा है कि इस विशेष मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है 'मूल दल' क्या है ? क्या कांग्रेस एक दल है ? क्या उनके पास सदस्यता के बारे में कोई संविधान है ? क्या उनका कोई कार्यक्रम है ? क्या वे चुनाव कराते हैं, क्या वे चुनाव के माध्यम से नेतृत्व बदलते है ? (व्यवधान) नहीं। क्या कांग्रेस का एक दल के रूप में विधान मंडल के बाहर अस्तित्व है अथवा नहीं है; यह स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से, क्या मूल दल में दल-बदल हुआ है अथवा नहीं — इस बात का निर्णय कौन करेगा ? (व्यवधान) इसलिए मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या कांग्रेस एक दल है अथवा नहीं। (व्यवधान) इस प्रश्न पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यह केवल नागालैंड का प्रश्न नहीं है। आप नागालैंड का प्रश्न जानते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बारी आ रही है; आप तब बोल सकते हैं। आपको भी अवसर मिलेगा। श्री फलीरो किसी की अपेक्षा आपको बेहतर जानना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : श्री दासगुप्त, आपको कांग्रेस दल के बारे में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए।

डा० बिप्लव दासगुप्त : हमें ये सब बातें मत बताओ। हम कांग्रेस दल के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि आप जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस दल एक दल-बदलुओं का दल है। यदि आप कांग्रेस सदस्यों का इतिहास और जीवन वृत्त देखें तो आप पाओगे कि इनमें से आधे दल-बदलू हैं (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : सी० पी० आई०(एम०) कहां से आई ? सभापति महोदया, आप मूल दल की हैं। ये मूल दल के नहीं हैं। (व्यवधान)

यदि आप उनकी सूची देखें, तो आपको पता लगेगा कि उनमें से कितनों ने अपना दल छोड़ दिया था। कुछ उच्च पदों के लिए प्रलोभन दिए जाने के कारण उन्होंने अपना दल छोड़ दिया था। जब वर्ष 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता से हटाया गया, तब उनमें से कितने उनके प्रति वफादार थे ? वर्ष 1980 में जब वह पुनः सत्ता में वापस आयीं, तो वे वापस आ गये। किसी दल के गठन के लिए न्यूनतम आवश्यकता वफादारी है; किसी उद्देश्य के लिए वफादारी, नेतृत्व के लिए वफादारी, संगठन के लिए वफादारी की आवश्यकता है। वफादारी कहां है ? उनमें न्यूनतम वफादारी नहीं है। वफादारी के बिना उचित दल प्रणाली नहीं हो सकती। यदि उचित दल प्रणाली नहीं है तो आप दल-बदल को नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि चव्हाण समिति ने इस मामले की जांच की थी और एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। उसने कहा था, यदि कोई दल-बदल करता है, तब उसे किसी मन्त्री पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; दल-बदल का उसे पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कानून में उचित संशोधन किया जाना चाहिए अर्थात् दल-बदल का लाभ किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। यह न्यूनतम कार्य किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने को समाप्त किया जा सके। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस बात का निर्णय करने का अधिकार न केवल अध्यक्ष पर ही छोड़ना चाहिए अपितु इस बारे में पूरी जांच की जानी चाहिए कि क्या वह दल से सम्बन्ध

[डा० बिप्लव दासगुप्त]

रखने का मामला है अथवा दल-बदल का। यह जांच चाहे राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए; चाहे अन्य किसी अधिकारी द्वारा; मैं इस बारे में नहीं जानता; मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं; मैं इस बारे में यह सुझाव देना चाहूंगा। यह पूर्ण रूप से अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए; यह अध्यक्ष महोदय के पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो देश के विभिन्न भागों में विवादास्पद निर्णय लिए जायेंगे। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में क्या हुआ। जब कभी आपको दल-बदल से नुकसान होता है तो आप शिकायत करते हैं; जब कभी आपको इससे लाभ होता है, तो आप शिकायत नहीं करते हैं। यह आपकी समस्या है। आपका कोई सिद्धान्त नहीं है। एक दल-बदलू को लाभ न होने दें; एक दल-बदलू को दल-बदल से लाभ प्राप्त करने की अनुमति न दें।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : प्रधान मन्त्री के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा० बिप्लव दास गुप्त : वे चुनाव जीतने के बाद प्रधानमन्त्री बने हैं। वे आपको पराजित करने के बाद प्रधानमन्त्री बने हैं। (व्यवधान) मैं सभा के सभी सदस्यों से चाहे वे किसी भी दल से सम्बद्ध हों, अपील करता हूं कि इस मामले पर सभी दलों में मतैक्य होना चाहिए। दल-बदल को प्रोत्साहन न दें। चाहे वह किसी भी दल की ओर से हो। मेरे दल अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अन्य वामपंथी दलों द्वारा दल-बदल नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? दल-बदल केवल आपके दल अथवा कुछ अन्य दलों द्वारा ही क्यों किया जाता है? यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे अनेक मतभेद हैं, किन्तु इस मामले में हमारी एक राय है। भारतीय जनता पार्टी से दल-बदल क्यों नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी से दल-बदल नहीं होता है क्योंकि वह एक दल है और उसमें नेतृत्व के लिए चुनाव हुआ है। उनका अपना संगठन है; उनके अपने सदस्य हैं; वे अपने सम्मेलन और चुनाव आयोजित करते हैं। उनके दल में लोकतंत्र है। अब जनता दल भी अपने दल को लोकतांत्रिक रूप से गठित करने की प्रक्रिया में लगी है। उसने अपना नया अध्यक्ष चुना है। वे अपने चुनाव करवा रहे हैं। मुझे आशा है कि यह उचित लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित दल होगा। मुझे यह भी आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही किया जायेगा। मुझे यह भी आशा है कि कांग्रेस के सदस्यों की भी अपनी उचित सदस्यता होगी, जाली सदस्यता नहीं; उनकी समस्या उनकी जाली सदस्यता है। (व्यवधान) कांग्रेस नेतृत्व उचित होना चाहिए। इसे कांग्रेस के सभी लोगों का वास्तविक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तभी एक उचित लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित हो सकती है। उदाहरण के लिए, इंगलैंड में सर विन्सटन चर्चिल ने केवल एक बार अपना दल बदला। किन्तु प्रतिवर्ष लोग यह कहते रहे कि सर विन्सटन चर्चिल ने अनेक बार अपना दल बदला है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अधिकांश देशों में आप पायेंगे कि यदि सदस्य एक बार अपना दल बदलते हैं तो लोग उन्हें माफ नहीं करते हैं। आप बहुत कम ऐसा पायेंगे कि वहां लोग अपना दल बदल कर अपनी स्थिति बदलते हों। ऐसा भारत में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्वस्थ परम्परा विकसित करने में असफल रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के दिन से ही हम स्वस्थ परम्परा, स्वस्थ राजनैतिक प्रणाली, देश में लोकतन्त्र पर आधारित उचित दलीय राजनीतिक प्रणाली का विकास करने में असफल रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं सभापति महोदया के माध्यम से आपको सुझाव देना चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन स्वस्थ परम्पराओं का विकास करें, ताकि इस दल-बदल के कारण हमारे देश की दूषित और घृणित राजनैतिक प्रणाली बदली जा सके और इस एक ऐसी प्रणाली में बदला जाए जहां लोगों को कुछ नैतिक मान्यताएं हों, कुछ आदर्श हों, लोग उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रति वफादार हों, और वे अपनी अवसरवादिता से प्रेरित न हों। उन्हें बाजार में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता।

सभापति महोदय : अब श्री दिनेश गोस्वामी हस्तक्षेप करेंगे।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : माननीय गृह मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। किन्तु दल-बदल सम्बन्धी कानून और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ ऐसे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं जिनमें मैं हमेशा गहन रुचि लेता हूं। इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए मैंने आपकी अनुमति मांगी है।

महोदया, अब तक दिए गए सभी भाषण मैंने सुने हैं। श्री गुरुदास दास गुप्त ने वाद-विवाद का क्षेत्र बढ़ा दिया है।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं गुरुदास दास गुप्त नहीं हूं। वे दूसरे सदन में बैठते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : हां, बिप्लव दासगुप्त; दास गुप्त तो दोनों में समान है।

श्री दास गुप्त ने दल-बदल विरोधी कानून का उल्लेख करते समय सुझाव दिया है कि हम इस पर नये सिरे से विचार करें। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सरकार ने चुनाव सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु हाल ही में जो समिति गठित की थी, उसने इन पहलुओं पर भी विचार किया है और हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं तथा हम आशा करते हैं कि हम चालू सत्र में तो नहीं अगले सत्र में कुछ विधायी उपाय करेंगे, क्योंकि हमें जो सुझाव दिये गये हैं, उसमें पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कांग्रेस (इ) से भी सहयोग लेना होगा क्योंकि संविधान में किसी भी संशोधन के लिए उनका समर्थन आवश्यक है। मैं श्री दास गुप्त को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे अब हमारे विचाराधीन हैं।

मैंने अपने सम्मानीय साथी श्री दिनेश सिंह का भाषण सुना। मुझे लगा कि उन्होंने पूरे विश्वास से अपनी बात नहीं कही। मैं यह समझ सकता हूं कि वे किसी कठिनाई में थे क्योंकि वे ऐसी बात कह रहे थे जिसे उनके दल ने विगत में कभी भी नहीं माना। आज वह कह रहे हैं कि सभा को यह पता लगाने हेतु एक ऐसा मंच होना चाहिए कि क्या किसी सरकार को बहुमत का समर्थन है अथवा नहीं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। किन्तु क्या मुझे उन्हें याद दिलाना चाहिए कि जब हमने कर्नाटक में यह मांग की थी तो इसे अस्वीकार कर दिया गया था? क्या वह अब अपने दल के कार्यों पर नजर डालेंगे, चाहे यह कर्नाटक विधान सभा के भंग होने की बात हो अथवा आंध्र प्रदेश विधान सभा के भंग होने की बात हो या अन्य राज्यों की विधान सभाओं के भंग होने की बात हो, तो क्या उन्होंने अथवा उनके दल ने किसी समय यह सिद्धान्त अपनाया? किन्तु मुझे खुशी है कि उनके दल को कुछ महसूस करने का मौका मिला और संभवत: इससे देश को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि कांग्रेस इस समय विपक्ष में बैठी है और वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आजादी के बाद से अब तक जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया वह सब अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।

[श्री बिमेश गोस्वामी]

महोदया, मैं कुछ तथ्य बताऊंगा। ऐसा लगता है कि सारा वाद-विवाद यों ही चला क्योंकि ये तथ्य सदस्यों के समक्ष नहीं आए। वे गलत प्रभाव में है। किन्तु इससे पहले मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के दो सम्मानीय सदस्यों, नागालैंड के श्री शिकिहो सेमा और मेघालय के श्री पेटर जी० मरबनियांग द्वारा दिए गए दो भावुक भाषणों के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जहां तक सरकार की कार्यवाही के बारे में उनके मत का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। किन्तु मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में उनके विचारों से काफी हद तक सहमत हूं। मैं इस सभा में निरन्तर अनुरोध करता रहा हूं कि इस देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है और इस क्षेत्र के सभी पहाड़ी राज्य काफी लम्बे समय के बाद राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किए गए हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। वे लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोकतंत्र में उनकी आस्था कम हो जाए उस बारे में मेरे दो मत नहीं है। मैं यह बता सकता हूं कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल में गृह मन्त्री महोदय अपने साथ मन्त्रियों का एक दल लेकर गुवाहाटी गए थे। वे वहां उस क्षेत्र के सभी मुख्यमन्त्रियों और मन्त्रियों तथा अधिकारियों के साथ बैठे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा आज उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है।

नागालैंड की समस्या दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां दल की वफादारी में परिवर्तन हुआ है। मैं दल की वफादारी में परिवर्तन को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक यह सिद्धान्त रूप में न हो। किन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दल की वफादारी में परिवर्तन आना इस क्षेत्र में एक आम बात हो गई है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह इसलिए है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दलीय ढांचे का विकास नहीं हुआ है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह क्षेत्र काफी हद तक केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहता है। वहां सरकार के लोग और यहां तक कि विधायक भी यह सोचते हैं कि क्षेत्र के आर्थिक लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार का समर्थन बेहतर रहता है। किन्तु मैं यह ध्यान दिला दूं कि श्री मरबनियांग जो कि मेघालय से आए हैं, यहां उपस्थित नहीं हैं। वह कह रहे थे कि जब सदस्य उनका दल छोड़ते हैं तो हमें उन्हें सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने मेघालय में क्या किया है। वहां पिछले चुनाव में राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में मुकाबला था। उसमें क्षेत्रीय दल विजयी रहा और उसके तुरन्त बाद क्षेत्रीय दल के कुछ सदस्यों ने कांग्रेस के अपने दल में ले लिया और फिर कांग्रेस ने श्री पूर्नो संगमा के मुख्य मंत्रित्व में सरकार बनाई। किन्तु श्री बी० बी० लिंगदोह, जो उस समय मेरे बहुत अच्छे साथी थे, ने श्री पूर्नो संगमा के साथ मिलकर सरकार बनाई। क्या मैं श्री मरबनियांग से पूछ सकता हूं कि क्या आपने उस समय तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए चूंकि क्षेत्रीय दल ने राष्ट्रीय दल को हराया है इसलिए क्षेत्रीय दल को अपनी सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। या फिर यह ऐसा है कि जब आपको स्वयं तकलीफ होती है तो आप नैतिकता की दुहाई देते हैं। अफसोस की बात है कि ऐसी स्थिति है। किन्तु नागालैंड में ऐसी स्थिति नहीं है।

हम नागालैंड के बारे में तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नई सरकार बनने से पहले नागालैंड में साठ सदस्य थे—छत्तीस सदस्य कांग्रेस (इ) के थे और चौबीस सदस्य नागा पीपुल्स

कांसिल के। कांग्रेस के 36 सदस्यों में से 12 सदस्य अलग हो गए और उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेस (रीजनल कांग्रेस) के नाम से एक दल बना दिया···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर (दोहद) : किसने करवाया ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि नागालैंड में आयोर मंत्रालय रहे या चीसी मंत्रालय। राष्ट्रीय मोर्चा की दिलचस्पी क्या है ? राष्ट्रीय मोर्चा वहां जो भी मंत्रालय हो, उसे सभी सहायता देगा। हमारी उस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। किन्तु जो भी हो, 12 सदस्यों द्वारा अलग ग्रुप बनाने के बाद दो सदस्यों को कांग्रेस ने दल से निकाल दिया। दुर्भाग्यवश···अंतिम विश्लेषण में यह कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ। दो सदस्यों को क्यों निकाला गया ? क्योंकि 36 सदस्यों में से 12 सदस्य दल बदल रोकने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत अलग हो जाते हैं। जो कि एक तिहाई संख्या है, इसलिए उन्हें अलग होने का अधिकार है। यह देखने के लिए कि ये सदस्य 12 ही न हों, दो सदस्यों को स्थानीय कांग्रेस (इ) ने निकाल दिया। मैं अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं कि इस सभा में विवाद का मुद्दा है कि क्या कांग्रेस की स्थानीय यूनिट किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकती है ? मैं आपको याद दिला दूं कि मिजोरम के एक सदस्य को स्थानीय मिजोरम कांग्रेस कमेटी द्वारा निष्कासित किया गया था। निष्कासित किए जाने के बाद उस सदस्य ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। कांग्रेस दल ने अध्यक्ष को इस आधार पर एक आवेदन दिया कि स्थानीय कांग्रेस पार्टी को उस सदस्य को अयोग्य ठहराने का कोई प्राधिकार नहीं है। केवल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को ही सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। अत: उसे अयोग्य घोषित करना अवैध है और वह कांग्रेस का सदस्य था। अन्तत: उसे दल बदल रोकने सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया, यद्यपि इस बारे में मतभेद था और श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी इसका विरोध किया था कि स्थानीय दल द्वारा उस सदस्य का निष्कासन गलत था।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन सदस्यों को निष्कासित करते समय संसद द्वारा की गई इस व्यवस्था के इस पहलू को ध्यान में रखा था ? किन्तु मेरी इसमें रुचि नहीं है। दो सदस्य निष्कासित किये गये थे। तत्पश्चात् दस सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया था। फिर भी, अध्यक्ष की व्यवस्था अन्तिम रूप से मान्य होती है। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए कतिपय प्रक्रियायें हैं। दल बदल रोकने सम्बन्धी कानून के अधीन नियम बनाये गये हैं। दल बदल रोकने सम्बन्धी कानून के खण्ड 6 अन्तर्गत नियमों में क्या व्यवस्था है ? नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना होता है तो उस दल द्वारा जो यह महसूस करता है कि उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए एक आवेदन दिया जा सकता है क्योंकि वह इस अनर्हता का दोषी है। नियमानुसार उस सदस्य को इस बात का कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए कि वह सात दिन के अन्दर यह बताये कि उसे अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए। इस नोटिस का उत्तर देने की अधिकतम अवधि सात दिन होनी चाहिए। नियम में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने से पूर्व आवेदन पत्र तथा कारण बताओ नोटिस दोनों पर विचार करता है और तब ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्या नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष ने सात दिन का समय देते हुए उन सदस्यों को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि क्यों न उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाये और निर्णय लेने से पूर्व इस

[श्री दिनेश गोस्वामी]

कारण बताओ नोटिस और आवेदन पर विचार किया था ? जी नहीं, रात भर में ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया । किन्तु दल बदल रोकने सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत अध्यक्ष का विनिर्णय, चाहे वह अवैध ही क्यों न हो, उसके बारे में कोई मामला न तो संसद में अथवा विधान सभा में उठाया जा सकता है और न ही न्यायालय में । वास्तव में, क्या इस मामले को न्यायालय में उठाया जा सकता है अथवा नहीं, यह अभी भी चर्चा योग्य विषय बना हुआ है । किन्तु तथ्य यह है कि हम इसे उठा नहीं सकते हैं । मैं उस विनिर्णय को स्वीकार करता हूं । अब होता क्या है ? यद्यपि प्रत्यक्षत: ऐसा है किन्तु एक विधिवेत्ता के रूप में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दस सदस्यों की इस अयोग्यता के बारे में प्रश्न उठाया जाना चाहिए क्योंकि अन्तत: इस कार्यवाही में नियमों के अधीन प्रदत्त प्राकृतिक न्याय और प्रत्याभूत सुरक्षा के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है ।

मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं । 60 सदस्यों वाली किसी सभा मे से जब दस सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा तो उस सभा में 50 सदस्य रह जायेंगे । ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने क्या किया ? राज्यपाल ने माननीय अध्यक्ष से केवल इतना ही पूछा कि उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई है कि आप द्वारा वास्तव में उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने से पहले ही उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिए हैं । यदि कांग्रेस द्वारा निष्कासित किए जाने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिए थे तो वे दल-बदल परिवर्तन कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं । फिर भी वह इस मामले पर विचार कर सकते थे । यदि ऐसी बात है, तो वह इस मामले पर पुन: विचार कर सकते हैं । किन्तु बाद में अध्यक्ष ने राज्यपाल को सूचित किया कि उन्होंने दस सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है । राज्यपाल ने कहा "मैं इसे स्वीकृत करता हूं ।" ये दस सदस्य अब नागालैंड विधान सभा के सदस्य नहीं हैं । अत: नागालैंड विधान सभा में इस समय 50 सदस्य हैं ।

श्री दिनेश सिंह सहित सभी बोलने वाले सदस्यों को यह गलतफहमी है कि राज्यपाल ने नागालैंड के अध्यक्ष के निर्णय को अस्वीकार कर दिया है । यदि राज्यपाल ने नागालैंड के अध्यक्ष के निर्णय को अस्वीकार किया होता, तो मैं ऐसा पहला व्यक्ति होता जो यह कहता है कि राज्यपाल को अध्यक्ष के निर्णय को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु एक राज्यपाल अर्थात जनरल कृष्ण राव ने ऐसा किया था, जब वर्ष 1988 में कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में थी । उन्होंने दल बदल के मामले पर अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति की थी और अन्तत: मामले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ले जाना पड़ा था और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने इस देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल की कार्यवाही तर्कसंगत नहीं है और श्री दिनेश सिंह हमसे नैतिकता की बात करते हैं । उस समय श्री दिनेश सिंह कहां थे जब राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति की थी और उन्होंने उस समय इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था जब हमने सभा में विपक्ष की ओर से इस मामले को उठाया था । उस दिन श्री दिनेश सिंह एक मूक दर्शक बने हुए थे । अत: मुझे पता है कि वह आज जब इस विषय पर पहली बार बोले तो मुझे प्रसन्नता हुई । उनमें पूर्ण विश्वास की कमी थी । किन्तु राज्यपाल ने क्या कहा ? उन्होंने कहा था : "मैं अध्यक्ष की व्यवस्था को स्वीकार करता हूं । इस समय यहां 50 सदस्य है । उनके सामने क्या स्थिति थी ? नागालैंड पीपुल्स पार्टी के 24 सदस्यों ने कहा था वे आज संगठित हैं । दो सदस्य निष्कासित किये गये थे ।

दुर्भाग्यवश, उन्होंने दो सदस्य निष्कासित किये और वे इस स्थिति में आ गये। यदि वे दो सदस्यों को निष्कासित नहीं करते तो, दल-बदल की स्थिति हो जाती थी। उन दोनों निष्कासित सदस्यों का यह कथन है कि वे श्री चीसी का समर्थन करते हैं। अत: 2 मिलाकर 26 होते हैं। आज 50 सदस्यों वाली सभा में 50 सदस्य श्री चीसी के हैं—24 एक दल के हैं और दो ऐसे सदस्य हैं जिन्हें दल से निष्कासित किया गया था और जो श्री चीसी के साथ मिल गये थे। राज्यपाल ने श्री जमीर से पूछा—"कृपया मुझे अपना बहुमत सिद्ध करें।" किसी समय भी श्री जमीर यह नहीं कह सके थे कि 24 सदस्यों के अलावा उन्हें अमुक-अमुक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उस समय राज्यपाल के समक्ष वास्तविक स्थिति यह थी कि एक ओर 26 सदस्य थे और दूसरी ओर 24 सदस्य। उस समय वह क्या करते? क्या वह अल्पमत सरकार को चलने देते? उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे दस सदस्य अब विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। यदि आप उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें छ: महीने के भीतर नागालैंड विधान सभा के लिए निर्वाचित होना होगा और तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आप तीन दिन के भीतर विधान सभा आमंत्रित करके अपना बहुमत सिद्ध करें। मुझे यह बताया गया कि नागालैंड विधान सभा का सत्र इस महीने की 31 तारीख को बुलाया गया है। अत: यदि श्री जमीर बहुमत में है तो वह 8 दिन के अन्दर यह सिद्ध करने में समर्थ होंगे कि वह बहुमत में है और वह मुख्यमंत्री बन जायेंगे।

मेरा हमेशा ही यह विचार रहा है कि इन बातों का परीक्षण विधान सभा में ही होना चाहिए और इस समय भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बेहतर यह होगा कि राज्यपाल को यह संदेश भेज दिया जाता कि राज्यपाल को इन बातों का परीक्षण सभा में ही करना चाहिए। किन्तु क्या इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम राज्यपाल की कार्यवाही को अस्वीकार कर सकते हैं जबकि प्रत्यक्षत: एक ओर 26 सदस्य हैं और दूसरी ओर 24। चूंकि 24 सदस्य नागालैंड पीपुल्स पार्टी के हैं और वहां दल-बदल जैसी कोई बात नहीं है। निष्कासित किये गये दो सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्कासित किये जाने से पूर्व भी वे इस सरकार का समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल दुविधा की स्थिति में थे। यदि वह इस बात से पूर्णतया सन्तुष्ट होने के बावजूद कि एक ओर 2[illegible] सदस्य हैं और दूसरी ओर 2[illegible] सदस्य और इस तथ्य के बावजूद कि श्री जमीर इस बात को दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत कर सके कि कुछ सदस्यों की वास्तविक सत्यनिष्ठा संशययुक्त है, वे सरकार को चलने की अनुमति दे अथवा नहीं। राज्यपाल ने उस समय यही कहा था कि हमारे पास दो विकल्प हैं या तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये, जो उनकी राय में उचित नहीं होगा। अथवा दूसरा विकल्प यह है कि अल्पसंख्यक सदस्य की सरकार को चलने दिया जाये जिसे न चलने देने का उन्होंने निर्णय किया था। यदि 26 सदस्यों के बारे में कोई शंका होती, तो मैंने राज्यपाल की कार्यवाही का निरनुमोदन किया होता। किन्तु, श्री दिनेश सिंह इस बात को कहने की स्थिति में नहीं हैं। वह इस बात को कहें कि कांग्रेस पार्टी के 24 सदस्यों के अलावा, नागालैंड विधान सभा के कौन-कौन से अन्य सदस्य श्री जमीर का समर्थन कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कुछ सदस्यों की सत्यनिष्ठा 'क' अथवा 'ख' के प्रति संदेहयुक्त है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस पद पर बने रहने दिया जाये और सम्बद्ध विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाये। अत: मेरा ऐसा विचार नहीं है कि ऐसी स्थिति में हम वास्तव में राज्यपाल की कार्यवाही का निरनुमोदन कर सकते हैं। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि राज्यपाल नागालैंड के मुख्यमंत्री के कथनानुसार कार्य कर रहे थे और नागालैंड के मुख्य मंत्री पहले त्यागपत्र देने को सहमत थे और बाद में वह अपने शब्दों से मुकर गये। अत:, मैं यह

[श्री दिनेश गोस्वामी]

अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में मैं यह नहीं समझता कि राज्यपाल न कोई गलती की थी। उन्होंने अध्यक्ष के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था कि 10 सदस्य अयोग्य हो गये हैं और अब वे सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। उन्होंने यह स्थिति स्वीकार कर ली है कि नागालैंड विधान सभा में 50 सदस्य हैं। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्रालय में लिया जाता है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा।

श्री मालवीय ने कहा है कि एक व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई हो, मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा प्वाइंट है जिसे मुख्यमंत्री को नोट करना चाहिए। लेकिन संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मुख्यमंत्री को यह आदेश दे सके कि वह अमुक को मंत्री बनाये और अमुक को मंत्री न बनाये। किसी को मंत्रिमंडल में लेना या न लेना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इसीलिए राज्यपाल ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेते हो जिसकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी गई है तो वह सदन का सदस्य न रहते हुए भी छः महीने तक मंत्री रह सकता है। दल-बदल रोकने सम्बन्धी कानून की यह एक दूसरी कमी है कि सदन का सदस्य रहने के लिए निरर्हं ठहराया गया व्यक्ति छः महीनों तक मंत्री रह सकता है यह एक ऐसी कमी है जिस पर पिछले दल-बदल रोकने हेतु बनाये गये कानून में ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए, हमारा कहना है कि दल-बदल सम्बन्धी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। अक्सर यह शोर मचाया जाता है कि हम दल-बदल सम्बन्धी कानून को समाप्त करना चाहते है। यह सरकार दल बदल सम्बन्धी कानून को समाप्त नहीं करना चाहती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं इनमें से कुछ तो उस समय ही स्पष्ट थीं जब विधेयक पारित किया जा रहा था और कुछ का पता तब लगा जब विधेयक को लागू किया गया। इन्हीं को हम निश्चय ही दूर करना चाहते हैं। अतः, मेरे विचार से इस मामले में राज्यपाल ने वह कार्य किया जो उन्होंने स्वविवेक से ठीक समझा और उनके आचरण पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करे कि, जहां तक संभव हो तो, मामला प्रथम दृष्टया स्पष्ट न हो तो बहुमत के बारे में निर्णय राज्यपाल के घर पर न हो, बल्कि बहुमत का निर्णय हमेशा विधान सभा में हो। धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब श्री नीतीश कुमार अपना वक्तव्य दें···(**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदया, मेरे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : उन्होंने केवल हस्तक्षेप किया है। अन्त में गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। मंत्री जी ने अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से कही है। लेकिन इस बारे में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। उनके अनुसार, और हम इस पर विश्वास करते हैं कि जब राज्यपाल इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि श्री जमीर की सरकार अल्पमत हो गई है तो क्या उस समय वह मुख्यमंत्री श्री जमीर को विधान सभा में दस पन्द्रह दिनों या इसके किसी भी निर्धारित अवधि के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कह सकते थे ? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दूसरी सरकार अस्तित्व में आ गई। इसलिए इस मामले में···(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : हां, वह ऐसा कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए मैं राज्यपाल हूं और

मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं कि पचास सदस्यों में से छब्बीस सदस्य वहां उपस्थित थे—यही संख्या एकदम स्पष्ट है; नागालैंड पीपुल्स पार्टी के चौबीस सदस्य तथा दो निष्कासित सदस्य। यदि ऐसी स्थिति में मुझे राज्यपाल के रूप में कार्य करना हो, और अगर मैं पूर्ण जानकारी और पूर्ण विश्वास के बाद भी अल्पमत वाली सरकार को एक घंटे भी रहने की अनुमति देता हूं तो मैं अपने संवैधानिक दायित्वों को ठीक से नहीं निबाहता हूं और मैं भी ठीक यही निर्णय लेता और इसलिए मेरे विचार से राज्यपाल ने सही निर्णय लिया।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि चार बजे हमें दूसरे विषय को लेना है और उससे पहले श्री नीतीश कुमार को एक वक्तव्य देना है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम समिति के अनुसार सभा के नियमों के अन्तर्गत मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। यह स्थिति है।

सभापति महोदय : आप ऐसा बाद में कर सकते हैं। उन्होंने केवल हस्तक्षेप किया है। अब श्री नीतीश कुमार वक्तव्य देंगे।

———

4.00 म०प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्य

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : सभापति महोदया, मेरे साथी श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा ने आंध्र प्रदेश में आये समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में दिनांक 10-5-1990 को संसद को अवगत करा दिया था। अब कुछ और ब्यौरा उपलब्ध हो चुका है, अतः मैं सदन की अनुमति से अभी तक हुई क्षति और किये गये राहत उपायों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

जैसाकि माननीय सदस्यों को पता ही है कि तेज हवा के साथ-साथ भीषण समुद्री तूफान 9 मई, 1990 को कृष्णा नदी (मछलीपटनम् के दक्षिण में) के पास दक्षिण आन्ध्र प्रदेश के तट को पार कर गया था। इसके साथ लगभग 200 से 240 कि०मी०/प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं तथा समुद्र में 5 से 6 मीटर की ऊंचाई की लहरें तट से टकराईं। इसके फलस्वरूप उत्तरी तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों तथा पश्चिमी बंगाल के एक दो की स्थानों एवं त्रिपुरा में भारी वर्षा से लेकर अधिक भारी वर्षा रिकार्ड की गई।

आन्ध्र प्रदेश के सभी तटीय जिलों में इस समुद्री तूफान से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कृष्णा और गुन्टूर जिले बुरी तरह से इसकी चपेट में आए। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावित जिले पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, प्रकाशम, विशाखापटनम, विजियानगरम, श्रीकाकुलम् और नेल्लौर हैं।

[श्री नीतीश कुमार]

कम प्रभावित अन्य जिले खम्माम, महबूबनगर वारंगल, नलगोंडा और चित्तूर हैं। इन जिलों के कुछ भाग बाढ़ और भीषण वर्षा के कारण जलमग्न हो गये थे। समुद्री तूफान का प्रभाव तमिलनाडु राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में भी कुछ जगहों पर महसूस किया गया, हालांकि यह प्रभाव गंभीर रूप से नहीं पड़ा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से 22 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार जनजीवन और सम्पत्ति को हुई क्षति के सम्बन्ध में प्राप्त ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

1. प्रभावित जिले	14
2. प्रभावित जनसंख्या	107.07 लाख
3. प्रभावित गांव	5,717
4. जनजीवन की हानि	976
5. पशुओं की हानि	22,184
6. भेड़/बकरियों की मृत्यु	42,950
7. कुक्कुटों की मृत्यु	36.98 लाख
8. बतखों की मृत्यु	6,274
9. क्षतिग्रस्त मकान	9.19 लाख (4.79 लाख आंशिक रूप से तथा 4.40 लाख पूरी तरह से)
10. व्यक्तियों की संख्या जिनसे स्थान खाली करवाया गया	6.57 लाख
11. आयोजित राहत कैम्प	1,535
12. कृषि तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं को पहुंची क्षति	792.78 करोड़ रुपये

हानि और क्षति के बारे में निश्चित ब्यौरों का निर्धारण आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और पूरी और सही स्थिति का पता लगने में और समय लगेगा। तथापि, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कृषि और बागवानी फसलों, कुक्कुट, दूर संचार, सड़कों तथा पुलों, रेल पटरियों, बिजली सम्बन्धी व्यवस्था, मकानों और पेयजल पद्धति को व्यापक हानि और क्षति पहुंची है। इसी प्रकार तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की सरकार से क्षति के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मामले में जनजीवन का हानि क्रमशः 7 और 2 रही है।

तूफान के सम्बन्ध में भारत के मौसम विज्ञान विभाग से चेतावनी प्राप्त होने पर, आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने निचले इलाकों से लोगों को निकालने में समय से कार्रवाई की। विस्थापित लोगों

को राहत शिविरों में रखा गया जहां उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार, तमिलनाडु और पांडिचेरी की सरकार ने भी स्थिति से निबटने के लिए निवारक उपाय किये। सदस्यों को याद होगा कि आन्ध्र प्रदेश में 1977 के तूफान में मरने वालों की संख्या 10,000 थी। फिर भी, समय पर निवारक उपाय कर लिए जाने के कारण इस बार जन-जीवन की हानि बहुत ही कम रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थिति की बहुत गहराई से मौनिटरिंग की और इस तूफान के आने के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूचित रखा। लोगों को चेतावनी देने के लिए नियमित रूप से बुलेटिन जारी किए गए। उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं।

हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित क्षेत्रों का दो बार अर्थात् 12 और 19 मई को दौरा किया। उन्होंने दूसरे अनेक उपायों के साथ-साथ प्रधान मन्त्री सहायता कोष से 2.00 करोड़ रुपये मंजूर किए। उन्होंने राज्य की आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की आधी राशि, जो 32.25 करोड़ रुपये है, को अदायगी की घोषणा भी की जो 14 मई, 1990 को राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा पहले निर्मुक्त की गई राशि व्यय कर लिए जाने पर 32.25 करोड़ रुपये की शेष राशि भी तत्काल निर्मुक्त कर दी जायेगी।

उप प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को वितरण किये जाने हेतु इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटीज ट्रस्ट से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और संघीय शासित क्षेत्र पांडिचेरी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को मेरे साथी श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा इस सदन में 11 मई, 1990 को दिया गया वक्तव्य याद होगा जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट से प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 25,000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। चूंकि इस घोषणा के बाद प्रधान मन्त्री सहायता कोष से 1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसमें प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 10,000/- रुपये दिया जाना शामिल है, अब यह निर्णय किया गया है कि इंडियन पीपल्स नेचुरल केलेमिटी ट्रस्ट से आन्ध्र प्रदेश के लिए प्रति मृतक की सहायता राशि को 15,000/- रुपये तक सीमित कर दिया जाय, जिससे उस प्रदेश में प्रत्येक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता की कुल राशि 25,000 रुपये हो जाये।

प्रधान मन्त्री जी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के किए गए दो दौरों के उपरान्त प्राप्त कई निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार की अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और समुद्री तूफान से उजड़े लोगों को सभी सम्भव सहायता देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए आवंटनों के अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार को चावल की 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त मात्रा दी गई है। 15,000 मीटरी टन फास्फेटयुक्त उर्वरक और 500 मीटरी टन खाद्य तेल का अतिरिक्त आवंटन भी उन्हें किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार को उनकी मांग के अनुसार, हैजा के टीके की 10 लाख खुराक और 50 मीटरी टन ब्लीचिंग पाउडर भी उपलब्ध कराया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोल, डीजल, एल० पी० जी० और मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा राज्य को उपलब्ध कराई गई है।

वर्षा के पानी से भीगे/मलिन हो गये धान तथा चावल की खरीद के मानदण्डों में ढील दी गई है और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानव उपभोग के लिये उपयुक्त धान और चावल की खरीद करें। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे

[श्री नीतीश कुमार]

प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्रों/गांवों/कस्बों को अपनाएं। ऋणों की वसूली को स्थगित करने और उनका पुन: निर्धारण करने के बारे में भी बैंक कारंवाई कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा नए उपभोग ऋण दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह आन्ध्र प्रदेश राज्य को गुणवत्ता प्राप्त बीजों की पर्याप्त मात्रा भेजकर उनकी मांग को पूरा करें। कृषि और बागवानी फसलों के पुन: लगाए जाने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की जा रही है। सभी सम्बन्धित बीमा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बीमा दावों का शीघ्र निपटान करें। विभिन्न आवास विकास एवं वित्तीय व्यवस्था करने वाली एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे चक्रवात से ढह गए मकानों के स्थान पर पक्के मकान तैयार करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करें।

कृषि एवं सहकारिता विभाग में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शुरू से ही राहत एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले केन्द्र सरकार के सभी विभाग इस ग्रुप के सदस्य हैं। ये सभी विभाग पुनर्स्थापन कार्यों को युद्ध-स्तर पर चला रहे हैं जिससे कि जहां तक सम्भव हो कम-से-कम समय में सभी आवश्यक सेवाओं को सामान्य स्थिति में लाया जा सके। प्रधान मन्त्री जी के निर्देश पर दूर संचार, सड़क परिवहन, बिजली तथा रेलवे से सम्बन्धित क्षति का अनुमान लगाने और मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय विभागों द्वारा कार्यकारी दलों का गठन किया गया है। आन्ध्र प्रदेश के बिजली का उत्पादन करने वाले केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से कोयले की सप्लाई को अधिकतम किया जा रहा है। सिंगरेनी कोल फील्ड से कोयले के उत्पादन और सप्लाई में भी सुधार किया गया है।

सशस्त्र सेना अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा मुहैया की गई सहायता का विशेष उल्लेख किए जाने की जरूरत है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी राज्य सरकार को सभी सहायता मुहैया की। अलग-थलग पड़ गए क्षेत्रों से लोगों को निकाला गया और उन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल आदि विमान से गिराया गया जहां अन्य किसी भी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता था।

आठ सदस्यों वाला एक केन्द्रीय दल 13 से 16 मई, 1990 के बीच आन्ध्र प्रदेश राज्य को भेजा गया था ताकि स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षित राहत उपायों का मौके पर जायजा लिया जा सके और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित तत्काल सहायता का आकलन किया जा सके। इस दल द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके।

सदन को मैं एक बार फिर से यह आश्वासन देना चाहूंगा कि समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति का कारगर तरीके से सामना करने में आन्ध्र प्रदेश की जनता और सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपट्टनम) : महोदया, समुद्री तूफान के कारण वहां गम्भीर स्थिति

उत्पन्न हो गई है, आपको इस पर बहस की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं पिछले 15 दिनों से इस बारे में नोटिस दे रहा हूं।

सभापति महोदय : जैसाकि आप जानते हैं कि अब हम नियम 193 के अन्तर्गत बहस करेंगे। पर चूंकि आन्ध्र प्रदेश के लोग तूफान से प्रभावित हैं इसलिए मैं आन्ध्र प्रदेश से केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगी, अन्यथा नियम 193 के अन्तर्गत आपके प्रस्ताव पर चर्चा न हो सकेगी।

श्री के० एस० राव : महोदया, हम लगातार कई दिनों से कश्मीर के ऊपर बहस कर रहे हैं। मैंने इसके लिए नोटिस दिया है और अब आपको इस पर बहस की अनुमति देनी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर श्री कुमार मंगलम आपको यह चर्चा आगे बढ़ाने दें।

श्री के० एस० राव : नहीं महोदया, परन्तु···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री के० एस० राव को बोलने के लिए कहा है, आप लोग कृपया बैठ जाएं।

श्री के० एस० राव : क्या आप चाहती हैं कि मैं बोलूं ?

सभापति महोदय : प्रो० रंगाजी, क्या आप बोलना चाहेंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : जी नहीं, उन्हें बोलने दें।

श्री के० एस० राव : आपको आन्ध्र प्रदेश से कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मेरी बात नहीं है, इस बारे में आपकी पार्टी को निर्णय करना है। चूंकि मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है, मैं रंगा जी को भी बोलने के लिए अवश्य कहूंगी।

श्री के० एस० राव : जी नहीं, हमने नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नोटिस दे सकते हैं।

श्री के० एस० राव : केवल एक बार नहीं, बल्कि दस तारीख से हम नोटिस देते आ रहे हैं।

सभापति महोदय : आप नोटिस देते रहे होंगे, लेकिन इस बात पर कार्यमंत्रणा समिति में विचार किया जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे किसी विशिष्ट चर्चा के लिए कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित की गई कार्य सूची के अनुसार चलना होता है। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। आपको अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी होगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभी सदस्यों के बारे में नहीं कह सकती हूं। मैं केवल दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगी आपको और रंगाजी को।

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : केवल दो ही सदस्य क्यों ? इसके पीछे क्या औचित्य है ? केवल दो ही क्यों ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 193 के अन्तर्गत आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री के० एस० राव : हमने दस तारीख को नोटिस दिया था, हमने 15 तारीख को नोटिस दिया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में बोलना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री के० एस० राव : मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : तब बोलिए, कृपया सदन का समय इस तरह बेकार न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : महोदया, वहां पर की स्थिति क्या है यह तो वहीं के लोग बता सकते हैं, न कि यहां पर मात्र चर्चा करने वाले लोग, वहां पर स्थिति दयनीय है, क्योंकि तूफान से कई लोग प्रभावित हुए हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो आंकड़े दिये है उनके अनुसार हाल के पिछले वर्षों में नहीं, बल्कि डेरा के पिछले 100-200 वर्षों के इतिहास में तूफान ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी। जैसाकि मन्त्री जी ने कहा कि 1977 में भी कृष्णा जिले के इस स्थान पर तूफानी हवाएं चली थीं, तब उससे केवल 12000 लोग प्रभावित हुए थे। पर इस बार एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। खेद की बात है कि माननीय मन्त्री ने एक छात्र की तरह इस वक्तव्य को इतनी तेजी से पढ़ा कि हमारे माननीय मित्र आंकड़ों को ठीक से नहीं सुन सके। इसलिये, मैं अपने माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि 107 लाख लोग और 5717 गांव इस तूफान से प्रभावित हुए। राज्य सरकार द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सावधानी बरतने के फलस्वरूप इस तूफान के कारण केवल 976 मौतें हुई। अन्यथा, अधिक लोग मौत के शिकार होते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पूर्व-चेतावनी के कारण ऐसा संभव हुआ है।

श्री के० एस० राव : जी हां, इस माह की 4 तारीख से चेतावनी दी जाती रही थी, इसके लिए सरकार मौसम विभाग का धन्यवाद, और साथ ही राज्य सरकार का भी धन्यवाद, जिसने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु तत्परतापूर्वक सावधानी बरती। श्री राजीव गांधी ने 13 तारीख को राज्य का दौरा किया। मुख्य मन्त्री ने प्रभावित स्थानों का कई बार दौरा किया परन्तु क्षति दो प्रतिशत भाग की भी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। लोगों को अभी अपने गांवों में खाना भी नही मिल रहा है। उन्हें अपने गांवों में सिर छिपाने को छत भी नहीं मिल रही है, क्योंकि 9.19 लाख मकान ध्वस्त हो चुके हैं। यदि दिल्ली में 500 मकान ध्वस्त होते हैं। तो हम कई दिन तक उसकी यहां चर्चा करते रहते हैं।

सभापति महोदय : श्री राव, आप स्पष्टीकरण मांगें। भाषण न दें। नियमानुसार आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : महोदया, हम लोग इन दिनों चुप्पी साधे बैठे रहे हैं। मैंने नियम 193 और 197 के अन्तर्गत इस महीने की 10, 15, 21 और 22 तारीख को सूचना दी थी। यह आज तक स्वीकार नहीं की गई है। (व्यवधान) हम इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली में कितने

मकान ध्वस्त हुए और कितने घंटे तक वहां इस पर चर्चा चलती रही ? अब आप इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारे माननीय मित्रों को हमारी समस्या समझनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदया, मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अभी जारी है। अत: यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जा सकता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम सभा द्वारा बनाये जाते हैं, उन्हें मैं नहीं बनाती हूं। कृपया सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विजय भास्कर जी, आप वहां मुख्य मन्त्री रह चुके हैं। कृपया सहयोग दीजिए। जब तक मैं इस कुर्सी पर आसीन हूं, मैं नियमों से बंधी हुई हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है।

श्री के० एस० राव : हम स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं, हम यहां चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान) कार्य मंत्रणा समिति अथवा सरकार को दिल्ली में ध्वस्त 500 मकानों के बारे में घंटों चर्चा करने का क्या औचित्य था ? जब विज्ञान भवन में आग लगी थी तो हमने उस पर कई घण्टे चर्चा की। अब चूंकि वहां लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों जानें गई हैं, तो क्या हम उस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते ? हम केवल स्पष्टीकरण मांगने की बात से सहमत नहीं हैं। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आप इसके लिए सूचना दीजिए।

श्री के० एस० राव : मैंने सूचना दी है। एक बार नहीं कई बार।

सभापति महोदय : यदि आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए सूचना दें। अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे।

श्री के० एस० राव : मन्त्री महोदय, कृपया आगे बढ़कर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त करें। ऐसी गंभीर स्थिति में आप चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। मैंने आपको अनुमति दी है। आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगते ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस समय मैं बोल रहा हूं। कृपया आप बैठिए, श्री राव को स्पष्टीकरण मांगने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापित महोदय : क्या आप लोग एक साथ बोलेंगे ?

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री राव मैंने आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है।

श्री के० एस० राव : यह कृपा अथवा हिमायत नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह भक्कासर (बीकानेर) : वहां इतनी तबाही हुई है और हमने अपने गंगानगर से दो करोड़ रुपया इकट्ठा करके भेजा है। आप यहां हाउस का समय जाया कर रहे हैं।

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : आपको क्या हुआ है ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं तो मांगिये।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मेरी बात सुनिये, वे इस पर पूरी चर्चा चाहते हैं। मन्त्री यह कहें कि यदि कार्य मंत्रणा समिति समय निर्धारित करती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह ऐसे नहीं चलेगा। श्री राव, आप बोलना चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री पी० चिदम्बरम : हम पूरी चर्चा कराना चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं प्रो० रंगा को बोलने के लिए आमंत्रित करूं ?

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : माननीय मित्रों को इस सम्बन्ध में उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : आन्ध्र प्रदेश में इस तूफान से बड़ी तबाही हुई है और वहां पर स्थिति बड़ी भयावह है। अत: इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप चर्चा कराना चाहते हैं। अब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है। उन्हें यह बता दिया गया है कि आप लोग इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। इस बीच अगर आप स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं।

श्री के० एस० राव : यहां मुद्दा यह है कि इन जिलों से सम्बन्धित सदस्य उस क्षेत्र में होकर आए हैं। हमें वास्तविक स्थिति की जानकारी है। हमें यह भारी शिकायत है कि पिछले 14-15 दिनों से इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी हम हो-हल्ला नहीं मचा रहे हैं। रोजाना, शून्य-काल के दौरान, हम इस विषय को उठाने की कोशिश करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर हम बैठ जाते हैं। हम बहुत दुःखी हैं। कोई सदस्य जब किसी अग्नि-कांड में 200 लोगों के मरने पर या कहीं और किसी एक व्यक्ति की मौत पर चीख-पुकार करता है तो उस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दी जाती है। हम बहुत खिन्न हैं, हम केवल यही चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय आराम से हमारी बात सुनें और फिर मैं ही नहीं सभी सदस्य स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले पर चर्चा की मांग करेंगे। वे स्वयं ही इसकी मांग करेंगे।…**(व्यवधान)**…मैं केवल एक सेकेंड के लिए ही बोलूंगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं श्री राव से अनुरोध करती हूं कि वह पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करते हुए अपनी बात स्पष्ट करना जारी रखें।

श्री के० एस० राव : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय कह रहे थे, उस क्षेत्र को लोगों को अगर पूर्व सूचना और चेतावनी न दी जाती, तो लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती। उन्होंने स्वयं जो आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार 107 लाख लोग और 5,717 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा अब तक 976 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी गई है। 22,184 पशु और 47,950 भेड़ें मौत का शिकार हो गई हैं। 65 लाख मुर्गियां मारी गई हैं। भारी संख्या में पक्षी भी मरे हैं। मुर्गीपालकों और गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बीमा कम्पनी के लोगों के तथा कुछ सरकारी अधिकारियों के आने की ओर उनसे यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम तुम्हें मुआवजा देंगे। आज यह स्थिति है। इस क्षेत्र में मरे हुए पशुओं और पक्षियों के सड़ने से महामारी भी फैल सकती है और आपको कहीं फिर यह न सुनना पड़े कि इससे इस क्षेत्र में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। वह स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर यह स्थिति होती तो केवल के० एस० राव ही नहीं बल्कि सारा सदन इस पर चर्चा की मांग करने लगता। यदि सरकार अब भी पिछले पांच दिनों से इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, तो आप अन्य किस मामले पर चर्चा करेंगे?

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मडम पर चर्चा भी महत्वपूर्ण है।

श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : आप वहां जाएं और स्वयं देखें तब आपको स्थिति का पता चल जाएगा।

श्री के० एस० राव : मैं उनसे इसका स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। यह एक विस्तृत चर्चा है और हम उनसे इसके उत्तर की मांग करते हैं। आप यह न समझें कि हम यहां पर शोर-शराबा कर रहे हैं। हमें इस बात का दुःख है कि इस सभा में इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि इस सभा में यह मामला उठाया नहीं गया, अतः वे इस मामले को सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, आरम्भ में लोग उप प्रधान मन्त्री की इस घोषणा से खुश हुए थे कि प्रत्येक मृतक व्यक्ति के आश्रित को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि केवल 15,000 रुपए ही दिए जाएंगे। अगर यही मामला पंजाब का होता, तो 50,000 रुपए से एक लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की जाती। आन्ध्र प्रदेश ने क्या अपराध किया है? जो लोग मर गए हैं उन्होंने अपनी तरफ से क्या अपराध किया है? प्राकृतिक आपदा से यह सब कुछ हुआ है और यही उनकी मौत का कारण है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक मृतक व्यक्ति के आश्रित को 25,000 रुपए ही दिए जाएं जैसी कि उन्होंने पहले घोषणा की थी। सम्बन्धित संसद सदस्यों द्वारा आन्ध्र प्रदेश से 11 तारीख से हर रोज चर्चा की सूचना दी जाती रही है। माननीय मन्त्री को कभी तो यह घोषणा करनी चाहिए कि कल नियम 193 के अन्तर्गत इस मामले पर चर्चा की जाएगी। मैंने स्वयं नियम 193 के अन्तर्गत और नियम 187 के अन्तर्गत भी कुल पांच बार सूचना दी है।

श्रीमती के० जमुना (राजामुन्द्री) : मैंने भी सूचना दी है।

श्री के० एस० राव : अगर माननीय मंत्री सहमत हों, तो हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। इस मामले में, मैं अधिक स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहता। अगर आप सहमत हों, और इस विषय पर कल चर्चा करायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाया जा चुका है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें होती रहती हैं। पहले जिन मामलों के बारे में निर्णय लिया गया, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही लिया गया। बैठक में आपके सदस्य भी मौजूद थे। आज की स्थिति यही है। अब मैं प्रो० एन० जी० रंगा से अपनी बात कहने का अनुरोध करती हूं।

श्री के० एस० राव : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां अनेक व्यय किए जा चुके हैं, लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं किया गया। वहां पानी में लाखों टन धान पड़ा हुआ है, जिसका रंग बदल गया है। भारतीय खाद्य निगम ने इसे खरीदने के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया है। वे अभी कदम उठा ही रहे हैं। अगर इस कार्य में और देरी की जाती है तो यह धान बेकार हो जाएगा। गरीब किसान अभी भी धान अपने खेतों में रखे इन्तजार कर रहे है। वे यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ न कुछ घोषणा करेगी और फिर भारतीय खाद्य निगम इस धान की खरीद करेगा। यह संभावना हो सकती है कि चावल मिलें ऐसे सारे धान की खरीद कर इसे 'सेला' चावल में बदल दें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में केवल वक्तव्य ही न दे, बल्कि इन सभी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आपने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया है और इससे हम कितने चिन्तित हैं, इस बात को जाना है। हम इस मामले में पूरी चर्चा चाहते हैं। मैं आशा करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार से सचेतक से और वरिष्ठ सचेतकों से भी सलाह करके, इस मामले पर पूरी चर्चा कराएं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। मुझे खुशी है कि, आपने कहा है कि कार्य-मंत्रणा समिति इस पर विचार कर रही है। अब यह मंत्री महोदय का काम है कि वह पहल करें। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने चर्चा के लिए इतनी देरी क्यों की है। मेरे माननीय मित्र श्री के० एस० राव, जो इस क्षेत्र के बिल्कुल मध्य भाग से ही निर्वाचित हुए हैं और यह भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इस मामले पर बहुत चिन्तित हैं। मैं भी नियमों को जानता हूं। नियमों के अनुसार, हम इस चरण में कुछ स्पष्टीकरण ही चाह सकते हैं, कोई चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यहां चर्चा की आवश्यकता है। विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को खुद ही समय का पता लगाना है। इस समय तो मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा तथा मंत्री महोदय से भी पूछना चाहूंगा कि जिस सहायता का ब्यौरा यहां दिया गया है, उसका कितना भाग वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के पास यथार्थत: में पहुंचाया गया है। लगभग एक हजार व्यक्तियों की मौत हुई है। संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मैं आज प्रातःकाल ही उसी क्षेत्र का भ्रमण करके अभी आया हूं। मैं जानता हूं कि लोग कितने दुखी हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, सच ही कहा है। उन्होंने बिल्कुल बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा है। पके हुए धान का ढेर लग गया है तथा यह पानी में बह रहा है और बाकी फसल नष्ट हो रही है। कटी हुई धान की फसल पिछले दस दिनों से पानी में डूबी हुई है तथा इसकी गुणवत्ता कम हो जाने की सम्भावना है। मुझे नहीं मालूम कि इसे किस कीमत पर बेचा जा सकता है। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना होगा।

जहां तक खेतिहर मजदूरों, झोंपड़ी वालों का संबंध है, वे अपना सर छुपाने के लिए छोटी-छोटी झोंपड़ियां बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कोई व्यक्ति धन दे रहा है अथवा नहीं मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने बताया हो कि उन्हें कोई राशन दिया गया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र आंध्र प्रदेश

सरकार से तार द्वारा जानकारी प्राप्त करें कि क्या वस्तुत: ये खाद्य-पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वास्तव में पीड़ित व्यक्तियों को सप्लाई की जा रही हैं तथा कितनी मात्रा में और कितने समय के लिए इनकी सप्लाई की जा रही है। इसके वितरण पर निगरानी रखने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले के बारे में सरकार यथाशीघ्र इस सदन को जानकारी दे, और साथ ही पांच जिलों में और विशेषकर भयानक रूप से प्रभावित तीन जिलों में बहुत बुरी तरह से पीड़ित लाखों लोगों को बचाने के लिए जो भी सहायता वे दे सकते हैं, उसे वहां तेजी से पहुंचाएं।

श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : मैंने तूफान और बाढ़ से प्रभावित सभी सात जिलों में तीन दिन बिताये हैं। जैसाकि आपको विदित है, मैं पिछले चालीस वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे वहां मुख्यमंत्री थे।

श्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी : मैं मंत्री था तथा आंध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री भी रहा। मैंने अनेक तूफान और सूखे देखे हैं। किन्तु इस जैसी गम्भीर स्थिति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बातें पुन: कभी घटित न हों।

जो मानवीय पीड़ा मैंने देखी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह हृदय-विदारक है। चार-पांच दिन तक तो मैं इसी के बारे में सोचता रहा। यह एक आपदा थी और आंध्र के लोग बहादुरी से इसका सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक अद्भुत काम किया है, इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि उन्होंने समय पर यह सहायता न पहुंचाई होती, तो मरने वालों की संख्या एक लाख से भी अधिक हो सकती थी। वे लोगों को शिविरों में आश्रय देने तथा उन्हें पुनर्वास प्रदान करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य सरकार को बधाई दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार के पास संसाधन बहुत कम हैं। स्थिति की विकरालता को देखते हुए वे कुछ भी नहीं हैं। इसलिए, धन की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय, इसे एक राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिये और आपको राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए तथा राज्य सरकार के माध्यम से उन लाखों लोगों को पुनर्वास प्रदान करना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है? लाखों मुर्गियां तथा चूजे मर गये हैं, लाखों जानवर मर गये हैं तथा धान की फसल नष्ट हो गई है। ये चार जिले पूरे राज्य के लिए अन्नागार माने जाते हैं। ये सम्पूर्ण दक्षिण को अन्न की सप्लाई करते हैं। इन सभी पीड़ित किसानों को पौधरोपण कार्य के लिए कुछ सहायता दी जानी चाहिए। भारत सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिये तथा इसे एक राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए अन्यथा राज्य सरकार यह सब कुछ नहीं कर पायेगी क्योंकि इसके संसाधन बहुत सीमित हैं।

मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार ने स्थिति की विकरालता को समझा है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख भी किया है। मैं आशा करता हूं कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा माना जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार आंध्र के लोगों को बचाने के लिए आगे आयेगी।

सभापति महोदय : चूंकि इस प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श किया जा रहा है, अत: मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसके लिए प्रतीक्षा करें। तब तक हम कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदया, कुछ ऐसे भू-भाग हैं जो सदैव तूफान से प्रभावित होते रहते हैं। पिछले नवम्बर में अंडमान-निकोबार द्वीप में एक विनाशकारी तूफान आया था, विशेषकर मध्य अंडमान बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। राहत प्राप्त करने के हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद, अब तक देश के इस भाग में प्रभावित लोगों, इससे शिकार व्यक्तियों को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है।

विगत में भी तूफान और बाढ़ आते रहे हैं। इसके पश्चात प्रभावित लोगों मे से आधे लोगों को राहत प्रदान की गई तथा शेष आधे लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे बाढ़ और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक समान नीति अपनाएंगे जहां पीड़ित लोगों को तुरन्त समान तरीके से राहत प्रदान की जाये और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सहायता के लिए आगे आये।

सभापति महोदय : ठीक है, जैसाकि मैं कह चुकी हू, कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार किया जा रहा है। मैं केवल श्रीमती जमुना को इस विषय पर बोलने की अनुमति दूंगी।

श्रीमती जे० जमुना : पिछले सप्ताह मैं पूर्व गोदावरी जिला गई थी। प्रत्येक व्यक्ति इस विनाश के बारे में बात कर रहा था। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र राजामुन्द्री का एक बहुत अच्छा इतिहास है, यहां प्रबल वेग वाली गोदावरी नदी बहती है, प्रत्येक वर्ष लगातार हमें बाढ़, भारी वर्षा और तूफान का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसके स्थायी समाधान पर विचार करे। मैंने वहां कुछ स्थानों पर नाव द्वारा भी यात्रा की है। चिकित्सा-सहायता की अति आवश्यकता है, क्योंकि वहां चिकित्सा सहायता न के बराबर है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि सरकार उस क्षेत्र में पीड़ित गरीब लोगों के लिए और अधिक दवाइयां भेजने की आवश्यक व्यवस्था करे। इक स्थायी समाधान का तत्काल पता लगाया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी श्री राव और अनुभवी नेता प्रो० रंगा ने भी इसका उल्लेख किया है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वाले व्यक्तियों के लिए वे 25,000 रुपये की राहत देने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें इस घोषणा पर कायम रहना चाहिए। मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध है कि उन्हें प्रभावित लोगों की उदारतापूर्वक सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या मन्त्री महोदय का उत्तर देने का विचार है ?

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : मुझे भी एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाये।

महोदया, जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा तूफान उठता है, यह सदैव दिवी सीमा को पार कर जाता है। लगभग 10-12 वर्ष पहले, इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब दस हजार से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष, विभाग द्वारा लगातार चेतावनी दिये जाने के कारण, अनेक एहतियाती उपाय किए गये तथा लोगों को पहले ही कम-से-कम तीन-चार दिन पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, इसलिए, इस वर्ष सौभाग्य से इन सभी एहतियाती उपायों के कारण अधिक लोगों की मौत नहीं हुई, अर्थात् लगभग 900 लोगों की जानें गई। किन्तु, सम्पति का बड़ा भारी नुकसान हुआ है और यह महाविनाश हो है।

अन्ततः किसानों को ही सबसे अधिक नुकसान भुगतना पड़ता है। पिछले पांच वर्षों से हम फसल बीमा योजना की बढ़-चढ़ कर बात कर रहे थे। फसल बीमा योजना को सही तरीके से लागू किया जाता तो निश्चित रूप से बीमा कम्पनी उनके नुकसान की भरपाई करती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमें तो केवल बीमा प्रीमियम ही देना होता है। केवल भगवान ही जानता है कि हमें उनसे पैसा कब मिलेगा। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचे उपाय करने चाहिए कि फसल बीमा योजना एकदम सही तरीके से लागू हो।

जहां तक शिल्पकारों को हुए नुकसान अर्थात चक्रवाती तूफानों के बार-बार आने के कारण उनके मकानों और अन्य वस्तुओं की क्षति का संबंध है, इन स्थानों पर पहले 'साइक्लोनिक शेल्टर' बनाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस तूफान में ये 'शेल्टर' भी ध्वस्त हो गए। अब जब कभी पुनः 'शेल्टर' बनाए जायें तो कृपया यह ध्यान रखें कि मजबूत 'शेल्टर' बनाए जायें ताकि तूफान आने पर ये टूटने न पायें। यदि एक या दो दिन में वहां से पानी नहीं निकलता—तो कुछ एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए ताकि जीवन की रक्षा की जा सके और फसलों को भी भली-भांति बचाया जा सके।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : मैं श्री राजशेखर रेड्डी के वक्तव्य का समर्थन करती हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मामले में अभी चर्चा नहीं होनी है। मैं अन्य सदस्यों को भी अवसर दूंगी और उसके बाद ही इसे निपटाया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सही है कि वहां चक्रवाती तूफान आया था। लेकिन इस समय सभा में इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। हमें एक प्रक्रिया अपनानी है। कृपया इसमें मेरा सहयोग करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए, मैं प्रत्येक सदस्य को दो-दो मिनट बोलने का अवसर देती हूं। उसके बाद मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : लेकिन वे नियम 193 के अधीन इस चर्चा को समाप्त नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि आप उपाध्यक्ष नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : मैं इसमें केवल एक बात और उठाना चाहूंगी।

भारी वर्षा के कारण बाढ़ और तूफान आते हैं जिनसे फसलें नष्ट हो जाती हैं जिसका नुकसान किसानों को होता है। मैं फसल बीमा योजना का समर्थन करती हूं। यह आवश्यक है। श्री राजशेखर रेड्डी ने भी इसका उल्लेख किया है। बाढ़ के कारण मकान ढह जाते हैं जो कि सबसे बड़ी समस्या है। मेरे विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बुडमेरु नदी है जिससे समूची बाढ़ आती है। इसमें झुंड और झोपड़ियां बह जाती हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि समाज के गरीब वर्ग के

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

लोगों के लिए पक्के घर बनाए जायें। कृपया 'पक्का घर योजना' पर विचार करें। मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि वह शेल्टर/शेड और नहरों के निर्माण में राज्य सरकार की मदद करें। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदया, जिस तरीके से इस मामले को लिया गया है मुझे उस पर घोर आपत्ति है, क्योंकि हमें दिए गए परिपत्र में यह बताया गया है कि मंत्री महोदय नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा होने से तत्काल पहले एक वक्तव्य देंगे। आज हमें यह परिपत्र दिया गया है। अब मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है जिसकी हमें एक प्रतिलिपि भी नहीं दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार की ओर से क्या सुख-सुविधाएं और सहायता देने जा रहे हैं। उन्होंने एक आकस्मिक वक्तव्य दे दिया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस महत्वपूर्ण मसले पर आकर्षित करना चाहता हूं। लाखों व्यक्ति अभी तक अपने घर खाली करने के बाद अस्थाई तौर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं। अब मानसून मौसम शुरू हो गया है। यह अण्डमान तक आ गया है। जून तक यह केरल पहुंच जाएगा। लगभग 10-15 दिनों में पुन: वर्षा आएगी। उन लाखों परिवारों का क्या होगा जो इन अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि समुद्री जल के कारण, जो तटवर्ती क्षेत्रों में घुस आया है, लाखों एकड़ भूमि खारेपन से प्रभावित हो गई है। अब जिप्सम की आवश्यकता है। राहत आयुक्त और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारी मात्रा में जिप्सम की सप्लाई करने की मांग की है ताकि इससे खारेपन को दूर किया जा सके। जब वर्षा ऋतु शुरू होती है उस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि किसान अपने कृषि कार्य जारी रख सके। उस समय वह भीख का कटोरा लेकर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास नहीं जा सकता। उसे अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा।

तीसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने ऋण के बारे में वायदा किया है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए नहीं कहेंगे। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह प्रेस की ही खानापूर्ति करती रहे जैसा कि वह कर रही है। सरकार को ऋणों को बट्टे-खाते में डाल देना चाहिए। यदि वे उन्हें बट्टे-खाते में डालने के इच्छुक नहीं हैं तो उन्हें कम से कम उनकी वसूली रोक देनी चाहिए और इस वर्ष के लिए उन्हें नया फसल ऋण दिया जाना चाहिए ताकि जहां भी कृषि भूमि है वहां किसान अपने पांवों पर खड़ा होने का प्रयास कर सके। यह स्वाभाविक है कि किसान कोई भिखारी नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के चक्कर नहीं काटेगा। आपको न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

यहां पेयजल की भी कमी है। यह समुद्री जल से प्रदूषित हो गया है। इसलिए इसके लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। 34 करोड़ रुपये, जिसका कि मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, बहुत कम राशि है। इससे कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार के बजट में पहले ही 180 करोड़ रुपये का घाटा है। मैं पेयजल की सुविधा चाहता हूं। खारेपन को दूर करने के लिए 'जिप्सम' की आवश्यकता है। आगामी मानसून मौसम को ध्यान में रखते हुए अस्थायी शिविरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण सामग्री का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए।

श्री बासवपुन्नय्या सिंगम (तेनाली) : महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनाली में तूफान आया था जिससे भारी विनाश हुआ।

एक माननीय सदस्य : इनके निर्वाचन क्षेत्र में 200 लोग मरे थे।

सभापति महोदय : वे बोल रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बासवपुन्नय्या सिंगम : मुझे विनाश के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह तूफान मद्रास के दक्षिण से शुरू हुआ था। प्रत्येक को सम्भावना थी कि यह निश्चित रूप से मद्रास तक मार करेगा। यह उत्तर दिशा में चला गया। जब यह उत्तर दिशा की ओर बढ़ा तो प्रत्येक ने सोचा कि अब यह पश्चिम बंगाल पर मार करेगा और यदि इसमें थोड़ा दिशा परिवर्तन हुआ तो यह उड़ीसा पर मार करेगा। हम नहीं जानते कि मद्रास, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने क्या किया। लेकिन ऐसा लगा, जैसे कि उन्होंने कोई ऐसा षड्यन्त्र किया और तूफान की दिशा बदल गई जिसने आंध्र प्रदेश को चपेट में ले लिया। वहां भारी विनाश हुआ।

हमारे क्षेत्र में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, ऐसा विनाश हर साल होता है। मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि इस बात को ध्यान में रखे कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह के बन्दरगाह के 25 किलोमीटर के अन्दर पक्के भवनों का निर्माण करे। सभी भवन पक्के भवन होने चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है बीमा अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि चक्रवाती तूफान के लिए सभी गांवों का बीमा किया जा सके। इस प्रकार तूफान से अधिक क्षति नहीं होगी। भविष्य में, इस समस्या को आसानी से निपटाया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार को इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए।

सभापति महोदय : चूंकि अधिकांश सदस्य अपनी वेदना व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदया, मैंने अपने वक्तव्य में ही जो साइक्लोन है, उसके जो गम्भीर परिणाम हुए हैं, उसकी चर्चा स्वयं कर दी है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि यह एक भयंकर तूफान था, इससे बहुत ज्यादा बरबादी हुई और माननीय सदस्य राव जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने मेरे ही बयान का उद्धरण दिया है, तो सरकार कोई चीज छिपाना नहीं चाह रही है। स्पष्ट तौर से हमने कहा है। यह मेरी गलती है कि मैं उसको तेजी से पढ़ रहा था या। जब मैं पढ़ रहा था, तो आप उसको ध्यान से फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी फॉलो किया है, हमने उस मामले में पूरी स्थिति बतला दी थी।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : साईक्लोन का मामला था इसलिए तेजी से पढ़ा।

श्री नीतीश कुमार : हां, चूंकि साइक्लोन का था, शायद इसलिए तेजी से पढ़ा गया था। कुमारमंगलम जी ठीक ही कह रहे हैं।

जो दो-चार मुद्दों को उठाया गया है और क्लेरीफिकेशन मांगा गया है, मैं उन पर दो-तीन बातें कह देना चाहता हूं। एक तो कहा यह गया कि 25 हजार रुपये की घोषणा उप प्रधान मंत्री जी ने की थी, इसमें 15 हजार की चर्चा है। पच्चीस हजार रुपये प्रत्येक मृतक के परिवार को या उसके निकट संबंधी को मिलेंगे, इसकी चर्चा मेरे इस बयान में भी है। पहले दिन जब साइक्लोन आया, तो उस समय यह था कि तत्काल कोई सहायता पहुंचाई जाए, तो जिस ट्रस्ट का मैंने उल्लेख किया है, उसके अध्यक्ष एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने तत्काल कहा कि 25 हजार रुपये हम देंगे और इस

[श्री नीतीश कुमार]

प्रकार से जो कुछ पैसा उनके पास था, उसको भेजा गया है। माननीय रंगा साहब ने कहा है कि कितना पैसा भेजा गया है ? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 48 लाख रुपया उस ट्रस्ट का आंध्र प्रदेश जा चुका है और 30 लाख रुपया आज भेजा है। तो जो वायदा किया गया था कि 25 हजार रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा, वह ठीक है। लेकिन जब प्रधान मंत्री वहां गए, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रधान मंत्री राहत कोष से दो करोड़ रुपया हम देंगे। तो प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 हजार रुपया इस कोष से दिया जाएगा और 15 हजार रुपया ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा। इस प्रकार कुल मिला कर 25 हजार रुपये मृतक के परिवार को मिल जायेंगे।

जहां तक सवाल पांडिचेरी और तमिलनाडु का है, इनके बारे में विस्तृत ब्यौरा केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ ब्यौरे प्राप्त हुए हैं और डैथ फिगर्स हमको मिली हैं, उसके अनुसार तमिलनाडु और पांडिचेरी में क्रमश: 7 एवं 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनको भी 25 हजार रुपया प्रत्येक मृतक के परिवार को दिया जा चुका है। यह पूरी बात उसके संबंध में है। 25 हजार रुपये से एक पैसा भी कम किसी भी मृतक के परिवार को नहीं दिया जाएगा। यह मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं।

जहां तक धान की खरीद का सवाल है, जो सूचना इन्होंने दी है, वह निर्देश सरकार ने दिया है और इसके संबंध में कारंवाई की जा रही है, लेकिन माननीय सदस्य वहां से आए हैं और इन्होंने जो कुछ भी बतलाया है, तत्काल उस पर कार्यवाही होगी। इसमें यदि कोई विलम्ब हो रहा है, तो उस पर तुरन्त कारंवाई की जाएगी ताकि समय रहते, उसकी खरीद हो सके, क्योंकि सरकार की नीति उनको राहत पहुंचाने की है। खरीद में जो ढील दी गई है वह इसलिए दी गई है कि वहां के लोगों को राहत पहुंचे। यह किसी का इरादा नहीं है कि सिर्फ घोषणा कर दी जाए और राहत न मिले। जो माननीय सदस्य ने कहा है, सरकार इसको तत्काल देखेगी कि सही मायने में राहत पहुंचे और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

जैसा कि मैंने कहा—दो बार प्रधान मंत्री जी दौरा कर चुके हैं और आते ही उन्होंने ऐलान किया है। अभी कहा गया कि इसको नेशनल कैलेमिटी घोषित किया जाए। इस बारे में, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो नाइन्थ फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फण्ड बना है प्रत्येक राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश को कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में 86 करोड़ रुपये एलाट हुए हैं। उसमें से 75 प्रतिशत भारत सरकार देगी। इस प्रकार 86 करोड़ में से भारत सरकार का हिस्सा 64.50 करोड़ रुपये बनता है। उसमें से आधी राशि रिलीज कर दी गई है और वह जैसे ही खर्च होगी, बाकी आधी राशि भी तत्काल दे दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार का हिस्सा जो 64.50 करोड़ रुपये बनता है, वह तत्काल रिलीज किया जाएगा, उसमें कोई कमी या देरी नहीं की जाएगी।

अब सवाल है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, इसको हम लोग मानते हैं और हर आदमी मानता है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जो अभी माननीय विजय भास्कर रेड्डी जी कह रहे थे या वहां के कई लोगों ने कहा, या एन० टी० रामाराव ने कहा है, जो कुछ भी सब लोगों ने कहा है, इसके बारे में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। नाइन्थ फायनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन होगा उसके बारे में कहा गया है कि उस पर केन्द्रीय सरकार को सोचना चाहिए, तो उस लाइट में केन्द्रीय सरकार सोच रही है और प्रधान मंत्री ने डायरेक्शन दो है और इसको

एग्जामिन किया जा रहा है और इस सवाल पर भी सरकार कुछ न कुछ रिस्पांड करेगी। इसको हम बता देना चाहते हैं।

अब जो इंश्योरेंस कम्पनी की बात है, उनको साफ-साफ निर्देश दिया गया है, बैंकों को कहा गया है, लोन के रीशेड्यूलिंग करने का और फ्रेश लोन जारी करने का, देने का आदेश दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दे दिया है, प्रधानमंत्री दो बार वहां गये और आये, उनके निर्देश में सारी बात हो रही है। अभी पक्का मकान की बात कर रहे थे। जो भी हट स्कीम या केन्द्र सरकार की दूसरी स्कीम है, उसके माध्यम से जो मदद पहुंचाई जाएगी वह तो पहुंचाई जाएगी खासकर जो आवास से संबंधित वित्तीय संस्थान हैं, जो इस काम को करते हैं, उनसे कहा गया है कि आप उन इलाकों में जाकर लोगों को मदद पहुंचाएं। जो कमजोर तबके के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, जिनके मकान गिर गए हैं, ढह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कच्चे मकान दिए हैं तो भी पक्के मकान के लिए आवश्यक सुविधा दी जाए। कहने का मतलब है कि हर मुद्दे पर सरकार सचेष्ट है कि साइक्लोन से प्रभावित, आंध्र प्रदेश के या दूसरे राज्यों से, जो लोग हैं उनको ठीक ढंग से सहायता मुहैया कराई जाए। मैंने सरकार के वक्तव्य में खुद चर्चा की है यदि मौसम विभाग ने समय पर सूचना नहीं दी होती तो और भी भयानक स्थिति होती, और भी ज्यादा कैजुवल्टी होती। फसल का नुकसान, सम्पत्ति का नुकसान, सड़क, रेल, यातायात, दूरसंचार, इनफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, जानवर का नुकसान, आदमी का नुकसान, यह सब नुकसान हुआ है। ये सब गम्भीर विषय है, यह राष्ट्रीय चिन्ता का प्रश्न है। इसमें हर आदमी चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पांडिचेरी का हो या नहीं हो, पूरे देश का एक-एक आदमी इस बात के लिए चिन्तित है कि वहां के लोग काफी विपत्ति में हैं, काफी तकलीफ में हैं। यही कारण है कि हरियाणा की सरकार ने 30 लाख रुपये वहां के लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए दिए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है, उप प्रधानमंत्री ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है सब लोगों से, सब तरफ से अनुरोध किया गया है और कई स्वयंसेवी संस्थाएं वहां कार्य कर रही हैं। यह सबकी चिन्ता का विषय है। केन्द्र सरकार सचेष्ट है, हर प्रकार के जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, उन सुझावों पर सरकार गौर करेगी और यह देखेगी कि किस प्रकार से इसको नान-पार्टी ईशु से हल किया जाए।

श्री मनोरंजन भक्त : अंडमान के बारे में भी बताइए।

श्री नीतीश कुमार : सारी जगहों के बारे में कह रहा हूं, जो सूचना केन्द्र सरकार को आई है। राज्य सरकार जब विस्तृत सूचना वहां पर नहीं भेजेगी तो क्या कर सकते हैं। हमने जो आंध्र प्रदेश के बारे में कहा है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां के बारे में सूचना दी है। कहीं से सूचना नहीं आएगी तो केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। केन्द्र सरकार की टीम अफैक्टेड ऐरियाज में गई है और वहां से पता लगाया है।

श्री मनोरंजन भक्त : यूनियन टैरीटरी जो है यह डायरैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अण्डर है।

श्री नीतीश कुमार : इस साइक्लोन से प्रभावित इलाकों के बारे में जहां तक केन्द्र को जानकारी मिली है, जो जिस प्रकार से प्रभावित है उस पर कोशिश की जाएगी और जहां के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसकी सूचना दे रहे हैं, इसकी तरफ सरकार देखेगी। वहां पर अगर नुकसान हुआ या क्षति हुई है तो उसको देखेंगी कि किस प्रकार से उनको राहत पहुंचाई जाए। इस बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। अन्त में मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कमेटी से, इस

[श्री नीतीश कुमार]

विपत्ति के काल में सबको मिलकर, चाहे वह किसी भी दल के हों, सरकार में हों या सरकार के बाहर हों, राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए, रैस्टोरेशन का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्रोप इंशयोरेंस के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नीतीश कुमार : क्रोप इंशयोरेंस के बारे में पालिसी पहले से जगजाहिर है, पहले से यह पालिसी चली आ रही है और वही आज भी कंटीन्यूड है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : फसल बीमा योजना फसल ठीक से पैदा न होने की स्थिति में ही लागू होती है, यहां फसल तो ठीक-ठाक थी लेकिन तूफान से नष्ट हो गई। इसलिए यह योजना यहां लागू नहीं होती है। ऐसे मामले में इसे लागू करने के लिए इस योजना में आपको संशोधन करने होंगे।

श्री एस० बेंजामिन (बपतला) : तम्बाकू का, विशेषकर "बर्ली" किस्म के तम्बाकू को भारी नुकसान हुआ है। लाखों टन तम्बाकू नष्ट हो गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस बारे में चिंता व्यक्त की है, लेकिन संबंधित लोगों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है? भारतीय तम्बाकू निगम को इस तम्बाकू को खरीदने के लिए आगे आना चाहिए।

इसके अलावा, कई शिक्षा संस्थाएं भी इन तूफानों से नष्ट हो गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन संस्थाओं के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मैं सरकार से इन दो पहलुओं पर भी विचार करने का अनुरोध करूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदया, इस तूफान से आंध्र प्रदेश को अधिक नुकसान हुआ है किन्तु साथ ही इससे उड़ीसा के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। महोदया, जैसा कि आप जानती हैं, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों और विशेषकर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में सितम्बर और अक्तूबर के दौरान प्रायः तूफान आते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे कदम उठायें जिनसे भविष्य में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तूफान से प्रभावित न हों। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : पहले ऐसी दैवी आपदा के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य की वस्तुएं इंडियन एयरलाइंस द्वारा बिना भाड़ा लिए प्रभावित स्थानों को पहुंचाई जाती थीं। अतीत में इंडियन एयरलाइंस ने दानस्वरूप प्राप्त सामग्री को निशुल्क ले जाने की सेवा की है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इंडियन एयरलाइंस को निदेश दे कि अगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता से कोई दानस्वरूप कुछ सामग्री भेजना चाहता है तो वह इसे निशुल्क वहां पहुंचाये।

सभापति महोदय : सबसे पहले हमें आंध्र प्रदेश के लोगों के तथा अन्य प्रभावित राज्यों के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। यदि कोई अन्य इस बारे में अपने सुझाव देना चाहे, तो वह मंत्री जी को लिखित रूप में अपने सुझाव भेज सकता है।

श्री पी० चिदम्बरम : इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती कार्यकारी मंत्रणा समिति ही इसका

अनुमति दे सकती है। अब हम अगली मद अर्थात नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को लेंगे। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। मुझे आशा है कि आप अपने भाषणों का विस्तार तदनुसार रखेंगे। अब मैं श्री कुमारमंगलम को बुलाती हूं।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदया, एक मिनट।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदया, मैं सभापति के पैनल के एक सदस्य के नाते इन्हें बोलने दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही कब तक चलेगी तथा लिट्टे पर बहस कब तक जारी रहेगी। क्या इस पर चर्चा कल तक जारी रह सकती है। हम यह जानना चाहेंगे ताकि हम दिन के शेष समय के लिए अपना कार्यक्रम बना सकें।

सभापति महोदय : हर कोई इस बात को जानता है कि सामान्यत: सदन की कारंवाई 6 बजे समाप्त होती है। हम इस बारे में सदन की राय ले सकते हैं। अगर हम सब 6 बजे तक बैठना चाहें…

श्री पी० चिदम्बरम : हम केवल 6 बजे तक ही बैठना चाहेंगे।

सभापति महोदय : अतएव हम 6 बजे तक बैठेंगे और उसके बाद देखेंगे। अब मैं श्री कुमारमंगलम को बुला रही हूं।

4.59 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

तमिलनाडु में लिट्टे की कथित गतिविधियों के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा है। हालांकि इस चर्चा का औचित्य इस बात से सिद्ध हो जाता है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, और इसका एक मानवीय पक्ष भी है। मैं इस चर्चा को पीड़ा भरे हृदय से उठा रहा हूं। सभापति महोदया, तमिलनाडु, जो मेरी जन्मभूमि है, से संसद का सदस्य होने के कारण मैं चाहता हूं कि हम सभी इस चर्चा में पर्याप्त संयम रखते हुए और सदभावपूर्वक भाग लें।

5.00 म० प०

यह स्थिति केवल गम्भीर ही नहीं, बल्कि संकट के कगार पर है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए प्रासंगिक होगा कि मैं तमिलनाडु में लिट्टे की हाल ही की गतिविधियों के बारे में चर्चा करूं और इसके बाद वर्तमान स्थिति पर चर्चा करूं। वास्तव में, अक्तूबर, 1987 के आसपास हुए भारत-श्रीलंका समझौते के बाद, लिट्टे को जिसके सदस्य तमिलनाडु में यहां-वहां रह रहे थे, साफ-साफ यह बताया गया था, कि उन्हें हर हालत में वापस जाना होगा; और वे अपना बोरिया-बिस्तरा बांध कर वापिस चले भी गये। जैसे ही विधान सभा चुनाव समाप्त हुए, गत वर्ष जनवरी में वे वापिस लौट आए। अब की बार वे भारी संख्या में आए, लेकिन उन्होंने कोई शोर-शराबा नहीं किया। यदा-कदा, वे तटीय क्षेत्रों में उग्र कार्यवाही करते रहे। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु के भीतरी प्रदेश में भी अपना आधार

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

तैयार करना शुरू कर दिया। फिर, उन्होंने खुलकर अपना पहला खेल उस समय खेला, जब 19 और 20 दिसम्बर, 1989 के आसपास, सम्भवतः इस सदन को स्मरण होगा, एक घटना उस समय के पीठासीन अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाई गई। लिट्टे ने पांच सीमा शुल्क अधिकारियों का अपहरण कर लिया था। हमें बाद में सूचित किया गया कि उन्हें छोड़ दिया गया है। स्पष्ट रूप से यह कार्य सीमा शुल्क और आप्रवासन अधिकारियों को भयभीत करने के इरादे से किया गया था। तमिलनाडु में यह गम्भीर स्थिति की शुरूआत थी। 9 दिसम्बर को समुद्र में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में इनमें से पांच अधिकारियों को लिट्टे द्वारा हिरासत में ले लिया गया अथवा बन्दी बना लिया गया। इसके बाद यह मजेदार बात देखने मे आई कि वे समुद्र क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और यह कब्जा न केवल समुद्र के उस क्षेत्र पर किया जा रहा था, जो श्रीलंका के अन्तर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से संबंधित था, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत हमारे देश से सम्बन्धित जल क्षेत्र पर भी वे कब्जा कर रहे थे। विशेष रूप से, रामेश्वरम के हमारे मछुआरे भाई अपने समुद्र तटों के निकट मछली पकड़ने तक का साहस नहीं कर पा रहे थे जहां वे प्राचीन समय से ही दुर्लभ झींगा मछली का शिकार करते रहे थे। लेकिन, ठीक इसके उलट, उनके मछुआरे न केवल हमारे जल क्षेत्र में मछली ही पकड़ रहे हैं, बल्कि हमारे समुद्र-तट पर भी बेखौफ चक्कर लगाते हैं और अपनी धाक जमाते हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री की जानकारी में यह खतरनाक बात लाना चाहता हू कि वे रामेश्वरम के तटीय क्षेत्रों में, मद्रास नगर में और मदुरै नगर में कहीं भी अपने कंधों पर ए० के० 47 राइफलें उठाए घूमते नजर आते हैं। वे अपने शस्त्रों का ढिटाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक घटना इस प्रकार है कि दो मुक्ति चीते, 'मुफ्ती' में न होकर अपनी पूरी वर्दी में, अर्थात युद्ध क्षेत्र की अपनी वर्दी में थे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : चीते ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हां, उन्हें चीते कहा जाता है। मेरे मित्र, श्री रावत पूछ रहे हैं 'चीते ?' और मुझे उन्हें यह समझाना होगा कि उन्होंने अपना उपनाम 'चीते' रखा हुआ है। उनके पास टोपी और पूरी वर्दी होती है, वे ए० के०-47 राइफलें उठाए होते हैं। हां, तो वे दो चीते रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर अपने किसी मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे मद्रास में एगमोर से वहां आना था। इस प्रकार वे अपने मित्रों को वहां रिसीव करते हैं। मैं यह केवल उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि वे किस प्रकार पूरी तरह खुल कर इधर-उधर आ-जा रहे हैं और जब उन्हें आग्नेय शस्त्र चलाने का मौका आता है, जो उनके पास हैं, तो वे उन्हें चलाने से बाज नहीं आते तथा अपने आप पर काबू नहीं रखते।

5.06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यही नहीं, इसके अतिरिक्त, जैसा कि वे बताते हैं, वे तमिलनाडु में अन्य आतंकवादी दलों के सदस्यों का पीछा करते हुए सैंकड़ों किलोमीटर सफर करते हैं, वे विभिन्न छोटे तटीय शहरों के होटलों में उन्हें ढूंढते हैं, गोलियां चलती हैं. और तब भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यह समझने वाली बात है, यदि यह सीमित गतिविधि है, केवल तटीय-क्षेत्रों तक सीमित है, चाहे इसे कोई पसन्द नहीं करे, लेकिन इसकी सुगमता से रोकथाम की जा सकती है। परन्तु पिछले तीन-चार महीनों से उन्हें वहां गश्त करते देख हर कोई परेशान होता है। (व्यवधान)

यदि मेरे मित्र आंध्र प्रदेश संबंधी नियम 193 के अन्तर्गत अपनी चर्चा जारी रखना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा; मैं बैठ जाऊंगा। यदि वह यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अब आप जानते हैं कि मेरी आपके दल से क्या असहमति है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, खेद है कि मैं यह नहीं देख सका कि उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हो चुके हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित कर रहा था, लेकिन उस समय बहुत प्रवाह में था।

जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रश्न यह नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अथवा ऐसा क्यों घटित हुआ। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हुआ है और जब तक सभी संबंधित व्यक्ति वास्तविकता, यहां मैं 'वास्तविकता' शब्द पर जोर दे रहा हूं, स्वीकार नहीं करते — और समस्या के समाधान हेतु निर्णय नहीं लेते, मामला न केवल हाथ से निकल जाएगा, बल्कि तमिलनाडु में जो एक संवेदनशील राज्य है, हिंसा और अलगाववादी आन्दोलन का वातावरण बन जाएगा।

ऐसा पता चला है कि प्रति सप्ताह 50 लाख रुपये के मूल्य के सामान की रामेश्वरम के रास्ते से तस्करी होती है; और आश्चर्य की बात यह है कि वहां सीमा शुल्क के अधिकारी नहीं हैं, जो तट-रक्षक नौकाओं में जाते हैं और वास्तव में रिश्वत अथवा सुरक्षा शुल्क अथवा कुछ भी कहें, वसूल करते हैं, वहां ये लिट्टे के आदमी हैं, जो यह काम करते हैं। वे नौकाएं हमारे तटीय जल-क्षेत्र में प्रवेश कराने अथवा बाहर निकालने के लिए शुल्क के रूप में 1000 रुपये प्रति नौका ही वसूल नहीं करते हैं, बल्कि वे हस्ताक्षर करके और मोहर आदि लगाकर बोटमैन के नाम में वसूल किए गए शुल्क की एक पक्की रसीद भी देते हैं।

हैरानी की बात तो यह है सभी कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने के बाद भी तटीय क्षेत्रों में उनके आने-जाने पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, एक दुखदायी तथ्य यह है, जिस पर मैं समझता हूं कि हम सबको ध्यान देना चाहिए, कि यदि पुलिसकर्मियों द्वारा उनसे मुठभेड़ करने का प्रयास किया जाता है तो पुलिसकर्मियों को ही नुकसान पहुंचता है और ऐसे प्रत्येक प्रयास में, जैसा कि हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी ही मारे जाते हैं और लिट्टे आतंकवादी बच निकलते हैं।

मैं नहीं समझता कि मैं ही ये तथ्य माननीय गृह मंत्री की जानकारी में ला रहा हूं। उन्हें पहले से ही इन तथ्यों की जानकारी है, यद्यपि उन्हें हम लोगों को यह सब बताने के बारे में कुछ परेशानी हो सकती है; लेकिन वह यह भी जानते हैं कि मामला धीरे-धीरे हाथ से खिसक रहा है। दिसम्बर, 1989 में उन्होंने तमिलनाडु में अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी थीं। मैं यहां ठीक-ठीक समय का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1987 में तमिलनाडु में आने के बाद, वर्ष 1989 के प्रारम्भ में एक बार फिर उन्होंने तमिलनाडु में घुसना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने खुलेआम शस्त्र लेकर घूमना और

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

अधिकारियों को धमकी देना तथा भयभीत करना वास्तव में दिसम्बर के आसपास प्रारम्भ किया गया। उन्होंने हमारी मत्स्य नौकाओं पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उन शरणार्थियों की हत्या कर दी, जिन्होंने मत्स्य नौकाओं में बैठकर पार जाने का प्रयास किया, समुद्र के बीच में उन्होंने उनका संहार कर दिया। आप समाचार पत्रों में उनकी फोटो देख सकते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। आप मृतक शरणार्थियों, महिलाओं और बच्चों से भरी नौकाएं जल पर तैरती देख सकते हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका तटीय क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां शरणार्थी शिविर नहीं हैं; जहां कहीं शरणार्थी शिविर हैं, उन्हें मालूम है कि वहां प्रशिक्षण देने से उसकी पूरी जानकारी सबको मिल जाएगी। उन्होंने अपने प्रशिक्षण-शिविरों को, मेरे गृह जिला, सलेम में तो स्थापित किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने इन शिविरों को मदुराई में स्थापित किया है; मद्रास में पुडुकोटई के निकट कहीं तंजावूर में स्थापित किया है। किन्तु मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि सलेम में यह नहीं है। किसी को भी इससे आश्चर्य हो सकता है कि आखिरकार वे किन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारतीय शांति सेना वापस बुलाई जा चुकी है। अब उन्हें श्रीलंका का पूर्वोत्तर क्षेत्र उपलब्ध है। अब हमारे से यह तर्क किया जा सकता है कि तमिलनाडु में 'लिट्टे' की उपस्थिति क्यों होनी चाहिए? उनके पास अपनी भूमि है, जहां वे लगभग वास्तविक रूप से ही शासन कर रहे हैं। अत: वे अब यहां क्यों रहें। यह रक्षा अथवा आक्रमण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्तु मुद्दा यह है कि आखिर वे तमिलनाडु में कर क्या रहे हैं? मैं सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे नशीली औषधों का अवैध व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं; नशीली औषधों तथा हथियारों के अवैध आयात-निर्यात सहित सभी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए तथा स्थानीय रूप से हथियारों की बिक्री करने के लिए तमिलनाडु का एक अड्डे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें संरक्षण भी प्राप्त है और वे हमारी सीमा में आसानी से प्रवेश कर लेते हैं; अपने अवैध आयात-निर्यात के लिए वे आसानी से, विदेशों को आ-जा सकते हैं। वे इसके बदले क्या करते हैं? मैं फिर दोहराता हूं कि बदले में, वे द्रविण कषगम के लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जिस संगठन को 'तमिल नेशनल मूवमेन्ट' एक इकाई है। यह सूचना है कि इन शिविरों में से एक शिविर वास्तव में, तमिलनाडु में —सत्ताधारी दल के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति और उनके दल में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के सहयोग से चलाया जा रहा है। किन्तु, जो भी हो, यह मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक यह है कि कतिपय भारतीय राष्ट्रिकों को, हमारे नागरिकों को प्रशिक्षित और हथियारबन्द किया जा रहा है। वैसे स्पष्ट रूप से इसका खण्डन किया गया है। किन्तु यह खण्डन इस तथ्य के बिल्कुल विपरीत है कि हाल में ए० के० 47 राइफल के फालतू पुर्जों के निर्माण के संबंध में कोयम्बटूर में पांच व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और उनके विरुद्ध आरोप फाइल किए गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे श्रीलंका के आतंकवादियों की ओर से यह कार्य कर रहे हैं, द्रविण कषगम का एक प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता; और उनके ग्रुप के व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है। मुझे उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री को इस मामले की जानकारी होगी।

किसी राज्य में यह गतिविधियां तब तक संभव नहीं हैं, जब तक कि स्थानीय सरकार उन्हें सहायता और प्रोत्साहन न दे तथा उन पर ओट न रखे। यह दुर्भाग्य की बात है। यदि स्थानीय सरकार का वास्तव में यही उद्देश्य है, जैसा वह कह रही है, तथा जब तक ये उग्रवादी तमिलनाडु में

कानून नहीं तोड़ते हैं तभी तक वे यहां रह सकते हैं तो उन्हें नियन्त्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि—17 मई या 16 मई को, हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि श्रीलंका के किसी भी उग्रवादी समूह को राज्य में अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं दी जायेगी। इस चेतावनी को देने में छः महीने लग गए। किन्तु उन्होंने यह चेतावनी दी ही क्यों है। वे कहते हैं कि राज्य में कोई भी प्रशिक्षण शिविर नहीं हैं और द्रविण मुनेत्र कषगम इसमें किसी भी तरह शामिल नहीं है। वे आगे यह भी कहते हैं कि आपकी गुप्तचर एजेंसियां, अनुसंधान और विश्लेषण विंग जैसी केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और, केवल यही नहीं, उन्होंने यह भी गारन्टी दी है कि इसमें डी० एम० के० शामिल नहीं है, फिर केवल तीन दिन पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा नहीं, बल्कि तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा ने कोयम्बटूर में एक मामला कैसे दर्ज किया। अभी तो इस मामले को छिपाना चाहते हैं। इसका एक कारण है। यह मामला समाप्त नहीं हुआ है। एक बार पुनः यह बात कही जायेगी, "तमिलनाडु में हम सत्ता में हैं, वहां हमारी सरकार है, हम ऐसी शक्तियों को क्यों प्रोत्साहन देंगे ?" इसका एक आसान-सा उत्तर है। मेरे अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान तमिलनाडु राज्य में वर्तमान सरकार और इसके मुख्य मंत्री ने राज्य के लोगों को खुश करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये, ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और जब चुनाव हुए उन्हें मालूम हुआ कि उनका कोई भी खुश करने संबंधी प्रस्ताव लोगों में उनकी विश्वसनीयता प्राप्त कराने में सफल नहीं हुआ। उन्हें मालूम था कि उनके दल को सीमित समर्थन है और यह भी घटता जा रहा है। इसलिए तमिलनाडु सरकार, जिसे आज मालूम है कि उसे लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसने खतरनाक समूहों को वहां निरन्तर रहने की अनुमति दी है।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : आप कहते हैं कि इसे लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह सरकार चुनकर सत्ता में आई है और इसे पांच वर्ष तक शासन करने के लिए जनादेश मिला है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मैं व्याख्या कर सकता हूं ? मैं कृतज्ञ हूं कि यह प्रश्न गृह मंत्री ने पूछा है, उस समय मुख्य बात यह थी कि डी० एम० के० के विरुद्ध जो शक्तियां थीं, वे विभाजित थी। किन्तु जब लोक सभा के चुनाव आयोजित किये गए, तब क्या हुआ ?

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : वे 232 खंडों में चुनाव हारे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे कितने खंडों में जीते ?

श्री पी० चिदम्बरम : जहां उप-चुनाव कराये गये थे, वहां प्रत्येक खंड में क्या हुआ ? वहां 232 खंड थे। आप उन्हें सलाह दें कि वे अब चुनाव कराएं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्हें अपनी स्थिति स्वयं देखने दें। उन्हें कितना समर्थन प्राप्त है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में चुनाव कराकर आपको स्थिति का पता लग जायेगा। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। जिस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वह यह है कि मैं राजनीतिक दाव-पेच नहीं खेल रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह मामला जितना साधारण प्रतीत होता है उतना साधारण नहीं है। यह बहुत गहन, जटिल राजनैतिक खेल है, जो उन लोगों द्वारा खेला जा रहा है, जिनकी संविधान अथवा देश के प्रति

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

कोई वचनबद्धता नहीं है। उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण योजना का सहारा लेने का निर्णय किया है। इसके बाद में देश से विद्रोह करने के बीज बोये जाएंगे। एक राज्य में, जहां लोगों का स्वभाव मूलरूप से राष्ट्रवादी है, उन्होंने वहां बार-बार भाषायी हौवा खड़ा करने की कोशिश की और हमें इस आधार पर विभाजित करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने पाया कि तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, उन्होंने अपने-आप को पूरे भारत का एक हिस्सा माना और अपने को इससे विलग स्वीकार नहीं किया। सांस्कृतिक रूप से हमारी थोड़ी-बहुत विभिन्नताएं हैं, किन्तु इस सबके बावजूद हम एक हैं, हम राष्ट्र के एक भाग हैं, हमने इसे मान्यता दी है, हमने सदैव इस तथ्य को सराहा है और हमें इस पर गर्व है कि हम भारतीय हैं। यह जानते हुए कि भाषा अथवा धर्म के नाम पर बांटना और क्षेत्रीय नियंत्रण बनाये रखना अब सम्भव नहीं है, उन्होंने इस तकनीक का सहारा लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री को यह बता सकता हूं कि उन्हें अपनी गुप्तचर एजेंसियों ने केवल बहुत कम सूचना दी है मेरी जानकारी के अनुसार, उन्हें ऐसे बहुत ही कम लोगों के बारे में पता होगा, जिन्हें किन्हीं स्थानों अथवा कुछ शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह भी केवल इसलिए हुआ, क्योंकि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने यह महसूस किया कि यदि वह केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार को थोड़ी-बहुत गुप्त सूचना भी प्रकट नहीं करेंगे, तो यह उनकी अन्तर-आत्मा के विरुद्ध होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज सरकार में, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में तमिलनाडु का सत्ताधारी दल भी एक घटक है।··· (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : जैसे आपके साथ शामिल था (व्यवधान)

पी० आर० कुमार मंगलम : महोदया, वे हमारी सरकार के घटक कभी नहीं रहे। कृपया अपने तथ्य ठीक कीजिये। वे हमारे सहयोगी दल के रूप में अवश्य थे, लेकिन सरकार का वे कभी हिस्सा नहीं रहे। दुर्भाग्यवश श्रीमती सुभाषिनी अली को अपने तथ्य सही करने होंगे।

मैं इतना अनुरोध करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा कि भारत सरकार जो यह महसूस करती है, कि तमिलनाडु में 'लिट्टे' की जो समस्या बनी हुई है, उसे स्थानीय सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसे सामान्य नहीं समझा जाना चाहिए। हम लोगों के पास बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं; ऐसा होने पर भी हमें इसे सभापटल पर नहीं रखना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से गृह मंत्री से मिलेंगे और उन्हें इन तथ्यों की जानकारी देंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि तमिलनाडु सरकार इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रही है, उन्हें प्रोत्साहन दे रही है और अपने ही राज्य में राजद्रोह को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, अपितु वे बिना किसी प्रचार माध्यम के आन्दोलन चला रहे हैं किन्तु आन्दोलन चलाने में वे अलगाववाद के लिए मंच के रूप में अपने सह संगठन का सहारा ले रहे हैं जिसको उन्होंने बृहद तमिलनाडु की संज्ञा दी है। उन्होंने एक नक्शा तैयार किया है जिसमें तमिलनाडु का आज जो क्षेत्र हो सकता है, उससे कहीं अधिक क्षेत्र दर्शाया गया है। इस नक्शे में कुछ क्षेत्र श्रीलंका का और कुछ क्षेत्र चारों तरफ के अन्य द्वीपों का है और उन्होंने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। प्रत्येक सार्वजनिक सभा में यह कहते हुए इश्तहार बांटे जाते हैं कि यह वह तमिलनाडु है जो होना चाहिये। दुर्भाग्यवश, ऐसे किसी भी अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो इसे बांटते हुए पकड़ा गया था। हमारे अपने ही दल की एक बैठक में ऐसे दो व्यक्ति पकड़े गये थे और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। न तो कोई मामले दर्ज किया और न ही कोई कार्यवाही की गई। यह घटना मद्रास नगर में ही घटी थी। मेरे

विचार से अब ऐसा समय आ गया है जबकि केन्द्रीय सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि सत्तारूढ़ दल के रूप में द्रविड़ मुनेत्र कषगम की वर्तमान सरकार को तमिलनाडु में चलते रहने देने का अर्थ यह होगा कि हम शीघ्र ही देखेंगे कि तमिलनाडु में पंजाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जहां प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, जो अत्यधिक संभ्रांत और शांत समाज की शांति भंग कर रहे हैं। भविष्य में आप स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : स्थिति गंभीर है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताया गया था कि चर्चा आज केवल छः बजे तक चलेगी। मेरे विचार से कल की कार्य सूची भी काफी लम्बी है। मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार लगभग छः सदस्य कांग्रेस पार्टी से लगभग 4 सदस्य राष्ट्रीय मोर्चा से, दो सदस्य भारतीय जनता पार्टी से और लगभग चार या पांच अन्य दलों से इस मामले पर बोलना चाहते हैं। श्री कुमारमंगलम 35 मिनट बोल चुके हैं। वह प्रथम वक्ता थे और उन्होंने कुछ अच्छे मुद्दे उठाये थे और इसलिए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। अब हमें यह निर्णय लेना है कि कार्यवाही का संचालन किस प्रकार किया जाये। क्या हम आज की बैठक का समय बढ़ा सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कल इस विषय पर चर्चा करना बहुत कठिन होगा अथवा आप यह निर्णय करें कि प्रत्येक दल से केवल एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाये। अब श्री जसवंत सिंह बोलेंगे।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : आप मुझे कितना समय देना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के लिए 18 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आपके दल से मेरे पास दो नाम हैं। आप या तो 18 मिनट तक बोल सकते हैं अथवा आप दोनों इस समय को आपस में बांट सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : क्या यह चर्चा कल भी जारी रहेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि कल के लिए कार्यवाही सूची काफी लम्बी है। किन्तु यदि सरकार और सभी दल निर्णय लें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि इस समय भी हमें इस पर और अधिक विस्तारपूर्वक चर्चा करनी चाहिये थी।

श्री जसवंत सिंह : मैंने संबंधित राज्य के माननीय पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। और निःसंदेह तमिलनाडु में विद्यमान स्थिति के बारे में उनकी चिन्ता से हम भी चिन्तित हैं। यह कतिपय खेद का विषय है कि अपने बाद के वक्तव्य में उन्होंने बहुत ही गम्भीर आरोप लगाये हैं। ये ऐसे आरोप हैं कि मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं इसका उत्तर दें क्योंकि उपरोक्त माननीय सदस्य ने यहां तक आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार राजद्रोह में सहयोग दे रही है। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने यह आरोप गम्भीरता से नहीं लगाया है। तथापि यह एक ऐसा आरोप है जिससे मैं बहुत अधिक चिंतित

[श्री जसवन्त सिंह]

हूं क्योंकि में यह सोच भी नहीं सकता कि एक संवैधानिक ढंग से गठित सरकार जानबूझकर राजद्रोह के कार्य में संलग्न रहे।

लिट्टे के वहां विद्यमान होने के अनेक पहलू हैं। माननीय पूर्व वक्ता का यह कथन सत्य नहीं है कि 'लिट्टे' तमिलनाडु की लोकतांत्रिक राजनीति में केवल दिसम्बर, 1989 से आई है। मैं ऐसा नहीं समझता कि यह वास्तविकता है। इसलिए, मेरे लिए यह आवश्यक है कि में इस बात को स्पष्ट करूं कि लिट्टे से सम्बन्धित विविध पहलू वास्तव में क्या हैं। इस सम्बन्ध में स्वदेशी दृष्टिकोण है। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तमिलनाडु राज्य में 'लिट्टे' की गतिविधियों के कारण हमारी आन्तरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पड़ रहा प्रभाव सारी सभा के लिए चिन्ता का विषय है। मैं नहीं समझता कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर कोई भी व्यक्ति असहमत हो। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु 'लिट्टे' की गतिविधियों से कानून और व्यवस्था पर पड़े प्रभाव के इस पहलू से अवगत है जब तक केन्द्रीय गृह मंत्री मुझसे इस बात पर असहमत नहीं होते अथवा अन्यथा मुझे सूचित नहीं करते तब तक मैं कम से कम यह जरूर कहूंगा। माननीय पूर्व वक्ताओं द्वारा इससे हमारी आन्तरिक कानून और व्यवस्था पर पड़े प्रभाव के प्रत्यक्ष परिणामों के बारे में उदाहरण दिए गए हैं। मैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। उदाहरण के लिए कथचा थीवू द्वीप समूह पर मछुआरों के मछली पकड़ने के ऐतिहासिक अधिकारों से कुछ कठिनाई पैदा हुई है। क्या वह कठिनाई श्रीलंका सरकार के साथ थी या 'लिट्टे' कार्यकर्ताओं के साथ ? उसके बाद तमिलनाडु राज्य में अथवा तमिलनाडु विधान सभा में इसका प्रभाव महसूस किया गया। मैं नहीं समझता कि माननीय पूर्व वक्ता द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह मन्त्री इसे स्पष्ट करें। ऐसे भी पहलू हैं। जिनकी ओर उन्होंने कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों को बन्दी बनाने के बारे में संकेत किया है। मैं 'बंदी' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं किन्तु ऐसा हुआ है, कि उन्हें पकड़कर ले जाया गया अथवा उनका तीन-चार दिन तक पता नहीं चला। यह एक पहलू है।

एक माननीय सदस्य : 15 दिन तक।

श्री जसवंत सिंह : 15 दिन ? यह बात केन्द्रीय गृह मंत्री को मुझे बतानी चाहिए। आखिर वे सरकारी अधिकारी हैं और यदि केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को किसी के द्वारा बंदी बनाया जाता है, चाहे वे श्रीलंका के उग्रवादी हों या 'लिट्टे' के आदमी, तो यह मेरे लिए गहरी चिन्ता का विषय है क्योंकि वे वर्दी पहने हुए अधिकारी थे। यह व्यक्तिगत अनादर की बात नहीं है। यह किसी व्यक्ति विशेष को बन्दी बनाए जाने की बात नहीं है। यह भारत सरकार के अधिकारी की बात है जिसने अपमान सहा है और मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से आशा करता हूं कि वे इस संबंध में सभा को पूर्ण तथ्यों से अवगत करायें।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 'लिट्टे' तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में हथियारों आदि की ताकत पर क्या कर रहे हैं। उन सब बातों को दोहराए बिना मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में हमें सूचित करें।

तथापि, पूर्व वक्ता द्वारा 'लिट्टे' की मौजूदगी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए मेरे लिए यह बताना जरूरी है। 'लिट्टे' की मौजूदगी चाहे प्रत्यक्ष हो या अन्यथा किसी और रूप में हमने राजीव जयवर्धन समझौते का और भारतीय शांति सेना की वापसी का अनुभव देखा है।

हम उत्तरी श्रीलंका के विभिन्न तमिल ग्रुपों के बीच आपसी संघर्ष के परिणाम भी झेल रहे हैं। हम इनके शिकार हुए हैं। इस समय हमारी यह ऐसी समस्याओं का जो समस्त भारत में फैल गई है, भूमि स्थल बन गई है ई० पी० आर० एल० एफ०, ई० एन० डी० एल० एफ० जैसे ग्रुप भारतीय शांति सेना पर हावी हो गए और वे भारत में शरणार्थियों के रूप में आ गए हैं। उसके साथ ही वे श्री लंका में विद्यमान संघर्ष हमारे तटों तक ले आये हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि श्रीलंका की इन समस्याओं से भारत भी प्रभावित हुआ है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में और चालू वर्ष में भी भारत की श्रीलंका संबंधी नीति का पूर्णतया दुरुपयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को अब इस पूरे पहलू की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए कि इस समस्या पर कैसे काबू पाया जाए क्योंकि श्रीलंका से भारत आई समस्याओं का केवल एक ही आयाम नहीं है। इसके साथ यह पहलू भी जुड़ा है कि भारत में तमिल शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हमने राजीव जयवर्धने समझौता किया। इस समझौते से न तो श्रीलंका में और न ही भारत-श्रीलंका में तमिलों की समस्याओं का समाधान हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर प्रकाश डाले और इस बारे में हमें अवगत कराये कि वह इस विशेष समस्या का किस तरह समाधान निकालना चाहती है। हमारी आन्तरिक राजनीति पर 'लिट्टे' का प्रभाव एक ऐसा पहलू था जिस पर पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था किन्तु फिर भी उससे मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है। मुझे उम्मीद थी कि वे ऐसा माहौल पैदा करके हमें यह जानकारी दें कि अब मूल समस्या क्या है अथवा इसका समाधान किसमें निहित है।

अतः, महोदय मैं आपके माध्यम से सभा को यह याद दिलाना जरूरी समझता हूं कि 1980 से स्वर्गीय श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा 'लिट्टे' को और उसके संगठन को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि उन्हें तमिलनाडु में शिविर लगाने की सुविधा तो नहीं दी गई, किन्तु उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। यह भी सभी जानते हैं कि सिंगापुर से पोत खरीदने हेतु, सिंगापुर के मुक्त बाजार से विभिन्न प्रकार के हथियार खरीदने हेतु 5 से 7 करोड़ रुपये तक दिए गये। इन सभी तथ्यों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। यह भी सच है कि स्वर्गीय श्रीमती गांधी के शासनकाल से ही 'लिट्टे' के साथ अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध ('रा') का संबंध होना भारत-श्रीलंका नीति का सर्वाधिक निंदनीय प्रकरण है और मैं इसका जिक्र किए बिना मैं इस मामले में अपनी चिंता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाऊंगा और न ही इस विषय के साथ न्याय कर पाऊंगा। मैं यह उल्लेख करना अपना दायित्व समझता हूं कि···(व्यवधान)

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि एम० जी० रामचन्द्रन ने 'लिट्टे' संगठन को पोत और हथियार खरीदने में मदद की थी। यह सही नहीं है वस्तुतः उन्होंने 'लिट्टे' को अपने हथियार फेंक देने के लिए प्रेरित किया था न कि उन्हें हथियारों की खरीद के लिए सहायता दी।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने, जो कुछ कहा, उसका खंडन किया है। पर मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं है। उन्हें मेरी बात से असहमत होने का अधिकार है और वह यह कह सकते हैं कि मेरी जानकारी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री स्थिति स्पष्ट करें।

मुझे तो यह जानकारी मिली है कि स्वर्गीय श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने 'लिट्टे' को सिंगापुर

[श्री जसवन्त सिंह]

से पोत, हथियार आदि खरीदने हेतु कम-से-कम 5 करोड़ रुपये दिए थे। यदि यह बात गलत साबित हुई तो मुझे खुशी होगी।

मैं 'लिट्टे' और 'रा' का जिक्र कर रहा था और आपसे यह कह रहा था कि वस्तुत: पिछली सरकार को एक संस्था विशेष ने निरंतर गुमराह किया और वही संभवत: इस सरकार को भी गुमराह कर रही है और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को तैनात करने के लिए भी वही संस्था अर्थात अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रा) जिम्मेदार है। इसी संस्था ने गुमराह किया है ··(व्यवधान)

श्री अन्बारासू इरा (मद्रास मध्य) : सभी राजनैतिक दलों ने भारतीय शांति सेना को वहां भेजने की मांग की थी।

श्री जसवन्त सिंह : संभवत: माननीय सदस्य, मेरी उस बात को समझ नहीं पाये हैं जो मैं कहना चाहता हूं। वस्तुत: अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध ने पिछली सरकार का मार्गदर्शन करने में और श्रीलंका मे भारतीय शांति सेना तैनात करने की सलाह देकर बड़ी निराशाजनक और अनुचित भूमिका निभाई है। 'लिट्टे' और भारत-श्रीलंका के बीच बाद में हुआ समझौता, जो देश के प्रधान मंत्री के रूप में राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुआ था, इस बात का एक उदाहरण है। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस बात का जिक्र नहीं करूंगा कि यह समझौता कितना गलत था और जिसके कारण 'लिट्टे' और तमिलों के हितों, जिनकी रक्षा के लिए भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी, को भारतीय शांति सेना की कार्रवाई का शिकार होना पड़ा, अंत में हमने देखा कि भारतीय शांति सेना और 'लिट्टे' एक दूसरे से डटकर लड़े। यदि सैन्य और राजनयिक दृष्टि से कोई नीति सिद्धान्त और व्यवहार में पूरी तरह असफल हुई है तो वह भारतीय शांति सेना को 'लिट्टे' के विरुद्ध तैनात करने सम्बन्धी नीति है। पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप करके मुझसे पूछा है कि क्या हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं अथवा 'लिट्टे' की? वह यहां पर इस समय मौजूद नहीं थे जबकि मैंने यह कहा था कि इस प्रकार के कार्य करके हम श्रीलंका की समस्या को तमिलनाडु में ले आये हैं और हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं तथा इसी को आधार बनाकर उन्होंने तमिलनाडु में द्रमुक सरकार पर सक्रिय रूप से राजद्रोह की कार्यवाही में मदद करने जैसे गम्भीर आरोप लगाये हैं। मैं भी उनके साथ तमिलनाडु में 'लिट्टे' की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त करता हूं। परन्तु देश की एक विधिवत निर्वाचित सरकार अथवा किसी राज्य सरकार पर राजद्रोह का आरोप लगाना एक अत्यंत गम्भीर मामला है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 'लिट्टे' के राजनैतिक स्वरूप के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं हालांकि इसकी जानकारी होने पर ही हम यह समझ सकते हैं। श्रीलंका की तमिल समस्या को अपने देश में ले आना कितना अहम है। मेरा मानना है कि 'लिट्टे' बहुमत की राय पर यकीन नहीं करता है। वे केवल विशेष हितों के आधार पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। यह 'लिट्टे' और तमिलनाडु सरकार के राजनैतिक स्वरूप का निराशाजनक पहलू है मैं इस सभा के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को सलाह नहीं देना चाहता। और ऐसा करना गृह मंत्रालय का दायित्व है। मेरे से पूर्व वक्ता की इस अव्यक्त चिन्ता से में सहमत हूं कि, अब 'लिट्टे' एक ऐसे सुरक्षित क्षेत्र की खोज में है जहां से वह अपनी गतिविधियां चला सके। 'लिट्टे' अब अपने लिए एक भौगोलिक और राजनैतिक आधार की खोज में हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आधुनिक नौकाओं से 'पाल्क स्ट्रेटस' को पार करने में 45 मिनट ही लगते हैं और इस प्रकार जाफना से भारतीय तट पर पहुंचने में मात्र 45 मिनट का समय ही लगता है तथा

इस दृष्टि से सारा तमिलनाडु ही लिट्टे के लिए एक ऐसा सुलभ क्षेत्र है, जिसकी कि उन्हें तलाश है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री इस बात को ध्यान में रखगे।

महोदय, मैंने भारतीय शांति सेना का जिक्र किया था। मैं भारतीय शांति सेना का जिक्र किए बिना 'लिट्टे' और तमिलनाडु में 'लिट्टे' की उपस्थिति के बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे सेना की वर्दी पहनने का गौरव प्राप्त है। 29 माह के दौरान जब उन्हें वहां तैनात रखा गया, करीब 1300 सैनिक शहीद हुए, 3,000 अपंग हुए और इस दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इस सबका कोई शुभ परिणाम निकला। मुझे यह स्वीकार्य नहीं है कि भारतीय शांति सेना और भारतीय सेना के बारे में राजनैतिक दृष्टि से कोई विवाद खड़ा हो जाये या उनमें कोई राजनीतिक स्पर्द्धा पैदा हो जाये। पिछली सरकार की गलती के कारण, भारतीय शांति सेना वहां भेजी गई और सरकार की नीति के परिणामस्वरूप वहां भेजी गई। एक के बाद एक दिन-रात, बिना किसी राजनैतिक और मिलटरी उद्देश्य के, युवा अधिकारी और सैनिक वहां गश्त करते यह जानते हुए भी कि उनमें से कोई भी मारा जा सकता है या अपंग हो सकता है।

मैं सदन में सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वर्तमान स्थिति में 'लिट्टे' की गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए, हमें अपने देश की सेना की प्रतिष्ठा को नहीं गंवाना चाहिए और भारतीय शांति सेना को अस्थाई राजनैतिक विवाद में नहीं लाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसने किया ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे खेद है। (व्यवधान)

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। 'लिट्टे' की तमिलनाडु में उपस्थिति के बारे में वैचारिक अथवा वास्तविक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं किया जा सकता। प्रत्येक बार जब भी भारतीय शांति सेना कार्य करेगी और मैं सरकार से अपील करता हूं कि – मुझे कहने में मात्र एक मिनट का समय लगेगा, मेरे लिए कहना कितना कष्टदायक है कि—आप विश्व में कहीं भी चले जाइये, आप सोवियत संघ, चीन, सारे यूरोप, अमरीका आदि कहीं भी चले जाएं, प्रत्येक शहर, प्रत्येक स्कूल गांव के प्रत्येक चर्चयार्ड में आपको वियतनाम में मारे गए सैनिकों के स्मारक चिह्न नजर आएंगे, हालांकि अमरीका की वियतनाम में भारी हार हुई थी। लेकिन यह शर्म की बात है, कि 1948, 1962 या 1965, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने अथवा भारतीय शांति सेना के सैनिकों ने श्री लंका में क्या किया, हमारे छात्रों को नहीं बताया जाता। उनकी याद में स्मारक-चिह्न स्थापित करना मात्र ही महत्वपूर्ण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : श्रीमान्, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इस विषय से मेरा बहुत अधिक लगाव है, इसलिए इस बारे में मैं काफी कुछ कहना चाहता हूं।

मैं यही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि जब केन्द्रीय गृह मंत्री मेरी बातों का उत्तर देंगे तो वह मेरी इस अपील को सभी सम्बद्ध पक्षों तक पहुंचाएंगे कि अगर 'लिट्टे' का इस देश में राजनैतिक उपस्थिति का कोई उत्तर हम देना चाहते हैं तो इस देश में किसी उपयुक्त स्थान पर भारतीय शांति सेना के सम्मान में एक उपयुक्त और शानदार स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, जिससे भारतीय शांति सेना के योगदान के बारे में हर कोई जान जाये।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शेष बचे थोड़े समय में, मैं चर्चाधीन समस्या के बारे में मैं अपने विचार संक्षेप में रखना चाहूंगी। (व्यवधान)

हम आज तमिलनाडु में 'लिट्टे' की उपस्थिति से उत्पन्न समस्या पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने पहले ही स्पष्ट किया है कि देश के एक भाग में उपस्थित किसी समस्या पर चर्चा करते समय हम उसे उसके सन्दर्भ से अलग नहीं कर सकते। मैं समझती हूं कि हमें इस बारे में भी कुछ विचार करना चाहिए की श्रीलंका में हमारे उद्देश्य क्या थे। वहां सोच-समझकर ही भारतीय शांति सेना को भेजने का निर्णय किया गया था। हमारे उद्देश्य क्या थे ? हमारे उद्देश्य ये थे कि श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा की जाए और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए और कुछ सत्ता उनको भी मिल जाए, ताकि ये लोग श्रीलंका गणराज्य के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

श्री जसवन्त सिंह ने पूर्व सरकार को 'लिट्टे' के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार की भी चर्चा की थी। अत: मैं मामले के इस पहलू पर नहीं बोलना चाहती।

मैं समझती हूं कि हमें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके तीन पहलू हैं। श्रीलंका में विद्यमान समस्या उसका पहला पक्ष है। उसका दूसरा पक्ष भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों की समस्या है, और इसका तीसरा पहलू है तमिलनाडु में 'लिट्टे' की उपस्थिति, और इसकी लगातार बढ़ती उपस्थिति से उत्पन्न समस्या। इन सभी तीनों पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए, तभी हम स्थिति को समझ सकते हैं तथा निर्णय कर सकते हैं कि आज की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार को कौन-से कदम उठाने के लिए कहें। श्रीलंका में यह देखकर बहुत दुःख होता है कि भारतीय शांति सेना की वापसी के बाद दो बातें हो रही हैं। एक तो यह कि श्रीलंका सरकार ने स्वयं श्रीलंका के उत्तर में एल० टी० टी० ई० के प्रति नरम दृष्टिकोण अपना लिया है तथा इसने एल० टी० टी० ई० को उस क्षेत्र में अन्य तमिल समूहों को आतंकित करने की अनुमति दे दी है। साथ ही, जहां तक सत्ता के हस्तांतरण का संबंध है, यह अपने दिए गए वचन से मुकर गई है। इसके अपने सैनिक विभिन्न तमिल समूहों को आतंकित कर रहे हैं तथा तमिल लोगों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस सन्दर्भ में, हमें श्रीलंका के उस भाग से ई० पी० आर० एल० एफ० के एक निर्वाचित संसद सदस्य की हाल में की गई हत्या पर विचार करना चाहिए। श्रीलंका सरकार की कार्यवाहियों से जो स्थिति पैदा की जा रही है, उससे हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना का जो वचन दिया था, उससे वे मुकरते जा रहे हैं। श्रीलंका के उस भाग में रहने वाले तमिल मूल के लोगों का श्रीलंका सरकार में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आतंकित किया जा रहा हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है तथा इनमें से एल० टी० टी० ई० नामक एक विशेष समूह को श्रीलंका सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इसके कारण भारत में शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई है और यह भी हमारी ही चिन्ता है। अनेक शरणार्थी भारत आ गये हैं तथा उन्हें भारत के विभिन्न भागों, जैसे उड़ीसा, में भेजा गया है। वहां उन लोगों को जिन स्थितियों में रहना पड़ रहा है, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उन्हें अमानवीय स्थितियों में रहना पड़ रहा है। हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि उड़ीसा में उन शिविरों से लोग भाग गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु में आश्रय लेने की कोशिश की है और उन्हें तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया है, पति अपनी पत्नियों से तथा बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गए हैं। इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। यह भी हमारे लिए चिन्ता का विषय

है। हमें उन लोगों की चिन्ता करनी चाहिए जिन्हें श्रीलंका सरकार की ज्यादतियों और श्रीलंका में एल० टी० टी० ई० की ज्यादतियों के कारण वहां से भागना पड़ा है। वे भारत की सहायता पाने के लिए आ रहे हैं। यहां उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें परिवारों से अलग किया जा रहा है। इस विषय पर भी इस सदन को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

इसके बाद, चिन्ता का दूसरा विषय तमिलनाडु में एल० टी० टी० ई० की उपस्थिति में वृद्धि होना है। मैं पिछली सरकार द्वारा किये गये गलत कामों को दोहराना नहीं चाहती, प्रत्येक व्यक्ति को इसका पता है। किन्तु, मेरे माननीय सहयोगी श्री कुमारमंगलम द्वारा यह जो "मैं तुमसे पवित्र हूं" वाला दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वह भी निन्दनीय है। स्थिति गंभीर है और हम सभी को अपने राजनैतिक सम्बन्धों से ऊपर उठना चाहिये तथा स्थिति पर विचार करना चाहिए। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अथवा अल्पकालिक उपलब्धियों के लिए विभिन्न ग्रुपों के राजनीतिज्ञ कुछ न कुछ अवसरवादिता पर ध्यान देते हैं। अनेक लोग इस प्रकार की अवसरवादिता में शामिल हैं। दुर्भाग्य से, कतिपय मामलों में, राष्ट्रीय एकता के लिए इसके अति गम्भीर परिणाम निकलते हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि जहां तक इस राष्ट्र की एकता और अखंडता का संबंध है सभी राजनैतिक दलों का अवसरवादिता की इस राजनीति को छोड़ देना चाहिए जिसे हमने देखा है कि इसके कितने गम्भीर परिणाम देश के विभिन्न भागों में हो सकते हैं।

इस समय तमिलनाडु से जो समाचार आ रहे हैं वे बहुत ही चिन्ताजनक हैं। एल० टी० टी० ई० के समूह और गिरोह हथियारों से पूरी तरह लैस हैं; वे मारुति कारों में, जीपों में और मोटर साइकिलों पर चारों ओर घूमते रहते हैं। वे केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही नहीं हैं, बल्कि वे भीतरी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गये हैं। उन्होंने अपने शिविर, अपने अड्डे बना लिए हैं; वे सोना लेकर आ रहे हैं और वे देश में भारी मात्रा में सोना और इलेक्टानिक सामान की तस्करी करने में लगे हैं। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण लोग, लालचवश, इस तस्करी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तस्करी में लगे हुए हैं और इससे धन कमा रहे हैं। इस प्रकार जो धन कमाया जा रहा है, उसका तमिलनाडु में प्रचार सामग्री मुद्रित करने के लिए बम बनाने के लिए तथा इसी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। सीमा-शुल्क अधिकारियों को गिरफ्तार तथा मछुआरों को परेशान किया जा रहा है। वे तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में एक कार्यालय भी चला रहे हैं। हमें ऐसे समाचार मिले हैं कि इसकी कुछ बैठकें भी आयोजित की गई है। ऐसे अनेक समाचार मिले हैं कि भारतीय नागरिकों और एल० टी० टी० ई० के सदस्यों के बीच बैठकें हुई हैं जहां हर प्रकार की कुत्सित भावनाओं को जोर-शोर से उभारा गया। कुछ बैठकों में हर प्रकार राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। यह बहुत ही गंभीर बात है और हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह इस प्रकार की वारदातों की शुरूआत है इन पर शुरू में रोक लगा देनी चाहिए। अब इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए एक ओर भारत सरकार को श्रीलंका सरकार के साथ समझौते पर कायम रहते अर्थात सत्ता का हस्तान्तरण करने की बात करनी चाहिए। श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों को उनके लोकतान्त्रिक अधिकार दिए जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए यह उस कार्यवाही का पहला भाग है जो उन्हें करनी चाहिए। भारत सरकार को हमें बताना चाहिए कि इस संबंध में वे क्या कर रहे हैं और हम सभी का सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र पहल करके श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करें। इसके साथ-साथ हमारे अर्थात भारत सरकार और भारत की जनता के यह प्रयास होने चाहिए कि हम सभी विभिन्न तमिल ग्रुपों को एक साथ लेकर चलें। यद्यपि, इस संबंध में किसी भी वर्ग के साथ पक्षपात नहीं किया गया है फिर भी वर्ग के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।

[श्रीमती सुभाषिनी अली]

यदि कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल अपने अल्पकालिक राजनैतिक लाभ के लिए यह खतरनाक खेल खेल रहा है, एक वर्ग का प्रयोग दूसरे वर्ग के विरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, तो इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। यदि कोई राजनैतिक दल लिट्टे जैसे वर्ग को भड़का रहा है, तो उसे रोका जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार से यह कहा जाय कि वह सभी तमिल वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करे न कि उनके बीच कोई भेदभाव करने और उनमें से किसी वर्ग को संरक्षण देने के लिए। (व्यवधान) यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कहा जाय। यदि वे ऐसा करने की सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा कहा जाय कि वे ऐसा करने का विचार छोड़ दें। उन्हें यह बताया जाए कि राष्ट्रीय हित में क्या है। मैं यही सब आपको बताना चाहती हूं। हमारी सरकार को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए और इस प्रयास की जानकारी तमिलनाडु सरकार को भी दी जानी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की घटनाओं के काफी गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। हम कश्मीर में, पंजाब में, और देश के विभिन्न भागों में जहां-जहां अलगाववादी गतिविधियां चल रही है, पूर्व अवसरवादिता के परिणामों को पहले ही देख चुके हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

———

5.57 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

5.58 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

तमिलनाडु में लिट्टे की तथाकथित गतिविधियों के कारण उत्पन्न स्थिति

—(जारी)

श्री भवानीशंकर होटा (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं विशेषकर विपक्ष, कांग्रेस (इ) से अपने पूर्व वक्ता का भाषण सुन रहा था, उन्होंने लिट्टे की गतिविधियों के बारे में काफी गंभीर चिन्ता जाहिर की है और राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि राज्य सरकार की लिट्टे के साथ सांठ-गांठ है। उन्होंने इसके दो कारण बताए। एक कारण यह है कि लिट्टे स्वापक तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी में लिप्त है। दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वह यह है कि तमिलनाडु सरकार अर्थात तमिलनाडु का शासक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम स्वयं इस संगठन के माध्यम से राजद्रोह का खतरनाक आन्दोलन की तैयारी कर रहा है। ये दो अत्यन्त गम्भीर आरोप है। जहां तक मेरी जानकारी है यह या तो झूठा आरोप है या इसमें काफी

सच्चाई है। राज्य सरकार तथा शासक दल पर, जिसकी केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में भी भागीदारी है, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। श्री सी० एम० अन्नादुरई के समय से, जो कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री भी थे, द्रमुक पार्टी की यह पृष्ठभूमि रही है कि यह पार्टी धीरे-धीरे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुई। यदि आप इतिहास पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि यह धीरे-धीरे संसदीय लोकतन्त्र की ओर बढ़ रही है और लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति कृतसंकल्प है।

इसी पार्टी का जिसने, द्रमुक पर राजद्रोह का आरोप लगाया है, तमिलनाडु में वर्ष 1972 और 1980 में इसके साथ गठबन्धन था तथा द्रमुक का अप्रत्यक्ष समर्थन लेकर यह पार्टी केन्द्र में सत्ता में आई। यह एक अत्यन्त निन्दनीय बात है कि यह पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 मई, 1990/3 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/6/47/90 एन
210

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।